लोक सभा वाद-विवाद

हिंदी संस्करण

(आठवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

सोमवार, 19 अप्रैल, 1982/29 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ (1) नीचे से पंक्ति 6 में "सत्येन्द्रन" के स्थान पर "सतियेन्द्रन" पढ़िये ।

पृष्ठ 52, ऊपर से पंक्ति 4 में "8356" के स्थान पर "8359" पढ़िये ।

पृष्ठ 76, ऊपर से पंक्ति 2 में "838" के स्थान पर "8383" पढ़िये ।

विषय सूची

अंक 38, सोमवार, 19 अप्रैल, 1982/29 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या 755 से 757, 759 और 760	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—227
तारांकित प्रश्न संख्या 758, 761 से 764 और 766 से 774	
अतारांकित प्रश्न संख्या 8338 से 8530	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	227—231
नियम 377 के अधीन मामले	231—236
(एक) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशी नगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के हटाये जाने की घटना की जांच कराने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रपाल शैलानी	231
(दो) गुजरात में गैस पर आधारित तीसरे उर्वरक कारखाने की स्थापना की आवश्यकता	
श्री अहमद मोहम्मद पटेल	232
(तीन) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले की पन बिजली सम्भाव्यता के विशेष संदर्भ में पन बिजली को प्राथमिकता देने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	233
(चार) मध्य प्रदेश में सांची का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	
श्री प्रताप भानु शर्मा	233
(पांच) तमिलनाडु के रामनाथपुरम और रामेश्वरम तट क्षेत्र के मछुआरों की सुरक्षा करने की आवश्यकता	
श्री एम० एस० के० सत्येन्द्रन	234
(छः) उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृन्दावन नगरों को पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता	
श्री दिगम्बर सिंह	234

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(सात) देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उपाय करने की आवश्यकता	
श्री हरिकेश बहादुर	235
(आठ) अपनी मांगों पर जोर देने के लिए कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिल्ली में धरना	
प्रो० रूपचन्द पाल	235
अनुदानों की मांगें, 1982-83	236—325
कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय—	
श्री पीयूष तिरकी	236
श्री मलिक एम० एम० ए० खां	238
श्री सी० टी० दंडपाणि	243
श्री तपेश्वर सिंह	248
श्री सूर्य नारायण सिंह	251
श्री चन्द्रपाल सैलानी	255
श्री दौलत राम सारण	259
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	263
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	269
श्री ई० के० इब्राहीम बावा	272
श्री सतीश प्रसाद सिंह	275
श्री चन्द्रजीत यादव	278
श्री राजेश पाइलट	280
राव बीरेन्द्र सिंह	281
संचार मंत्रालय	299—325
श्री ईरा मोहन	299
श्री के० लकप्पा	315
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	320
प्रो० सत्यदेव सिंह	

लोक-सभा

सोमवार, 19 अप्रैल, 1982/29 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वन उत्पादों के लिए स्थानीय अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग किया जाना

*755. †श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

†श्री राजेश पाइलट :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन उत्पादों के अनुरक्षण, विकास तथा उपयोग के लिए स्थानीय शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के वनस्पति विज्ञान तथा जीव विज्ञान विभागों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां। विश्व-विद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान की वित्तीय व्यवस्था के लिये एक योजना पांचवीं योजना में शुरू की गई थी, जो वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय की छठी योजना के कार्यक्रम में जारी है।

(ख) योजनाएं चालू हैं और परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैंने विभिन्न वन अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनुसंधान के बारे में नहीं कहा था। मेरा प्रश्न बहुत सरल है। मैं स्थानीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान के विभिन्न विभागों की सेवाओं के उपयोग के बारे में जानना चाहता

था। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने पांचवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुसंधान के लिये वित्तीय व्यवस्था करने की योजना भी हाथ में ली थी और इसे छठी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से इस हेतु आवंटित राशि के बारे में जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि कार्य के किन-किन मदों पर कितना कितनी-कितनी राशि व्यय की गया ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : छठी पंचवर्षीय योजना में कालेज तथा वन अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान के लिये वित्तीय व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना शामिल की गयी है। जहां तक राशि का सम्बन्ध हैं, मैं माननीय सदस्य के सूचित करना चाहता हूं कि इस योजना के लिये 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। लेकिन अभी हमने केवल .7 लाख रुपये व्यय किये हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : वास्तव में अनेक अनुसंधान योजनायें केवल कागजों पर ही रहती हैं और वन विभाग स्थानीय अनुसंधान तथा शिक्ष संस्थाओं के बीच कोई तालमेल नहीं होता। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वास्तविक समस्याओं सम्बन्धी पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करने की कोई योजना है ताकि कोई अग्रगामी अनुसंधान परियोजनायें चलायी जा सकें और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सके।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : इस किस्म की योजनायें कलकत्ता विश्वविद्यालय, भापाल विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यायल, उस्मानिया विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में चलायी जा रही हैं। अतः इस प्रकार के काम नियमित रूप से किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट। वे कह रहे थे कि इस किस्म की योजनायें कागज पर रहती हैं। क्या आप उन्हें हवा में उड़ा सकते हैं ?

श्री राजेश पाइलट : हमारी प्रधान मन्त्री शिक्षा को विकास तथा रोजगार से जोड़ने पर जोर देती आ रही हैं और पर्यावरण के बारे सचेत रहने तथा प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखने तथा प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में कहती आयी हैं लेकिन दुर्भाग्यवश, योजना नौकरशाही स्तर से आगे नहीं बढ़ सकी जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं, क्या मैं मत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों में प्राणी विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान विषयों के अध्ययन को नयी दिशा प्रदान की है ताकि वह वन तथा वन पैदावार की स्थानीय समस्याओं के अनुरूप हो और इन विषयों के अध्यापन से वन विभाग सम्बद्ध हो सके ?

इसके अतिरिक्त, क्या सरकार ने ब्रिटेन, कोलम्बिया तथा कनेडा जैसे देशों की तरह देश के स्कूलों तथा कालेजों के लड़कों तथा जवानों का उपयोग अन्धाधुन्ध पेड़ काटने को रोकने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : वन उत्पाद अनुसंधान के अन्तर्गत टिम्बर मेकेनिक्स, टिम्बर इन्जीनियरिंग आदि-आदि आते हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या अनुसंधान में देश की जरूरतों के अनुसार संशोधन किया गया है ? उसके लिये हमारे पास कृषि विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय वन अनुसंधान सेवा की व्यवस्था करने की योजना है।

श्री राजेश पाइलट : इसके लिये युवकों का उपयोग करने सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : हम उनका उपयोग कर रहे हैं ?

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी पूछना चाहता हूं कि खास करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं जिनका जंगल से बहुत लगाव रहता है, और बहुत सारे हमारे कालेज खुले हुए हैं तो जो इसमें इंटरेस्ट रखने वाले कालेज हैं उनमें क्या इस सबजेक्ट को कम्पलसरी करेंगे ? और जैसा माननीय सदस्य ने कैलीफोरनिया का हवाला दिया क्या आप भी भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी बनायेंगे जो खास तौर से फोरेस्ट के बारे में ही शिक्षा दे और जिस प्रकार आज जंगल उजड़ रहे हैं और जलवायु खराब हो रही है उसको रोका जाय। इस बारे में आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, फोरेस्ट कालेज, रेंजर्स कालेज देहरादून में है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम ऐनकरेज कर रहे हैं कि फोरेस्ट कालेजेज और जितने भी खोलने चाहें स्टेट्स के अन्दर खोलें। साथ ही साथ सोच रहे हैं कि फोरेस्ट्री ऐजूकेशन सिर्फ सर्विस के लोगों के लिये ही न हो, इनसर्विस ट्रेनिंग खाली मकसद उसका न हो, बल्कि और लोग भी फोरेस्ट्री पढ़ना चाहें तो उसकी फैसिलिटी होनी चाहिये। यूनिवर्सिटी में अलग-अलग अपना सिलेबस है, अलग अलग कोर्सेज आफ स्टडी हैं, उसके अन्दर फोरेस्ट को भी काफी इम्पोर्टेन्स मिलती और उस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 70 लाख रु० की राशि अभी तक वनों के अनुरक्षण और विकास पर व्यय हुई है। और उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के लिये भोपाल और लुधियाना ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का चयन किया गया था। तो छोटा नागपुर में घना जंगल है और जिसका देश में महत्व है क्या उसके लिये भी कोई योजना बनाई गई है या कोई फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां कायम करने का सरकार विचार कर रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : 70 लाख नहीं, 30 लाख रुपये की राशि मेरे साथी ने बतायी थी। छठी प्लान में इस स्कीम पर 30 लाख रुपये रखा गया है जिसमें से 17 लाख पहले ही खर्च कर दिया गया है। जिन यूनिवर्सिटीज में यह काम हो रहा है, उनके नाम उन्होंने बताये हैं। कोई और यूनिवर्सिटीज अगर कोई प्रोजेक्ट बनाकर हमारे पास भेजेंगी तो उस पर भी गौर किया जायेगा।

ग्राम स्तर पर योजना बनाना

*756. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक्सटेंशन एजूकेशन एसोसिएशन से, जिसका मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में है, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। अब तक भारतीय विस्तार शिक्षा सोसायटी ने ग्राम स्तर पर नियोजन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सिफारिश सरकार को नहीं भेजी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पीयूष तिरकी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने 15 अप्रैल, 198. का इन्नोवेशन टैक्नोलाजीज फार इन्टैग्रेटेड रूरल डैवलपमैंट को सतर्क करते हुए कहा कि ग्राम यूनियन परिकल्पना के काम सन्तोषजनक नहीं हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो परिकल्पना की गई थीं, वह जिला स्तर पर की गई थीं और जिला स्तर से ऊपर जो ग्रामों के लिये योजनाएं बनाई जाती थीं, वह उचित साबित नहीं हुईं और उनमें लाभ के बदले हानि हुई ? छठी पंचवर्षीय योजना में भी प्लानिंग को नीचे, डिसैंट्रलाइजेशन आफ प्लानिंग प्रासेस टू दी ब्लाक लैवल की बात कही गई है। जनता सरकार ने 1978-79 में यहां तक कहा था कि 10 बरस में सभी लोगों के लिये लाभजनक काम संस्थान की व्यवस्था की जायेगी। इसके पश्चात् सरकार में बदली होने के बाद भी 1980 में वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया, करार किया कि माइक्रो लैवल प्लान फार इरैडिकेशन आफ पावर्टी पर जोर दिया जायेगा और ब्लाक लैवल पर स्कीम बनाई जायेंगी। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कही गई बात सच है या नहीं ? यदि सच है, तो इस सम्बन्ध में डिसैंट्रलाइजेशन आफ प्लानिंग करने में उनको कौनसी आपत्ति है ? वहां की उन्नति के लिये लोक लैवल से जो समितियो से प्लान भेजी जायेंगी उनको सरकार स्वीकार करेगी या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट की पालिसी यही है कि प्लानिंग जहां तक हो सके नीचे के लैवल पर होनी चाहिये। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितने हमारे एन० आर० ई० पी० के प्रोग्राम हैं, उनकी सारी प्लानिंग पचायत लैवल पर होती हैं। ब्लाक लैवल पर हमार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डैवलमेंट के लिये हमारे पास स्कीम है, उसमें 50 परसैंट स्ट्रैन्थन करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से सबसीडीज और ग्रान्ट्स दी जाती हैं। बहुत सी स्टेट्स ने इसके लिये पहले से ही स्कीम बना ली हैं और हमने वह मंजूर कर दी है और वहां काम शुरू हो गया है।

जहां तक हो सकता है, हम सारी प्लानिंग को नीचे के लैवल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज नीचे के लवल पर नहीं हो सकती है। इंटर-ब्लाक भी को-आर्डिनेशन चाहिये। ब्लाक्स में डिस्ट्रिक्ट्स का भी आपस में सम्बन्ध होना चाहिये। हर जगह की अपनी-अपनी जरूरियात को देखते हुए कोशिश यह की जाती है कि जो बैकवर्ड इलाके हैं, उन पर ज्यादा गौर किया जाये, उसी तरीके की प्लानिंग की जाये।

श्री पीयूष तिरकी : सभी ट्राइबल इलाकों में एक अस्थिरता इसलिये फैली हुई है कि वहां प्लानिंग के लिये जो स्कीम दी जाती हैं, वहां पहले तो ऐसे अफसर जाते हैं जो उनकी कल्चर और

भाषा से ताल्लुक नहीं रखते हैं और जो कुछ जंगल में हुआ है उस पर ध्यान नहीं देते। इन लोगों की संस्कृति जो जंगल, पहाड़ और पर्वतों से जुड़ी हुई है, उसे सामने रखते हुए क्या उस इलाके की ट्राइबल पापूलेशन के जो मुखिया हैं या पंचायत के दूसरे लोग हैं, उनसे भी उस इलाके की परिकल्पना के सम्बन्ध में उनकी राय मांगी जायेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ट्राइबल वेलफेयर की तरफ खासतौर पर सरकार का ध्यान है। जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, यह तो फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलेबस में एक स्पेशल सबजेक्ट शामिल किया गया है। ट्राइबल्ज के लिए हमारी जितनी डेवेलपमेंट की स्कीम्ज हैं, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स से भी ज्यादा सबसिडी रखी गई है। बहुत से प्रोग्राम्ज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और मार्जनल फार्मेज को 33 परसेंट सबसिडी मिलती है। लेकिन ट्राइबल्ज के लिए 50 परसेंट सबसिडी रखी गई है। ट्राइबल्ज की तरफ ध्यान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।

श्री पीयूष तिरकी : पैसे का सवाल नहीं है। पैसा दिया गया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उनसे सलाह-मश्वरा किया जाएगा या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जब मैंने अर्ज किया कि लोगों से सलाह करके नीचे के लेवल पर सारा प्लान बनाया जाता है, तो उसमें उनसे सलाह-मश्वरा तो अपने आप आ गया। उनकी सलाह से ही सारे काम होते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम हर एक लैवल पर प्लानिंग करते हैं—विलेज से स्टेट और स्टेट से सेंटर तक। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कोई गाइडलाइन्ज दी हैं कि कौन सा विषय विलेज या ब्लाक लेवल पर होगा, कौनसा विषय डिस्ट्रिक्ट या स्टेटल लेवल पर होगा और कौनसा विषय सेंटर में होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने स्टेट्स को डेवेलपमेंट के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने के लिए कहा है। स्टेट लेवल पर कमेटी होती है। उसमें भी ज्यादा जोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवेलपमेंट एजेन्सी बना कर डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करने पर सरकार का ध्यान है। वह प्लानिंग नीचे ब्लाक और विलेज से ऊपर आएगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : सबजेक्ट और एमाउंट को आइडेंटीफाई कैसे किया जाएगा ? क्या मेजर इरिगेशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वह नहीं होगा। जो रूरल डेवेलपमेंट की लोकल स्कीमें हैं, वे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगी। अगर कोई जिले से बाहर की स्कीम है, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवेलपमेंट एजेन्सी उसको नहीं देख सकती।

श्री ईरा अनबारासु : तमिलनाडु में विशेषकर राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंतित राशि का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि जो कार्य इस योजना के अन्तर्गत आता है उसे या तो टेंडर मांगकर या किसी अन्य साधन द्वारा आवंतित

नहीं किया जाता, इसे केवल ब्लाक स्तर पर तमिलनाडु में दल के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ता चाहे ठेकेदार भी न हो, लेकिन उन्हें काम दिया जाता है। अतः इस हेतु आवंटित राशि का उचित उपयोग नहीं होता, इसका उपयोग तमिलनाडु में केवल अन्नाद्रमुक के लोगों के कल्याणार्थ किया जाता है। क्या मन्त्री महोदय राशि के उपयोग के बारे में गहरी जांच करने का आदेश देंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें कहीं से भी कोई शिकायत आये, उस पर भारत सरकार के अधिकारी विचार करते हैं। हम राज्यों से टिप्पणियां मांगते हैं और यदि जरूरी हो तो हम मौके पर शिकायतों की छानबीन के लिये अधिकारियों को भेजते हैं। ऐसा न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि विभिन्न राज्यों से आयी शिकायतों के बारे में किया जाता है। हमारी मार्गदर्शी बातों के अनुसार जहां भी सम्भव हो, राज्यों को सभी मतों के लोगों, गांव में समाज के सभी वर्गों के लोगों को ग्राम स्तर की सलाहकार समितियों अथवा निगरानी समितियों में शामिल करने के लिये कहते हैं। नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने भी राज्य को इस प्रकार की मार्गदर्शी बातों का ब्यौरा भेजा है कि अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिये भी ग्राम स्तर की समितियां होनी चाहिये और न केवल प्रधानों तथा सरपचों को ही इन समितियों में शामिल किया जाये बल्कि जो लोग चुनाव में हारे हैं उन्हें भी लिया जाये ताकि गाँव का कोई भी वर्ग इससे बाहर न रहे। इसी प्रकार, जिला समितियों में भी सभी विधायकों तथा सभी ससद सदस्यों को सम्बद्ध करना पड़ता है। सभी विधायकों तथा संसद सदस्यों को जिला समितियों क सदस्य बनना पड़ता है। अतः कुछ लोगों को छोड़ने तथा केवल दल के कार्यकर्ताओं को सम्बद्ध करने का कोई भी प्रश्न नहीं है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि सरकार के नोटिस में आने वाली शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है और अधिकारियों के लेखों की छानबीन करने के लिये भेजा जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या मद्रास विकास अध्ययन संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन उनके नोटिस में लाया गया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र द्वारा तमिलनाडु को आवंटित राशि का स्थानीय अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है।

एक माननीय सदस्य : यह एक ही प्रश्न को दोहराना है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। योजना आयोग की शिवरामन समिति ने एक समिति का गठन किया था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या मद्रास की इस संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सरकार के नोटिस में लाया गया है और यदि हां तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो सरकार इस पर कब तक कार्यवाही करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इतनी जल्दी इसका उत्तर नहीं दे सकता। यदि इन्हें पूरे ब्यौरे, ठीक उत्तर और सूचना की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य को एक पृथक नोटिस देना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : इन्हें चेम्बर में बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय : डा० वसन्त कुमार पंडित।

केसरी दाल की खेती

*757. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि खेतिहर मजदूरों को मजूरी के रूप "केसरी दाल" नामक जहरीली दाल दी जा रही है;

(ख) क्या विभाग ने सर्वेक्षण किया है और मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उन गांवों का पता लगाया है जिनमें केसरी दाल का वितरण तथा खेती होती है;

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा केसरी दाल की खेती और उसके वितरण पर प्रतिबन्ध लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अन्य दालों में केसरी दाल की मिलावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य रिपोर्टें सरकार की जानकारी में लाई गई हैं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार "केसरी दाल" को अधिक मात्रा में खाने के कारण निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में अधरंग रोग फैल जाने का पता चला था :

बिहार :	पटना, मुंगेर, दरभंगा
मध्य प्रदेश :	सागर, भोपाल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, बिलासपुर खांडवा, रामपुर, छींदवाड़ा, सिओनी, रीवा, सतना, पन्ना, टीकमगढ़।
उड़ीसा :	उड़ीसा
पंजाब :	नोरोवाल
उत्तर प्रदेश :	इलाहाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, हरदोई, रामपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, सीतापुर, उन्नाव, बदायूं तथा बस्ती
पश्चिम बंगाल :	मुर्शिदाबाद

(ग) तथा (घ) खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 के नियम 44-क के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति "केसरी दाल" तथा इसके किसी भी प्रकार के उत्पादों का बिक्री के उद्देश्य से किसी प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार करने में घटक के रूप में किसी भी नाम से न तो बिक्री कर सकता है, न बेचने के लिए उसे प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित कर सकता है और बेचने के उद्देश्य से उसे अपने पास रख भी नहीं सकता है। उपरोक्त प्रतिबन्ध लगाने के संबंध

में अधिसूचनाएं राज्य सरकारों द्वारा जारी करनी होती हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने जन उपभोग के लिए केसरी दाल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

डा० वसंत कुमार पण्डित : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर जिस लापरवाही से उत्तर दिया वह बहुत विचलित कर देने वाला है। 'कसरी दाल' में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'लेथाइरस स्टीउस' कहा जाता है, लीथल नामक जहरीला पदार्थ होता है। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल में इसका उत्पादन किया जाता रहा है। उत्तर से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश और बिहार के लगभग 50 से 60 प्रतिशत जिलों में इस दाल का उत्पादन किया जा रहा है।

सरकार ने अन्य बहुत से तथ्यों, जैसे आई० सी० एम० आर० तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्टों, के बारे में नहीं बताया है। यहां जो कुछ बताया गया है वह यह कि खाद्य मिलावट निवारण नियम 44-क के तहत, इसकी अधिसूचना दी गई है। मैंने दो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं— क्या यह दाल बन्धक तथा संविदाल मजदूरों को दी जा रही है, यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों में यह दाल वितरित करने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? इसके घातक तथा जहरीले प्रभाव को जानने के बाद, क्या सरकार इसकी पैदावार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इस दाल की पैदावार तथा वितरण पर निगरानी रखने जा रही? केवल "इसकी बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जाने अन्यथा बेचे जाने वाले पदार्थों में इसके उपयोग' पर प्रतिबन्ध लगाने से से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य है कि एक सरकारी विभाग में इस दाल को खेती तथा उत्पादन किया जा रहा है जबकि दूसरे विभाग में इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। 1955 में मैंने यह प्रश्न महाराष्ट्र विधान सभा में उठाया था जब अधरंग की कुछ घटनायें हुई थीं तथा इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। कर्नाटक में भी इस दाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया दिया गया था। लेकिन इस दाल के मुख्य उत्पादन केन्द्रों में अभी भी इस दाल का उत्पादन हो रहा है। क्या मंत्री महोदय सभा को यह जानकारी देंगे कि यदि यह दाल मानवीय उपभोग के लिए जहरीली है तब फिर इस दाल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा और सरल प्रश्न पूछिए कि क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है अथवा नहीं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : यह उत्तर दिया गया था कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किये हैं···

अध्यक्ष महोदय : तब फिर सीधा प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न को इतना लम्बा क्यों कर रहे हैं?

डा० वसन्त कुमार पण्डित : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न पूछे जाने के बाद कि यह दाल संविदात्मक मजदूरों तथा बंधक मजदूरों, विशेषकर उन राज्यों में जहां पर बंधक

मजदूर हैं, को दी जा रही है, सरकार ने कुछ सुनिश्चित किया है ? यदि यह दाल माननीय उपयोग के लिए जहरीली है, तो क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाने पर सोच रही है, जो कि सम्भव नहीं है क्योंकि धनाढय किसानों का समूह इसका संचालन कर रहा है ? मध्य प्रदेश सरकार इस दाल से बनी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाने के अधिसूचना जारी की लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद उसे वह अधिसूचना वापिस लेनी पड़ी। क्या आप इसकी पैदावार पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा इस दाल के वितरण पर निगरानी करने जा रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस दाल के प्रयोग तथा बिक्री सम्बन्धी सरकार का दृष्टिकोण मैं बता ही चुका हूं। तीन राज्यों ने इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। यदि बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तो इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश। इसका प्रयोग चाहे बंधक मजदूर करें अथवा स्वयं उत्पादक तथा अन्य उप-भोक्ता, यह एक ही बात है। यदि राज्य सरकार ने इस पर निषेध नहीं लगाया है तो कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। यह ऐसी फसल है जिसकी खेती सामान्यतः सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों तथा अत्याधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे किसानों द्वारा की जाती है। यह एक ऐसी फसल है जिसकी खेती चावल तथा गेहूं के साथ मिलाकर की जा सकती है। इसकी पैदावार अत्यन्त सूखे वाले क्षेत्रों में की जा सकती है तथा अत्याधिक नमी वाले क्षेत्रों में भी, यही कारण है कि लोगों ने अभी तक इस दाल की खेती नहीं छोड़ी है। बल्कि इस दाल की कुछ नई किस्में भी जिनकी खेती की जा रही है। इनमें न्यूरोटोक्सिक तत्व की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जितनी कि इस दाल की आम किस्मों हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध किया गया है, जिनमें इसकी मात्रा 0.5 प्रतिशत है जबकि नई किस्मों में 2 प्रतिशत से कम है। लेकिन जहां इसका उपयोग किया जाता है, वहां लोग इसे उबालकर इसका पानी फेंक देते हैं तथा तब इसे पकाकर खाने के काम लाते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इससे 0.5 प्रतिशत लोग मरते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कोई भी नहीं मरता। लेकिन इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हम इस दाल की नई किस्में खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा लोगों को मसूर की दाल की खेती के लिए बता रहे हैं। लेकिन, परम्परागत ढंग से लोग इसकी खेती कर रहे हैं तथा वे इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। उन्हें इस दाल को एकदम छोड़ने के लिये राजी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप लोग यह समझने लग गए हैं कि यह दाल हानिकारक है तथा लोग यह जानते हैं कि यह दाल हानिकारक है। संसद तथा प्रेस में इस पर लम्बा विवाद हुआ है कि केसरी दाल का उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रचार के सभी साधनों जैसे—प्रेस, रेडियो, टी. वी. में इसका प्रसार करें।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या आप किशोरी के बारे में बात कर रहे हैं या हमारे मन्त्री केसरी के बारे में ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उन मन्त्री का नाम केसरा है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम वह किशोरी नहीं हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह 'पुरुष' मंत्री हैं।

इन परिस्थितियों में ही, हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बारे में क्या किया जा सकता। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह देखें कि इस दाल का उत्पादन न किया जाए। यदि वे चाहें तो इसकी खेती और बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें भारत सरकार का सुझाव दिया जा चुका है।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में देश में केसरी दाल के उत्पादन में वृद्धि हुई है ? क्या यह भी सच है कि सरकार न केवल इसकी नई किस्में देने का प्रयत्न कर रही है अपितु केसरी दाल की नई किस्म की खेती के प्रयोग कर रही है। यदि हां, राज्यों में इसका विरोध करने की बजाय, केन्द्र द्वारा इस दाल के वितरण पर निगरानी रखने के लिए क्या किया जाएगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इसकी वर्तमान स्थिति तथा कानून के बारे में बता चुका हूं। मैं नहीं समझता कि इस दाल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं इस बारे में विश्वस्त नहीं हूं कि कुछ स्तरों पर इसमें स्थिरता आई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बीज की नई विकसित किस्मों तथा किसानों को दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों, विस्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी से, हमें आशा है कि, इसकी पैदावार में कमी आएगी। इस समय केसरी दाल का कुल उत्पादन 0.5 मिलियन टन से ? मिलियन टन तक है। और यह किसी विशेष दाल की किस्म की अधिक पैदावार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : अपने ध्यानाकर्षण नोटिस को ध्यान में रखे बिना ही मैं इस विषय पर प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न···

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने इस विषय सम्बन्धी आम रिपोर्टों का उल्लेख किया है, जिस ओर सरकार का ध्यान दिलाया जा चुका है। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद का उल्लेख किया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है, जिसका शीर्षक है—लंगडे गांव की कहानी।

अध्यक्ष महोदय : गाय ?

प्रो० मधु दंडवते : गांव। यदि आप गांव का अर्थ नहीं समझते तो और कौन समझेगा ?

गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा तैयार की गई उस विशेष रिपोर्ट में, विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवां जिले के कुछ क्षेत्रों में सैम्पल सर्वे किया है। और उन्होंने यह बात विशेष रूप से बतायी है कि बंधक मजदूर इस केसरी दाल का उपयोग कर रहे हैं तथा वह दाल उन बंधक मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के एवज में दी जाती है। क्या यह सच है कि यह अत्याचार जारी है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वहां बन्धक मजदूर नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप यह भली भांति जानते हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा तैयार की गई विशेष रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि केसरी दाल में खतरनाक तत्व होने के कारण यह बात अलग है कि यदि वह खाई जाए तो उसमें जहरीले तत्व का प्रतिशत कितना है, उन्हें अधरंग हो जाता है तथा उनकी टांगों में लकवा हो जाता है । इस मामले में, यदि उनकी टांगों में लकवा हो जाए, तो कृषक मजदूर खेती कार्य संबंधी अपनी क्षमता खो बैठेंगे । अत: यदि उनकी राज्य सरकारें केसरी दाल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या केन्द्र सरकार, सीमेंट की भांति, इस मामले में भी निर्देश-पुस्किाएं जारी करेंगी ? क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को यह सुझाव देगी कि इस जहरीली केसरी दाल की पैदावार रोकी जानी चाहिए ? और यदि राज्य सरकारें इस जहरीले चरित्र विशेष पर उचित ध्यान नहीं दे रही तो मैं नहीं जानता कि क्या केसरी दाल के निगलने से उनको भी अधरंग मार गया है और यदि यह नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में आपको उनको चेतावनी देनी चाहिए कि केन्द्र सरकार ऐसे विषाक्त दल के पनपने को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे अन्तत: श्रमिक संबंध खराब होंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य सुझावों तथा भावों को ध्यान में रख लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : पहला भाग सुझाव नहीं है । मैं अपने प्रश्न को पुन: दोहरा दूंगा । यह तेज प्रश्न है । स्पष्ट उत्तर मत दीजिए :

मेरा पहला प्रश्न था कि क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान की रिपोर्ट 'लंगड़ी गांवों की कहानी' जोकि दिल्ली में एक मुख्य मंत्री द्वारा विमोचित की गयी थी के बारे में उनको सूचित किया गया है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपका ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित हुआ है, क्या आपने उसको अध्ययन किया है तथा क्या आप इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करने जा रहे हो ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय मैंने इस रिपोर्ट विशेष का अध्ययन नहीं किया है परन्तु मैंने इस विषय पर और बहुत सी कहानियां देखी हैं और मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस दाल विशेष को खाने से मानवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर आपको इसे रोकना चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम इसे रोकना चाहते हैं (**व्यवधान**) जो इन्होंने बताये हैं, मैं उनको भी पढ़ लूंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय यह प्रश्न जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह इस बात की वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज के गरीब वर्ग से सम्बन्धित है । यह समाचार केवल हाल ही में प्रकाशित नहीं हुआ परन्तु यह आता ही जा रहा है और जैसा कि आपको मालूम है यह बहुत ही खतरनाक दाल है । हमारे राज्य में इसको केसरी कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर क्या आपको भी इसको चखने का मौका मिला है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने इसे नहीं चखा।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय यदि उन्होंने इसको चखा होता तो वे और अधिक लड़ाकू होते।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको अनुमति ही नहीं देता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि अपने सशक्त नियोजन से आप कम से कम 70% लोगों को निरक्षर रख सके हो और जो कुछ चर्चा हम संसद में करते हैं तथा अखबारों में आता है वह अब गांवों के निरक्षर लोगों तक नहीं पहुंचता जिनको सामान्यतया इससे हानि होती है। अत: क्या सरकार जनसमूह को इस दाल विशेष को खाने के परिणामों के बारे में शिक्षित करेगी—क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कानून से भी इसमें कोई लाभ नहीं होगा—यदि हां तो आप इसका उन क्षेत्रों में जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है तथा खाई जाती है, किस प्रकार से प्रचार करना चाहते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो कुछ चर्चा इस सभा में की जा रही है उससे भी लोगों को शिक्षा मिलेगी। महोदय उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे हमें कोई और सुझाव देने से पहले कम से कम पश्चिमी बंगाल सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी कर लें जैसे कि दूसरे राज्यों ने इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सामान्यत: वहां पर इसका उपभोग नहीं किया जाता परन्तु फिर भी क्योंकि आपने कहा है तो मैं···

अध्यक्ष महोदय : पालन करो।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसको अब भी करूंगा और मैं आशा करता हूं कि चुनावों के बाद भी हम पुन: सत्ता में आ जायेंगे। परन्तु आपको भी इसका जो प्रचार किया जाना चाहिए उसके बारे में अपने वायदे को पूरा करना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : चुनावों के बाद बंगाल में आपके आने की कोई उम्मीद नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, जो यह केसरी दाल है, एक दाल खिसारी हमारे बिहार में पैदा होती है। वह भी एक जहरीला पदार्थ है।

अध्यक्ष महोदय : राम स्वरूप जी, मंत्री से बैठकर सलाह कर लेना। कहीं वे यह दाल बेन करते-करते कोई दूसरी दाल बेन न कर दें।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, यह खेसारी दाल बिहार के कई जिलों में बोया जाता है और खाया जाता है। यह जहरीला पदार्थ है। इस दाल को छोटे-छोटे किसान बोते हैं

और समाज का बहुत निचला तबका, उपेक्षित तबका इसका उपभोग करता है, हरिजन-आदिवासी इसका उपभोग करते हैं, इसको खाने से लोग अपंग हो जाते हैं। यह एक तरफ से अपंग बनाने का कारखाना खुल गया है। सारे देश में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

मेरा पहला सवाल यह है कि यह बहुत गम्भीर मामला है, यह अपंग बनाने के कारखाने के रूप में पूरे देश में काम कर रहा है। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए क्या इसकी उपज पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है या नहीं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार एक समिति बनाएगी जो इस मामले की पूरी जांच करे कि इस दाल को खाने से कितने व्यक्ति अपंग हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो दाल की खिचड़ी पक रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि किसानों के ऊपर कोई कानूनी पाबंदी लगाना कि वे एक खास दाल को नहीं खायेंगे, बहुत मुश्किल काम है। जितना गम्भीर यह विषय है, उतनी ही गम्भीर यह बात है कि कौन सा कानून पाबंदी लगाने के लिए लगाया जाए। वे अपने स्वयं के उपयोग के लिए उगाते हैं, कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। हां प्रचार माध्यमों से एजूकेट करने की बात है तो उसके लिए प्रयत्न जारी हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इसके लिए समिति बनाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रोकने की जरूरत है इसको।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, खेसारी की दाल का जहां तक मामला है, मैंने खेसारी की दाल 10 साल तक खाई है। बालेश्वर जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में खाई होगी। हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। आपने कहा है कि हम लोगों को मालूम करवा रहे हैं। हम लोगों को अभी एक साल से मालूम हुआ है कि यह जहरीला पदार्थ है। इसलिए मंत्री महोदय का जवाब गलत है, इसको मैं प्रूफ करूंगा।

तारिक अनवर जी के यहां यह दाल होती है, उनके जिले का नाम नहीं है, केदार पाण्डे जी के यहां होती है, इनके जिले पश्चिम चंपारण का जिक्र नहीं है, समस्तीपुर जिले के मंत्री बैठे हैं, उस जिले का भी नाम नहीं है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हैं, उनके जिले का भी नाम नहीं है, कई मंत्रियों के जिलों का जिक्र इसमें नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : अब पता लग गया कि सब पेरालाइज क्यों हो गये हैं।

श्री रामविलास पासवान : इस तरह से यह रिपोर्ट गलत है। खेसारी दाल मजदूरों को ही दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, छोटे किसानों को भी मालूम नहीं है। इसलिए लिटरेचर के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से खूब कसकर प्रचार करवाया जाए कि यह जहरीला पदार्थ है।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री रामविलास पासवान : इसका खूब जमकर प्रचार करवाएं, दूसरा मेरा सवाल यह है कि इतने दिनों से खेसारी दाल का उपयोग हो रहा है, क्या सरकार यह पता लगाएगी कि और इस तरह के कौन-कौन से अनाज जहरीले हैं और लोग उनको खा रहे हैं। क्या सरकार इसके बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण करवाएगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उम्मीद करता हूं कि जो सजेशन आनरेबल मैम्बर ने दिया है। इसका सारा मीडिया प्रेस का, इनफर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री का रेडियो और टेलीविजन सब प्रकार करेंगे। बार-बार मैंने कहा है कि मुख्तलिफ किस्म की दालें होती हैं और सारी दालें इतनी जहरीली नहीं होतीं जिससे नुकसान हो। हो सकता है पासवान जी जहां से आते हैं वहां की दाल ज्यादा जहरीली होती हो।

श्री रामविलास पासवान : मैंने सवाल पूछा था कि सर्वेक्षण करायेंगे और पता लगायेंगे कि दूसरे जो अनाज है उनमें कौन-कौन से अनाज जहरीले हैं ? इसका जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला सवाल।

खाद्यान्नों का रक्षित भंडार

***759. श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1881-82 में विभिन्न राज्यों में बनाये गए खाद्यान्नों के रक्षित भंडारों की स्थिति क्या थी;

(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 1982-83 में खाद्यान्नों के रक्षित भंडार बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्यान्नों का बफर स्टाक अखिल भारत आधार पर बनाये रखा जाता है और उपलब्ध भण्डारण क्षमता, संचलन सम्बन्धी व्यवहार्यता आदि जैसी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे देश के विभिन्न केन्द्रों पर रखा जाता है ताकि वितरण विषयक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विभिन्न राज्यों में 1-4-1980 और 1-4-1981 को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों के कुल स्टाक की स्थिति का ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है, जिसे सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) 1978 में लिए गए निर्णयानुसार, इस वर्ष पहली अप्रैल को 35 से 38 लाख मीटरी टन के बीच और पहली जुलाई को 82 से 88 लाख मीटरी टन के बीच परिचालन स्टाक रखने के अलावा, 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखना अपेक्षित है। क्योंकि स्टाक का वर्तमान स्तर इस स्तर से कम है, इसलिए खाद्यान्नों की अधिकतम वसूली तथा उनका

सूझ-बूझ के साथ इस्तेमाल करने के लिए खाद्यान्नों की विनियमित निर्मुक्ति कर खाद्यान्नों का स्टाक तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने छठी योजनावधि के लिए खाद्यान्नों की राष्ट्रीय बफर नीति तैयार करने के लिए अप्रैल, 1981 में एक तकनीकी ग्रुप नियुक्त किया था—

(ग) क्योंकि बफर स्टाक अखिल भारत आधार पर रखा जाता है, इसलिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

केन्द्र और राज्य सरकारों के पास 1.4.1980 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक-विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1131.0	80.4	20.7	1232.1
असम	28.6	7.9	—	36.5
बिहार	51.3	216.1	—	267.4
गुजरात	49.4	60.2	4.3	313.9
हरियाणा	679.8	216.4	3.3	899.5
हिमाचल प्रदेश	1.2	8.1	—	9.3
जम्मू तथा कश्मीर	12.8	0.3	—	13.1
केरल	181.8	13.6	—	195.4
मध्य प्रदेश	574.1	542.8	—	1116.9
महाराष्ट्र	478.6	436.8	115.0	1031.4
मणिपुर	2.3	0.6	0.2	3.1
मेघालय	1.8	0.1	—	1.9
नागालैण्ड	4.3	0.1	—	4.4
उड़ीसा	98.0	24.1	—	122.1

1	2	3	4	5
पंजाब	3653.6	1613.6	0.5	5267.7
राजस्थान	89.8	841.9	0.8	932.5
सिक्किम	0.5	—	—	0.5
तमिलनाडु	452.8	115.7	—	568.5
त्रिपुरा	6.2	0.2	—	6.4
उत्तर प्रदेश	491.7	678.6	2.4	1172.7
पश्चिमी बंगाल	357.1	144.8	—	501.9
अण्डमान तथा निकोबार	1.9	1.0	—	2.9
अरुणाचल प्रदेश	1.0	0.2	—	1.2
चण्डीगढ़	0.4	—	—	0.4
दादर तथा नगर हवेली	0.9	0.3	—	1.2
गोआ, दमन तथा दीव	4.6	5.0	—	9.6
लक्षद्वीप	नग०	—	—	नग०
मिजोरम	नग०	0.3	—	0.3
पांडिचेरी	0.7	नग०	—	0.7
कर्नाटक	60.0	74.8	0.7	135.5
दिल्ली	27.1	34.9	—	62.0
सकल जोड़	8443.3	5318.8	148.9	13911.0

विवरण II

केन्द्र और राज्य सरकारों के पास 1.4.1981 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक-विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	652.6	41.0	9.7	703.3
असम	66.7	9.4	—	76.1

1	2	3	4	5
बिहार	160.1	121.3	—	281.4
गुजरात	82.4	38.5	26.9	149.8
हरियाणा	228.0	53.5	0.4	281.9
हिमाचल प्रदेश	0.8	12.1	—	12.9
जम्मू तथा कश्मीर	21.6	10.6	—	32.2
केरल	121.0	18.1	—	139.1
मध्य प्रदेश	403.7	206.8	—	610.5
महाराष्ट्र	357.2	34.2	71 0	462.3
मणिपुर	4.0	0.3	0.1	4.4
मेघालय	4.9	0.5	—	5.4
नागालैण्ड	4.6	1.2	—	5.8
उड़ीसा	188.0	24.5	—	212.5
पंजाब	3081-0	1534.8	0.2	4616.0
राजस्थान	37.1	485.2	0.5	522.8
सिक्किम	1.1	—	—	1.1
तमिलनाडु	201.1	5.3	—	206.4
त्रिपुरा	13.6	0.2	—	13.8
उत्तर प्रदेश	442.8	246.7	0.3	689.8
पश्चिमी बंगाल	497.2	173.6	—	670.8
अण्डमान तथा निकोबार	1.0	0.4	—	1.4
अरुणाचल प्रदेश	3.1	0.3	—	3.4
चण्डीगढ़	0.1	—	—	0.1
दादर तथा नगर हवेली	नग०	—	—	नग०
गोआ, दमन और दीव	6.8	2.3	—	9.1
लक्षदीप	—	—	—	—
मिजोरम	2.7	0.6	—	3.3
पाण्डीचेरी	0.5	नग०	—	0.5
कर्नाटक	79.2	12.1	—	91.3
दिल्ली	31.5	34.5	—	66.0
सकल जोड़	6694.3	3068.0	111.1	9873.4

श्री हरिहर सोरन : अपने उत्तर के भाग क में माननीय मन्त्री ने 1980-81 तथा 1981-82 में विवरण I तथा II में सुरक्षित भंडार की स्थिति बतलायी है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दो वर्षों में उड़ीसा राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में सुरक्षित भंडार कम है। जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन का सम्बन्ध है उड़ीसा कमी वाला राज्य है। इसके अलावा इस राज्य में साईक्लोन, सूखा तथा बाढ़ें बहुत आते हैं जिससे प्रतिवर्ष फसल को भारी क्षति होती है।

इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार उड़ीसा राज्य में 1982-83 से खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारों को बढ़ाने के लिए विचार करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है, 1980 में उड़ीसा का सुरक्षित भंडार 1,22,000 मिट्रिक टन था। मैं समझता हूं कि बहुत कम नहीं था। 1981 में, पहली अप्रैल को उड़ीसा में 2,12,000 मिट्रिक टन खाद्यान्न थे। यह भी बहुत भंडार का बहुत अच्छा स्तर था। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य चिंतित क्यों है जबकि उड़ीसा में काफी अच्छे स्तर पर भंडार रखे गये हैं।

श्री हरिहर सोरन : क्योंकि सुरक्षित भंडारों की स्थिति का सम्बन्ध खाद्यान्नों की वसूली से है, 1980-81 तथा 1981-82 में राज्यवार खाद्यान्नों की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, यदि नहीं तो उन राज्यों के नाम दिये जायें जहां पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी ? उन राज्यों में लक्ष्य को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा 1982-83 में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि राज्यों के लिए अलग से भंडार रखने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। परन्तु सभी राज्यों के लिए केन्द्र बिन्दुओं पर सुरक्षित भंडार रखने का प्रयत्न करते हैं। वसूली के सम्बन्ध में भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। परन्तु हम जितना सम्भव हो सकता है वसूली करना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय जैसा कि आपको मालूम है कि पश्चिमी बंगाल में हम जूट की फसल विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से उगाते हैं। उसी कारण से हमारे राज्य पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों की कमी हो गयी है। हम बंगाल के विभाजन के बाद जूट की फसल राष्ट्रीय हित में उगा रहे हैं क्योंकि जूट बंगाल के दूसरे भाग में उगाया जाता था। अतः यहां पर हम अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निबाह रहे हैं। इसी कारण हमारा राज्य खाद्यान्नों की कमी वाला राज्य बन गया है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के लिए सुरक्षित भंडार रखती है। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि 357 हजार टन चावल और 144.8 हजार टन गेहूं अर्थात 5 लाख टन का सुरक्षित भंडार पश्चिमी बंगाल के लिए रखा गया है। यह पर्याप्त नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल के लिए गेहूं तथा चावल का सुरक्षित भंडार 0 टन तक बढ़ायेगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : 1-4-81 को पश्चिमी बंगाल में 6,70,000 टन खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार थे। इस वर्ष मार्च के शुरू में 5,48,000 टन से अधिक खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार थे।

जैसा कि स्वय माननीय सदस्य को पता है कि पश्चिमी बंगाल खाद्यान्नों की बहुलता वाला राज्य नहीं है। उत्तर में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में जैसे अन्य राज्यों से खाद्यान्न ले जाने पड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल के लिए 5.6 लाख के बीच सुरक्षित रखना जो कि पिछले तीन वर्षों में रखा गया है, जैसा कि मैं बतला चुका हू, पश्चिम बगाल के लिए काफी अच्छा भंडार है और इस मामले में कोई चिन्ता नही होनी चाहिए। हम पश्चिमी बंगाल में उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : प्रश्न संख्या 760।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका एकाधिकार है। एकाधिकार वसूली।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे किसान होने के नाते अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है।

राज्यों में सेब का उत्पादन

*760. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **कृषि मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में सेब का उत्पादन क्या हुआ:

(ख) उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान किन देशों को सेब का निर्यात किया गया और विदेशों में सेब की किस किस्म की अधिक मांग थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में जहां सेब का अधिक उत्पादन होता है "वोडका" बनाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 में सेब का अनुमानित उत्पादन लगभग 9.00 लाखों मीटरी टन है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ग) सेब का निर्यात मुख्य रूप से बांग्ला देश, सऊदी अरब तथा श्रीलंका को किया गया। निर्यात की गई किस्म मुख्यत: लाल स्वादिष्ट तथा उसकी किस्में हैं।

(घ) "वोदका" सेब से तैयार नहीं किया जाता है, अत: प्रश्न ही नहीं होता।

दिनांक 19 अप्रैल, 1982 को लोक सभा में श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 760 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(ख) उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। उठाये कुछ कदम निम्नलिखित हैं :

1. सेब पैदा करने वाले तीन प्रमुख राज्यों अर्थात् जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश (पर्वतीय) में पृथक बागवानी विभागों का सृजन। इसके अतिरिक्त, जम्मू तथा कश्मीर में एक पृथक योजना एवं विपणन निदेशालय का सृजन करना।

2. जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए बागवानी उत्पाद विपणन एवं परिसंस्करण निगमों का सृजन।

3. सेबों के लिए कारगर विपणन एवं परिसंस्करण अवसंरचना तैयार करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर में लगभग 24.22 करोड़ रुपए तथा हिमाचल प्रदेश में 16.31 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक परियोजना को मंजूरी देना।

4. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं परिसंस्करण निगम तथा जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं परिसंस्करण निगम द्वारा सेब विपणन का कार्य करना।

5. हिमाचल प्रदेश में घटिया किस्म के सेबों के लिए सड़क मार्ग शीर्षों पर 85 रुपए प्रति क्विंटल तथा परिसंस्करण फैक्टरियों पर 105 रुपए प्रति क्विंटल लाभकारी मूल्य निर्धारित करना।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिये, ध्यान मत दिलाइये।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : हिमाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में सेब होता है, मैंने क्वेश्चन किया था हिमाचल प्रदेश के बारे में, राव साहब ने 81-82 में कुल कितना सेब हुआ वह बताया है। उसके साथ-साथ मैंने यह भी पूछा कि उत्पादक को क्या लाभ मिला है?

हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाके में जहां सेब पैदा होता है, उसको सड़क तक लाने में बहुत भारी कैरिज देना पड़ता है। रोड साइड पर सेब जब आता है तो उसके दाम 85 रुपये क्विंटल घटिया सेब के मंत्री जी ने अपने विवरण में बताये हैं, लेकिन अच्छे किस्म का सेब जो आजादपुर और दूसरे मार्केटों मे आता है हिमाचल और जम्मू-काश्मीर से जोकि पहाड़ी ऐरिया है, उसके लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है कि उनको भी अच्छे दाम मिलें।

सेब की पेटी जो बनाते हैं, उसमें फारेस्ट की बढ़िया लकड़ी काटी जाती है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 16, 17 करोड़ की लकड़ी काटी गई है इस साल में। क्या आपके विचार में यह बात है कि सेब की पेटियां सरकारी तौर पर तैयार करके किसानों को दी जायें सस्ते दामों पर? किसान को जो सेब की पेटियों का भाव और कैरिज का खर्च देना पड़ता है, क्या उसका कोई उचित प्रबन्ध करना चाहते हैं या नहीं?

राव बीरेन्द्र सिंह : हिमाचल के लिए मार्केटिंग और प्रासेसिंग की तरफ खास ध्यान दिया गया है। वहां 16 करोड़ रुपये का एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है जिसमें कोल्ड स्टोरेज लगाये गये हैं और प्रासेसिंग के लिए प्लान्ट्स लगाये गये हैं। हिमाचल में अब 6, 7 परसेंट के

करीब सेब प्रासेस हो जाता है। प्रासेसिंग के जरिये सेब का इस्तेमाल करने की काफी तादाद बढ़ी है। इसी तरह से जम्मू और काश्मीर में भी 24 करोड़ का मार्केटिंग और प्रासेसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके जरिये ज्यों-ज्यों प्रोससिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सेब की अच्छी कीमत किसानों को मिलेगी। मार्केटिंग का बन्दोबस्त करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं।

पेटियां सरकारी तौर पर सप्लाई करने का इनका सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : इन्टरमीडियरी बहुत खाता है बीच में।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : मंत्री जी ने जैसा बताया कि 16 करोड़ रुपये से ऊपर राशि कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए खर्च की है और उन्होंने 105 रुपये का भाव घटिया सेब का फैक्टरी का बताता है, लेकिन जो अच्छे सेब हमारे हिमाचल प्रदेश और काश्मीर व दूसरे इलाकों से आते हैं, उनका भाव न इन्होंने निर्धारित किया है और न ही कुछ बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेश के लिए कितना सेब इन्होंने यहां से भेजा और उसका क्या दाम किस-किस राज्य सरकार को मिला।

हिमाचल प्रदेश में जो आपने बताया कि सहकारी संस्था और दूसरे जो प्रोजेक्ट बनाये हैं, उसमें 85 रुपये क्विंटल के भाव सेब खरीदा तो अभी बहुत से किसानों को उनका पैसा नहीं मिला है, वह कब तक उनको मिल जायेगा, इस बारे में भी बतायें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : 105 रुपये का भाव हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रोक्योरमैंट के लिए तय किया था और 30,800 टन के करीब सेब पिछले सीजन में इन्फीरियर क्वालिटी का खरीदा प्रासेसिंग के लिए और जूस कंसैन्ट्रेट बनाने के लिए। सैंट्रल गवर्नमैंट ने न सेब का भाव तय किया है और न सैंट्रल गवर्नमैंट इस मामले में बढ़ना चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट की हम इमदाद कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि ज्यों-ज्यों किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा, इसका भाव बढ़ जायेगा।

डा० कर्ण सिंह : हिमाचल प्रदेश के मेरे साथी ने प्रश्न के (घ) भाग में स्पष्ट रूप से वोडका और साइडट को मिला दिया है। वास्तव में उनका तात्पर्य था कि क्या सरकार का साइडट बनाने का विचार है। सेब का साइडट बहुत ही पोषक होता है। इसमें एलकोहल का तत्व बहुत कम होता है और बहुत ही अच्छा पेय होता है। क्या माननीय मंत्री सभा को यह बतलायेंगे कि क्या वे साइडट के उत्पादन को प्रोत्साहन देंगे जिससे करोड़ों रुपये कमाये जा सकते हैं तथा इस देश में लोग जिन पेयों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे कहीं अधिक अच्छा पेय है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रोसेसिंग परियोजनाओं में साइडट उत्पादन को भी शुरू किया जा रहा है।

डा० कर्ण सिंह : क्या आप इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका काफी मात्रा में उत्पादन किया जा चुका है। यदि कोई अन्य प्रस्ताव है तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस बारे में मुझे व्यक्तिरूप से कुछ जानकारी है, क्योंकि मैं सेब का एक व्यापारी हूं। तीन साल पहले मैं कुल्लू गया था और वहां पर मैंने 10,000 क्विंटल सेब खरीदा था, जिसकी कीमत 80 पैसे और 1 रुपया के० जी० थी। लेकिन उसको वाराणसी लाकर बेचने में हमें करीब-करीब 3.50 रुपये के० जी० की लागत पड़ गई। हमें काफी रुपया बिचौलियों को देना पड़ा। इसके अलावा वहां से यहां सेब लाने के लिए सरकार की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं है उस सीजन में, जबकि सेब अधिक होता है। क्या सरकार की ओर से वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था होगी और उन बिचौलियों पर नियंत्रण किया जाएगा, जो काफी रुपया ले लेते हैं, जिससे न व्यापारियों को और न किसानों को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वहां पर किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, जोकि आज नहीं मिल पाता है। सेब को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी नहीं हैं। क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम सोच रहे हैं कि इन व्यापारियों की धांधली को खत्म करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने जो दलाल बीच में छोड़ रखे हैं, उनकी धांधली को त्म करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम सोच रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर एक कार्पोरेशन बनाएं, जिससे मार्केटिंग इम्परूव हो और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विशाखापत्तनम पत्तन में अप्रयुक्त पड़ी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं

*758. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन में गहरे समुद्र में जाने वाली आयातित नौकाएं अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी नौकाएं हैं और वे कब से अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ग) उनके अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दोषपूर्ण डिजाइनों तथा भारतीय स्थितियों में अनुपयुक्तता के कारण इन मत्स्य नौकाओं में संचालन सम्बन्धी कमियां हैं;

(ङ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इनका आयात किया गया था; और

(च) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) विजाग पत्तन न्यास प्राधिकारियों के अनुसार 1-2-1982 से विजाग पत्तन में 4 आयातित ट्रालर अप्रयुक्त पड़े हैं। आयातक उनकी निकासी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करना

*761. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की इस समय चल रही योजना से वहां की गरीबी की समस्या का समाधान हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या देश के सामुदायिक विकास खण्डों में योजना को लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और चुने गये लक्षित वर्गों के आय स्तर को बढ़ाने के लिए (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना, तथा (3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नामक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) खण्ड स्तरीय मशीनरी का स्वरूप प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। जहां खण्डों के पास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त विशेषज्ञताएं नहीं हैं, वहां भारत सरकार ने खण्ड स्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाना

*7 2. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न के औसत उत्पादन की तुलना में भारत में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न का औसत उत्पादन कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रोद्योगिकी और कम मूल्य पर अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध न होने के कारण भी देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है; और

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान प्रति हैक्टार खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

1. अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र में वृद्धि करना।

2. उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना।

3. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना।

4. बढ़िया किस्म के बीजों का अधिक वितरण।

5. पर्याप्त वनस्पति रक्षण उपाय करना।

6. सिंचित तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सस्य सघनता में वृद्धि करना।

7. हाल में पुनर्गठित प्रशिक्षण तथा दौरा विस्तार प्रणाली के माध्यम से तकनीलोजी का हस्तांतरण करना।

8. खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्राय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास कार्य

*763. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार की चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने के विकास कार्य में तेजी लाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में फैक्टरी क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की गई थी जो राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार वर्ष 1979-80 से राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दी गई थी।

(ख) फैक्टरी क्षत्रों में गन्ने के विकास के लिए राज्य योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) अच्छी किस्म के बीज का उत्पादन और वितरण करना,

(2) बीज और मृदा उपचार सहित वनस्पति रक्षण के उपाय अपनाना,

(3) उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों जैसे आदानों की समय-समय पर व्यवस्था करना,

(4) प्रदर्शनों के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, और

(5) गन्ने की पेड़ी के प्रबन्ध पर जोर देकर विस्तार सेवा की व्यवस्था करना।

तिलहन में अनुसंधान के लिये धनराशि

*764. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना में आवंटित धनराशि की कमी के कारण तिलहन का अनुसंधान कार्य आगे नहीं बढ़ सका;

(ख) क्या चावल की भूसी, सूरजमुखी और तिल्ली के तेलों के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक स्वायत्त तिलहन बोर्ड गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमान्। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के परामर्श से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न तिलहनी फसलों पर अनुसंधान चलाने के लिए करीब 1563.00 लाख रु० की निधि आवंटित की है। यह निधि, भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान, नई दिल्ली, बारानी कृषि अनुसंधान हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनाएं, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके योजना और गैर योजनाओं के संसाधनों से आवंटित की गई निधि के, अतिरिक्त है। तिलहन अनुसंधान संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है अत: यह कहना सही नहीं होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित निधि की कमी के कारण तिलहन पर अनुसंधान में प्रगति नहीं हो सकी है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान कर रहा है न कि चावल की भूसी से तेल, सूरजमुखी तथा रामतिल के तेल की प्रौद्योगिकी पर। तथापि, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान चावल की भूसी से तेल पर अनुसंधान कर रहा है। सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) तथा (घ) एक स्वतन्त्र तिलहन बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में तामलुक मास्टर प्लान को मंजूरी

*766. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तामलुक मास्टर प्लान (पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक क्षेत्र की पानी की निकासी योजना) को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक क्षेत्र में 848 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए जल निकास की एक स्कीम को मार्च, 1982 में योजना आयोग द्वारा स्वीकार्य समझा गया है। इस स्कीम में चरण-एक के अन्तर्गत मुख्यत: वर्तमान मुख्य, सहायक तथा लघु जल-विकास नालियों को पुनः खुदाई, देवीखली खाल के तटों के साथ-साथ नियामकों तथा पार्श्ववर्ती बंधों, जल कपाटों, पुलों तथा अन्य सम्बद्ध निर्माण-कार्यों का निर्माण और चरण-दो के अन्तर्गत गंगा खली, पैरातुंगी तथा संकारारा खाल को जोड़ने वाले एक सम्पर्क जल-मार्ग की खुदाई के कार्य सम्मिलित हैं, जिनसे 50, 500 हेक्टेयर के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा।

पहाड़ी मैनाओं के अस्तित्व को खतरा

767. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि राज्य के वनों में सुरीला गाने वाली पहाड़ी मैनाओं की नस्ल के लिए वहां उनके प्राकृतिक निवास स्थलों के नष्ट किये जाने के कारण खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य में इस पक्षी के संरक्षण के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा में पहाड़ी मैनाओं को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है क्योंकि इन पक्षियों का शिकार करना तथा इन्हें जाल में फंसाना निषिद्ध है।

पहाड़ी मैनाओं के प्राकृतिक वास को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्रों को गैर वानिकी प्रयोग में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में अनियमितताएं

*68. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ राज्यों में 'काम के बदले अनाज' योजना में गम्भीर अनियमितताओं का पता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं; और

(ग) उन राज्यों में ग्रामीण रोजगार योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा कुछ राज्यों में केन्द्रीय दलों के दौरों के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछेक कमियां/त्रुटियां देखने में आई हैं। कुछ अनियमितताएं जैसे निर्माण-कार्यों के निष्पादन में ठेकेदारों को लगाना, मजदूरों में वितरण करने के लिए उन्हें दिए गए खाद्यान्नों को बाजार में बेचना तथा हाजिरी रजिस्टर के रखरखाव में अनियमितताएं इत्यादि भी देखने में आई हैं। ये त्रुटियां/अनियमितताएं सामान्य किस्म की थीं तथा ये विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रूप में देखने में आई थीं।

(ग) कार्यक्रम की कार्यपद्धति की पूर्णतया पुनरीक्षा की गई तथा इसकी पुनसंरचना की गई और अक्तूबर, 1980 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया। नए कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले कार्यक्रम के निष्पादन में आने वाली कमियों/त्रुटियों को दूर करने के कदम उठाए गए हैं। यह कार्यक्रम अब छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया है तथा इस कार्यक्रम के जारी रहने की अनिश्चितता, जो पहले विद्यमान थी, को दूर कर दिया गया है। ग्रामीण लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित अनेक परियोजनाएं प्रत्येक खण्ड/जिले के लिए तैयार की जानी है ताकि निर्माण कार्यों के निष्पादन को सुव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध आधार पर करना संभव बनाया जा सके। मजदूरी का पूर्णतया खाद्यान्नों के रूप में भुगतान करने की पद्धति अब समाप्त कर दी गई है तथा अब मजदूरी की अदायगी अंशतः खाद्यान्नों में तथा अंशतः नकदी में की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए सभी निर्माण-कार्यों को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले संसाधनों के 40 प्रतिशत को अब सामग्री घटक के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। निर्माण-कार्यों का मौके पर प्रबोधन करने की पद्धति में सुधार करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। कार्यक्रम का जिला स्तर पर प्रबोधन करने की अब सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सौंपी गई है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिवहन दर का निर्धारण

*769. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए स्थानीय परिवहन संघ द्वारा निर्धारित परिवहन दरें स्वीकार करता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल में अपने ही तरीके से परिवहन की दर निर्धारित करता है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि वह पंजाब में प्रचलित प्रक्रिया का अनुसरण करें अथवा विकल्प के रूप में परिवहन दर के निर्धारण के

कारण खाद्यान्नों और चीनी की सप्लाई के अव्यवस्थित होने की समस्या को हल करने के मामले में जिला प्रशासन की सहायता ले;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर ध्यान नही दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय द्वारा निर्धारित की गई मानक कार्यविधि के अनुसार ही हैंडलिंग और परिवहन की दरें निर्धारित की जाती हैं। ये हैंडलिंग और परिवहन ठेके खुले/सीमित टेण्डरों के आधार पर ही दिए जाते हैं। ये ठेके उन्हीं टेंडरकर्ताओं को दिए जाते हैं, जिनके टेण्डर न्यूनतम हों बशर्ते कि उनकी वित्तीय स्थिति ठोस हो और अन्यथा भी सक्षम हों। इसी कार्यविधि का पश्चिम बंगाल में भी अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) से (घ) और (ङ) जी हां। तथापि, क्योंकि पंजाब में इस प्रकार के ठेके देने से सम्बन्धित मापदण्डों की कोई अवहेलना नहीं की गई हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में अलग कार्यविधि को अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे क्षेत्रों मे जहां पर परिवहन ठेकेदारों ने सड़क द्वारा खाद्यान्नों और चीनी का परिवहन करने के बारे में चूक की है, उनके बारे में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा निर्धारित की गई दरों को अपनाने के मामले की भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की जा रही है।

कृषि भूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण

***770. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :**

श्री भीकू राम जैन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों की औसत कृषि भूमि के क्षेत्रफल और उसके उपखण्डों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) एशिया के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में कृषि भूमि के टुकड़ों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि थोड़ी-थोड़ी कृषि भूमि में कृषि सम्बन्धी कार्य मंहगा पड़ रहा है; और

(घ) कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े न होने देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि वर्ष 1976-77 को सन्दर्भ अवधि मानते हुए पिछली कृषि संगणना पूरी की गई थी। इस संगणना से आकार-श्रेणियों द्वारा संक्रियागत जोतों की संख्या और क्षेत्र के बारे में आंकड़े प्राप्त हुए।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) छोटे फार्म की कार्यक्षमता पूर्णत: इसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित साधन, फसलों के मेल, प्रयोग किए जाने वाले आदानों का स्तर और फार्म संचालक की प्रबन्ध कुशलता, जैसे अन्य विभिन्न कारण, फार्म की आर्थिक कुशलता पर प्रभाव डालते हैं।

(घ) तमिलनाडु और केरल को छोड़कर, लगभग सभी राज्यों में जोतों के उप-विभाजन और विखण्डन को एक निम्न स्तर से नीचे जाने से रोकने के लिए वैधानिक उपाय किए गए हैं।

विवरण

एशिया के चुने हुए देशों में जोतों का औसत आकार

देश	वर्ष	हैक्टार
1	2	3
भारत	1976-77	* 2.00
इन्डोनेशिया	1963	1.05
जापान	1970	1.01
पाकिस्तान	1970	5.29
फिलीपीन	1970	3.61
श्रीलंका	1970	1.24
थाईलैंड	1963	3.47

*1976-77 की कृषि संगणना के अनन्तिम परिणाम।

स्रोत :—खाद्य एवं कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पुस्तिका, 1975 और खाद्य एवं कृषि संगठन संगणना बुलेटिन। जोत का औसत आकार जोतों के क्षेत्र में कृषि जोतों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया गया।

भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाना

*771. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुताई वाली भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने, मिट्टी को खराब होने से बचाने तथा खराब भूमि में सामान्य उत्पादन शक्ति पुन: बहाल करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) अब तक प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाने हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जुताई वाली भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी को खराब होने से बचाने तथा खराब भूमि को फिर से ठीक-ठीक हालत में लाने के लिये निम्नलिखित मुख्य प्रयास किये गये हैं :

(1) सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र की वृद्धि करना;

(2) रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा प्रदान करना;

(3) मृदा और जल संरक्षण उपायों से भूमि का उपचार करना;

(4) वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी; और

(5) क्षारीय मृदा, ऊबड़ खाबड़ और खड्डों तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों जैसी खराब भूमि को फिर से ठीक-ठाक करना और उसका विकास करना।

(ख) अभी तक किये गये प्रयासों की वजह से निम्नलिखित मुख्य परिणाम प्राप्त हुये हैं :

(1) वर्ष 1980-81 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर लगभग 1290 लाख मीटरी टन हो गया।

(2) वर्ष 1979-80 में सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़कर 526 लाख हैक्टार हो गया।

(3) वर्ष 1980-81 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़कर 55.16 लाख मीटरी टन हो गया।

(4) मृदा और जल रक्षण उपायों से वर्ष 1980-81 तक कुल 243.7 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया। इसमें खराब भूमि को फिर से ठीक ठाक करना भी शामिल है।

(5) कुल 38.1 लाख हैक्टार क्षेत्र को वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) आगे निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :

(1) नये क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार करना और उत्तम जल व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत के जरिये सृजित सिंचाई क्षमता का उत्तम उपयोग तथा सतही और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग।

(2) उर्वरक संवर्धन अभियानों के जरिये रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धि और कारगर उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था प्रणाली।

(3) जलाशयों में गाद के जमाव और बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिये मृदा संरक्षण सम्बन्धी निर्माण कार्यों को बढ़ाना तथा कृषि योग्य भूमि के कटाव को कम करना।

(4) बारानी कृषि के लिये प्रौद्योगिकी और आदानों का विकास और प्रसार करना।

(5) क्षारीय भूमि, ऊबड़ खाबड़ भूमि और मौजूदा बंजर भूमि के अतिरिक्त परती भूमि को फिर से ठीक ठाक करने तथा उसका विकास करने और झूम खेती के नियंत्रण के लिये कार्यक्रम शुरू करना; और

(6) वनरोपण, समाजिक वानिकी और फार्म वानिकी का व्यापक कार्यक्रम शुरू करना।

चरागाह भूमि

772. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी चरागाह के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता है; और

(ख) इस समय चरागाह वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) देश में स्थायी चरागाह भूमि की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) भूमि उपयोग वर्गीकरण 1978-79 के अनुसार स्थायी चरागाह तथा अन्य चराई भूमि के तहत 121.55 लाख हैक्टार क्षेत्र है। देश में चराई के लिए 169.5 लाख हैक्टार कृषि योग्य बंजर भूमि भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वन भूमि में भी चराई के लिए विशाल क्षेत्र उपलब्ध है।

तुर्कमान गेट, दिल्ली में डी० डी० ए० के फ्लैट

*773. **श्री रशीद मसूद** :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तुर्कमान गेट में एक सिंगल यूनिट के आवंटन के लिये परिवारों को समूहबद्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने फ्लैट बनाए गये हैं और ये फ्लैट कितनी अवधि से आबंटन के लिए पड़े हैं और इनके आवंटन में बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन फ्लैटों को पूरा करने के बाद इनके अनुरक्षण पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) पात्र परिवारों को इन फ्लैटों में कितनी अवधि तक पुनः बसा दिये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अगस्त, 1980 तक 4.4 टेनामेंटों का नि .ण किया था। बेदखलकारों द्वारा विभिन्न आधारों पर किए गए अनुरोध के कारण आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को समय-समय पर बढ़ाना पड़ा।

(घ) 1.99 लाख रुपये

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 393 टेनामेंटों क. आवंटन हेतु 31-3-82 को लाटरी निकाली थी। आवंटन तथा मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं।

फसलों को कीड़ों तथा अन्य बीमारियों से बचाने के लिए की गई कार्यवाही

*774. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विशेषकर हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में आलुओं जैसी नकदी फसलों के मामले में फसलों को कीड़ा लगने तथा पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उपरोक्त कदम उठाये जाने के क्या परिणाम निकले और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रति एकड़ कितनी पैदावार हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) शिमला स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तथा देश में इसके विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों म आलू की फसलों की कीटों तथा रोगों से रक्षा करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। आलू सुधार की अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना, जिसके भारत के प्रमुख आलू उत्पादक पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में कई केन्द्र हैं, के जरिए आलू की कई उत्कृष्ट किस्में विकसित की गई हैं तथा उन्हें सामान्य खेती के लिये निर्मुक्त किया गया है। इन किस्मों में अच्छी शस्य विशेषताओं के साथ-साथ विनाशकारी कीटों तथा रोगों की प्रतिरोधी शक्ति भी है और देश में हाल ही की आलू क्रान्ति में इनका योगदान रहा है।

2. आलू की फसल को नाशकारी बीमारियों विशेषतः वाइरस से होने वाले रोगों से बचाने के लिये एक प्रमुख कदम यह उठाया गया है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने सुझाई गयी किस्मों के रोग मुक्त प्रजनक बीजों का उत्पादन करने के लिये कई स्थानों पर फार्म स्थापित किये हैं। बाद में, ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम तथा अन्य बीज एजेन्सियों द्वारा ले लिये जाते हैं ताकि उनका आगे और गुणन किया जा सके तथा उत्पादकों को आधारी व प्रामाणित बीजों का वितरण किया जा सके।

(3) इसी प्रकार सेब, आड़ू, नाशपाती तथा सब्जी आदि जैसी अन्य नकदी फसलों की कीटों तथा रोगों से रक्षा करने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अनुसन्धान केन्द्रों या

हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों में लगातार नई-नई विधियों का विकास किया जा रहा है।

4. "महामारी वाले क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीटों तथा रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सेब की फसल के लिये निम्नलिखित सहायता दी ग. थी :

राज्य	वर्ष	राशि (रुपयों में)
हिमाचल प्रदेश	1979-80	3,18,550
	1980-81	4,31,895
	1981-82	9.97.150
जम्मू और कश्मीर	1979-80	45,75,019
	1980-81	18,28,587
	1981-82	38,86,903

(ख) हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में सेब की फसलों के सम्बन्ध में किए गए वनस्पति रक्षण उपायों से ये राज्य उपज को होने वाले भारी नुकसान से बच गए।

2. 1978-79 से हिमाचल प्रदेश में आलू की प्रति हैक्टार उत्पादकता निम्न प्रकार है :

1978-79	4,595 कि० ग्रा०	
1979-80	4,681 ,,	
1980-81	4,389 ,,	
1981-82	5,250 ,,	(अनन्तिम)

महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में नए चीनी कारखाने

8338. श्री आर० एस० भाने : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नई सहकारी चीनी मिलें खोलने के विचाराधीन प्रस्तावों के क्या नाम है और उनके अनुमोदन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को या तो सरकारी प्रशासनिक अथवा नियंत्रण सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिग्रहण करने का है; और

(ग) चीनी उद्योग में रुग्ण एककों को पुनः कार्यक्रम बनाने के लिए उनमें सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम शुरू किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्थानों पर सहकारी क्षेत्र में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने विषयक प्राप्त 13 प्रस्ताव विचाराधीन हैं :

1. अजरा, जिला कोल्हापुर ।
2. नलदुर्ग, तालुक तुल्जापुर, जिला उस्मानाबाद ।
3. धुलगांव, तालुक येवला, जिला नासिक ।
4. वनजरवाड़ी, तालुक और जिला बीड़ ।
5. सावंगी, तालुक और जिला औरंगाबाद ।
6. गगनबावाड़ा, जिला कोल्हापुर ।
7. नालेगांव, जिला उस्मानाबाद ।
8. अम्बुलगा (बी० के०), तालुक नीलंगा, जिला उस्मानाबाद ।
9. ग्राम वाशी, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद ।
10. हुपारी, जिला कोल्हापुर ।
11. चहारड़ी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव ।
12. बथर टर्फ वेदगांव, तहसील हतकाननगाले, जिला कोल्हापुर ।
13. भूदरगढ़, जिला कोल्हापुर ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चीनी उद्योग के उन कमज़ोर यूनिटों, जोकि 1-10-55 से पूर्व स्थापित किए गए थे और जिनकी क्षमता 1250 टी० सी० डी० से कम है, को 1980-81 और 1981-82 के चीनी मौसमों के दौरान 26 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लेवी मूल्य की इजाजत दी गई है । इसके अलावा, चीनी विकास निधि स्थापित करने के लिए कानून भी बनाया गया है ताकि चीनी फैक्ट्रियों की आधुनिकीकरण/पुनर्वासन करने के लिए तथा उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए उनके प्रयासों में उनको वित्तीय सहायता सुलभ की जा सके ।

बिहार में सूखा प्रवण प्रभावित क्षेत्र

8339. श्री समीनुद्दीन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला भागलपुर, बिहार में राजाओं और धोरैया खण्डों की खरीफ की लगभग 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है, जबकि राजाओं खण्ड को सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है;

(ख) राजाओं की भांति एक सूखाग्रस्त खण्ड धोरैया को कब तक सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा; और

(ग) इस क्षेत्र के किसानों को सहायता तथा राहत उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। बिहार राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर जिले के 9 खण्डों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। राजाओं खण्ड इन 9 खण्डों में से एक है। धोरैया खण्ड को अभी तक अभावग्रस्त क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ग) बिहार सरकार ने सूखे की परिस्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) सामान्य रबी फसल क्षेत्र का 35 लाख हैक्टार से बढ़ाकर 42 लाख हैक्टार किया जा रहा है।

(2) किसानों में 13,384 मीटरी टन गेहूं का बीज वितरित किया गया।

(3) किसानों को 1.42 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण दिये गये।

(4) रबी और खरीफ की खड़ी फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बारी-बारी से कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन बिजली मुहैया की गयी।

(5) कृषि कार्यों के लिए समुचित बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा दी गयी।

(6) राज्य बिजली बोर्ड ने मरम्मत न हो सकने वाले ट्रांसफार्मर बदलने के अलावा विभिन्न सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 332 ट्रांसफार्मर भेजे।

(7) नलकूपों की मरम्मत की गयी है और उन्हें कार्य करने योग्य बनाया गया।

(8) बिहार राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठकों में राज्य सरकार इस बढ़ती हुई स्थिति पर नियमित रूप से कड़ी निगरानी रख रही है।

प्राकृतिक आपदाओं की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये बिहार सरकार के पास 13.08 करोड़ रुपये की वार्षिक मार्जिन धनराशि थी। इसके अलावा भारत सरकार ने 1981-82 के दौरान कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए 14 करोड़ रुपए (4.00 करोड़ रुपये खरीफ के लिए और 10.00 करोड रुपये रबी के लिये) अल्पविधि ऋण के रूप में स्वीकृत किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, बिहार को 12.10 करोड़ रुपये की नकद सहायता दी गयी जिसमें 20,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन भी शामिल है।

पंजीकृत कीटनाशी दवायें

8340. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत अब तक पंजीकृत कराई गई कीटनाशी दवाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इस प्रकार पंजीकृत की गई कीटनाशी दवाओं के मुख्य घटक क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति द्वारा अब तक पंजीकृत की गई कीटनाशी दवाओं के नामों तथा उनके निरूपणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कीटनाशी दवाओं के मुख्य तत्व अर्थात सक्रिय घटक उनके निरूपणों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः प्रत्येक कीटनाशी दवा के निरूपणों के सामने सक्रिय घटकों की प्रतिशतता विवरण में दर्शायी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3996/82**]

चावल मिलें

8341. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी चावल मिलें चलाई जा रही हैं और धान की कुटाई की उनकी कुल क्षमता कितनी है और वर्ष 1980-81 में इन मिलों द्वारा धान की कुल कितनी मात्रा की कुटाई की गई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान खरीदी गई धान की कुल मात्रा के कितनी प्रतिशत की कुटाई इन मिलों द्वारा की गई; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम और गैर-सरकारी मिलों द्वारा एक क्विंटल धान से क्रमशः कितने प्रतिशत चावल निकाला जाता है और उसकी लागत क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 25 चावल मिलें हैं जिनसे प्रति वर्ष कुल 4,41,000 मीटरी टन क्षमता तक धान का विधायन किया जा सकता है। 1980-81 के दौरान, इन चावल मिलों ने 1,23,485 मीटरी टन धान का विधायन किया था जो कि उस अवधि के दौरान निगम द्वारा खरीदे गये कुल धान का 5.44 प्रतिशत बैठता है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की मिलों का चावल का औसत कारोबार प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होता है जोकि कूटे गये धान की क्वालिटी पर निर्भर करता है। 1980-81 के दौरान इन मिलों में चावल का औसत उत्पादन 66.7 प्रतिशत हुआ था। 1980-81 के दौरान मूल्यह्रास समेत इन मिलों पर जो कुल परिचालन-खर्च हुआ था वह 159.13 लाख रुपये था। प्राइवेट मिलों के बारे में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

गैर सरकारी मुद्रकों के माध्यम से सरकारी प्रकाशनों में राष्ट्रीय सील का मुद्रण

8342. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन लाइन की सील से युक्त सरकारी प्रकाशनों की छपाई गैर सरकारी मुद्रकों के माध्यम से कराई जाती है और यदि हां, तो वर्ष 1979-80; 1980-81 और 1981-82 के दौरान ऐसे मुद्रकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) मुद्रकों से इस प्रकार के प्रकाशन किस दर से कराये जाते हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चण्डीगढ़ और हैदराबाद के जिन मुद्रकों को एक लाख से अधिक राशि का भुगतान किया गया है उनका नाम तथा पता क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

मेरे मंत्रालय के मुद्रण निदेशालय के कलकत्ता स्थित एक ब्रांच के सिवाय जिसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी, राष्ट्रीय मुद्रा वाले सरकारी प्रकाशन के लिए गैर सरकारी मुद्रकों को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :

वर्ष	राशि (लगभग)
1979-80	3.44 लाख रुपये
1980-81	4.52 लाख रुपये
1981-82	8.43 लाख रुपये

अन्य मंत्रालय/विभाग भी राष्ट्रीय मुद्रा वाले सरकारी प्रकाशनों को गैर-सरकारी मुद्रकों से मुद्रित कराते हैं परन्तु मेरा मंत्रालय इसका कोई हिसाब नहीं रखता है।

(ख) मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत मुद्रण निदेशालय द्वारा गैर सरकारी मुद्रकों को भुगतान की गई दर 12.80 रुपये से 38.40 रुपये प्रति पृष्ठ तक है जो कि पृष्ठ के आकार, टाईप का आकार, मुद्रण आदेश इत्यादि पर निर्भर है।

(ग) मुद्रण निदेशालय ने 1979-80 या 1980-81 के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चंडीगढ़ या हैदराबाद में किसी एक मुद्रक को एक लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान नहीं किया है। केवल 1981-82 के दौरान दिल्ली में निम्नलिखित मुद्रकों को एक लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया :

1. मैसर्ज आकाशदीप प्रिंटर्स
   20-अन्सारी रोड, दरियागंज,
   नई दिल्ली-110002
2. मैसर्ज सनलाईट प्रिंटर्स
   2265-एच० सी० सेन रोड,
   फुव्वारा, दिल्ली-110006
3. मैसर्ज खोसला प्रिंटर्स
   एच-20, रोहतक रोड, औद्योगिक कम्प्लेक्स,
   नांगलोई, दिल्ली-110041

4 मैसर्ज नरेन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस
20 माडल बस्ती, रानी झांसी रोड,
नई दिल्ली-110005

नई चीनी मिलों के लिये लाइसेंस देना

8343. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-सरकारों ने वर्ष 1981 के दौरान तथा 1982 में अब तक जिन नये चीनी सहकारी कारखानों के लिये सिफारिश की, उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से नए कारखानों की स्थापना के लिए (राज्य-वार) कितनों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) कितने मामलों में लाइसेंस नहीं दिये गये हैं और उसके क्या कारण हैं;

(घ) कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं और उन पर निर्णय कब तक किया जायेगा; और

(ङ) क्या सरकार ने नए सहकारी कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश/मार्ग निर्देश दिए हैं; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) वर्ष 1981 के दौरान नयी सहकारी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभिस्तावित 26 आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1982 के दौरान ऐसा केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। अब तक उपर्युक्त प्रस्तावों के प्रति छः आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष प्रस्ताव विचाराधीन हैं और आशा है कि सरकार इन प्रस्तावों पर छठी योजनावधि के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों के लिए निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार और अन्तर-क्षेत्रीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों की अग्रता को ध्यान में रखकर निकट भविष्य में निर्णय ले लेगी। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा परिशिष्ट-I में दिया गया है।

(ङ) जी हां। सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 1980 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विवरण दिया गया है (परिशिष्ट-II संलग्न है)। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3947/82]**

भारत सरकार ने नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रों की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकारों को और कार्यविधिक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1981 और 1982 के दौरान नयी सहकारी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण ।

क्रम सं०	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम (प्रस्तावित स्थान)	औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख	आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान करने की तारीख
1	2	3	4
		1981	
महाराष्ट्र			
1.	कवाठे-महांकल, जिला सांगली	17-2-1981	6-7-1981
2.	शिन्द्री, जिला सतारा	28-3-1981	6-7-1981
3.	बिलाड़ी, धुले, जिला धुले	9-4-1981	9-7-1981
4.	जवाले, तालुक परनेर, जिला अहमदनगर	9-6-1981	22-3-1982
5.	अम्बेगांव, तालुक खानापुर, जिला सांगली	11-6-1981	31-12-1982
6.	तीर्थपुरी, तालुक अम्बाद, जिला औरंगाबाद	19-6-1981	31-12-1981
7.	अजरा, जिला कोल्हापुर	22-6-1981	जांचाधीन
8.	नलदुर्ग, तालुक तुल्जापुर, जिला उस्मानाबाद	23-6-1981	वही
9.	धूलगांव, तालुक येवला, जिला नासिक	26-6-1981	वही
10.	वंजरवाड़ी, तालुक और जिला बीड़	8-7-1981	वही
11.	सावंगी, तालुक और जिला औरंगाबाद	15-7-1981	वही
12.	गगनबावड़ा, जिला कोल्हापुर	30-7-1981	वही
13.	नालेगांव, जिला उस्मानाबाद	27-8-1981	वही
14.	वाशी, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद	4-9-1981	वही
15.	अम्बुल्गा, तालुक नीलंगा, जिला उस्मानाबाद	4-9-1981	वही

1	2	3	4
16.	हुपाड़ी, जिला कोल्हापुर	18-9-1981	जांचाधीन
17.	चहारड़ी, तह० चोपड़ा, जिला जलगांव	21-9-1981	वही
18.	वठार टर्फ वेदगांव, तह० हत्कानगले, जिला कोल्हापुर	26-9-1981	वही
19.	मुंद्रगाड, जिला कोल्हापुर	22-10-1981	वही
	पंजाब		
20.	फाजिल्का, जिला फिरोजपुर	8-7-1981	वही
21.	तरन तारन, जिला अमृतसर	9-7-1981	वही
	कर्नाटक		
22.	अथानी तालुक, जिला बेलगौम	11-9-1981	वही
23.	निपानी, तालुक चिकोड़ी, जिला बेलगौम	30-9-1981	वही
	दादर तथा नगर हवेली		
24.	दादर तथा नगर हवेली, सिलवासा	28-9-1981	वही
	गुजरात		
25.	पनियाड़ी, तालुक वयारा, जिला सूरत	4-12-1981	वही
26.	तहसील कमरेज, जिला सूरत	26-12-1981	वही
		1982	
	तमिलनाडु		
1.	मयुरम तालुक, जिला थंजावुर	13-4-1982	जांचाधीन

विवरण-III

प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली कार्यविधि और मार्गदर्शी सिद्धान्त

(i) सम्बन्धित राज्य सरकार को राज्य के पिछड़े हुए जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए अपनी समूची योजना के बारे में बताना होगा और छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के बहुत पहले से ही न केवल नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए बल्कि पर्याप्त विस्तार सम्बन्धी कार्य करने के लिए भी अन्तर-जिला अग्रता के बारे में उल्लेख करना होगा ।

(ii) कुल मिलाकर भारत सरकार राज्य सरकारों से अपेक्षा करेगी कि वे लाइसेंसशुदा क्षमता के हिसाब से 60.40 के स्वीकृत अनुपात में नयी परियोजनाओं और विस्तार कार्यों को प्रायोजित करें और यदि विस्तार सम्बन्धी कार्य नहीं किया जाता है तो उस दशा में राज्य सरकारों को यह तथ्य प्रमाणित करना होगा और विस्तार से सम्बन्धित क्षमता में अन्तर को पूरा करने के लिए वैकल्पिक नयी परियोजनाओं के बारे में बताया जा सकता है लेकिन ऐसे संशोधित प्रस्तावों के बारे में भी अन्तर जिला अग्रता को लागू करना ही होगा।

(iii) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को सन्तुष्ट करना होगा कि उनके पास अब तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए तथा इसके पूर्व की ऐसी राज्य सरकार से प्राप्त और आवेदन पत्रों पर विचार किया जाए, जो नये प्रस्ताव वे प्रस्तुत करते हैं उनके लिए धनराशि की आवश्यकता हेतु भी पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध है।

(iv) नयी परियोजना अथवा पर्याप्त विस्तार के लिए कोई भी प्रस्ताव भेजते समय राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल क्षेत्र विशेष की प्रत्येक वर्तमान फैक्ट्री के लिए बल्कि प्रस्तावित नयी परियोजना अथवा विस्तार परियोजना के लिए गन्ना जोनों का सांविधिक रूप से आवंटन करना होगा। वर्तमान तथा प्रस्तावित फैक्ट्रियों के विभिन्न आरक्षित जोनों से सम्बद्ध किए जाने वाले सांविधिक जोनों का गांवों, क्षेत्रों और किसान सदस्यों आदि की सूची सहित ब्यौरा भी स्पष्ट रूप से देना होगा ताकि भारत सरकार को गन्ने की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। इस बात को भी नोट कर लिया जाए कि इन प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब प्रस्ताव के साथ गन्ने के क्षेत्रों के सांविधिक आरक्षण के ब्यौरे प्राप्त होंगे।

संतरा बाजार में मन्दी

8344. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संतरा बाजार में मन्दी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) . (क) सन्तरो की कीमतों में मिश्रित प्रवृत्ति रही है। कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में फरवरी और मार्च के दौरान कीमतों में कुछ गिरावट आने के उपरान्त चालू महीने के दौरान उनमें बढ़ोत्तरी शुरू हो गई है।

(ख) तथा (ग) सन्तरों का उत्पादन इस वर्ष बढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० ने कुछ बाजारों में प्रवेश किया और सन्तरों की खरीद की। भिवानी-कोटा में, जो कि राजस्थान में सन्तरों का सबसे बड़ा बाजार है, नाफेड ने 140-190 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर लगभग 100 मीटरी टन सन्तरों की खरीद की। नागपुर में नापेड ने 130-150 रुपए

प्रति हजार खुले सन्तरों की दर पर 30 मीटरी टन सन्तरों की खरीद की। नाफेड के बाजार में हस्तक्षेप करने से सन्तरों की कीमतों में कुछ सीमा तक स्थायित्व लाने में मदद मिली है।

कनाट प्लेस स्थित सुपर बाजार द्वारा निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री

8345. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस, नई दिल्ली में सुपर बाजार में 8 मार्च को कुछ प्रभावी व्यक्तियों ने अपनी पसन्द का निषिद्ध माल अपने लिए चुन लिया तथा इस समूह को 26,000 रु० का माल बेचा गया;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा कोई निदेश जारी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनकी वर्तमान नीति के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से प्राप्त जब्तशुदा वस्तुएं ग्राहकों को "पहले आये सो पहले पाये" आधार पर बेची जा रही हैं। 8 मार्च, 1982 को भंडार ने कस्टम द्वारा जब्त की गई वस्तुओं के काउन्टर से 71 खरीदारों की सेवा की और लगभग 35,504 रुपये की बिक्री हुई। बिक्री अभी तक जारी है। सरकार ने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय संस्थायें और अनुसंधान केन्

8346. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य कर रही केन्द्रीय संस्थाओं और अनुसंधान केन्द्रों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि लेखा परीक्षा समितियों की नियुक्ति की गई थी; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन्) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 35 केन्द्रीय संस्थान, 5 प्रायोजना निदेशालय तथा 2 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र हैं। मुख्य परिसरों के अतिरिक्त 189 अनुसंधान केन्द्र (क्षेत्रीय केन्द्र तथा उप-केन्द्र) देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना तथा तदर्थ अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से सभी अनुसंधान किये

जाते हैं। तदनुसार, अब उपलब्धि लेखा समितियों का नाम बदलकर पंचवर्षीय पुनरीक्षण दल (क्यू० आर० टी० एस०) रखा गया है जिसका गठन प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के लिए किया जाता है जो संस्थान/प्रायोजना के काम की समीक्षा करता है तथा तकनीकी कार्यक्रम और कार्यकरण में नये दृष्टिकोण और सुधारों की सिफारिश करता है। पंचवर्षीय पुनरीक्षण दल की रिपोर्ट की मुख्यालय में बारीकी से जांच की जाती है और अनुमोदन के लिए उसे शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पंचवर्षीय पुनरीक्षण दल द्वारा की गयी सिफारिश और परिषद द्वारा उसकी स्वीकृति विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के भावी नियोजन और कार्यान्वयन के लिए आधार तैयार करती है।

उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को बन्द किया जाना

8347. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विद्यमान अकाल और सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त जिलों में इस योजना को पुनः शुरू करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राज्य सरकार की सिफारिश पर सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को वाराणसी जिले के तीन खण्डों मे बन्द कर दिया गया है। चूंकि कार्यक्रम को इस आधार पर बन्द किया गया था कि इन खण्डों में काफी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी अतः इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव नहीं है।

हुडको द्वारा आवासीय योजनायें

8348. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में हुडको अपनी निर्माण गतिविधियों का विस्तार करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में हुडको द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम मुख्यतया भिन्न-भिन्न आवास अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवास योजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। विभिन्न लक्ष्य वाले समूहों की प्रपति के लिए कम लागत के निर्माण की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करने के लिए कुछ आवासीय अभिकरण की

ओर से सीमित आधार पर निर्माण के सिवाय यह सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्माण कार्य नहीं करता है। तथापि, हुडको ने स्वयं 1981-82 में 190 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान 220 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान, हुडको कम से कम 6.74 करोड़ रुपये की अपनी ऋण स्वीकृतियों से उड़ीसा राज्य में आवास अभिकरण से पर्याप्त योजनाएं बनाने की अपेक्षा करता है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, हुडको नगर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कम से कम 213.26 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता की योजनाओं की अपेक्षा करता है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जब भी आवास योजनाएं प्राप्त होती हैं हुडको अपने मार्ग निर्देशानुसार उनकी स्वीकृति प्रदान करता है तथापि, हुडको द्वारा परिपत्रों और दौरों के माध्यम से राज्य सरकारों से सम्पर्क करने के उपाय किए जाते हैं। हुडको के भ्रमणकारी मूल्यांकन दल भी योजनाएं तैयार करने में सहायता देने के लिए विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते हैं। जहां कहीं आवास अभिकरणों के गठन करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डाला गया है।

समुद्री उत्पादों की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु जापान का दौरा

8349. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय समुद्री उत्पादों की जापान में बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारतीय दल के अध्ययन दौरे को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) तथा (ख) सरकार ने भारत सरकार से जापान को एक 5-सदस्यीय दल के, 10 दिनों की अवधि के लिए एक विक्रय-तथा अध्ययन दौरे की अनुमति दे दी है, जिसके विचारार्थ विषय निम्न-लिखित हैं :

(1) अन्य देशों की प्रतियोगिता की तुलना में अपने उत्पादों के लिए मौके पर मन्डी सम्बन्धी अध्ययन करना;

(2) दक्षिणी जापान में विपणन संभाव्यताओं का पता लगाना;

(3) कुछ बड़े विपणन मुखियों का पता लगाना, जो अपनी रुचि के विशिष्ट उत्पादों के संसाधन और विपणन हेतु भारतीय पैकरों से सम्बन्ध स्थापित करना चाहेंगे;

(4) जापानी आयातकों से अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखना तथा उनमें सुधार लाना;

(5) खरीदारों को भारतीय समुद्री उत्पादों की क्वालिटी में और सुधार लाने हेतु उठाये जा रहे विभिन्न कदमों की जानकारी देना; तथा

(6) आयातकों में श्रिम्प के अलावा अन्य उत्पादों के लिए रुचि उत्पन्न करना तथा इन उत्पादों के लिए कारोबार की बातचीत करना।

छोटे तथा सीमान्त किसानों को सुविधाएं

8350. **श्री अनन्त रामुलु कल्लु** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे और सीमान्त किसानों को इस समय दी गई सुविधायें वापस ली जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन सुविधाओं (आदानों और बैंक ऋणों) में उपयुक्त वृद्धि की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : ग्रामीण विकास की नीति, योजना तथा कार्यक्रमों की रूप-रेखा छठी योजना प्रलेख में दी गई है और इस समय इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

विकलांग आवेदकों को डी० डी० ए० फ्लैट्स

8351. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग लोगों को विशेष रियायत देने की सरकार की नीति के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1979 की योजना के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसे लोगों से 1980 में किसी समय फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो :

(एक) कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(दो) वर्ष 1979 की योजना के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों को आवंटन किए जाने के लिए कुल कितने फ्लैट आरक्षित रखे गए हैं;

(तीन) इन आवेदकों को कब तक फ्लैट आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(चार) इन फ्लैटों के लिए भुगतान का तरीका अर्थात् नकद भुगतान अथवा किराया खरीद, के निश्चित करने हेतु क्या मानदण्ड है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) हुडको पद्धति 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1981 में आवेदन पत्र मांगे थे।

(ख) (i) कुल 700 आवेदन पत्र प्राप्त हुये।

(ii) अभी तक दिए गए फ्लैटों में से 146 फ्लैटों को आवंटन हेतु आरक्षित रखा गया है।

(iii) फ्लैटों का आवंटन, लगभग एक महीने या उसके लगभग समय में किए जाने की सम्भावना है।

(iv) योजना को घोषित करने की विवरणिका में निहित शर्तों के अनुसार अदायगी की पद्धति इस प्रकार है :

वर्ग	अदायगी की पद्धति	प्रतिशतता
मध्यम आय वर्ग	नकद	40 प्रतिशत
वही	किराया खरीद	60 प्रतिशत
निम्न आय वर्ग	नकद	25 प्रतिशत
और जनता	किराया खरीद	75 प्रतिशत

एन० बी० सी० सी० में अंशकालिक सतर्कता अधिकारी

8252. **श्री कंवर भूषण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० बी० सी० सी० में केवल एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है और एक ही मुख्य इंजीनियर है जो अपने अधीन अनेक स्थलों की देखभाल करता है;

(ख) क्या उसको या तो मुख्यालयों में या विदेशी कार्यों सहित एककों में अपनी ड्यूटी देने के लिए कोई सतर्कता अधिकारी नहीं मिला हुआ है;

(ग) क्या सतर्कता ड्यूटी की देखभाल करने के असन्तोषजनक ढंग को देखते हुए इस उपक्रम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है;

(घ) क्या इस उपक्रम में से ऐसी कोई अन्तर्निहित व्यवस्था है जिससे सतर्कता में सहायता मिलती है, और यदि हां, तो किस रूप में; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सतर्कता के कितने मामले निर्णीत किये गये और इस समय कितने बकाया हैं तथा उनमें कितने वरिष्ठ अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सतर्कता अधिकारी को अपने कर्तव्य निभाने में सहायता देने के लिए एक सतर्कता कक्ष है। इस कक्ष में विधिवत एक प्रशासनिक अधिकारी और सहायक कर्मचारी हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि निगम के कार्यभार और उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(घ) जी, हां। कार्यों के निष्पादन के दौरान और उनके पूर्ण होने के बाद भी उनकी तकनीकी परीक्षा के द्वारा निवारक सतर्कता के लिए एक अन्तर्निहित क्रियाविधि है। यहां एक आन्तरिक लेखा परीक्षा भी है। जो कि साथ-साथ ही की जाती है। इनके अलावा, निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण रिकार्डों का निरीक्षण करने के लिए समय-समय पर परियोजनाओं का दौरा करते हैं और सरकारी और सांविधिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त ये निवारक सतर्कता और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं।

(ङ)		1979	1980	1981
(i)	वर्ष के शुरू में निलम्बित मामलों की संख्या	6	3	5
(ii)	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या	—	3	9
(iii)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	3	1	4
(iv)	(क) उपर्युक्त (ii) में अन्तर्ग्रस्त वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या	—	2	5
	(ख) उपर्युक्त (iii) में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या	2	1	4

एन० बी० सी० सी० में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पद के लिए ज्ञापन

8353. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० बी० सी० सी० ने अगस्त/सितम्बर 1979 में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पद के लिये आवेदन-पत्र मांगने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन (सं० 12/79) दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित किया था न कि अगस्त/सितम्बर, 1979 में।

(ख) तथा (ग) एक पूर्णकालिक सी० एम० डी० के अभाव में आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सका।

(घ) पदों के लिए चयन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में श्रम कल्याण अधिकारी

8354. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कितने श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं;

(ख) क्या भिन्न-भिन्न प्रकार की एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न निर्माण-स्थलों पर भारी संख्या में नियुक्त मजदूरों के शोषण की रोकथाम के लिए अधिकारियों की यह संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने कोई श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि विभिन्न निर्माण स्थलों पर लगाए गए मजदूरों के शोषण का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों में कीटनाशक औषधियों का पाया जाना

8355. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों में 24 प्रतिशत कीटनाशक औषधियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध से कोई जांच पड़ताल की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और ऐसे खाद्यान्नों के उपयोग के लिए जनता को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या फसल में कीटनाशक औषधियों की अधिकतम प्रतिशतता का कोई नियम निर्धारित किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा; और

(ङ) क्या सरकार आयातित गेहूं के वितरण से पहले छः महीने तक भण्डारण करेगी ताकि हानिकारक प्रभाव कम हो सके और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ङ) : जी नहीं। विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की अनाज सुरक्षक दवाइयों का उक्त देशों में प्रचलित कीटाणुओं की जातियों के विरुद्ध उनकी प्रभावकारिता पर निर्भर करते हुए इस्तेमाल करते

हैं। आस्ट्रेलिया अपने गोदामों से अनाज की सुरक्षा करने के प्रयोजन के लिए फेनीट्रोथियन का इस्तेमाल कर रहा है। इस सुरक्षक कीटनाशक के अवशेष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सहन सीमा 10 भाग प्रति दस लाख निर्धारित की गई है। भारत में फेनीट्रोथिऔन अवशेष की सीमा 0.02 भाग प्रति 10 लाख है। आस्ट्रेलिया से आयात किए गए गेहूं का दोनों लदान और भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंचने के समय सामान्य कार्यविधि के अनुसार अनाज सुरक्षक कीटनाशक के अवशेष की दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। इस अनाज सुरक्षक का अवशेष स्तर लदान के समय 3.9 से 7.0 भाग प्रति 10 लाख के बीच होता है। यह सामान्य भण्डारण के दौरान समाप्त हो जाता है। इस स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा जब इसका अवशेष स्तर इस देश के लिए निर्धारित की गई सीमा के अन्दर होगा।

भारतीय खाद्य निगम की प्रचार यूनिटें

8356. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की प्रचार यूनिटों का ब्यौरा क्या है और प्रचार कार्यों पर पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम की प्रचार यूनिट में इस समय कितने पद खाली पड़े हैं;

(ग) विज्ञापन के लिए पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, भाषा-वार, राज्य-वार निकाले गए राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) उन संवाददाताओं के समाचार पत्र-वार, भाषा-वार और राज्य-वार नाम क्या हैं जो कि भारतीय खाद्य निगम की नियमित डाक-सूची में हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम में स्थापित प्रचार यूनिट में निम्नलिखित पद शामिल हैं :

पद	संख्या
प्रबन्धक (जन सम्पर्क)	1 (मुख्यालय में)
उप प्रबन्धक	7 (मुख्यालय में तीन और 4 जोनल कार्यालयों में-4 प्रत्येक में एक-एक)
प्रकाशन-सम्पादक	1 (मुख्यालय में)

1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचार कार्यों पर खर्च की गई धनराशि के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

	1979-80	1980-81	1981-82
उत्तरी जोन	5.68	4.77	4.82
पश्चिमी जोन	3.55	2.53	2.63
दक्षिणी जोन	5.47	4.91	6.53
पूर्वी जोन	3.64	3.62	3.58
मुख कार्यालय	8.92	25.75	25.72

(ख) इस समय उप प्रबन्धक के दो पद, जोनल कार्यालय (पूर्व) और जोनल कार्यालय (पश्चिम) प्रत्येक में एक-एक, खाली पड़े हैं।

(ग) मुख्यालय और निगम के जोनल कार्यालयों द्वारा बहुत से समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार कार्य किया जाता है। इन दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के बारे में भाषावार, राज्य-वार सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यालय द्वारा विज्ञापन के लिए उपयोग किए गए दैनिक समाचार पत्रों आदि के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3948/82]

(घ) भारतीय खाद्य निगम, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा की गई प्रत्याशित संवाददाताओं की सूची का उपयोग करता है।

राज्यों को घटिया किस्म के अनाज की सप्लाई

8357. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को घटिया किस्म का अनाज सप्लाई किये जाने के समाचार सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने शिकायतें भेजी हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां तो प्रत्येक मामले के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम सप्लाई में कमी को पूरा करेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और गोआ से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्राप्त हुई 17 शिकायतों की जांच की गई थी, जिनमें से 13 शिकायतें निराधार पायी गईं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त 4 शिकायतों की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम उन्हीं खाद्यान्नों की वसूली करता है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के अनुरूप हों और जो उचित औसत किस्म मानक के हों। सार्वजनिक वितरण के लिए केवल उचित औसत किस्म का स्टाक ही जारी किया जाता है। उचित दर के दुकानदारों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को पूरी-पूरी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वे खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व स्टाक की जांच कर सकें। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए खाद्यान्नों के लिए नमूने संयुक्त रूप से मुहरबन्द किये जाते हैं और उन्हें खाद्यान्नों के साथ राशन की दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए सप्लाई किया जाता है। अत: स्टाक की भरपाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार में निषिद्ध माल के निपटान के बारे में जांच

8358. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार दिल्ली द्वारा पिछले 2 वर्षों में निषिद्ध माल के निपटान के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सुपर बाजार को असल सहकारी स्वरूप देने तथा शेयरों की बिक्री को समुचित प्रचार के साथ क्या कदम उठाये गये हैं ताकि यह शेयरधारियों को आम सभा के प्रति उत्तरदायी बन सके; और

(घ) क्या पिछले वर्ष के लेखों का लेखा परीक्षित विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) सुपर बाजार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सरकार को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुपर बाजार की प्रतिनिधिक महासभा की बैठक आयोजित करने के लिए सहायक नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद, प्रबन्ध समिति के लिए सदस्यों का चुनाव करने हेतु प्रतिनिधिक महासभा की बैठक बुलायी जायेगी। तब तक, प्रबन्ध समिति में सरकार द्वारा नामित 9 सदस्य कार्य कर रहे हैं।

(घ) सुपर बाजार के परीक्षित लेखे लेखा परीक्षा के पूरा होने पर तुरन्त सभा-पटल पर रख दिये जाते हैं। 1978-79 के लेखाओं की लेखा परीक्षा अभी-अभी पूरी हुई है और लेखा परी-

अकों से लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की इन्तजार है। वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लेखाओं की लेखा-परीक्षा चल रही है।

कल्याणवास, दिल्ली के टाईप-III क्वार्टरों को टाईप-II में बदलना

8356. **श्री आर० एन० राजेश** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याणवास, दिल्ली प्रशासन की एक कालोनी, में टाईप-iii क्वार्टरों को 1.4.81 से टाइप ii में बदल दिया गया है;

(ख) क्या इन क्वार्टरों के आवंटिती सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इन क्वार्टरों की टाईप बदलने की आवंटन की मूल तारीख 1.4.81 के बजाय 1.5.80 की जाए, जबसे आवंटित किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों की टाईप बदलने की तारीख पुनिर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं, यह 3.6.81 को किया गया था।

(ख) जी, नहीं,

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं, उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए।

स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को पूरा करना

8360. **श्री डी० पत्तुस्वामी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों को पूरा करने के बारे में 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1981 और मार्च, 1982 में पूरे होने वाले फ्लैट पूरे हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, इन फ्लैटों के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, और इनके कब तक (कृपया महीना तथा वर्ष बताएं) पूरा करने का विचार है; और

(ग) इन फ्लैटों के विलम्ब से पूरा होने के कारण इनके मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, और संभावित खरीददारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 2353 के उत्तर के अनुलग्नक के क्र० सं० 10 पर उल्लिखित दिसम्बर, 1981 और मार्च, 1982 के दौरान पूरे होने वाले सभी मकान पूरे हो गए हैं। सिवाय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (समूह-I) के निकट मुनीरका में 145 आवासों को छोड़कर।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 145 मकानों का निर्माण कार्य कुछ सामग्रियों की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका और मकानों के अगस्त, 1982 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन मकानों की लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि जिस दर पर यह कार्य ठेके पर किया जा रहा है उस पर पहले ही समझौता हो गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट बेचने की अनुमति देना

8361. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** फ्लाट-धारियों को अपने फ्लाट बेचने की अनुमति देने के बारे में 8 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन शर्तों के अधीन आवंटियों को फ्लैट बेचने/हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि बने बनाए फ्लैटों की अन्तरण/बिक्री की अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित भूमि के मूल्य में अर्जित वृद्धि का 50 प्रतिशत का भुगतान करने पर पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से 10 वर्षों के बाद दी जा सकती है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, 10 वर्ष की अवधि में छूट दी जा सकती है।

दिल्ली न्यायालयों में अनिर्णीत मामले

8362. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली न्यायालयों में ऐसे कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं जिनमें दिल्ली नगर पूर्ति निदेशालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के प्रवर्तन के विरुद्ध प्राप्त रोकादेश को रद्द किये जाने और खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त दिल्ली के आदेशों के विरुद्ध दायर किये गये मामलों के निपटान के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) उपरोक्त मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभाग न्यायालयों में कितने मामलों में हार गया है और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और ऐसे कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं जिससे भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हो; और

(घ) क्या विभाग ने किसी पुस्तक का संकलन किया है जिससे निर्णयों में उल्लिखित महत्वपूर्ण कमियों का उल्लेख हो जिसके कारण वे हारे हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) दिल्ली के न्यायालयों में खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, दिल्ली द्वारा जारी किये गये आदेशों के प्रवर्तन के विरुद्ध प्राप्त स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए चार मामले अनिर्णीत पड़े हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के 15 मामले भी निपटान हेतु न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) "पेरवी" अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं और हर मामले के लिए सरकारी वकील कर लिये गये हैं। तथापि, न्यायालय अपनी प्राथमिकतायें स्वय निर्धारित करते हैं और उन्हें कानून की सम्यक प्रक्रिया क अनुसार मामलों को निपटाना होता है।

(ग) जहां तक लाइसेंसों का निलम्बित तथा रद्द करन/लाइसेंस देने से इन्कार करने/जमा-ह की राशि को जब्त करने से सम्बन्धित सिविल मामलों का सम्बन्ध है पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी मामले में हार नहीं हुई है। जहां तक आपराधिक मामलों का सम्बन्ध है, पुलिस द्वारा सीधे ही इसकी जांच की जाती है तथा मुकदमे चलाये जाते हैं और मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक "डी० ए०" फार्मूला

8363. **श्री भीखा भाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में पहले वेतन संशोधन से पूर्व कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के डी० ए० फार्मूला सहित वेतनमान से भिन्न थे और 1 जनवरी, 1976 के पहले वेतन संशोधन के बाद भी केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों और केन्द्रीय सरकार के डी० ए० फार्मूला से भिन्न थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को नये सिरे से मजदूरी के पुनर्विचार करने के औद्योगिक डी० ए० फार्मूला स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसे केन्द्रीय सरकार डी० ए० फार्मूला से घटिया समझा जाता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के वेतन के ढांचे में, औद्योगिक डी० ए० फार्मूला में परिवर्तन किए बिना, संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यद्यपि भारतीय खाद्य निगम के कुछ पदों/ग्रेडों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से भिन्न हैं फिर भी इस निगम के कर्मचारियों का वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार के वेतन ढांचे तथा केन्द्रीय सरकार के डी० ए० पैटर्न से बिल्कुल सम्बद्ध है।

(ख) और (ग) निगम की कुछ स्टाफ यूनियनों, जिन्होंने निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने की मांग की है, ने औद्योगिक डी० ए० पैटर्न स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। यह मामला अभी भी निगम के विचाराधीन है।

गेहूं की खेती के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण किया जाना

8364. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की खेती के लिए उर्वरक विशेष की उपयुक्तता के लिए बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र की (पहाड़ी भू-भाग) मिट्टी का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सामान्यतः मैदानी भूमि पर प्रयोग किया गया उर्वरक छोटानागपुर प्लेटान के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि समुचित जानकारी और उर्वरक की उपलब्धता के अभाव में प्लेटान क्षेत्र के आदिवासी गेहूं की खेती नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की मिट्टियों की जांच उस क्षेत्र में स्थित चार मृदा जांच प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। उस क्षेत्र के मृदा जांच प्रयोगशालाओं और राज्य कृषि विभाग, बिहार द्वारा प्रदान किये गये मृदा जांच आंकड़ों के आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में तैयार किये गये भारत के नवीनतम मृदा उर्वरता मानचित्रों के अनुसार छोटानागपुर पठारी क्षेत्र की मृदा अधिकांशतः स्वाभाविक रूप में अम्लीय है जिसमें अधिक फास्फोरस स्थित करने की क्षमता है। ये मिट्टियां आमतौर पर कम उर्वर हैं तथा इन पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का बहुत कम असर होता है लेकिन पोटेशियम का प्रभाव कुछ अधिक होता है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। बिहार के मैदानी मिट्टियों की उर्वरता की दर छोटानागपुर की पठारी मिट्टियों से भिन्न है। इसलिए, गेहूं सहित फसलों की उर्वरक की आवश्यकता भी इन दोनों क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न है। पठारी क्षेत्रों की मिट्टियां अम्लीय और आमतौर पर लोहमय प्रकृति के होने के कारण इन्हें अधिक मात्रा में फास्फोरस उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में जहां अम्लता की समस्या बहुत अधिक है, चूने का प्रयोग उपयोगी पाया गया है। इन मिट्टियों में फास्फोरसधारी उर्वरक जैसे डिकैलसियम फास्फेट जल में घुल नहीं पाता है, इसलिए बेसिक स्लैग और रॉक फास्फेट जब चूने का प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत कारगर पाया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कृषि-क्रियाओं की जानकारी न होने के कारण जिनमें गेहूं की खेती के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग भी शामिल है, गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की मुख्य बाधा सुनिश्चित सिंचाई के लिए जल की अनुपलब्धता, मिट्टी की घटिया भौतिक-स्थितियां,

मिट्टी में अधिक अम्लता, मृदा का कम उर्वर होना और गोपशुओं का उन्मुक्त रूप से घूमना-फिरना है। जहां कहीं भी जल उपलब्ध है वहां अनुकूलतम मात्रा में उर्वरकों और अन्य आवश्यक निवेशों के प्रयोग से गेहूं की बहुत अच्छी फसल उगाई जाती है।

(घ) रांची केन्द्र में अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत छोटानागपुर में गेहूं की अनेक किस्मों का जांच की गयी है। कुछ किस्में जैसे सोनालिका, जनक, एच० पी० 1102, एच० पी० 1209, एच० आई० 784, सी० 306 आदि इस क्षेत्र में खेती के लिए बहुत उपयुक्त पायी गई हैं। ये किस्मों के बीज कृषकों में वितरित किये जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय और राज्य के कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों और अन्य वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा गेहूं की खेती की उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी कृषकों को दी जा रही है।

पहाड़ी क्षेत्रों में जल प्रतिधारण वृक्षों को लगाने की योजना

8365. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में ओक और चमखोडिक आदि जैसे जल प्रतिधारण वृक्षों को लगाने को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) तथा (ख) देश में के पहाड़ी क्षेत्रों में बांज (ओक) और चमखोडिक आदि जैसे वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहन देने की विशेष रूप से कोई केन्द्रीय योजना नहीं है, परन्तु इनके वृक्ष दूसरे वृक्षों के साथ उपयुक्त स्थानों में "ग्रामीण जलावन लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी" और "हिम लय के क्षेत्रों में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण" की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत रोपित किये जाते हैं।

बिना धुनी कपास के वायदा व्यापार की अनुमति दिये जाने के लिये गुजरात से प्राप्त अभ्यावेदन

8366. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना धुनी कपास के वायदा व्यापार की अनुमति देने के लिये गुजरात राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे व्यापार से कुछ मंडियों में कपास के विलम्ब से पहुंचने के कारण किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सुरेन्द्रनगर काटन आयल एण्ड आयलसीड्स ऐसोसिएशन लि०, सुरेन्द्रनगर (गुजरात राज्य)

से एक अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है। सरकार ने बिना ओटी हुई कपास में भावी सौदा व्यापार की अनुमति न देने का निर्णय किया है। तथापि, अन्य जगहों की तरह ही गुजरात में अहस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों के रूप में कपास में भावी सौदा व्यापार की पहले से ही अनुमति है। इस सुविधा से किसानों को अपनी कपास तथा रुई बेहतर मूल्यों पर बेचने का अवसर मिलता है, जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल पाता।

सिक्किम से बैलगाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

8367 **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम सरकार ने राज्य में बैलगाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और हमारे सांस्कृतिक इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) तथा (ख) सिक्किम सरकार ने भारवाही पशुओं का क्रूरता से बचाने के लिए राज्य में बैल गाड़ियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया था, किन्तु यह आदेश हटा दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वर्ष 1980-82 के दौरान देश में आए भूकम्प

8368. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-82 के दौरान कम, धीमे और उग्र प्रचण्डता के भूकम्प महसूस किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और (वर्षवार और क्षेत्रवार) उनके अधिकेन्द्र तथा अवधि का ब्योरा क्या है;

(ग) प्रति वर्ष पशुओं सहित सम्पति का कितना नुकसान हुआ;

(घ) प्रति वर्ष जान माल और भवनों के क्षतिग्रस्त होने से कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) क्या भूकम्प आने की समय पूर्व जानकारी देने की कोई तकनीक का आविष्कार किया गया है जिससे किसी भी प्रकार के नुकसान को न होने देने के लिए तकनीकी कदम उठा लिए जाएं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) भूकम्प विज्ञानी वेधशालाओं द्वारा पता लगाए गए महत्वपूर्ण भूकम्प का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3949/82]

(ग) तथा (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं। भूकम्प विज्ञान की मौजूदा जानकारी से भूकम्पों की पूर्व सूचना देना अभी संभव नहीं है।

कृषि विकास के लिए राज्यों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता

8369. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कृषि सम्बन्धी विकास के लिए राज्यों को कोई सहायता दी है; और

(ख) इस वर्ष में विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां, यह निगम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अनुच्छेद 9 के तहत (क) उत्पादन, परिसंस्करण, विपणन, भंडारण, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थों, कुक्कुट आहार और अधिसूचित जिन्सों का निर्यात तथा आयात करने और (ख) गौण वन उत्पाद के संचयन, परिसंस्करण, विपणन तथा भंडारण के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से योजना तैयार करने तथा कार्यक्रमों के सम्वर्धन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष हाल ही में शुरू हुआ है। वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई सहायता का ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	1981-82 के दौरान दी गयी सहायता (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	482.401
2.	असम	170.095
3.	बिहार	593.987
4.	गुजरात	362.098

1 2	3
5. हरियाणा	247.441
6. हिमाचल प्रदेश	127.140
7. जम्मू और कश्मीर	0.185
8. कर्नाटक	575.051
9. केरल	136.504
10. मध्य प्रदेश	1087.630
11. महाराष्ट्र	672.438
12. मणिपुर	4.250
13. मेघालय	1.860
14. नागालैंड	5.000
15. उड़ीसा	779.849
16. पंजाब	1029.788
17. राजस्थान	603.281
18. सिक्किम	—
19. तमिलनाडु	342.978
20. त्रिपुरा	47.720
21. उत्तर प्रदेश	1566.403
22. पश्चिम बंगाल	424.781
23. अरुणाचल प्रदेश	—
24. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—
25. लक्षद्वीप	2.250
26. पांडिचेरी	0.750
योग	9063.880

मध्य प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

8370. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, और क्या इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश के लिए 175 करोड़ रुपये के योजना व्यय के स्थान पर 130 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है और क्या यह धनराशि इतने बड़े और पिछड़े राज्य के लिए पर्याप्त है; और

(ख) क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश, जो एक पिछड़ा राज्य है, सड़क संचार के मामले में इसकी मांग के अनुसार योजना आवंटन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ग्रामीण सड़कों के घटक के लिए निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को वर्ष 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है। इस तरह, कार्यक्रम के अन्मर्गत लाए जाने वाले गांवों के लगभग 50 प्रतिशत गांवों को वर्ष 1985 तक जोडा जाना है। राज्य सरकार के 142 करोड़ रुपये (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 45 करोड़ रुपये सहित) के प्रस्ताव के मुकाबले में छठी योजना में मध्य प्रदेश के लिए राज्य क्षेत्र में सड़कों और पुलों के लिए 130 करोड़ रुपये (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 40 करोड़ रुपये सहित) का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि छठी योजना के निर्माण के समय 1979-80 के मूल्य स्तर पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध किया गया परिव्यय पर्याप्त था। तथापि, योजना के शीघ्र ही आरम्भ किये जाने वाले मध्यकालीन मूल्यांकन के दौरान आवश्यकताओं का पूनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

सड़कों से जोड़े गए गांव

8371. **श्रीमती विद्या चेनुपति :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गांवों को उनके पड़ौसी क्षेत्रों से सड़कों द्वारा जोड़ा गया है;

(ख) अभी भी कितने गांवों में सड़कें नहीं हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों में सड़कों के विस्तार पर कितनी धनराशि व्यय कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त अनन्तिम सूचना के अनुसार 31-3-1981 तक देश में 1,55,166 गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा गया था जबकि 4,367,763 गांवों में इस प्रकार की सड़कें नहीं थीं ।

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मौसमों में खुली रहने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण छठी योजना अवधि के दौरान पूर्ण रूप से राज्य क्षेत्र में है ।

शहरी और ग्रामीण योजना संगठन के प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी

8372. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**

श्री डी० एम० पुत्ते गोडा :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय शहरी और ग्रामीण योजना संगठन के ऐसे कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है, जिन्हें अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है अथवा भेजे जाने की संभावना है;

(ख) अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए उनका चयन करने सम्बन्धी और उन्हें भेजने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि संगठन के "चीफ प्लेनर" संगठन के वरिष्ठतम कर्मचारियों की उपेक्षा करके कनिष्ठतम कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 26 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और 3 अधिकारियों के मामले विचाराधीन हैं ।

(ख) संगठन की आवश्यकताओं व अधिकारियों की किसी विशेष कार्य या धन्धे के लिए पात्रता, अर्हता, अनुभव तथा उपयुक्तता चयन के मापदण्ड हैं ।

(ग) प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन तब किया जाता है जब वे या तो खुले विज्ञापन के या अन्य विभागों द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं । कभी-कभी उधार लेने वाले प्राधिकरणों को विशेष रूप से किसी अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता होती है । चयन प्रक्रिया उपर्युक्त (ख) में बताये गये मानदण्ड के अनुसार है और न कि विशेषरूप से वरिष्ठता के संदर्भ में ।

(घ) जी, नहीं, उपर्युक्त भाग (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन के कृषि (वन) विभाग के दैनिक मजूरी के श्रमिकों को नियमित करना

8373. **श्री बयाराम शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के कृषि (वन) विभाग के दैनिक मजूरी के श्रमिकों की सेवायें नियमित करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी, हां ।

(ख) गत वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । नियमित किये जाने वाले श्रमिकों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) वरीयता सूची अन्तिम रूप से तैयार होने पर पता चलेगा कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से कितने व्यक्तियों को लाभ होगा ।

मोतीबाग, नई दिल्ली में वर्षा के पानी के नाले में गन्दे पानी का बहना

8374. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पिछले कई महीनों से मोती बाग-2 में रिंग रोड पर डी-II टाईप के प्लैटों के साथ लगने वाले वर्षा के पानी के नाले में गन्दा पानी बह रहा है जो निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ख) क्या प्रभावित लोगों द्वारा की गई शिकायतों की उपेक्षा करके कोई भी सम्बद्ध निकाय, अर्थात नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण इस उपरोक्त मामले में कोई कार्रवाई करने अथवा अपना उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है;

(ग) क्या सरकार सम्बद्ध प्राधिकरण को तत्काल आदेश देगी कि तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करके निवासियों की शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाये ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

8375. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरजभान :

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी थी; और

(ख) पुन: इस बीच इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को (एक) स्थायी अथवा और (दो) अस्थायी रोजगार दिया गया; और

(ग) उन्हें किस प्रकार के और किस श्रेणी के रोजगार दिए गए ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, को अप्रैल 1977 में आरम्भ किया गया था। अप्रैल 1977 में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जुलाई, 1977 से जून, 1978 के दौरान रोजगार/बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित राज्य स्तरीय बेरोजगारी की दर (प्रतिशत में) को दर्शाने वाला एक विवरण (1) संलग्न है।

(ख) काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक आधार पर रोजगार सुलभ किया जाता है। सृजित रोजगार के बारे में सूचना केवल श्रम दिनों के रूप में एकत्र की जाती है न कि रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या के रूप में। इस सम्बन्ध में वर्ष 1977-78 से लेकर 1981-82 तक की सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण (2) भी संलग्न है।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलभ रोजगार अधिकतर अकुशल प्रकार का होता है जिसमें मिट्टी का कार्य आदि जैसा शारीरिक कार्य भी शामिल है। राजगीरों, बढ़ईयों, लोहारों आदि जैसे कुशल कारीगरों को भी कुछ रोजगार सुलभ किया जाता है।

विवरण 1

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32 वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 77 से जून, 1978) के परिणामों पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत (दैनिक स्तर के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.62
2.	असम	0.47
3.	बिहार	2.98
4.	गुजरात	2.63
5.	हरियाणा	2.19
6.	हिमाचल प्रदेश	0.77
7.	जम्मू तथा काश्मीर	2.01
8.	कर्नाटक	4.26
9.	केरल	9.73
10.	मध्य प्रदेश	1.34
11.	महाराष्ट्र	3.65
12.	मणिपुर	0.78
13.	मेघालय	0.10
14.	उड़ीसा	3.21
15.	पंजाब	1.75
16.	[illegible]स्थान	1.33
17.	तमिलनाडु	7.99
18.	त्रिपुरा	1.86
19.	उत्तर प्रदेश	1.39
20.	पश्चिम बंगाल	3.29
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.18
22.	दिल्ली	3.37
23.	गोवा, दमन तथा दीव	6.53
24.	पाण्डिचेरी	9.81
	अखिल भारत	3.30

टिप्पणियां : (1) जनसंख्या की तुलना में ये प्रतिशत 5 व इसके ऊपर की आयु के व्यक्तियो के हैं।

2) सर्वेक्षण में सिक्किम, अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा तथा नगर हवेली और चण्डीगढ़, मिजोरम और नागालैण्ड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं थे।

विवरण 2

1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1977 -78 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1978 -79 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1979 -80 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1980 -81 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1981 -82 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वह अवधि जिसमें कालम 7 में दी सूचना संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	186.79	532.91	476.99	231 01	दिसम्बर, 81
2.	असम	6.11	4.06	115.86	अप्राप्य	शून्य	सितम्बर, 81
3.	बिहार	14.76	641.42	753.39	343.96	10.72	सितम्बर, 81
4.	गुजरात	—	301.00	523.84	9.75	8.04	दिसम्बर, 81
5.	हरियाणा	—	30.03	124.19	257.17	अप्राप्य	—
6.	हिमाचल प्रदेश	0.70	2.72	43.47	22.44	शून्य	सितम्बर, 81
7.	जम्मू तथा काश्मीर	—	10.99	29.83	34.77	अप्राप्य	—
8.	कर्नाटक	5.02	20.15	12.13	16.32	अप्राप्य	—
9.	केरल	21.43	46.83	149.18	5.69	27.59	सितम्बर, 81
10.	मध्य प्रदेश	44.00	450.00	456.02	661.31	अप्राप्य	—
11.	महाराष्ट्र	—	143.00	499.12	430.77	अप्राप्य	—
12.	मणिपुर	—	—	—	अप्राप्य	अप्राप्य	—
13.	मेघालय	—	—	—	शून्य	अप्राप्य	—

1 2	3	4	5	6	7	8
14. नागालैण्ड	—	—	—	अप्राप्य	शून्य	सितम्ब , 81
15. उड़ीसा	68.69	362.39	552.27	321.67	30.38	जून, 81
16. पंजाब	0.14	49.93	32.28	6.40	12.46	सितम्बर, 81
17. राजस्थान	6.87	500.74	400.35	154.75	24.08	सितम्बर, 81
18. सिक्किम	—	—	—	अप्राप्य	0.42	दिसम्बर, 81
19. तमिलनाडु	—	—	222.54	147.53	298.61	दिसम्बर, 81
20. त्रिपुरा	—	29.65	99.97	77.45	9.93	दिसम्बर, 81
21. उत्तर प्रदेश	58.19	223.32	819.52	479.36	अप्राप्य	—
22. पश्चिम बंगाल	218.43	533.44	540.50	328.51	94.35	सितम्बर, 81
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	अप्राप्य	2.55	0.13	जून, 81
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.33	0.18	शून्य	सितम्बर, 81
25. मिजोरम	—	2.00	0.52	0.55	शून्य	सितम्बर, 81
26. पाण्डिचेरी	—	—	1.50	1.26	शून्य	जून, 81
	444.34	3538.46	5909.72	3779.38	747.72	

(—) यह दर्शाता है कि सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र ने वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।

प्रीत नगर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली द्वारा परिफरेल प्रभारों का भुगतान

8376. **श्री जैनुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री प्रीत नगर दिल्ली में बाह्य "सीवेजर लाईन के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीत नगर हाऊसिंग सोसाइटी द्वारा पेरीफरेल प्रभारों का भुगतान करने की प्रश्न की पुन: जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) यदि पुनः जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है; तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिंदी अधिकारियों की भर्ती के लिए तालिका

8377. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 में हिंदी अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर दो तालिकाएं तैयार की थीं;

(ख) तालिका में यदि अलग-अलग सूचियां तैयार की गई थीं तो तालिकाओं में कितने व्यक्तियों के नाम थे, तालिकाओं की वैधता अवधि क्या है और उपरोक्त तालिका/तालिकाओं में से कितने व्यक्तियों की अभी तक भर्ती की जा चुकी है; और

(ग) क्या यह सच है कि चयन समिति में कोई भाषा विशेषज्ञ नहीं था ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए तैयार किये गए पैनल में 5 व्यक्ति सम्मिलित थे और गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन (अधीनस्थ कार्यालय) में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए तैयार किए गए पैनल में 4 व्यक्ति सम्मिलित थे।

इन दोनों पैनलों में से एक-एक व्यक्ति की नियुक्ति उपर्युक्त 2 पदों पर पहले ही की जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं। चयन समिति के कुछ सदस्य हिन्दी की योग्यता और राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य का अनुभव रखते थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

8378. **श्री सूरजभान** :

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वर्षों में जिसमें "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" चालू रहा है, से प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत किस प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की गई थी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1977-78 से लेकर 1981-82 तक काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम दिनों में सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यों जिनके माध्यम इसके अधीन रोजगार सृजित किया जाता है, की किस्म को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1977-78 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1978-79 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1979-80 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1980-81 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वर्ष 1981-82 के दौरान सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वह अवधि जिसमें कालम 7 में दी सूचना संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	186.79	532.91	476.99	231.01	दिसम्बर, 81
2.	असम	6.11	4.06	115.96	अप्राप्य	शून्य	सितम्बर, 81
3.	बिहार	14.76	641.42	753.39	343.96	10.72	सितम्बर, 81
4.	गुजरात	—	301.00	523.84	9.75	8.04	दिसम्बर, 81
5.	हरियाणा	—	30.03	124.19	257.17	अप्राप्य	—
6.	हिमाचल प्रदेश	0.70	2.72	43.47	22.44	शून्य	सितम्बर, 81
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	10.99	29.83	34.77	अप्राप्य	—
8.	कर्नाटक	5.02	20.15	12.13	16.32	अप्राप्य	—
9.	केरल	21.43	46.83	149.18	5.69	27.59	सितम्बर, 81
10.	मध्य प्रदेश	44.00	450.00	456.02	661·31	अप्राप्य	—
11.	महाराष्ट्र	—	143.00	499.12	430.77	अप्राप्य	—
12.	मणिपुर	—	—	—	अप्राप्य	अप्राप्य	—
13.	मेघालय	—	—	—	शून्य	अप्राप्य	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—	अप्राप्य	शून्य	सितम्ब , 81

1 2	3	4	5	6	7	8
15. उड़ीसा	68.69	362.39	552.27	321.67	30.38	जून, 81
16. पंजाब	0.14	49.93	32.28	6.40	12.46	सितम्बर, 81
17. राजस्थान	6.87	500.74	400.35	154.75	24.08	सितम्बर, 81
18. सिक्किम	—	—	—	अप्राप्य	0.42	दिसम्बर, 81
19. तमिलनाडु	—	—	222.54	147.53	298.61	दिसम्बर, 81
20. त्रिपुरा	—	29.65	99.97	77.45	9.93	दिसम्बर, 81
21. उत्तर प्रदेश	58.19	223.32	819.52	479.36	अप्राप्य	—
22. पश्चिम बंगाल	218.43	533.44	540.50	328.51	94.35	सितम्बर, 81
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह	—	—	प्राप्य	2.55	0.13	जून, 81
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.33	0.18	शून्य	सितम्बर, 81
25. मिजोरम	—	2.00	0.52	0.55	शून्य	सितम्बर, 81
26. पाण्डिचेरी	—	—	1.50	1.26	शून्य	जून, 81
	444.34	3538.46	5909.72	3779.38	747.72	

—यह दर्शाता है कि सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया ।

विवरण-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों कीमदों को दर्शाने वाली सूची ।

1. सरकारी तथा सामुदायिक भूमि, जिसमें स्थानीय निकायों जैसे पंचायतें आदि की भूमि भी शामिल हैं, पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, नहरों के तटों तथा रेलवे लाइनों आदि के साथ बेकार पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना, निरावृत्त वन क्षेत्रों तथा कृषि के लिए अयोग्य अन्य भूमि पर पेड़ लगाना, ईंधन व चारे के लिए और फलदार वृक्ष लगाना;

2. पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि विकास परियोजनाएं;

3. मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध करा ', सिंचाई या मत्स्यपालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना तथा उनका पुनरुद्धार करना;

4. लघु सिंचाई निर्माण कार्य जिसमें बाढ़ बचाव, नालियां तथा जल लग्नता निवारक कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में माध्यमिक तथा मुख्य नालियों तथा खेत की नालियों का निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि, जल वाहिकाओं आदि की सफाई करना तथा उनकी गाद निकालना आदि शामिल हैं;

5. भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार;

6. मानक विनिर्देशनों, के अधीन ग्रामीण सड़कें जहां उन्हें पक्का करने, क्रास जल निकासी, रख-रखाव आदि के लिए विशिष्ट वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं;

7. विद्यालय तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेयजल कुएं, वन क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए पेयजल के स्रोत, पशुओं के लिए तालाब, पिंजरापोल, गौशालाएं सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअरों के लिए घर, नहाने तथा कपड़े धोने के घाट, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक कूड़े-दान और सामुदायिक बायो-गैस संयंत्र ।

डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता

8379. **प्रो० नारायण चन्द्र परासर :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान डेरी विकास योजना के अन्तर्गत स्वयं की एजेंसियों के माध्यम से अथवा उनके सहकारी संघों के माध्यम से प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को विशेष रियायत दी गई है, क्योंकि इन राज्यों में दूध की कमी है;

(ग) यदि हां, तो पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को दी गई विशेष सहायता का स्वरूप क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन राज्यों/क्षेत्रों को ऐसी कोई सहायता दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) राज्य योजना के तहत 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान डेरी उद्योग तथा दुग्ध सप्लाई योजनाओं के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) पर्वतीय राज्यों/अंचलों के लिए केन्द्रीय सहायता की विशेष पद्धति निम्नलिखित है :

(1) असम तथा जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) के पर्वतीय क्षेत्रों को 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण।

(2) (क) मेघालय, (ख) नागालैंड, (ग) हिमाचल प्रदेश, (घ) मणिपुर, (ङ) त्रिपुरा तथा (च) सिक्किम राज्यों को 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण।

(3) उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु (पश्चिमी घाट) तथा पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिला) के पर्वतीय क्षेत्रों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण।

विवरण

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81 संशोधित परिव्यय	1981-82 स्वीकृत परिव्यय	1982-83 स्वीकृत परिव्यय
1. आंध्र प्रदेश	170.00	100.00	100.00
2. असम	85.00	60.00	65.00
3. बिहार	109.00	160.00	200.00
4. गुजरात	*300.00	32.00	35.00
5. हरियाणा	16.00	60.00	65.00
6. हिमाचल प्रदेश	85.00	80.00	90.00
7. जम्मू और कश्मीर	*326.00	*344.00	*360.00
8. कर्नाटक	210.00	211.00	248.00
9. केरल	152.00	180.00	180.00
10. मध्य प्रदेश	62.00	80.00	82.00
11. महाराष्ट्र	550.00	739.00	750.00
12. मणिपुर	*53.00	*60.00	*60.00
13. मेघालय	16.00	16.00	16.00
14. नागालैंड	*90.00	*100.00	*100.00
15. उड़ीसा	*161.00	*200.00	*210.00
16. पंजाब	*341.00	51.00	65.00
17. राजस्थान	*321.00	180.00	190.00
18. सिक्किम	*92.00	90.00	*120.00
19. तमिलनाडु	29.00	96.00	48.00
20. त्रिपुरा	26.00	35.00	35.00
21. उत्तर प्रदेश	*475.00	203.00	*889.00
22. पश्चिम बंगाल	192.00	150.00	**183.00
उप-योग	3861.00	3227.00	4091.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81 संशोधित परिव्यय	1981-82 स्वीकृत परिव्यय	1982-83 स्वीकृत परिव्यय
23. अण्डमान	*35.00	*50.00	*51.00
24. अरुणाचल प्रदेश	*86.68	9.00	*94.00
25. चंडीगढ़	*2.61	*12.00	16.60
26. दिल्ली	135.00	5.00	*94.00
27. गोवा	12.55	15.00	18.00
28. लक्षद्वीप	—	*14.00	—
29. मिजोरम	*65.00	*88.00	4.00
30. पांडिचेरी	5.00	4.00	4.50
31. दादर और नगर हवेली	*7.70	*8.00	*10.00
उप-योग	349.54	205.00	292.10
कुल योग	4210.54	3432.00	4383.10

*इसमें पशुपालन के परिव्यय भी शामिल हैं।

**अनुमानित परिव्यय है क्योंकि अन्तिम बैठक अभी होनी है।

स्रोत : 1. संशोधित परिव्यय 1980-81-पी० सी० (पी०) 2/79 दिनांक 9-4-81 तथा 13-4-81 योजना आयोग।

2. स्वीकृत परिव्यय 1981-82-वार्षिक योजना के दस्तावेज

3. स्वीकृत परिव्यय 1982-83 राज्य योजना शाखा, योजना आयोग

राजस्थान के पाली जिले में पेय जल की सप्लाई

8380. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जिलों विशेषकर राजस्थान के पाली जिले के किन-किन गांवों में 1980-81 में पेय जल की व्यवस्था की गई है और उस पर कितना व्यय हुआ; और,

(ख) राजस्थान में पाली जिले के विशेषकर पाली तहसील के उन समस्यात्मक गांवों के नाम क्या हैं जहां पेय जल की सुविधा नहीं है और उसमें यह सुविधा कब से नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) तथा (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और गांवों विशेष के नामों और उस पर किए गए खर्च के बारे में विस्तृत सूचना तदनुसार राजस्थान राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी। निर्माण और आवास मंत्रालय के पास सुलभता से उपलब्ध सूचना राजस्थान राज्य के समस्याग्रस्त गांवों के जिलावार ब्यौरों से सम्बन्धित है। और यह संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राजस्थान राज्य के समस्याग्रस्त गांवों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	1-4-80 तक उन समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जिनमें अभी तक पेय जल पूर्ति की व्यवस्था की जानी है	उन समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जिनमें 1980-81 में पेय जल पूर्ति की व्यवस्था की गई है	1-4-81 तक उन समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जिनमें अभी पेयजल पूर्ति की व्यवस्था की जानी है
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	737	155	582
2.	अलवर	1278	136	1142
3.	बांसवाड़ा	1087	151	936
4.	बाड़मेर	592	28	564
5.	भरतपुर	1119	145	974
6.	बीकानेर	300	58	242
7.	भीलवाड़ा	908	48	340
8.	बूंदी	161	66	295
9.	चित्तौड़गढ़	571	81	490
10.	चुरू	517	66	451
11.	डूंगरपुर	346	69	277
12.	गंगानगर	1625	54	1571

1 2	3	4	5
13. जयपुर	1917	249	1668
14. जालौर	262	68	194
15. जैसलमेर	309	18	291
16. झालावाड़	528	62	466
17. झुनझुनू	522	117	405
18. जोधपुर	425	56	369
19. कोटा	639	89	550
20. नागौर	825	76	749
21. पाली	416	83	333
22. सवाई माधोपुर	927	90	837
23. सीकर	444	91	353
24. सिरोही	228	79	149
25. टोंक	495	53	442
26. उदयपुर	2345	214	2131
	19803	2402	17401

कोलार सिंचाई परियोजना की प्रगति

8381. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सिहोर जिले के रेनहाटी गांव के पास प्रारम्भ की जाने वाली कोलार सिंचाई योजना के निर्माण कार्य की प्रगति पर्याप्त निधि की कमी के कारण गत तीन वर्षों से सन्तोषजनक नहीं हो पाई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (मार्च, 1982 तक) इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इस परियोजना की कुल कितनी लागत आएगी और यह कब तक पूरी हो जाएगी तथा इसके अन्तर्गत कितने क्षेत्र में सिंचाई सम्भव हो सकेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा अभी कोलार परियोजना को स्वीकृति दी जानी है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों को हाथ में लिया जा चुका है और पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1982 तक 5.14 करोड़ रुपये खर्च होने की सूचना मिली है।

परियोजना पर 69.96 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इससे 45087 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्राप्त होंगे। परियोजना के 1986 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

कलकत्ता में सेन्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का शाखा कार्यालय खोलना

8382. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कलकत्ता में सेन्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट का शाखा कार्यालय खोलने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमन्त्री (श्री आर० वो० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फरवरी, 1981 में पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान (सी० एम० एफ० आर० आई०) की एक शाखा खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त किया था।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान का एक केन्द्र कलकत्ता में था जो उस क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित कार्य की देख-रेख करता था जिसे छठी दशक के मध्य में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को बन्द कर देने के फलस्वरूप, बन्द कर देना पड़ा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इस केन्द्र को भौतिक सुविधायें देने की स्थिति में नहीं थी।

पश्चिम बंगाल सरकार का यह अनुरोध कि केन्द्रीय समुद्र मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान का पश्चिम बंगाल में पुनरुत्थान किया जाय अनिवार्य रूप से मान लिया गया है ताकि मेरीकल्चर टैक्नोलाजी तथा समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए स्थानीय मछुओं को प्रशिक्षित किया जाए जिसमें केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन संस्थान ने पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित कर ली थी। विकासात्मक क्रियाकलापों में पश्चिम बंगाल सरकार की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकार को विधिवत रूप से यह सूचित कर दिया गया था कि मेरीकल्चर के वर्तमान संसाधनों का राज्य मत्स्य पालन विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने के बाद, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान राज्य मत्स्य पालन अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण के लिए और इस क्षेत्र में सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों को स्थानान्तरित करने के लिए सहायता देने के लिए तैयार होगा।

रोहणी आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन

8383. **श्री विकास मुस्तैमवार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि डी० डी० ए० ने 26 जनवरी, 1982 के अवसर पर रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लाटों के आवंटन के लिए लाटरी निकालने की घोषणा की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० ने न तो प्लाटों का आवंटन किया और न आगे लाटरी निकालने की तिथि की कोई घोषणा की; और

(ग) डी० डी० ए० रोहिणी योजना के लिए कब और कितने प्लाटों के लिए लाटरी निकाल रहा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक कोई प्लाट आवंटित नहीं किए हैं, लेकिन निकट भविष्य में लगभग 20,000 प्लाटों का आवंटन किए जाने की संभावना है।

बरियापुर-गंगऊ और रंगवा बांध के पानी के बंटवारे के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विवाद

8384. **श्री रामनाथ दुबे :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत बरियापुर-गंगऊ और रंगवा बांध के पानी के बंटवारे के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच विवाद की जानकारी है; और

(ख) इन दो राज्यों के बीच इस विवाद को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। यह प्रश्न संभवत: मध्य प्रदेश द्वारा बृहत्तर गंगऊ बांध के निर्माण और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश द्वारा बरियारपुर हैडवर्क्स पर केन नदी के जल बंटवारे के बारे में है।

(ख) इस वाद-विषय को हल करने के उद्देश्य से, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ दिसम्बर, 1981 में केन्द्र द्वारा एक बैठक की गई थी।

मध्य प्रदेश सरकार बृहत्तर गंगऊ बांध की परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1982 तक प्रस्तुत कर देने के लिए सहमत हो गई थी, जिसकी योजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के लाभार्थ समस्त उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करने के सम्बन्ध में बनाई जाएगी। तथापि, परियोजना रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य

प्रदेश, दोनों इस बात पर भी सहमत हो गये थे कि बरियारपुर शोर्ष नियामक की क्षमता 2500 क्यूसेक तक सीमित कर दी जाएगी ।

दिल्ली में आवास निर्माण सोसाइटियां

8385. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी आवास निर्माण सोसाइटियां सरकार द्वारा पंजीकृत हैं; और

(ख) 1982-83 में कौन-सी सोसाइटियों को जमीन दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं

8386. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :

क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली के प्रवर्तन कर्मचारियों ने गत तीन महीनों के दौरान व्यापक पैमाने पर की गई जांच के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खुदरा दुकानों में गम्भीर अनियमितताएं पाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो मारे गए छापों का पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ग) छापों के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार लोगों को इनके उचित वितरण के लिए कोई अन्य कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या और किस प्रकार से ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) जनवरी, 1982 से मार्च, 1982 के महीनों के दौरान 503 छापे मारे गये । इनमें से 347 मामलों में उचित दर की दुकानों की, 97 मामलों में मिट्टी के तेल के डिपुओं की और शेष 9 मामलों में कोयले के डिपुओं की जांच की गई थी । 34 मामलों में, गम्भीर अनियमितताएं पाई गई थीं और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आपराधिक मुकदमें चलाये गये । 400 मामलों में, सम्बन्धित नियन्त्रण आदेशों के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई

आरम्भ की गई है। 22 मामलों में, खुदरा बिक्री केन्द्र निलम्बित किए गए और 45 मामलों में प्राधिकार पत्र/लाइसेंस रद्द किए गए थे।

(घ) व (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रवर्तन कार्य में और तेजी लाई जा रही है और इसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत के खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्यकरण पर लगातार नजर रखी जा रही है। जाली राशन कार्डों/फालतू यूनिटों को समाप्त करने के लिए घर-घर जाकर खाद्य कार्डों की जांच भी शुरू की गयी है। इसके अतिरिक्त, खुदरा बिक्री केन्द्रों को आवंटन करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में समेकित शहरी विकास कार्यक्रम

8387. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि समेकित शहरी विकास कार्यक्रम में गन्दी बस्ती सुधार कार्य शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के लिए एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में ऋण सहायता के लिए नियत किए गए 20 शहरों में से 12 शहरों के लिए परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ये इस प्रकार है :

1. खड़गपुर
2. मिदनापुर
3. बंकुरा
4. कलिंगपोंग
5. कूच-बिहार
6. पुरुलिया
7. इंगलिश बाजार
8. ताराकेश्वर
9. कृष्णानगर
10. सूरी
11. बेहरमपुर
12. बलूरघाट

(ख) जी, हां।

(ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के लिए एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के मार्ग-निर्देशनों के अनुसार यद्यपि वे एकीकृत विकास परियोजना के भाग के रूप में हैं फिर भी गन्दी बस्ती सुधार के लिए योजनाओं का प्रावधान राज्य योजना मे किया जाता है और इस योजना के अन्तर्गत वे केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार ने एकीकृत कार्य-

क्रम में गन्दी बस्ती सुधार को सम्मिलित न करने का कोई कारण नहीं बताया है। तथापि, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे राज्य तथा स्थानीय निकाय क्षेत्र में पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था करें।

दिल्ली के चिड़िया घर की हालत

8388. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़िया घर को साफ सुथरा नहीं रखा जा रहा है और रुके हुए पानी तथा तदबूदार नहरों के कारण वहां बदबू आती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत अधिक चिड़ियाएं उसी बाड़े में रखी गई हैं जिसमें दरियाई घोड़ा, चिम्पांजी, मोर, सियार और खरगोश रखे गए हैं और अधिकांश अपने मल मूत्र में रहते हैं तथा वहां सर्वत्र टूट-फूट और बीमारी फैली हुई है; और

(ग) सरकार चिड़ियाघर की हालत में किस प्रकार सुधार करने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं। दिल्ली चिड़ियाघर देश में बेहतर तरीके से अनुरक्षित किए जाने वाले चिड़िया-घरों में से है।

(ख) जी नहीं। पक्षियों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए बाड़ों में रखा जाता है। दरियाई गोड़ा, चिम्पांजी, मोर, गीदड़ और खरगोश अलग-अलग बाड़ों में रखे जाते हैं, जिन्हें नियमित रूप से साफ किया जाता है।

(ग) सरकार ने दिल्ली चिड़ियाघर की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक परामर्शदायी समिति नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, अवैतनिक पशुचिकित्सकों का पेनल भी जो पशुओं के उपचार में चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सलाह देता है तथा उनकी सहायता करता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन

8389. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर, और वह भी बहुत कम मुआवजे पर, को लेकर असन्तोष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने से पूर्व विभिन्न संगठनों के व्यक्तियों से परामर्श करेगी;

(ग) क्या संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम को भूत लक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम को किस तारीख से लागू किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) दिल्ली के कुछ भूमि स्वामियों तथा उनकी एसोसियेशनों ने भूमि अधिग्रहण की कुछ कार्यवाहियों में अधिनिर्णीत मुआवजे की कम दरों जैसा कि वे समझते हैं पर असन्तोष व्यक्त किया है।

(ख) से (घ) अधिनियम में संशोधन करने हेतु दिए गए अनेक सुझावों पर विचार किया गया है । सरकार को आशा है कि वह चालू सत्र के दौरान संसद में विधेयक पेश कर सकेगी। संशोधन में इस प्रकार की विषयवस्तु शामिल होगी और जैसा कि संसद अनुमोदित करेगी उसी प्रकार इन्हें लागू किया जाएगा।

कृषि विपणन और खाद्य नीति के अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्थान की स्थापना करना

8390. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री एच० ई० होरो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विपणन और खाद्य नीति में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि वानिकी और कृषि मौसम-विज्ञान तथा पुनः उपयोग में लाये जा सकने वाले ऊर्जा के संसाधनों के बारे में अनुसंधान-कार्य में तेजी लाने की योजना बना रही है;

(ग) क्या इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान की परियोजनायें उन फसलों के लिए जिनको अब तक कम उपयोग में लाया गया है, शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस जाने में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) कृषि विपणन और खाद्य नीति पर अनुसंधान के लिए संस्थान की स्थापना करने के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इस प्रस्ताव पर कार्यवाई की जा रही है और अन्तिम अनुमोदन शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

मूल आवंटिती की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित सरकारी कर्मचारियों को भी सरकारी आवास का आवंटन

8391. **श्री केशव राव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन आवासीय पूल के क्या नाम क्या हैं जिनमें से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं और प्रत्येक पूल में कितने क्वार्टर आवंटित किए गये हैं;

(ख) क्या आवंटिती का एक आश्रित जो किसी अन्य कार्यालय में कार्यरत हो, जो ऐसे आवंटिती पूल में नहीं आता हो, मकान किराया भत्ता पाने का हकदार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा आश्रित अपने पिता की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने के पश्चात किसी अन्य पूल में क्वार्टर पाने का हकदार हैं; और

(घ) क्या पिता के सेवा निवृत्त होने पर (जो एक सरकारी कर्मचारी रहा है) उसके आश्रित में भी निगम लाग होते हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य पूल वास जो कि इस मंत्रालय के नियन्त्रण में हैं के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों के अपने विभागीय वास हैं :

(1) डाक तथा तार विभाग

(2) रेल विभाग

(3) रक्षा विभाग

(4) आयकर सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय आबकारी विभाग

(5) सिविल विमानन विभाग

(6) विदेश संचार सेवा

(7) दिल्ली प्रशासन

(8) दिल्ली पुलिस

(9) लोक सभा सचिवालय

(10) सफदरजंग, लोक नायक जयप्रकाश नारायण तथा डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल

(11) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, इत्यादि।

1-1-1982 की स्थिति के अनुसार सामान्य पूल में 49,335 रिहायशी एकक हैं चूंकि सम्बन्धित विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिहायशी एकक नियंत्रित करने में सक्षम हैं इसलिए इस मंत्रालय को अन्य विभागीय पूल के क्वार्टरों के बारे में सूचना रखना अपेक्षित नहीं है।

(ख) सरकारी कर्मचारी जो अपने माता-पिता को आवंटित सरकारी वास में रहता है, मकान किराया भत्ता पाने का पात्र नहीं है।

(ग) जी, नहीं। जहां तक सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है।

(घ) जहां तक सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है सेवा-निवृत कर्मचारियों के मामलों में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अन्तर पूल समायोजन अनुमेय नहीं है।

1980-81 और 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के लिए दिया गया खाद्यान्न

8392. **श्री गदाधार साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, 1980-81 और 1981-82 के दौरान तथा 1982 की प्रथम तिमाही के लिए वैधानिक राशन और संशोधित राशन क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के लिए और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए राज्यों को खाद्यान्नों को कितनी मात्रा आवंटित की और उन्हें दी तथा इस प्रयोजन हेतु राज्यों की खाद्यान्नों की आवश्यकता कितनी थी; राज्यवार और वर्षवार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) यदि इसमें गिरावट के कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमरी कमला कुमारी) : (क) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं जिनमें 1980-81 और 1981-82 तथा 1982 की प्रथम तिमाही के दौरान विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवंटनों और निर्मुक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3950/82**]

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का आवंटन राज्यों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्तेमाल हेतु आवंटित की गई समूची मात्रा के आधार पर किया जाता है।

कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर में प्रवेश परीक्षा

8393. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विद्यालय, पंत नगर के चालू सत्र में प्रवेश परीक्षा हेतु, किन-किन विषयों में परीक्षा ली गई;

(ख) प्रवेश परीक्षा के लिए ग्राह्यता हेतु, निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त परीक्षा के जरिए दाखिल किए गए छात्रों का विषयवार (विज्ञान, कृषि, कला), ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) (ख) और (ग) इन विषयों पर सूचना उपलब्ध नहीं है। पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है कि वह इसका ब्योरा दे। जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

राजस्थान नहर पर प्रगति

8394. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर क्षेत्र की चिनाई का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए फिर कितनी मीटरी टन कोयले और सीमेंट की आवश्यकता है;

(ख) 31 मार्च, 1982 तक उक्त लक्ष्य किस हद तक पूरे हो गए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सीमेंट और कोयले की कमी के कारण राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और दूसरी प्रगति की गति काफी धीमी है और यदि हां, तो सरकार सीमेंट और कोयले की कमी किस प्रकार पूरी करेगी जिससे कि इस नहर के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1981-82 के दौरान राजस्थान नहर परियोजना से सम्बन्धित लाईनिंग कार्य के लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

क्रम संख्या	मद	लक्ष्य*		उपलब्धियां
		प्रारम्भिक	संशोधित	
1.	राजस्थान मुख्य नहर	30 किलोमीटर	27 किलोमीटर	27 किलोमीटर
2.	वितरण प्रणाली	176 किलोमीटर	122 किलोमीटर	119.14 किलोमीटर

*राजस्थान सरकार द्वारा समय पर धनराशि का आवंटन न किए जाने के कारण, लक्ष्य संशोधित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि इस अवधि के दौरान सीमेंट 43,530 मैट्रिक टन और कोयला 52,800 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ है।

वर्ष 1981-82 के दौरान, सीमेंट और कोयले की कमी से राजस्थान नहर परियोजना के लाइनिंग सम्बन्धी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जैसाकि संशोधित लक्ष्यों की तुलना में, उपलब्धियों से स्पष्ट है।

दुग्ध चूर्ण का आयात

8395. **श्री उत्तम राठोर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 से 1981 के दौरान (प्रतिवर्ष) देश में कुल कितनी मात्रा में दुग्ध चूर्ण का आयात किया गया और उसके लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : देश में 1977-78 से 1980-81 (नवम्बर, 1980 तक) के दौरान आयात किये गये दुग्ध चूर्ण की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	(मात्रा मीटरी टनों में)
1977-78	24,779
1978-79	36,698
1979-80	38,376
1980-81 (नवम्बर, 1980 तक)	9,807

मुख्य कारोबार एजेंसी अर्थात भारतीय डेरी निगम द्वारा 1975-76 के बाद स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का कोई वाणिज्यिक आयात नहीं किया गया था। अतः स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के मूल्य के भुगतान का प्रश्न ही नहीं होता।

जलकुम्भी को पशुओं के चारे और बायोगैस के रूप में परिवर्तित करना

8396. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जलकुम्भी को पशुओं के चारे और बायोगैस में बदलने की विधि का विकास किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो देश में यह जलकुम्भी अनुमानतः कितनी मात्रा में उपलब्ध है तथा उपरोक्त प्रणाली का विकास करने के बाद से अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस खोज के अनुसार उसमें से कितनी मात्रा को पशुओं के चारे और बायोगैस के रूप में बदल दिया गया है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने संस्थानों में लागू की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए छठी योजना में सरकार के कोई प्रस्ताव हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

भा० कृ० अ० प० के वैज्ञानिकों ने जलकुम्भी को पशुओं के आहार के लिए प्रयोग करने के तरीके विकसित किये हैं । इसके अलावा जलकुम्भी के प्रयोग पर प्रयोगशाला में प्रारम्भिक कार्य किये गये जिससे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भा० कृ० अ० प० समन्वित बायोगैस प्रायोजना के धारवाड़ केन्द्र में बायोगैस का उत्पादन किया जा सके । ईंधन गैस बनने के लिए खरपतवार को अकेले ही अथवा गोबर के साथ मिलाकर किण्वित किया जा सकता है । इसमें इतनी ही गैस प्राप्त होती है जितनी कि पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है । फिर भी, प्रचलित पौधों में आंशिकरूप से निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के कारण जलकुम्भी आहार के रूप में उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें सड़न पैदा होने की समस्या रहती है ।

जलकुम्भी में 9-12 प्रतिशत कच्चा प्रोटीन होता है । यद्यपि पशु जलकुम्भी को खाते हैं पर यह इतनी स्वादिष्ट नहीं होती । केवल जलकुम्भी खिलाकर पशुओं, भैंसों और सूअरों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाये रखना सम्भव नहीं है । फिर भी, भा० कृ० अ० प० समन्वित प्रायोजना और भा० कृ० अ० प० संस्थानों में किये गये अनुसंधान कार्यों से यह पता चलता है कि कटी हुई हरी जलकुम्भी को गेहूं की भूसी, धान के पुआल और मक्का व ज्वार के तनों में 3 : 1 के अनुपात में मिलाकर दूध न देने वाले वयस्क पशुओं और भैंसों को 100 कि०ग्रा० भार पर 1.5 कि०ग्रा० शुष्क सामग्री की दर से खिलाया जा सकता है । जलकुम्भी को सुखाया जा सकता है और इसे सूखी घास के रूप में बदला जा सकता है जिसे काफी लम्बे समय तक बिना किसी आहार मूल्य की कमी हुए भण्डारित किया जा सकता है । जलकुम्भी चारे को काटकर भूसे व तनों में 1 : 3 और 1 : 4 के अनुपात में मिलाकर और प्रति 100 कि० ग्रा० शरीर भार पर 1 : 4 से 1 : 6 कि० ग्रा० तक शुष्क सामग्री के रूप में खिलाया जा सकता है । हरी जलकुम्भी को भूसे के साथ मिलाकर साइलेज बनाया जा सकता है अथवा कटे हुए धान के पुआल के साथ क्रमश: 7 : 2:1 के अनुपात में मिलाकर मोटे चारे के रूप में पशुओं और भैंसों को खिलाया जा सकता है । इन आहार मिश्रणों के लिए उपयुक्त आहार-सारणियां तैयार की जा चुकी हैं ।

जलकुम्भी को कुट्टी बनाकर, बोलस बनाकर अथवा सुखाकर और पीसकर सूअरों को खिलाया जाता है । शरीर के आकार और बढ़वार की अवस्था के अनुसार जलकुम्भी के सूखे चारे को 100-300 ग्राम प्रति पशु रोजाना दिया जाता है । सबसे अधिक सुविधाजनक, सरल और सस्ती विधि यह है कि हरी पत्तियों को काट लिया जाये और पूरी रात मुरझाने दिया जाये जिससे कि सूखे चारे की मात्रा 6.8 प्र० श० से 10.12 प्र० श० तक बढ़ जाये । इसे वयस्क और बढ़ते हुए सूअरों को खिलाने की प्रक्रिया पर खोज की गयी है ।

(ख) 2 लाख 92 हजार हैक्टर क्षेत्र में 7 करोड़ 30 लाख मी०टन जलकुम्भी उपलब्ध है। इसकी औसत उपज 250 मी० टन प्रति हैक्टर है। जलकुम्भी का पशुओं के आहार में प्रयोग एक नया विचार है और अभी यह भी पता नहीं है कि पशुओं के आहार के रूप में कितना प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार जलकुम्भी से बायोगैस का उत्पादन अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है। देश में एक लाख बायोगैस संयंत्र में अधिकांश गोबर का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) जलकुम्भी को पशु आहार के रूप में प्रयोग करने की प्रौद्योगिकी नयी है और इसके अभी खोज की जानी है। भा० कृ० अ० सं० के संस्थानों में अभी कोई ऐसा बायोगैस संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है जिसमें कि जलकुम्भी का प्रयोग किया जा रहा हो।

(घ) इन तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सिफारिश करने से पहले इनका विशद रूप से खेतों में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जनकपुरी, नई दिल्ली में भूमि का दूसरे रूप में इस्तेमाल करना

8397. **श्री भोकूराम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार (डी० डी० ए०) ने जनकपुरी, नई दिल्ली के ए-2 डी ब्लाक की लगभग 5 एकड़ भूमि का जो मूल रूप में सामूहिक आवास (ग्रुप हाउसिंग) के लिए निर्धारित की गई थी, का दूसरे तौर से इस्तेमाल किया है;

(ख) वे ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा;

(ग) भूमि के प्लाट का अब किन प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(घ) भूमि का विकास करने और ए-2 ब्लाक के लिए आवश्यक सम्पर्क सड़कें/लाइन बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ब्लाक ए-2 डी के अन्तर्गत की भूमि आंशिक रूप से क्लीनिक/अस्पताल के तथा आंशिक रूप से रिहायशी उपयोग में लायी जा रही हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनकपुरी का ब्लाक ए-2 150 फुट चौड़े पंखा रोड़ तथा 100 फुट चौड़ी वृहत योजना सड़क के चौराहा पर स्थित है। इससे ए-2 के सभी ब्लाकों को 80 फुट, 60 फुट तथा 40 फुट चौड़ी सड़कों के माध्यम से उचित सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था है और ये सड़कें 150 फुट चौड़े पंखा रोड़ से जुड़ी हुई हैं।

सामाजिक गृह निर्माण योजनायें

8398. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तैयार की गई ऐसी सामाजिक गृह निर्माण योजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया गया है;

(ख) अन्य सामाजिक गृह निर्माण योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें छठी योजना में पश्चिम बंगाल में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन योजनाओं का ब्योरा क्या है तथा उनके क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्यान्वयन के लिए 9 सामाजिक आवास योजनायें बनाई थीं।

(ख) तथा (ग) यह सूचना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कमला नदी पर तटबंध बनाना

8399. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री कमला नदी पर तटबंध बनाने के लिए भारत नेपाल समझौते के बारे में 15 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3458 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और नेपाल के इन्जीनियरों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण का वर्ष तथा मुख्य विशेषताएं क्या हैं नेपाल के एच० एम० जी० द्वारा दी गई दिनांक का ब्योरा और उस समय बनाई गई अस्थायी परियोजना रिपोर्ट का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या कमला नदी पर सीसपाजी नामक स्थान पर बांध बनाने के प्रश्न की जांच बहुत पहले की गई थी और यह ही बिहार और नेपाल में बाढ़ सूखे तथा बिजली समस्याओं का एकमात्र समाधान है और यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार और नेपाल के इन्जीनियरों द्वारा 1967 के दौरान नेपाल में कमला नदी पर बाढ तटबंध के विस्तार के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। इन आंकड़ों और नेपाल की महामहिम सरकार से 1975 में प्राप्त की गई अन्य सम्बद्ध सूचना के आधार पर, भारत में जयनगर और नेपाल में मिर्चिया के परे कमला नदी द्वारा होने वाले आप्लावन की रोकथाम के लिए एक स्कीम अभी भी बिहार सरकार के विचाराधीन है।

(ख) दोनों देशों के बहुप्रयोजनी लाभ के लिए साझी नदियों पर जल संसाधनों के विकास के प्रस्तावों पर लम्बे समय से दोनों देशों के बीच बातचीत होती रही है। यह फैसला किया गया था कि इस विचार-विमर्श को आगे जारी रखा जाए।

राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में सिंचाई के लिए माही नदी का जल

8400. **श्री जय नारायण रोत** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में सिंचाई के लिए माही नदी का जल लेने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात और राजस्थान के बीच यह समझौता इस बीच कार्यान्वित हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) यह प्रश्न संभवतः राजस्थान और गुजरात के बीच, इन दोनों राज्यों द्वारा माही नदी के जल के उपयोग के बारे में, 1966 में हुए करार के अनुसरण में माही जल से राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है।

राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने जनवरी, 1966 में एक करार किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ, यह व्यवस्था है कि किसी बाद की तारीख को, जब नर्मदा का विकास हो जाता है और जब माही के क्षेत्र नर्मदा के अन्तर्गत आ जायेंगे, तो गुजरात द्वारा राजस्थान में प्रयोग के लिए कडाना के जल के एक भाग को रिलीज कर दिया जाए। तथापि, माही क्षेत्रों में नर्मदा जल के उपयोग के लिए गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना की अपनी परियोजना रिपोर्ट में कोई व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि नर्मदा न्यायाधिकरण ने माही क्षेत्रों के लिए कोई जल आवंटित नहीं किया था। राजस्थान सरकार ने केन्द्र से शिकायत की थी कि गुजरात ने 1966 के करार में हुए समझौते को कार्यान्वित नहीं किया है।

इस वाद-विषय को हल करने के उद्देश्य से, इस मामले पर सिंचाई के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री द्वारा गुजरात और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बुलाई गई एक बैठक में विचार किया गया था, जिसमें यह फैसला किया गया था कि इस मामले की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष होंगे और दोनों राज्यों के मुख्य इन्जीनियर उसके सदस्य होंगे। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में सहकारी चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

8401. **श्री जयराम वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना के लिए एक लाइसेंस स्वीकृत किया गया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः लाइसेंस जारी किए जाने के लिए इसकी सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस मिल की स्थापना के लिए किसानों द्वारा अपने हिस्से की कितनी राशि पहले ही जमा करवा दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था क्योंकि इसे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं पाया गया था।

(घ) बताया जाता है कि इस मिल को स्थापित करने के लिए सोसाइटी ने किसानों से लगभग 11 लाख रुपये की शेयर पूंजी एकत्रित की थी।

वनस्पति घी में विटामिन "ए" मिलाया जाना

8402. **श्री के० ए० राजन** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वनस्पति को डिब्बा बन्द करते समय उसमें विटामिन "ए" को मिलाये जाने को वनस्पति निर्माताओं के लिए अनिवार्य करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह निर्णय इस प्रश्न पर विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात लिया है: और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन समितियों की सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) वनस्पति उत्पादकों के लिए वनस्पति के प्रति ग्राम में विटामिन "ए" के 25 आई० यू० मिलाना बाध्यकर है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रमिक आवासीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

8403. **श्री एन० डेनिस** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रमिक आवासीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इसका उपयोग करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) राज्य क्षेत्र में सामाजिक आवास योजनाओं में से एक योजना औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना है। क्योंकि आवास राज्य विषय है इसलिए इस योजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्यों को "समेकित ऋणी" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। यह किसी योजना विशेष से सम्बन्धित नहीं होती है। केन्द्रीय क्षेत्र योजना अर्थात बागान श्रमिकों की सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत बागान श्रमिकों के लिए आवास के लिए ऋण तथा सहायता मंजूर करने के लिए निधियां राज्य सरकारों को दी जाती हैं। यह योजना 6 राज्यों अर्थात असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लागू है और यह राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों तथा सहायताओं के ब्यौरों का एक विवरण-1 में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा आवास तथा नगर विकास निगम जो भारत सरकार का एक उद्यम है, की एक स्टाफ आवास योजना है। जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में और विश्वविद्यालयों सहित सांविधिक तथा स्थानीय निकाय में सम्मिलित नियोक्ता भी अपने कर्मचारियों के लिए या तो किराये पर देने या आसान किस्तों पर बेचने के लिए मकानों का निर्माण कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र को मंजूर किये गये ऋणों के राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरों का एक विवरण संलग्न (विवरण-2)।

विवरण-1

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1979-80		1980-81		1981-92	
		ऋण	सहायता	ऋण	सहायता	ऋण	सहायता
1.	असम	40.00	22.00	75.00	30.00	36.00	10.00
2.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.00	शून्य
3.	केरल	2.00	10.00	3.00	5.00	शून्य	शून्य
4.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	1.00	शून्य	7.00	5.00
5.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	1.00	शून्य	शून्य	शून्य
6.	पश्चिम बंगाल	68.00	38.00	40.00	25.00	80.00	60.00

विवरण-2

(लाख रुपयों में)

राज्य	1979-80			1980-81			1981-82		
	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एकक	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एकक	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एकक
बिहार	1	0.80	288	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	—	—	—	1	0.31	100	—	—	—
पंजाब	—	—	—	—	—	—	1	0.17	52
राजस्थान	—	—	—	—	—	—	2	0.53	158
पश्चिम बंगाल	—	—	—	1	0.06	12	—	—	—
	1	0.80	288	2	0.37	112	3	070	210

देश में गोबर गैस संयंत्र की क्षमता के बारे में सर्वेक्षण

8404. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद ने देश में गोबर गैस संयंत्रों की क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि संथान ने केवल चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 173 गोबर गैस संयंत्रों के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर भारत मे बायो गैस प्रणाली एक सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान में रिक्त पद

8405. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, प्रशासी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 27,522 मंजूरशुदा पदों की तुलना में 31 दिसम्बर, 1979 को केवल 22,699 व्यक्ति पदों पर थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा साथ ही उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक में इस समय कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) और (ख) प्रश्न में सूचना के वास्तविक स्रोत का उल्लेख न होने के अभाव में, देश में सभी जगह फैले हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में 31 दिसम्बर, 1979 तक (यानी पिछले दो वर्षों से अधिक) स्वीकृत पदों और रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में दिये गये आंकड़ों की पुष्टि करना कठिन है। फिर भी, परिषद के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और खाली पदों की संख्या निम्न प्रकार है :

पदों का वर्ग	मंजूर किए हुए पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	खाली पदों की संख्या
1. वैज्ञानिक	6075	4229	1846
2. तकनीकी	7135	5537	1598
3. प्रशासनिक	4523	4013	510
4. सहायक	93	40	53
5. सपोर्टिंग	10853	9853	1000

वैज्ञानिक संवर्ग में, 1000 से अधिक खाली पद एस-ग्रेड से सम्बद्ध हैं जो कि एक समाप्त होने वाला संवर्ग है।

इन रिक्तियों का सही कारण यह है कि पदों के सृजन, भर्ती और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के बीच काफी समय बीत जाता है। तथापि, संस्थान के निदेशकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वे खाली पदों को शीघ्र ही भरें। अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल से भी अनुरोध किया गया है कि विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को शीघ्र भर्ती करें जोकि उनके उत्तरदायित्व के अन्तर्गत हैं।

गुजरात में भैंसों की नस्ल में सुधार की योजना

8406. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषरूप से मेहसाना जिले में जहां मेहसानी भैंस उपलब्ध है और जिनके लिए राज्य सरकार के 1,500 एकड़ भूमि आवंटित करने को सहमत हो गई है भैंसों की नस्ल में सुधार करने सम्बन्धी योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी;

(ख) क्या गत 2-3 वर्षों से विचाराधीन यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित हो जाएगी; और

(ग) गुजरात के मेहसाना जिले में इसकी कार्यान्विति द्वारा देश में दूध और घी की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) महोदय, यह योजना केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का एक भाग है जिसे छठी योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया जाना है। मुख्य संस्थान और क्षेत्रीय केन्द्रों के स्थान का फैसला करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जैसे ही टास्क फोर्स की सिफारिश प्राप्त हो जाती है, उस पर आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

राज्यों में ग्रामीण विकास एजेंसियां

8 407. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां बनाई हैं;

(ख) क्या इन जिला विकास एजेंसियों को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सर्वेक्षण तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण कार्य सौंपा गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के विभिन्न ग्रामीण समन्वय के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि दी है;

(घ) वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि देने का विचार है; और

(ङ) उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 में किए जाने वाले कार्य का ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां। सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां गठित कर ली गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए निर्माण कार्यों की आयोजना, समन्वय तथा उसकी प्रगति की पुनरीक्षा करने की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सौंपी गई है। इस संबंध में जारी किए गये अन्तिम निदेशों की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3951/82]

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को बटित संसाधनों की स्थिति को दर्शाने वाले विवरण 1 व 2 संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3951/82]

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को कुल 90 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्यों के ब्योरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की मदें में होगी : लघु सिंचाई निर्माण कार्यों का पुनरुद्धार तथा निर्माण, ग्राम पंचायत के तालाबों का पुनरुद्धार तथा निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा उनमें सुधार, हरिजनों की पर्याप्त जनसंख्या वाले गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण, ग्राम पंचायत घरों तथा महिला समिति भवनों का निर्माण तथा उनमें सुधार, नई पौध-रोपण, मत्स्य फार्मों का पुनरुद्धार, भू-संरक्षण कार्य, बाढ़ बचाव बान्धों का निर्माण तथा उनमें सुधार।

दिल्ली में यमुना के जल में प्रदूषण

8408. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली का सारा मल यमुना के जल को प्रदूषित करता है क्योंकि नार्थ ट्रंक सीवर शक्तिनगर के निकट एक नाले में गिरता है जो यमुना में जाकर मिलता है और यदि हां, तो यह नाले में कब से गिर रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि किशनगंज और गुलाबी बाग के निकट बहुत सी सीवर नालियां तथा अन्य नालियां भी इस नाले में गिरती हैं और यह यमुना से जाकर मिलता है; और

(ग) प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम तथा बाढ़ नियन्त्रण विभाग क्या कदम उठा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय तथा मलव्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि उत्तरी दिल्ली के ट्रंक सिविर से कुछ मल पिछले दो वर्षों से इस सिविर के मेनहोल्स के टूटने/फटने के कारण नजफगढ़ नाले में बहता है। यह टूटफूट भारी वर्षा इत्यादि के कारण से हुई बताई गई है।

इस संस्थान ने आगे बताया है कि नजफगढ़ नाले में कुछ मल जल उन क्षेत्रों के बरसाती नालों से भी बहता है जहां अपर्याप्त या कोई निर्यास प्रणाली नहीं है।

(ग) नजफगढ़ नाले में मल/गन्दगी के बहने को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) उत्तरी दिल्ली सीवर की मरमम्त की जा रही है।

(ii) नजफगढ़ नाले में गिरने वाले कुछ गन्दले को माल रोड के निकट ट्रंक सिविर में पम्प से फेंका जा रहा है।

(iii) कुछ बहावे को नजफगढ़ नाले के अन्तिम छोर पर आक्सीकरण तालाबों में पम्प से डाला जाता है तथा उसका शोधन किया जाता है।

(iv) अतिरिक्त बहाव के लिए नजफगढ़ नाले के किनारों पर उत्तरी तथा पश्चिमी दिल्ली में नये ट्रंक सीवर बिछाये जा रहे हैं। पम्पिग स्टेशन और राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर है।

(v) पश्चिमी दिल्ली में एक सहायक सीवर बिछाया जा रहा है।

(vi) रिठाला में सम्बन्धित कार्यों सहित एक पम्पिग स्टेशन और एक नये मल शोधन सन्यन्त्र की भी स्थापना की जा रही है।

छोटे सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को सहायता

8409. श्री बी० आर० नहाटा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 महीने से 28 महीने तक शंकर बछिया पालने के लिए छोटे सीमान्त किसानों को सहायता देने की राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर केन्द्र द्वारा प्रायोगित योजना को पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं में कितने खण्डों में शामिल किया गया था;

(ख) प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के प्रत्येक खण्ड में राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य के कौन से खण्डों में ढाल वाले कुओं के लिए कितनी राज सहायता दी गई और प्रतिवर्ष कितनी राज सहायता दी गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) (क) : राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में शुरू किए गए विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत दोगली किस्म की बछिया पालने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को 1975-76 से 5वीं योजना के दौरान 99 जिलों में 99 परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। छठी योजना अवधि के दौरान भी यह योजना उपयुर्क्त कार्यक्षेत्र के साथ जारी रखी जा रही है। इस योजना का खण्ड-वार प्रबोधन नहीं किया जाता है और ना ही खण्डों के बारे में सूचना रखी जाती है।

(ख) प्रत्येक खण्ड में राज सहायता से सम्बन्धित व्यय के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि निधियां राज्य सरकारों को बंटित की जाती हैं। वर्षवार तथा राज्यवार आवंटनों के आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत देश के सभी खण्ड आते हैं, के अन्तर्गत असफल कुओं के लिए राज सहायता ग्राह्य है। तथापि इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक खण्ड में दी गई राज सहायता के बारे में सूचना का प्रबोधन अलग से नहीं किया जाता है।

विवरण

केवल केन्द्रीय अंश (लाख रुपए में) वर्ष के दौरान बंटित धनराशि

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.00	0.92	19.46	20.75	11.20	10.00	11.65
2.	असम	1.00	—	5.00	1.00	8.91	5.87	0.87
3.	बिहार	4.50	0.50	7.50	2.00	1 00	3.50	1.00
4.	गुजरात	—	1.00	5.00	3 00	2.50	0.10	5.00
5.	हरियाणा	2.00	8.00	12.50	4.00	26.65	8.86	7.14
6.	हिमाचल प्रदेश	2.00	—	2.50	4.00	1.50	1.00	3.50
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	3.52	1.00	4.00	7.12	7.42
8.	केरल	2.00	0.49	5.50	37 00	34.03	32.52	31.00
9.	कर्नाटक	4.50	—	9.50	15.00	22.16	12.00	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	3.00	—	6.32	15.00	22.61	9.50	22.50

1 2	3	4	5	6	7	8	9
11. महाराष्ट्र	—	2.00	1.00	4.00	8.82	7.03	6.71
12. मणिपुर	0.50	—	0.50	—	0.25	1.00	0.50
13. मेघालय	3.50	1.00	0.25	1.00	2.00	शून्य	0.50
14. नागालैंड	0.795	0.60	1.25	6.00	2.00	2.62	7.97
15. उड़ीसा	—	1.50	11.00	23.00	16.62	17.51	17.67
16. पंजाब	3.00	8.00	12.97	9.00	17.13	11.89	12.52
17. राजस्थान	2.00	—	15.50	5.00	10.00	5.98	16.00
18. तमिलनाडु	—	3.50	20.50	26.00	39.38	23.14	31.24
19. त्रिपुरा	0.50	1.00	1.50	0.25	8.00	2.00	11.00
20. उत्तर प्रदेश	—	0.69	7.50	82.00	17.50	शून्य	शून्य
21. पश्चिम बंगाल	—	10.00	11.23	27.00	12.50	7.39	7.00
22. गोवा	—	—	3.50	3.00	1.75	2.00	शून्य
23. दिल्ली	—	—	1.00	1.00	—	शून्य	0.25
24. पाण्डिचेरी	—	—	3.00	2.00	2.00	5.39	6.74
योग :	32.295	39.20	167.50	292.00	272.51	176.08	208.18

देश में केन्द्र सरकार की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

8410. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ लोगों ने केन्द्र सरकार की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार उक्त अनधिकृत कब्जे खाली कराने के लिए राज्य सरकारों को परिपत्र भेज रही है अथवा भेज चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि बेदखली सम्बन्धी खर्च केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे हैं और उन लोगों से वसूल नहीं किए जा रहे जिनसे उनके कब्जे के अधीन वाली सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है; और

(ङ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर केन्द्र सरकार की जमीन अनधिकृत कब्जे में है और यह बात सरकार के ध्यान में कब आई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां । किन्तु केन्द्रीय सरकार की भूमि पर विद्यमान अनधिकृत कब्जे के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) राज्य सरकारों को कोई आम परिपत्र नहीं भेजे जाते हैं, तथापि, विशिष्ट मामलों में राज्य सरकार की जो कुछ भी सहायता आवश्यक पाई जाती है, उनसे उन मामलों को उठाया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार कोई बेदखली सम्बन्धी खर्च नहीं कर रही है । तथापि, बृहत बम्बई में, अनधिकृत गणना किए गए हैटमैन्टों के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकारी भूमि से हटाया गया है, अनधिकृत दखलकारों को वैकल्पिक स्थलों पर पुनः बसाने के लिए राज्य सरकार को अनुदान देने का निर्णय किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर वसूल किए जाने की तुलना में वसूली मूल्य

8411. **श्री रामविलास पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वह उन राज्य सरकारों से, जो धान के लिए केन्द्र द्वारा निश्चित मूल्य की तुलना में अधिक वसूली मूल्य देती हैं, ऋणों पर ब्याज की सामान्य दर की तुलना में अधिक दर वसुल करें;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) धान की वसूली पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारत सरकार विभिन्न संगत बातों को ध्यान में रखकर खाद्यान्नों के वसूली मूल्य निर्धारित करती है और ये सभी राज्यों को समान रूप से लागू होते हैं । केन्द्र द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद्यान्नों की वसूली करना समूचे राष्ट्र के हित में नहीं है क्योंकि इससे सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है; इसका परोक्ष रूप से यह परिणाम होता है कि स्थानीय मूल्य स्तर में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से अधिक मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किए जाते हैं ।

जिन राज्यों ने वर्तमान खरीफ मौसम 1981-82 के लिए केन्द्र द्वारा धान के निर्धारित किए गए मूल्यों से या तो राजसहायता, बोनस अथवा परिवहन लागत के रूप में अधिक वसूली

मूल्यों की घोषणा की है उन्हें 12.5 प्रतिशत की रियायती दर के ब्याज की बजाए 19.5 प्रतिशत की वाणिज्यिक दर पर ब्याज अदा करना होगा और कुछ राज्य सरकारों ने 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण के लिए अनुरोध किया है।

(ग) वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान वसूली की रफ्तार पिछले मौसम की तुलना में बेहतर है क्योंकि 14-4-1982 तक चावल की वसूली 64.30 लाख मीटरी टन हुई बतायी जाती है जबकि पिछले मौसम में उसी अवधि के दौरान 50.28 लाख मीटरी टन की वसूली हुई थी।

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी

8412. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी भवनों में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि की गई है, यदि हां, तो दैनिक मजदूरी की प्रतिदिन की दर क्या होगी और पुनरीक्षित दर किस तारीख से लागू होगी;

(ख) क्या इसमें और वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या महीने के दौरान छुट्टियों के लिए मजदूरी देने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अकुशल दैनिक मजदूरों को मजदूरी की दर 1-1-1980 से 9 रु० 25 पै० है।

(ख) और संशोधन, श्रम मन्त्रालय के विचाराधीन हैं।

(ग) दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों के मामले में 3 राष्ट्रीय छुट्टियों को सवेतन छुट्टियां माना जाता है।

एन० बी० सी० सी० में सहायकों की नियुक्ति

8413. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एन० बी० सी० सी० में 2 से 14 मार्च, 1982 तक 330-560 रुपये के वेतनमान में (ग्रेड दो लेखों) के कार्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार किये गये थे;

(ख) कितने अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया;

(ग) क्या चयन पूर्णतया अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय दिये गये कार्यकरण के आधार पर था; और

(घ) चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। 1 से 14 मार्च, 1982 तक (7,9,10 और 13 मार्च, 1982 को छोड़कर) साक्षात्कार लिया गया था।

(ख) 1225 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

(ग) तथा (घ) साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर ही नहीं अपितु उम्मीदवारों की अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर यह चयन किया गया था। सरकारी अनुदेशों के अनुसार शिथिल मानकों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार लिया गया था।

उड़ीसा में महानदी मुहाना सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पानी जमा हो जाना

8414. श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उड़ीसा में महानदी मुहाना सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पानी जमा हो जाने के कारण भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कार्यवाही करने अथवा पानी जमा होने से भूमि को बचाने तथा उड़ीसा के इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा कोई विशिष्ट रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध नहीं की गई। तथापि, राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के कारण कुछ क्षेत्र जल-जमाव से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि डेल्टा सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, कुछ जल निकास सुधार सम्बन्धी निर्माण-कार्य क्रियान्वित किए गए हैं। महानदी बराज परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, राज्य सरकार द्वारा डेल्टा क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण जलनिकास सम्बन्धी व्यापक योजना तैयार करने और चुनी हुई जल निकास स्कीमों को क्रियान्वित करने का काम हाथ मे लिए जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास के लिये स्वयंसेवी संगठनों को दिया गया अनुदान

8415. श्री पीयूष तिरकी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए अनुदान के रूप में राज्यवार कितनी राशि दी गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल के चार पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए कितने स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को इनके लिए सहायता दी जाती है—(1) स्वैच्छिक तथा सामाजिक कार्यवाही कार्यक्रम को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत जन सहयोग की प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करना; तथा (2) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना। इस मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को 27,70,781.00 रुपए की धनराशि दी गई है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) यह विषय पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बन्धित है अत: अनिवार्य सूचना उनके पास उपलब्ध होगी। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण बाजारों के विकास आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार समान आधार पर सहायता उपलब्ध है।

(ग) पश्चिम बंगाल में उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्हें गत तीन वर्षों में अनुदानों के रूप में सहायता दी गयी है, ग्यारह है।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों, जिन्हें ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए निधियां बंटित की गई हैं, की राज्यवार सूची

(क) स्वैच्छिक योजना और सामाजिक कार्यवाही कार्यक्रम को प्रोत्साहन

राज्य	स्वैच्छिक संगठनों के नाम	बंटित धनराशि (रुपये में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1. भागवतुल्ला धर्मार्थ ट्रस्ट, यलमानवेली	9,896.00
बिहार	2. अखिल भारतीय पंचायत परिषद, दिल्ली (जिला नालन्दा, बिहार में शुरू की गई परियोजना)	5,015.00
दिल्ली	3. अखिल भारतीय पंचायत-परिषद, दिल्ली	34,984.00
महाराष्ट्र	4. सांस्कृतिक कार्य संस्थान, औरंगाबाद	28,500.00
	5. —यथोपरि—	24,580.00

1	2	3
मणिपुर	6. मणिपुर ग्रामीण संस्थान का ग्रामीण शिक्षा केन्द्र	25,000.00
तमिलनाडु	7. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बतूर	18 050.00
उत्तर प्रदेश	8. बाल कल्याण तथा अनुसंधान ब्यूरो, लखनऊ	25,000.00
पश्चिम बंगाल	9. संगठनी दक्षिण छात्र, 24-परगना	24,754.00
	10. सेवा संघ, कन्टफुली, 24-परगना	17,000.00
	11. ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक एजेन्सियों की एसोसिएशन, नई दिल्ली	8,000.00
	योग	2,20,779.00
	1980-81	
असम	1. अखिल भारतीय पंचायत परिषद, दिल्ली (असम में शुरू किया गया कार्य)	50,000.00
	2. दयानन्द सेवाश्रम संघ, बोखाजान	23,290.00
गुजरात	3. अखिल भारतीय पंचायत परिषद, दिल्ली (खंडोसन, गुजरात में शुरू की गई परियोजना)	24,700.00
	4. विद्या उत्तेजक मंडल, अजाल, मेहसाना	25,000,00
	5. ग्राम सेवा मंडल, मन्सा (मेहसाना)	25,000.00
	6. नवचेतन प्रगति मंडल, वेराबार	11,875.00
	7. मानकपुर केलवानी मंडल, मानकपुर	18,750.00
	8. पांडु मेवास विकास एजेंसी, गुजरात	24,750.00
	9. ग्राम विकास मंडल, पलियाड	25,000.00
कर्नाटक	10. श्री त्रिलिनगेश्वर विद्यावर्धक समिति, मुदोल, रायचूर	25,000.00
	11. महेश्वरी विद्यावर्धक समिति, इटागी	25,000.00

1	2	3
मणिपुर	12. ग्रामीण विकास संगठन, लामसांग बाजार, मणिपुर	25,000.00
महाराष्ट्र	13. सांस्कृतिक कार्य संस्थान, बम्बई	24,580.00
तमिलनाडु	14. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बतूर	25,000.00
उत्तर प्रदेश	15. मुंशी जमुनाप्रसाद ट्रस्ट, नई दिल्ली (उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया कार्य)	25,000.00
	16. बाल कल्याण तथा अनुसन्धान ब्यूरो, लखनऊ	25,000.00
पश्चिम बंगाल	17. श्री रामकृष्ण-आनन्द आश्रम, करबेरिया	12,500.00
	18. बनी मन्दिर, खोरदानाला	25,000.00
	19. आनन्द भवन, हावड़ा, जगतपुर	17,000.00
	20. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघ, कलकत्ता	36,000.00
	21. गुरपोल अरुणदोय संघ, हावड़ा	17,000.00
	22. सोनताला मिलन संघ, हावड़ा	23,025.00
	23. बाल खेल-कूद क्लब, गोंडालपाड़ा (पश्चिम बंगाल)	21,500.00
	24. सेवा भारतीय कृषि विज्ञान केन्द्र, कापागरी	20,875.00
	25. संगठनी, कलकत्ता	24,754.00
	योग	6,00,599.00

1981-82

असम	1. दयानन्द सेवाश्रम संघ, बोखाजान	23,290.00
दिल्ली	2. अखिल भारतीय पंचायत परिषद, दिल्ली	24,984.00
गुजरात	3. श्री विद्या उत्तेजक, मजोल, ताल विजयपुर	25,000.00
	4. पांडु मेवास विकास एजेंसी, बड़ौदा	24,750.00

1	2	3
	5. ग्राम विकास मंडल, पलियाड	25,000.00
	6. मानकपुर केलवानी मंडल, मेहसाना	18,750.00
	7. ग्राम सेवा मंडल, मन्सा, जिला मेहसाना	25,000.00
	8. श्री नवचेतन प्रगति मंडल, वेराबार	18,225.00
	9. खखारी विभाग विकास एजेन्सी, नादन	25,000.00
	10. श्री भाजपुरा विकास मंडल, भाजपुर पो० ओ०	23,250.00
	11. श्री नवचेतन प्रगति मंडल, वेराबर	31 350.00
	12. श्री युवक मंडल शेरपुर, साबरकण्ठा	23,250.00
	13. शेरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड शेरपुर	23,750.00
	14. सोंगध विकास योजना, पो० आ० बन्धरपद, सूरत	25,000.00
	15. श्री कृपाली सेवा समिति, मालव	25,000.00
	16. अम्बिका नवयुवक मंडल, कावा	23,250.00
	17. श्री वादु जुथ केलवाली मंडल, मेहसाना	25,000.00
	18. भाल नलकंठा ग्रामोद्योगिक संघ, धोहलका	25,000.00
	19. श्री विद्या उत्तेजक मंडल, आजोल	25,000.00
	20. अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, दिल्ली (खादोसन, गुजरात में शुरू किया गया कार्य)	20,800.00
	21. ग्राम्य विकास मंडल, पालिदा	25,000.00
	22. लोक विद्यालय, वालुकद	18,100.00
हरियाणा	23. आर्या कन्या गुरुकुल सभा, पाधा	6,910.00
	24. दयानन्द सेवा सदन, करनाल	20,250.00
मणिपुर	25. वांगजिंग महिला तथा कन्या सोसायटी, मणिपुर	20,350.00

1	2	3
तमिलनाडु	26. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बतूर	19,692.00
उत्तर प्रदेश	27. छारा शिक्षा सदन, छारा, अलीगढ़	23,050
पश्चिम बंगाल	28. सोनताला मिलन संघ, जिला हावड़ा	23,025.00
	29. बाल खेलकूद क्लब, हावड़ा	21,500.00
	30. श्री रामाकृष्णा आनन्द आश्रम, 24 परगना	12,500.00
	31. संगठनी दिक्षन छात्र, 24 परगना (3 परियोजनाओं के लिए)	75,000.00
	32. अगरमती, कालीकट, पो० आ० राषपुर हावड़ा	17,000.00
	योग :	7,63,026.00

कुल योग (1979-80 से 1981-82)=

रुपये : 15,84,404.00

(ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना

राज्य	स्वैच्छिक एजेन्सियों के नाम व पते 1979-80	दी गई सहायता (रुपये)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	(1) भागवतुल्ला धर्मार्थ ट्रस्ट, ओरुगातिवारी स्ट्रीट, येलामनचिल्ली—531055	37,500
	(2) समुचित पुनर्निर्माण प्रशिक्षण तथा सूचना केन्द्र, शेषाद्रिरी राव स्ट्रीट, मारुति नयर, विजयवाड़ा	3,500
	योग	41,000

1	2	3
	1980-81	
(क) आन्ध्र प्रदेश	(1) ग्रामीण कोशकीटपालन उद्योग के विकास के लिए सोसायटी, तिरुपति	7,500
	(2) श्री वेंकट सुब्बा रेड्डी मेमोरियल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थम्बालापल्ली, 16-612, गांधी रोड, मदनापोली, जिला चित्तौड़	87,500
(ख) कर्नाटक	(1) कर्नाटक प्रौढ़ शिक्षा परिषद्, शिवसगुंडा, मंडया	15,000
	(2) महिला विद्यापीठ, बेनगिरी	5,875
	(3) सर्वोदय केन्द्र, विश्वनीड़म	8,250
	(4) कर्नाटक प्रौढ़ शिक्षा परिषद्, नवलगिरी, उलारकेन-काड़ा	15,000
(ग) पंजाब	(1) महिला मंडल, रूपनगर	36,225
	(2) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, शरीफपुरा चौक, जी० टी० रोड	48,500
(घ) राजस्थान	(1) राजस्थान विद्यापीठ जनता कालेज, पो०आ० बबूक, जिला उदयपुर	36,000
	(2) सामाजिक कार्य तथा अनुसन्धान केन्द्र, तिलोनिया-305812, मदनगंज, अजमेर	27,500
(ङ) पाण्डिचेरी	(1) सावित्री देवी छेदीलाल बेकरी कामराज सलाई, पाण्डिचेरी	600
	(2) सेनगजुनीरमन नालेना मधार संगम, 3/8 ओनिपकारा स्ट्रीट, आरयन कुप्पम पाण्डिचेरी	2,000
	(3) पुनीथरथी मदर संगम, रामकृष्ण नगर, आरयकुप्पम	2,000
	(4) अनबरारी मदम संगम नेसवरनकोली स्ट्रीट, ओवलगेमिट, पाण्डिचेरी	2,000
	योग	2,93,950

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1. मुकर्रम जाह, ग्राम विकास सोसायटी, हैदराबाद	1,12,625
	2. इन्दिरा गांधी बन्धुआ मजदूर चमड़ा सामान निर्माता औद्योगिक सहकारी सोसायटी, बेंकटापुरम, अनन्तपुर	2,500
	3. भगवतुल्ला धर्मार्थ ट्रस्ट, बेलमाउचली, विशाखापत्तनम जिला	37,500
असम	1. मोमन सेवाश्रम, मोमन पो० ओ० बोको, कामरूप	16,045
	2. ग्रामलोक सेवा संघ, धमधमा, कामरूप	34,625
	3. रानी सरोजबाला नारी समिति, गौरीपुर	1,31,537
बिहार	सर्वोदय आश्रम रानी पतरा, जिला पूर्णिया	59,000
हिमाचल प्रदेश	संज्ञा चोकिंग तिबत्तन बुद्धिस्त सोसायटी, संगराली शिमला-6	77,000
कर्नाटक	1. अवकामहादेव महिला सहकारा संघ, रंगासमुद्र, पवगादा	2,287
	2. परसपारा महिला सहकारा संघ, पवगाडा	2,287
	3. कस्तूरबा महिला सेवा संघ, हिरेहाली	12,500
	4. शारदा महिला मंडल, यादियार	8,750
	5. वनिता महिला समाज, उरदियार तेम्बूर	1,000
	6. सर्वोदय केन्द्र, विश्वनीलम	8,250
नागालैंड	चाकसंघ महिला कल्याण सोसायटी, टो० छेकरी, पुतसरो	6,250
पंजाब	महिला मंडल, तेजपुर	36,250
राजस्थान	1. लोक शिक्षण संस्थान, जयपुर	23,722
	2. सामाजिक कार्य अनुसंधान केन्द्र, घंटाली	27,250

1	2	3
	3. लोक सेवा समिति, जेलहाना, पी० एस० पिसांगन जिला अजमेर	13,500
	4. बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण संघ, बीकानेर	38,250
	5. जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति, गुमानपुरा कोटा	12,575
	6. अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, अजमेर	7,354
	7. जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर	53,750
उत्तर प्रदेश	1. फिरोज गांधी पोलीटैक्निक, राय बरेली	79,875
	2. श्री सिद्धा भवानी आश्रम, बिसालपुर, जिला पीलीभीत	46,745
	योग	8,51,427

महायोग (1979-80 से 1981-82) रुपये 11,86,377

सारांश : सूची (क) रुपये 15,84,404.00
सूची (ख) रुपये 11,86,377.00

योग रुपये 27,70,781.00

उड़ीसा में नारियल उत्पादन का विकास

8416. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में औद्योगिकी विकास के जरिए सरकार ने राज्य में नारियल उत्पाद के विकास के लिए "पैकेज कार्यक्रम" क्रियान्वित करने का विचार किया है और यदि हां, तो इस पैकेज कार्यक्रम का ब्योरा क्या है;

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने यह योजना कब भेजी थी अथवा उनके मन्त्रालय ने इस योजना को कब मंजूरी दी थी और केन्द्र ने अनुमोदित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस योजना की क्रियान्वित के बाद राज्य में नारियल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि भारत सरकार, उड़ीसा में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं पहले ही मंजूर कर चुकी हैं :

1. नारियल पर पैकेज कार्यक्रम

2. नारियल की टी×डी संकर पौद का उत्पादन और वितरण,

3. डी×टी संकर किस्मों के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यानों की स्थापना ।

इन योजनाओं के अलावा, नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 1982-83 से उड़ीसा के लिए नारियल के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव किया है :

1. नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र-विस्तार की परियोजना ।

2. उड़ीसा में नहरी तटबन्धों पर नारियल की वृक्षारोपण परियोजना ।

3. नारियल की बढ़िया किस्म की पौद के उत्पादन की परियोजना ।

4. प्राथमिक परिसंस्करण और विपणन कार्यों के सम्बर्द्धन के लिए नारियल उत्पादकों को सहकारी संगठनों की स्थापना सम्बन्धी परियोजना ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

8417. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू होने के बाद इस कार्यक्रम में वर्षवार और राज्यवार कितने राज्यों और प्रत्येक राज्य कितने ब्लाकों को शामिल किया गया;

(ख) केन्द्रीय सहायता से इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य ने कुल कितना व्यय-वहन किया और इस कार्यक्रम से प्रत्येक राज्य में कुल कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या अपेक्षित सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण विशेष तौर पर उड़ीसा राज्य में जहां कुएं खोदने का कार्यक्रम बुरी तरह रुका पड़ा है, पर विशेष जोर देते हुए इस कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1981 में राज्य को सीमेंट की कितनी मांग थी और केन्द्र ने कितना आवंटित किया तथा राज्य में कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु क्या केन्द्र ने और आवंटन करने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम): (क) एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) विवरण 2 तथा 3 संलग्न हैं ।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को सहायता देने हेतु प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सक्षम किसी भी परियोजना को शुरू किया जा सकता है। कुओं की खुदाई भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई मदों में से एक है अतः सीमेंट की अनुपलब्धता इस कार्यक्रम में मुख्य अड़चन नहीं रही हैं।

(घ) उड़ीसा की 2.5 लाख मीटरी टन सीमेंट की त्रैमासिक मांग के मुकाबले में केन्द्र सरकार ने 1981 के दौरान उड़ीसा को 4.084 लाख मीटरी टन सीमेंट आवंटित किया था। वास्तविक रूप में 3.267 लाख मीटरी टन मात्रा जारी की गई।

विवरण 1

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन अन्तर्गत लिए गए खण्डों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81 व 1981-82
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	174	190	324
2.	असम	54	69	134
3.	बिहार	310	325	587
4.	गुजरात	100	103	218
5.	हरियाणा	48	57	88
6.	हिमाचल प्रदेश	29	50	69
7.	जम्मू और काश्मीर	40	42	75
8.	कर्नाटक	91	103	175
9.	केरल	58	63	144
10.	मध्य प्रदेश	184	212	458
11.	महाराष्ट्र	127	133	296
12.	मणिपुर	11	12	26
13.	मेघालय	10	11	24
14.	नागालैंड	13	13	21

1	2	3	4	5
15.	उड़ीसा	127	131	314
16.	पंजाब	56	71	117
17.	राजस्थान	112	122	232
18.	सिक्किम	2	2	4
19.	तमिलनाडु	161	187	377
20.	त्रिपुरा	7	8	17
21.	उत्तर प्रदेश	384	476	876
22.	पश्चिम बंगाल	169	182	335
	केन्द्र शासित क्षेत्र			
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2	2	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	48
25.	चण्डीगढ़	1	1	1
26.	दादरा तथा नगर हवेली	1	1	1
27.	दिल्ली	3	3	5
28.	गोवा, दमन और दीव	7	7	12
29.	लक्ष्यद्वीप	2	2	5
30.	मिजोरम	5	10	20
31.	पाण्डिचेरी	2	2	10
	अखिल भारत	2300	2600	5011

नोट : 2-10-1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी विकास खण्डों में कर दिया गया है।

विवरण-2

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1978-79	1979-80*	1980-81*	1981-82*	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	411.74	714.00	1656.07	1209.18	3990.99
2.	असम	2.37	30.44	27.25	145.66	205.72
3.	बिहार	201.62	389.66	1034.77	1669.71	3295.76
4.	गुजरात	140.65	323.96	842.56	382.72	1689.89
5.	हरियाणा	83.82	143.91	356.28	152.67	736.68
6.	हिमाचल प्रदेश	25.89	58.51	107.12	85.60	277.12
7.	जम्मू तथा काश्मीर	14.66	28.85	37.42	3.04	83.97
8.	कर्नाटक	77.54	186.92	956.13	558.40	1778.99
9.	केरल	161.56	177.15	460.27	164.93	963.91
10.	मध्य प्रदेश	346.78	574.02	1356.00	1001.34	3278.14
11.	महाराष्ट्र	391.59	543.85	1272.11	447.50	2655.05
12.	मणिपुर	असूचित	37.99	32.50	—	70.49
13.	मेघालय	12.20	9.15	38.58	25.01	84.94
14.	नागालैण्ड	32.19	132.02	150.27	7.07	319.55
15.	उड़ीसा	198.60	302.90	322.68	587.65	1411.83
16.	पंजाब	199.19	158.11	647.66	450.97	1455.83
17.	राजस्थान	87.24	387.08	1078.38	745.90	2298.60
18.	सिक्किम	5.04	0.09	3.76	2.87	11.76
19.	तमिलनाडु	394.26	610.63	1420.80	1593.64	4019.33

1	2	3	4	5	6	7
20.	त्रिपुरा	16.64	44.53	90.33	41.37	192.87
21.	उत्तर प्रदेश	437.20	2010.20	2823.84	2155.52	7426.76
22.	पश्चिम बंगाल	असूचित	0.05	224.36	3.46	227.87
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	अप्राप्य	अप्राप्य	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	असूचित	4.96	90.68	95.64
25.	चण्डीगढ़	—	2.00	अप्राप्य	—	2.00
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	अप्राप्य	—	—
27.	दिल्ली	3.09	8.08	23.94	4.71	39.42
28.	गोवा, दमन तथा दीव	13.87	7.38	60.75	45.85	127.85
29.	लक्षद्वीप	—	—	अप्राप्य	—	—
30.	मिजोरम	6.50	3.45	अप्राप्य	—	9.95
31.	पाण्डिचेरी	2.49	0.69	16.11	—	19.29
	अखिल भारत	3266.73	6585.62	15044.90	11573.35	36770.60

वर्ष 1981-82 के लिए सूचना राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से 31 दिसम्बर, 1981 तक विभिन्न अवधियों के लिए उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार है ।

*कुल व्यय में राज्य का 50 प्रतिशत अंश भी शामिल है ।

विवरण-3

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगी

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82*	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	97812	116442	147962	106335*	468551
2.	असम	450	9031	5594	8977	24052
3.	बिहार	1200	94089	138956	108183	342428
4.	गुजरात	24634	43337	74261	39205	181437
5.	हरियाणा	20825	23541	52700	15597	112663
6.	हिमाचल प्रदेश	5550	35404	48090	9182	98226
7.	जम्मू तथा काश्मीर	2787	2631	9357	1666	16441
8.	कर्नाटक	40225	41945	63906	34646	180722
9.	केरल	30118	41697	33510	27958	133283
10.	मध्य प्रदेश	61905	57686	135598	89951	345140
11.	महाराष्ट्र	74168	69513	85414	55735	284830
12.	मणिपुर	असूचित	11181	2768	—	13949
13.	मेघालय	2431	1214	5267	1099	10011
14.	नागालैण्ड	4531	11745	16721	—	32997
15.	उड़ीसा	42962	61037	101780	53263	259042
16.	पंजाब	14669	34642	102694	44606	196611
17.	राजस्थान	9961	47865	155232	29280	242338
18.	सिक्किम	539	25	29	86	679
19.	तमिलनाडु	102976	157821	219680	291567	772044
20.	त्रिपुरा	3862	8314	11006	5812	28994

1 2	3	4	5	6	7
21. उत्तर प्रदेश	76768	599411	1310916	132000	2119095
22. पश्चिम बंगाल	असूचित	2667	37415	104	40186
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	480	—	10274	10754
25. चण्डीगढ़	—	71	—	—	71
26. दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—	—	—
27. दिल्ली	1442	915	4259	267	6883
28. गोवा, दमन तथा दीव	—	2464	12426	1033	15921
29. लक्षद्वीप	3630	—	—	—	3630
30. मिजोरम	200	115	—	—	315
31. पाण्डिचेरी	443	167	272	—	882
अखिल भारत	624288	1475448	2775613	1066826	5942175

*यह जुलाई से दिसम्बर, 1981 के बीच की विभिन्न अवधियों के लिए है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सीमेंट के बोरों का जारी किया जाना

8418. **श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ ठेकेदारों को उनकी अधिकारिता से हजारों बोरे सीमेंट अधिक जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अधिक सीमेंट बोरों का मूल्य ठेकेदारों से किस दर से लिया गया है और क्या इस सम्बन्ध में नियमों का उल्लंघन किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर का कारोबार बढ़ाने का कार्यक्रम

4819. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सहकारिता के क्षेत्र में दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर का कारोबार बढ़ाने का कोई कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास योजना क्या है;

(ग) उन पुनर्वास योजना को लागू करने के लिए वर्ष 1982-83 में कितनी राशि निर्धारित की है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) व (ख) दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार लि०, नई दिल्ली की पुनर्स्थापना के लिए दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । इस योजना में, व्यापार में विविधता लाने तथा बिक्री सुधारने के लिए भण्डार को सहायता देने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) व (घ) इस योजना के अन्तर्गत 16 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है, यह सहायता 50 प्रतिशत अंशपूंजी और शेष ऋण के रूप में होगी । इस सहायता में से दिल्ली प्रशासन 1981-82 के दौरान 5 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त कर चुका है । शेष राशि को वर्ष 1982-83 के दौरान निर्मुक्त करने का प्रस्ताव है ।

खाद्यान्न, सब्जियों और फल बाजार के विकास हेतु वृहद प्लान

8420. श्री के० प्रधानी : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने राज्य में अनाज, सब्जी और फल बाजार के विकास के लिए किसी वृहद योजना का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन राज्यों में ऐसी वृहद योजना तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए, कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों की वृहद योजना को क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या मार्गदर्शी-निर्देश भेजे गए हैं;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) किसी भी राज्य ने खाद्यान्न, सब्जियों और फल बाजार के विकास हेतु कोई भी वृहद योजना इस मंत्रालय को नहीं भेजी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आनुवंशिकी इन्जीनियरी में प्रगति

8421. श्री राजेश पायलट : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आनुवंशिकी इन्जीनियरी में उत्साहवर्धक फौधों/फसलों में हुई तीव्र प्रगति की जानकारी है जो (उर्वरकों की आवश्यकता के बिना) सीधे हवा से नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में प्रोत्साहन देने तथा परीक्षण करने एवं खेतों में प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले एक दशक के दौरान, पूरे संसार में जीव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन सम्भावनाओं से पूर्णतः सचेत है तथा अपने अनुसंधान संस्थानों को इस क्षेत्र के अनुसंधान कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है । इस क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ अनुसंधान कार्यक्रमों में पहले से ही प्रगति जारी है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की दक्षता के सुधार के लिए कुछ बुनियादी अध्ययनों में ये शामिल हैं :

(1) नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में शामिल इन्जाइम में नियंत्रण पर अध्ययन;

(2) अधिकतम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आदर्श पद्धति के रूप में कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म-जीव का उपयोग करके आनुवंशिक परिचालन का मानकीकरण;

(3) बैक्टीरिया से निफ जेनीस को स्थानान्तरित करने के लिए परपोषी पदार्थों के रूप में उसी को प्रयोग में लाने के उद्देश्य से पौध प्रोटोप्लास्ट को पृथक करना और उसकी खेती करना;

(4) प्लासमिड्स के व्यवहार की प्रकृति को समझने के लिए जो एक बैक्टेरिया से दूसरी बैक्टेरिया और बैक्टेरिया से बड़े पौधों में नीफ जेनीस के स्थानान्तरण के रोगवाहक या एजेन्ट या वाहन के रूप में कार्य कर सकता है, पर अध्ययन करना ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में मुख्य कार्मिक एवम् प्रशासनिक प्रबन्धक तथा सचिव का पद

8422. श्री अहमद एम० पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि मुख्य कार्मिक एवं प्रशासनिक प्रबन्धक तथा सचिव के पद को दो अलग-अलग पदों में विभक्त कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था;

(ग) क्या यह निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 15-12-1980

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा उपर्युक्त पदों के लिए चुने गए अलग-अलग अधिकारी (अधिकारियों) को छोड़ना सरकार के लिए संभव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को नया चयन करने की सलाह दी गई है।

भारतीय बीज निगम का प्रचार एकक

8423. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बीज निगम के प्रचार एकक का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रचार पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) भारतीय बीज निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, प्रत्येक भाषा के किन-किन दैनिक पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए; और

(ग) भारतीय बीज निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण प्रचार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम के प्रचार एकक के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

1. जन-सम्पर्क अधिकारी	1
2. सम्पादक	1
3. व्यवसाय सम्पादक	1
4. सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी	1
5. प्रचार सहायक एवं कलाकार	1
6. सहायक	1

उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एकक को आवश्यक सचिवीय और लिपिकीय सहायता भी उपलब्ध करायी गई है।

प्रचार के सम्बन्ध में निगम द्वारा किये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	धनराशि
1978-79	2,63,595.00
1979-80	2,47,641.00
1980-81	3,01 201.00

(ख) विज्ञापन के प्रयोजन के लिए वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रयोग किए गए दैनिक और आवधिक समाचार पत्रों के वर्षवार और भाषावार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः अनुबंध-1 (क, ख और ग) और अनुबंध-2 (क, ख और ग) में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्य एल० टी० 3952/82**]

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिए निगम सरकारी संचार माध्यमों अर्थात् रेडियो और दूरदर्शन का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहा है। समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों, विशेष होर्डिंग दीवारों पर चित्रकारी और बसों की पट्टियों पर विज्ञापनों की व्यवस्था करने जैसे अन्य माध्यमों का प्रयोग करने के अलावा कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेलों और प्रदर्शनियों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा लगाए जाने वाले फील्ड दिवसों का भी राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसानों में प्रचार-प्रसार किया जा सके।

•

ग्रामीण पुनर्निर्माण

8424. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन यूनिटों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन के लिए वर्ष-वार, भाषा-वार, और राज्य-वार, और यूनिटों द्वारा यूनिट-वार तथा एजेंसी-वार कौन-कौन से नये दैनिक पत्रों तथा पत्रिकाओं का उपयोग किया गया; और

(ग) इन यूनिटों द्वारा यूनिट-वार तथा एजेंसी-वार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इन यूनिटों तथा एजेंसियों के कार्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केवल एक ही सरकारी क्षेत्र का उपक्रम—केला तथा फल विकास निगम है जिसे बन्द किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन

भारतीत विकास लोक कार्यक्रम, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद नामक दो पंजीकृत सोसायटियां भी हैं जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) केला तथा फल विकास निगम ने कार्य करना बन्द कर दिया है तथा यह कोई व्यावसायिक कार्य नहीं कर रहो है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं में लगे शीर्ष व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, अनुसन्धान अध्ययन आयोजित करने तथा परामर्शदायी सेवाएं सुलभ करने के कार्य करता है । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अप्रैल, 1966 से मार्च, 1979 के बीच 188 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें कुल 5360 व्यक्तियों ने भाग लिया था । इस संस्थान ने 100 अनुसंधान अध्ययन भी पूरे किये जिनमें से 46 परामर्शदात्री-सम्बन्धी कार्य थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण/अनुसंधान कार्यक्रमों के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण/अनुसंधान कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	1979-80	1980-81	1981-82
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	31	36	39
अनुसंधान परियोजनाएं	27	9	14

भारतीय लोक विकास कार्यक्रम पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के सामाजार्थिक विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता पहुंचा कर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार के प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ाता है । यह अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन तथा मूल्यांकन भी करता है । वर्ष 1960 से दिसम्बर, 1981 तक देश में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से अधिकतर पशुपालन, डेरी फार्मिंग, भूमि विकास, लघु सिंचाई तथा मत्स्यपालन आदि से सम्बन्धित प्राप्त लगभग 202 परियोजनाएं भारतीय लोक विकास कार्यक्रम के माध्यम से 10.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को लगाकर पूरी की गई हैं। समन्वित ग्रामीण विकास, पशुपालन, मुर्गीपालन, लघु सिंचाई तथा विकास, सामाजिकी वानिकी, युवकों को गतिशील बनाने, पशु संवर्धन, डेरी फार्मिंग इत्यादि से सम्बन्धित 107 परियोजनाएं, जिनमें 15.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है, अभी कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

8425. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र उनके मन्त्रालय के अधीन हैं, उनके अध्यक्षों का क्या नाम हैं और इन इकाइयों के प्रकाशन कर्मचारियों का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इकाइयों में इकाई-वार इस समय प्रकाशन विभाग में कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हैं; और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन इकाइयों द्वारा इकाई-वार प्रकाशन पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इन इकाइयों में इकाई-वार, भाषा-वार और समाचार पत्रवार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाता नियमित डाक सूची में हैं उनके क्या नाम हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि संलग्न विवरण में है ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	अध्यक्ष का नाम	उपक्रमों में प्रचार एककों के स्टाफ के ब्यौरे	प्रचार विभाग में उन पदों के नाम जो फिलहाल इन एककों में रिक्त पड़े हैं	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचार पर व्यय की गई राशि	प्रचार एककों की नियमित प्रतीक्षा सूची में केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त संवाद-दाताओं के नाम— भाषावार, समाचार-पत्र-वार
1	2	3	4	5	6
1. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	श्री एस० सी० कपूर अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	(1) जन-सम्पर्क अधिकारी का एक पद (2) कार्यालय सहायक ग्रेड-1 का एक पद (3) कनिष्ठ आशुलिपिक का एक पद	कोई पद खाली नहीं है	80-81 163616 रु० 79-80 82609 रु० 78-79 164372 रु०	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के पास केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त संवाददाताओं की कोई नियमित सूची नहीं है
2. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०	श्री जो० के० मजूमदार अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक		इस उपक्रम में कोई अलग से प्रचार एकक नहीं है	80-81 1950 रु० 79-80 9056 रु० 78-79 16385 रु०	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि० के पास कोई नियमित सूची नहीं है

1	2	3	4	5	6
3. आवास तथा नगर विकास निगम लि०	श्री एच० यू० बिजलानी अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक		इस उपक्रम में कोई अलग से प्रचार एकक नहीं है	80-81 0.21 लाख रु० 79-80 0.41 लाख रु० 78-79 0.49 लाख रु०	इस उपक्रम के पास निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संवाददाता उनकी डाक सूची में हैं i. मुख्य रिपोर्टर इंडियन, एक्सप्रेस; नई दिल्ली ii. मुख्य रिपोर्टर, पेट्रिओट, नई दिल्ली iii. मुख्य रिपोर्ट, स्टेटस मैन, नई दिल्ली iv. श्री पी० शर्मा, विशेष प्रतिनिधि; स्टेटस मैन, नई दिल्ली v. मुख्य रिपोर्टर टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली vi. मुख्य रिपोर्टर हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली vii. श्री पी० एस० पद्मनाभम्, विशेष संवाद-दाता हिन्दू, नई दिल्ली viii. श्री एस० सी० अनन्त रमण, विशेष संवाद-दाता विजनेस स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली

1	2	3	4	5	6
					ix. श्री जोगाराव, विशेष संवाद-दाता, ब्लिटिज, नई दिल्ली
					x. विशेष संवाद-दाता दि करंट, नई दिल्ली
					xi. श्री विनोदानन्द ठाकुर, विशेष संवाददाता इंडियन नेशन, नई दिल्ली
					xii. श्री एम० एल० घवन, विशेष संवाददाता, प्वा-नीर लखनऊ, नई दिल्ली
					xiii. श्री आर० सी० उम्मत, ईस्टर्न इकोनोमिस्ट, नई दिल्ली
					xiv. विशेष संवाद-दाता, फ्री प्रेस जनरल, नई दिल्ली
					xv. श्री पी० राधा-कृष्णनन, विशेष संवाददाता, अमृता बाजार पत्रिका, नई दिल्ली
					xvi. श्री नारायण स्वामी, विशेष संवाददाता दक्कन हेरल्स, नई दिल्ली

1	2	3	4	5	6
					xvii. श्री मोहनराम विशेष संवाद-दाता मेल, नई दिल्ली
					xviii. श्री सी० मिश्रा, विशेष संवाद-दाता जागरण, नई दिल्ली
					xix. श्री एस० एल० धींगरा, विशेष संवाददाता, यू० एन० आई० नई दिल्ली
					xx. मुख्य रिपोर्टर, हिन्दुस्तान समाचार न्यूज एजेन्सी, नई दिल्ली (हिन्दी भाषा में)

एन० बी० सी० सी० द्वारा लेखों की केन्द्रीकृत प्रणाली

8426. **श्री केयूर भूषण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० बी० सी० सी० जिसमें आरम्भ में लेखों की केन्द्रीकृत प्रणाली थी और जिसने बाद में लेखों की विकेन्द्रीकृत प्रणाली अपना ली थी अब पुन: केन्द्रीकृत प्रणाली अपनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विकेन्द्रीकृत प्रणाली कब अपनाई गई थी, लेखा विंग में सभी श्रेणियों में कार्मिकों की संख्या में चहुंमुखी वृद्धि हो रही थी;

(घ) क्या लेखों की केन्द्रीकृत प्रणाली पर वापस आने से इतनी ही वृद्धि की आशा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए योजना की पुन: जांच की जाएगी कि केवल लेखों की प्रणाली में परिवर्तन मात्र से किसी भी श्रेणी में लेखा कार्मिकों की संख्या में कोई वृद्धि न हो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत 1979-80 तथा 1980-81 की अवधियों से सम्बन्धित लेखों को अन्तिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ था, इसलिए इस स्थिति की पुनरीक्षा की गई और 1.4.1981 से लेखे की केन्द्रीकृत पद्धति आरम्भ की गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य मदों की वितरण लागत

8427. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर दुकानों के माध्यम से बेची जा रही खाद्य वस्तुओं की वसूली लागत उनकी वितरण लागत से कम थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले का कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या विवरण लागत को कम किए जा सकने की कोई संभावना है और यदि हां, तो किस किस सीमा तक किया जा सकता है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस मामले में कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की यह बराबर कोशिश रही है कि भण्डारण और प्रशासनिक तन्त्र में सुधार लाकर वितरण प्रभार को कम किया जाए । पिछले कुछ वर्षों में वितरण प्रभार को अभिग्रहण लागत के 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच बनाए रखा जा रहा है । भारतीय खाद्य निगम ने कुछेक मितव्ययी उपाय किए हैं । नये पदों के सृजन और प्रवेश स्तरों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । एक विभागीय समिति द्वारा जांच करने के बाद भण्डारण डिपों में स्टाफ रखने के मानकों में कटौती कर दी गई है । सभी कार्यालयों में समय बाद कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और परिचालन तथा अन्य परिहार्य कार्यों को छोड़कर समय के बाद कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

वनस्पति घी की बिक्री में ढील

8428. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० सी० एम० के अलावा अन्य निर्माताओं द्वारा उत्पादित वनस्पति घी की बिक्री पर लगी रोक हाल ही में हटा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो डी० सी० एम० को ढील से अलग रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में खुला वनस्पति घी उपलब्ध कराने और खुले वनस्पति घी को बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए छोटे पैकों की तुलना में 16.5 किलो घी के अधिक कनस्तर न बेचने की डी० सी० एम० की गतिविधि पर रोक न लगाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) दिल्ली में वनस्पति के दो निर्माताओं में से गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०, जो भारत सरकार के प्रबन्ध में कार्यरत एकक है, ने सूचित किया था कि उनके पास वनस्पति का भारी स्टाक जमा हो गया है, जिसके फलस्वरूप उनकी पूंजी अवरुद्ध हो गई है और कम्पनी के लिए दूसरी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इसलिए, इसे गैर-लाइसेंसधारी डीलरों को और थोक उपभोक्ताओं को उनके कोटे से अधिक वनस्पति बेचने की अनुमति दी गई। चूंकि डी० सी० एम० द्वारा सप्लाई की जाने वाली मात्रा उनके ब्राण्ड के वनस्पति की मांग से कम थी, इसलिए दिल्ली प्रशासन द्वारा डी० सी० एम० को ऐसी कोई ढील नहीं दी गई।

(ग) दिल्ली में वनस्पति के कुल मासिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, छोटे पैकों और बड़े पैकों का वर्तमान अनुपात समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

राज्यों द्वारा चीनी फैक्टरियों से उठाई गई लेवी की चीनी

8429. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 तक महाराष्ट्र शुगर फैक्ट्रीज से लेवी की चीनी का (महीना-वार) कुल कितना आवंटन किया गया और उनके द्वारा कुल कितनी चीनी उठाई गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान ने लेवी की कितनी चीनी नहीं उठाई है;

(ग) इन राज्यों द्वारा आवंटित की गई लेवी की चीनी न उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य, उन्हें आवंटित की गई लेवी की चीनी के मासिक आवंटन को उठा लें, जिसमें कि उपभोक्ताओं की कठिनाई दूर हो सके सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख)भारतीय खाद्य निगम तथा पंजाब और आन्ध्र प्रदेश सरकारों द्वारा दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान मासवार महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से लेवी चीनी के किए गए आवंटन और उठायी गई मात्रा के बारे में सूचना का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है। जहां तक पंजाब और आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, 31 मार्च, 1982 तक महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से लेवी चीनी की बिना उठायी गई कोई शेष मात्रा नहीं थी। जहां तक भारतीय खाद्य निगम का सम्बन्ध है, उक्त तारीख तक निगम ने महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से 24683.0 मी० टन की मात्रा नहीं उठायी थी।

भारतीय खाद्य निगम और उपर्युक्त राज्य सरकारों के अलावा, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों को लेवी चीनी का आवंटन भी किया गया था लेकिन इन राज्य सरकारों ने शेष लेवी चीनी की उठाई गयी और बिना उठाई गई मात्रा के बारे में सम्बन्धित अवधि के लिए अपेक्षित सूचना अभी तक नहीं भेजी है और इसे एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम और सम्बन्धित राज्य सरकारों विशेषतया राजस्थान को उपयुक्त परामर्श दिया गया था कि वे महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से लेवी चीनी शीघ्र उठाने की व्यवस्था करें। भारतीय खाद्य निगम और राजस्थान सरकार ने पर्याप्त संख्या में वैगन आदि उपलब्ध न होने से सम्बन्धित परिचालन सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था जिनके कारण महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से चीनी उठाने में विलम्ब हुआ था। इस मामले को सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था और अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने यह भी शिकायत की थी कि महाराष्ट्र की कुछेक फैक्ट्रियां उनके नामितों द्वारा जमा की गयी बयाने की राशि के प्रति रेलवे के पास वैगनों के लिए समय पर इन्डैंट नहीं प्रस्तुत करती हैं। इस सम्बन्ध में सांविधिक उपबन्धों का उल्लेख करने के लिए चूककर्ता फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके फलस्वरूप, राजस्थान तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से लेवी चीनी उठाने के कार्य में सुधार हुआ है।

विवरण

लोक सभा में 19-4-1982 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 8429 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण।

दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को लेवी चीनी का मासवार आवंटन और उनके द्वारा उठाई गई लेवी चीनी

(मीटरी टन में)

क्रम सं०	भा० खा०/राज्य नि०	दिसम्बर, 1981		जनवरी, 1982		फरवरी, 1982		मार्च, 1982	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1.	भारतीय खाद्य निगम	76169.6	63606.6	74820.0	69421.6	72219.5	70156.3	70326.7	79227.3
2.	राजस्थान	सभा के पटल पर बाद में रख दी जायेगी							
3.	महाराष्ट्र	वही							
4.	पंजाब	शून्य	शून्य	1599.4	1599.4	933.9	933.9	2224.1	2224.1
5.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4080.6	2242.3	शून्य	1838.3

नोट : महीने के दौरान उठायी गई मात्रा में पहले के महीने की बची हुई मात्रा के प्रति उठायी गई कुछ मात्रा भी शामिल है।

भारतीय खाद्य निगम में पदोन्नति के अवसर

8430. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के लिपिक वर्गीय संवर्ग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है और इस संवर्ग में 1974 से कोई पदोन्नति नहीं हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या लिपिक-वर्गीय पदों की तुलना में 50 प्रतिशत तक फील्ड कर्मचारी नियुक्त किए गए है;

(ग) लेखा संवर्ग का सृजन करने तथा लेखा और सामान्य संवर्ग के बीच सीमा-निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) लिपिक वर्गीय रिक्त पदों पर फील्ड कर्मचारियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं और सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों को उनका उचित हिस्सा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जैसा कि भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी कांग्रेस (इंटक से सम्बद्ध) द्वारा प्रबन्धकों को प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में उल्लेख किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) (घ) क्योंकि भारतीय खाद्य निगम में लिपिक-वर्गीय पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी की जाती है, इसलिए निगम के मुख्यालय के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) बही-खाते, वाणिज्यिक लेखे, वित्तीय दृष्टि से प्रस्तावों की जांच करने आदि सहित वित्तीय प्रबन्ध करना एक विशिष्ट कार्य होता है जिसके लिए व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव होना अपेक्षित होता है। विभिन्न संगत बातों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखने वाले कार्मिकों को लेकर एक अलग लेखा संवर्ग बनाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर वित्तीय नियन्त्रण

8431. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर प्रशासनिक और वित्तीय नियन्त्रण है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिषद को केन्द्रीय सरकार के सांविधिक नियमों तथा प्रशासनिक और वित्तीय प्रदेशों का पालन करने से छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्या वृहतर राष्ट्रीय महत्व के सभी आदेश तथा सांविधिक नियम इस पर लागू हैं;

(घ) क्या भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा तत्सम्बन्धी नियम और आदेश इस पर समान रूप से लागू हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त आदेशों आदि का उचित ढंग से पालन किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक सोसायटी है । जिसका सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया था । इसके अपने नियम और उप नियम हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों के नियम 38(क) में यह प्रावधान है कि परिषद का शासी निकाय सोसायटी के सभी कार्यकारी और वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेगा। इसमें किसी संविधि द्वारा या उसके अन्तर्गत दिए गए अधिकार भी शामिल हैं, फिर भी व्यय के सम्बन्ध में ऐसी सीमायें भारत सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है ।

भारत सरकार के आदेश और वैधानिक नियम इस सोसायटी पर स्वत: लागू नहीं होते। फिर भी, उप-नियम 30(क) की शर्त में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार की सेवा और वित्तीय नियमों को अपनाया गया है, बशर्ते कि सोसायटी ने नियम, उप-नियम, आदेश और विनियमों को बनाकर या उन्हें जारी कर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की हो ।

(घ) और (ङ) जैसा कि राजभाषा नियम, 1976 (संघ के सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त) के नियम-2 में दिया गया है, केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में ये कार्यालय शामिल हैं :

(क) केन्द्र सरकार का कोई भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गये निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय ।

यह प्रश्न कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए दी गयी परिभाषा के अन्तर्गत आता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विधि मंत्रालय के परामर्श से राजभाषा विभाग द्वारा इसकी जांच की गयी । इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की यह राय थी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी केन्द्र सरकार के कार्यालय के लिए दी गयी परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है । फिर भी, परिषद सरकारी कार्य में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के लिए स्वैच्छिक रूप से केन्द्र सरकार के निदेशों का पालन करती है जैसा कि एक 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' पर लागू होता है ।

रामकृष्णपुरम सेक्टर चार में जमीन पर अनधिकृत कब्जा

8432. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अधिकारियों ने भूमि तथा विकास कार्यालय को रामकृष्णपुरम के सैक्टर चार में जमीन के उस टुकड़े पर से, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

सेवा औषधालय के लिए निर्धारित है और जिस पर कई वर्षों से एक गैर-सरकारी स्कूल चल रहा है, अनधिकृत कब्जा खाली करवाने की आवश्यकता तथा महत्व बताया है; और

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत कब्जा खाली कराने के काम को गति देने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी ने बेदखली के आदेश पारित कर दिये हैं। ये आदेश निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली में राशन कार्डों की जांच

8433. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा घर-घर जाकर राशन कार्डों की जांच का आदेश दिया गया है और इस प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और मजिस्ट्रेटों द्वारा सहायता ली जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या राशन कार्डों में दर्ज यूनिटों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जायेगा ताकि कार्डों पर राशन वाली वस्तुएं दी जा सकें क्योंकि अधिकतर खाद्य-पदार्थों की उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा कालाबाजारी कर दी जाती है; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी और क्या लोक सभा अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पूर्व जांच के परिणाम की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य कार्डों की घर-घर जाकर जांच की जा रही है। खाद्य कार्डों की जांच करते समय, खाद्य कार्डों में दर्ज यूनिटों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि फालतू यूनिटों का पता लगाया जा सके और उन्हें काटा जा सके। उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति तदनुसार व्यवस्थित की जायेगी, ताकि उचित दर की दुकान के दुकानदारों द्वारा खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी न की जा सके।

(ग) दिल्ली में सभी खाद्य कार्डों की जांच करने का कार्य बहुत बड़ा और श्रमसाध्य है। लगभग 15 लाख खाद्य कार्डों की जांच करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में समय लगेगा और अन्तिम स्थिति के वर्ष 1982 के अन्त तक ही सामने आने की सम्भावना है। इसलिए, लोक सभा के वर्तमान सत्र के अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पहले जांच के परिणाम बताना सम्भव नहीं है।

देश में मूंगफली और सोयाबीन का उत्पादन

8434. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980 और 1981 में मूंगफली और सोयाबीन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इन दोनों फसलों का, सस्ते मूल्य पर संतुलित आहार मुहैया करने के लिए देश की खाद्य आवश्यकता में प्रोटीन के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य कर सकती है और इस रूप में इनका विकास किया जा सकता है;

(ग) क्या इन्हें केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, (सी० एफ० टी० आर० आई०) मैसूर में किए गए मूंगफली और सोयाबीन से दूध तथा दही तैयार करने सम्बन्धी अनुसंधान की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उसके वाणिज्यिक अथवा व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

देश में 1979-80 और 1981 के दौरान मूंगफली और सोयाबीन के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(लाख मी० टन० में)

	1979-80	1980-81
मूंगफली	57.70	50.20
सोयाबीन	2.82	4.40

मूंगफली और सोयाबीन प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं और उनका विकास किया जा सकता है ताकि भोजन में प्रोटीन के तत्व को बढ़ाया जा सके और उसको संतुलित किया जा सके । इस सम्बन्ध में मुख्यतया केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था (सी० एफ० टी० आर० आई०), मैसूर और जी० बी० पंत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयास किए गए हैं । इन प्रयासों का उद्देश्य लागत को यथासम्भव न्यूनतम रखकर स्वीकार्य पदार्थों का विकास करना है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, मैसूर ने मूंगफली के प्रोटीन और पशुओं के दूध तथा शक्तिवर्द्धक खाद्यों पर आधारित दूध का वैकल्प "मिल्टोन" का विकास किया है जिसमें साथ-

साथ खाने के योग्य मूंगफली के आटे का अंशभूत सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाने योग्य मूंगफली के आटे का और विधायन कर, जिसे तेल रहित मूंगफली की खली से प्राप्त किया जाता है, प्रोटीन आइसोलेट प्राप्त किया जाता है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ने मूंगफली के दूध से मूगफली का दूध और दही जैसे पदार्थों को तैयार करने के भी प्रयास किए हैं। तथापि, मूंगफली के दूध को उपभोक्ताओं ने पसन्द नहीं किया जैसाकि उपभोक्ता स्वीकार्यता परीक्षणों से पता चला है। जी० बी० पंत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय ने सोयाबीन पर आधारित सोया दूध और अन्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए प्रक्रिया का विकास किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने मूंगफली की प्रोटीन पर आधारित दूध के वैकल्प "चायसाथी" का विकास किया है।

'मिल्टोन", जोकि मूंगफली की प्रोटीन और पशु दूध का एक मिश्रण है, का बंगलोर और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, इन दोनों स्थानों पर प्रति वर्ष कुल लगभग 30 लाख लिटर का उत्पादन किया जा रहा है। शक्तिवर्द्धक खाद्यों का उत्पादन कर्नाटक में किया जा रहा है और उनका वर्तमान अनुमानित उत्पादन लगभग 15,000 मी० टन प्रति वर्ष है। इसके अलावा, खाने योग्य मूंगफली के आटे और सोया के आटे पर आधारित एक्सट्रेडेड खाद्यों का उत्पादन हैदराबाद, बंगलौर, बरेली और दिल्ली में किया जा रहा है। मूंगफली की प्रोटीन पर आधारित "चायसाथी" का उत्पादन बड़ोदा में किया जा रहा है और उत्पादन की वर्तमान मात्रा लगभग 6,000 लिटर प्रति दिन है। सोया दूध का उत्पादन दिल्ली में किया जा रहा है। सोया-आटा पर आधारित दूध छुड़ाने वाला खाद्य "बालामूल" आनन्द में तैयार किया जा रहा है। माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि०, जोकि भारत सरकार का एक उपक्रम है, अनुपूरक फीडिंग कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा उत्पादित डबलरोटी को पौष्टिक बनाने के लिए वसा रहित सोया के आटे का इस्तेमाल कर रही है।

जंगली जीवों की गणना

8435. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जंगली जीवों के ब्यौरे के बारे में कोई गणना की है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जंगली जीवों की कुछ जातियां घट रही हैं जिससे उनकी समाप्ति हो रही है, यदि हां, तो गत 3 वर्षों के लिए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जंगली जीव के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा बनाये गये नेशनल पार्क अथवा जंगली जीव आश्रय की संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों में हैं और क्या जंगली जीव संरक्षण में यह प्रभावकारी रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) अभी तक देश में सभी वन्य प्राणियों की अखिल भारतीय संगणना नहीं की गई हैं। तथापि, कुछ राज्य राष्ट्रीय पार्कों और आश्रयस्थलों में वन्य प्राणियों के आवधिक सर्वेक्षण करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वन्य प्राणियों की किसी भी नस्ल के लुप्त होने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) राष्ट्रीय पार्क और आश्रयस्थलों की स्थापना वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इस समय संलग्न सूची के अनुसार, देश में 23 राष्ट्रीय पार्क और 205 आश्रयस्थल हैं।

देश में राष्ट्रीय पार्कों और आश्रयस्थलों की पर्याप्त संख्या में स्थापना करने से वन्य प्राणियों की रक्षा पर निश्चय रूप से प्रभाव पड़ा है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय पार्कों की संख्या	आश्रयस्थलों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	—	14
अण्डमान और निकोबार	—	4
अरुणाचल प्रदेश	—	4
असम	1	7
बिहार	—	15
गोवा दमन और द्वीप	—	3
गुजरात	2	5
हरियाणा	—	1
जम्मू और कश्मीर	2	4
हिमाचल प्रदेश	—	26
कर्नाटक	3	13
केरल	1	6
मध्य प्रदेश	4	22
महाराष्ट्र	4	10
मणिपुर	1	—

1	2	3
मेघालय	—	1
मिजोरम	—	1
नागालैण्ड	—	2
उड़ीसा	—	18
पंजाब	—	4
राजस्थान	1	13
सिक्किम	1	—
तमिलनाडु	1	7
उत्तर प्रदेश	2	12
पश्चिम बंगाल	—	12
चण्डीगढ़	—	1
	23	205

डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्विटजरलैंड सरकार से सहायता की पेशकश

8436. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड सरकार ने सुन्दरगढ़, सम्बलपुर और गंजम में डेरी परियोजना की स्थापना के लिए कोई सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) सुन्दरगढ़, सम्बलपुर और गंजम में डेरी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट आगे जांच करने के लिए अब प्राप्त हो गई है ।

सम्बलपुर, पुरी में छोटे और मध्यम नगरों का विकास

8437. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर और पुरी में छोटे और मध्यम नगर योजना के समेकित विकास को करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की स्वीकृत विकास योजना के अन्तर्गत सम्बलपुर और पुरी की परियोजना रिपोर्टों को सहायता के लिए अनुमोदित कर दिया गया है तथा इन दो शहरों के लिए क्रमशः 20.50 लाख तथा 5.00 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई है।

"क्रोरज फार एन० अनएप्रूव्ड वेन्चर" शीर्षक समाचार

8438. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में "क्रोरज फार एन० अनएप्रूव्ड वेन्चर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें डी० एल० एफ० यूनीवर्सल तथा अंसल प्रापर्टीज द्वारा गुड़गांव में प्लाट जमीन देने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपये लूटे जाने का उल्लेख है।

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या इन कालोनाइजरों की आस्तियों तथा धन के बारे में हाल में कोई मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां। प्रकाशित समाचार पर हरियाणा राज्य सरकार ने पहले ही जांच शुरू कर दी है।

(ख) जैसा कि हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है राज्य में कालोनी की स्थापना करने वाले इच्छुक कालोनाइजरों को हरियाणा विकास तथा शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम,

1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लाइसेन्स के लिए आवेदन करना पड़ता है जहां कहीं भी राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आती है कि किसी व्यक्ति ने बिना लाइसेन्स प्राप्त किए भूमि के प्लाट काट कर बेचे हैं या बिक्री के लिए विज्ञापन दिया है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है। मामला अभी भी जांचाधीन है और यदि प्रथम दृष्टया उल्लंघन का पता चलता है तो कानून के अनुसार उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(ग) वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड) से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

टैक्सियों/स्कूटरों पर विज्ञापन लगाने के लिए सिविल प्राधिकारियों को अदा किया गया कर

8439. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन टैक्सियों, स्कूटरों आदि द्वारा सिविल प्राधिकारियों को उन विज्ञापनों पर कर दिया जाता है, जो उन पर लगे होते हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दीवारों पर, बिजली के खम्बों पर टीन की प्लेटें लटकाकर, छपाई करके, पोस्टर आदि लगाकर बड़े पैमाने पर विज्ञापन प्रसारित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे वाहन और लोगों से विज्ञापन कर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ पालिका अधिनियमों में वाहनों पर लगे विज्ञापनों पर कर वसूल करने की व्यवस्था है परन्तु यह कर केवल कुछ ही स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी स्थानीय निकायों द्वारा इस प्रकार के विज्ञापनों पर कर वसूल नहीं किया जा रहा है। नगर प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत प्रचार/करों के भुगतान न करने पर हटाने/मुकदमे की कार्यवाहियां की जाती हैं। कुछ नियमों में विज्ञापन करों का अपवंचन का पता लगाने के लिए राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक नियमित दस्ते का गठन किया गया है।

सिंचाई की लम्बित परियोजनाएं

8440. **श्री समीनुद्दीन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों की सिंचाई की निर्माणाधीन एवं लम्बित राष्ट्रीय परियोजनाओं के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और जल विवादों को हल करने के लिए कोई समयावली नियत की गई है;

(ग) क्या उपरोक्त लक्ष्यों के पूरा किए जाने में वृद्धि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राज्य-वार एक विवरण संलग्न है ।

(ख) छठी योजना के दौरान यथासंभव अधिकाधिक निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा जल विवादों को हल करने के लिए कोई समय-सूची तैयार नहीं की गई है, क्योंकि तत्वत: यह सम्बन्धित पक्षकार राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे मतभेदों को दूर करें और केन्द्रीय सरकार समझौते की बातचीत करने में केवल अपना सहयोग देती है ।

(ग) और (घ) असिंचित भूमि की अपेक्षा सिंचित भूमि से उत्पादन सामान्यत: दुगुना होता है। इस मंत्रालय द्वारा कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया है। छठी योजना के दौरान औसत रूप से रोजगार की सम्भावना का मूल्यांकन 4 मिलियन किया गया है और यह अधिकतम लगभग 67 मिलियन होगा ।

विवरण

छठी योजना की निर्माणाधीन और नई स्कीमें

अनुमानित लागत : लाख रुपये
क्षमता : हजार हैक्टेयर

क्रम सं०	राज्य	बृहद् परियोजनायें						मध्यम परियोजनायें						आयुक्त
		निर्माणाधीन			नई			निर्माणाधीन			नई			
		संख्या	अनुमानित लागत	क्षमता	संख्या	अनुमानित लागत	क्षमता	संख्या	अनुमानित लागत	क्षमता	संख्या	अनुमानित लागत	क्षमता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	132906	1338	6	129523	845	31	19297	186	15	11332	72	
2.	असम	1	2249	83	2	3082	50	13	5131	144	7	1750	47	
3.	बिहार	16	162751	2877	24	71720	951	43	17740	202	43	18778	185	
4.	गुजरात	13	76854	1917	3	291140	35	49	25088	291	65	18636	उपलब्ध नहीं	
5.	हरियाणा	14	42850	935	8	19000	1065	7	1948	95	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	2	768	6	5	1526	13	
7.	जम्मू और कश्मीर	1	6764	66	—	—	—	11	5074	39	4	2012	17	
8.	कर्नाटक	9	98089	उ०न०	4	15133	उ०न०	19	7498	उ०न०	3	2460	उ०न०	
9.	केरल	9	43722	416	4	8587	102	2	2800	17	3	8349	52	
10.	मध्य प्रदेश	22	170089	2324	20	105928	उ०न०	64	20175	254	15	10738	उ०न०	
11.	महाराष्ट्र	29	226772	1860	17	70252	745	105	36632	459	24	12707	31	
12.	मणिपुर	3	7823	78	—	—	—	3	1183	15	3	5800	49	
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	450	उ०न०	
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.	उड़ीसा	7	75209	1366	6	37455	400	31	23205	219	9	10297	110	
16	पंजाब	9	59869	737	3	13930	17	—	—	—	1	400	22	
17.	राजस्थान	11	78399	1671	9	71409	187	11	10861	52	7	3042	26	
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19.	तमिलनाडु	4	15775	131	1	1400	46	10	2824	18	25	9875	24	
20.	त्रिपुरा	—	—	—	1	1000	उ०न०	—	—	—	2	1552	उ०न०	
21.	उत्तर प्रदेश	31	188016	5348	4	21130	1090	22	7845	317	12	2483	36	
22.	पश्चिम बंगाल	6	35516	1547	9	31867	378	16	2497	32	15	3231	111	
	जोड़ :	194	1423643	22894	121	892556	5911	439	190566	2346	259	125418	794	

उ० न०=उपलब्ध नहीं

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों की शीर्ष एसोसिएशनों द्वारा ज्ञापन

8441. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की 28 डी० डी० ए० कालोनियों की शीर्ष एसोसिएशनों ने दिनांक 14 जनवरी, 1982 को अथवा इसके आस-पास और अपनी विभिन्न मांगों; शिकायतों से सम्बन्धित कोई ज्ञापन सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में (एक) कराधान सम्बन्धी असमानता, (दो) ब्याज, विभाजीय प्रभार की असमानता, (तीन) अभिग्राह्य किराया, (चार) मरम्मत और रख-रखाव, (पांच) महाराष्ट्र अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम सम्बन्धी श्रेणी-वार, किन-किन मुख्य मांगों और शिकायतों का उल्लेख था; और

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक मांग और शिकायत के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में राजगढ़, विदिशा तथा गुना की सिंचाई की प्रतिशतता

8442. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा तथा गुना जिले राज्य-वार सिंचाई औसत तथा राष्ट्रीय सिंचाई औसत की तुलना में सिंचाई वाले क्षेत्रों की प्रतिशतता में सबसे नीचे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में जल संसाधन जुटाकर, मध्यम तथा लघु सिंचाई तथा उठाऊ-गहरे कुएं तथा टैंक सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा इन तीन जिलों के सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ेपन को हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इन तीन जिलों में 1982, 1983 तथा 1984 के लिए सिंचाई के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राज्य के इन तीन जिलों में दो बृहद तथा छः मध्यम सिंचाई स्कीमें पहले ही क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दो नई मध्यम स्कीमें भी हाथ में ली गई हैं। राज्य सरकार ने इन जिलों में कई लघु सिंचाई निर्माण-कार्य भी हाथ में लिए हैं। तथापि, सभी जिले राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने की आशा नहीं कर सकते क्योंकि विकास के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता सभी जिलों में समान नहीं है।

(घ) जिलावार सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में जल सप्लाई

8443. **श्री बयाराम शास्त्र** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्दिर मार्ग स्थित 'जे' तथा 'एच' ब्लाकों के टाइप 'बी' के क्वार्टरों के लिए जल सप्लाई प्रातः केवल दो घण्टे और सायं दो घण्टे तक की जाती है; और

(ख) मन्दिर मार्ग स्थित 'जे' तथा 'एच' ब्लाकों को जल-सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। जल की सप्लाई, जोकि 17 मार्च, 1982 तक दो घण्टे सुबह और दो घण्टे शाम को होती थी अब तीन घण्टे सुबह और तीन घण्टे शाम को की जाती है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका से अतिरिक्त कनेक्शन प्राप्त करने के पश्चात् जल की सप्लाई को पहले ही 2 घण्टे से बढ़ाकर तीन घण्टे सुबह और तीन घण्टे शाम कर दिया है।

आटा मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध

8444. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री आटा मिलों को लाइसेंस जारी करने के बारे में 22 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4473 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को लघु क्षेत्र में आटा मिलें स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्यों से, मई, 1980 से पूर्व कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इस तरह के आवेदकों को आज तक विवरण सहित और राज्यवार जारी किए गए लाइसेंसों, यदि कोई हैं तो, की संख्या कितनी है; और

(ग) जहां तक लाइसेंस जारी किए जाने का सम्बन्ध है, पहले लगे प्रतिबंधों को लागू न करने के विशेष कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जून, 1979 से मई, 1980 के दौरान जब फ्लोर मिलों की स्थापना पर प्रतिबन्ध आंशिक रूप से उठा लिया गया था, तब राज्य सरकारों को लघु क्षेत्र में ऐसे यूनिटों की स्थापना करने के लिए अनुमति देने के अधिकार सौंपे गये थे। राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 306 अनुमतियां जारी की गई थीं।

(ख) गेहूं रोलर फ्लोर मिल (लाइसेंसिंग तथा कन्ट्रोल) आदेश, 1957 के अधीन मिलिंग लाइसेंस जारी करने के अधिकार राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार ने 6.2.1982 से ले लिए हैं। जो यूनिट तैयार है, उनके बारे में राज्य सरकारों से हाल ही में कहा गया है कि वे परीक्षण पिसाई रिपोर्ट भेजें और जिन मामलों में ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, उन्हें लाइसेंस जारी करने

के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने अब तक ऐसे किसी यूनिट को लाइसेंस जारी नहीं किया है।

(ग) क्योंकि स्थापित क्षमता आवश्यकता से अधिक है और उद्योग का क्षमता उपयोग अब तक केवल 50 प्रतिशत के आस-पास रहा है, इसलिए और यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति देना आवश्यक नहीं समझा गया है। इस निर्णय को लेने में सरकार ने केन्द्रीय पूल में गेहूं की समूची स्टाक स्थिति को भी ध्यान में रखा है।

छठी पंचवर्षीय योजना में मछेरों के लिए कल्याण कार्यक्रम

8445. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछेरों के लिए कौन से कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1978 में गठित केरल मछेरा कल्याण निगम की गतिविधियों का पता है;

(ग) यदि हां, तो निगम द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का ब्योरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुसार कौन सी नई योजनायें है जो केरल मछेरा कल्याण निगम द्वारा शुरू की जानी चाहिए;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई सहायता देने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(च) उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल मछेरा कल्याण निगम द्वारा किस प्रकार की सहायता का अनुरोध किया गया है; और

(छ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित मछुआ कल्याण कार्यक्रम में नौकाओं की खरीद, मात्स्यकी साज सामान, मछुओं के प्रशिक्षण के लिए ऋण तथा राज सहायता, मछली तालाबों में सुधार तथा आदानों के लिए राज सहायता, मछली पालन, मछुआ आवास और मछुआ राहत निधि के सृजन के लिए विस्तार सहायता देना शामिल है।

(ख) जी हां।

(ग) केरल मच्छेरा कल्याण निगम ने निम्नलिखित कार्य हाथ में लिए हैं :

(i) आवास तथा नगरीय विकास निगम की ऋण सहायता द्वारा आवास की व्यवस्था;

(ii) मच्छली पकड़ने की नौकाओं तथा कल-पुरजों के क्रय हेतु राज सहायता की अदायगी।

(iii) मच्छली विपणन के लिए वित्तीय सहायता ।

(iv) मछुआ राहत निधि से मछेरों के लिए राहत की व्यवस्था करना;

(v) मच्छली पकड़ने के काम सक्रिय रूप से लगे मछेरों के लिए बीफ योजना;

(vi) विजहिजाम में मच्छली बन्दरगाह क्षेत्र से निकाले गए मछेरों के परिवारों का पुर्नवास ।

(vii) मछेरों के लिए विशेष बस सेवा ।

(viii) मच्छली नौकाओं के डीजल बैंकस;

(ix) मच्छुआ समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां ।

(x) सिर पर उठाकर फल बेचने वालों को सहायता: और

(xi) देसी नौकाओं के यन्त्रकिरण के लिए राज सहायता की अदायगी ।

(घ) इस समय निगम व्यापक योजनायें कार्यान्वित कर रहा है । अत: नई योजनाओं का सुझाव देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं और उन पर राज्य योजनाओं से धन लगाया जायेगा ।

(च) इस सम्बन्ध में केरल मछुआ कल्याण निगम से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में पूरी की गई सिंचाई योजनाएं

8446. **श्री सुभाष यादव** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा संख्या क्या है जो मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रूप से जिला खारगांव में पिछले तीन वर्षों में पूरी की गई हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये पिछले तीन वर्षों में कोई वित्तीय सहायता प्रदान की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश के शाहजापुर जिले में केवल एक मध्यम सिंचाई परियोजना नामश: पिप्लिया-कुमार पूर्ण हुई थी । 1979-80 और 1981-82 के दौरान कोई परियोजना पूरी नहीं हुई थी ।

(ख) और (ग) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन-राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समस्त विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है ।

मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर सिंचाई योजना सम्बन्धी निर्माण कार्य

8447. **श्री सुभाष यादव** . क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है और यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया कि इस परियोजना से कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी;

(ग) यह योजना किस तारीख तक चालू हो जाएगी;

(घ) इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है; और

(ङ) क्या धनराशि का उचित ढंग से प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) नर्मदा सागर परियोजना के निर्माणपूर्व कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ कर दिए गए हैं और उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन पर 5 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके है । वास्तविक निर्माण-कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी हाथ में लिये जाने है । राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई है, परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इससे 1.36 लाख हैक्टेयर के सिंचाई लोगों की व्यवस्था होने की प्रत्याशा है ।

(घ) कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गांधी स्मृति समिति का निदेशक

8448. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी स्मृति समिति के निदेशक का पद कुछ समय से खाली पड़ा हुआ था; और

(ख) इस पद को अब किस प्रकार भरा गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) निदेशक, गांधी स्मृति समिति का पद इसके पदधारी की नियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप 1-2-1981 को खाली हुआ था । इस मन्त्रालय के एक अधिकारी को सरकार के अधीन उसकी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त इस पद का कार्यभार भी अस्थाई तौर पर सौंपा गया था । तदनन्तर, उस अधिकारी के छुट्टी पर चल जाने के कारण 12-5-81 से इस मन्त्रालय के अन्य

अधिकारी को इस पद का कार्य भार सौंपा गया 1-12-81 को सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर उसी अधिकारी को तदर्थ आधार पर 31-5-82 तक 6 माह के लिए गांधी स्मृति समिति का पूर्ण-कालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार प्रेस को उड़ीसा से पश्चिम बंगाल स्थानान्तरित करना

8449. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में स्थापित केन्द्रीय सरकार की पाठ्य पुस्तक छापने वाली एक-मात्र प्रेस को उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के शांति गांधी स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र के प्राय: सभी कर्मचारियों ने ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपना भारी विरोध व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच है कि अपेक्षित मशीनों की कमी के कारण प्रेस सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रेस को अपेक्षित मशीनों की सप्लाई हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है;

(च) क्या यह प्रेस विभिन्न सरकारी और अर्द्ध-सरकारी शिक्षा संस्थानों के आर्डर स्वीकार करने से इन्कार कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रेस को सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में केन्द्रीय सरकार का पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय को सन्त्रीगाच्छी (पश्चिम बंगाल) में स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है। तथापि, कुछ कम्पोजिंग रूम उपकरण को, जिससे कुछ कर्मचारी शामिल है, को भुवनेश्वर से सन्त्रागाच्छी स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है क्योंकि वह कम्पोजिंग उपकरण भुवनेश्वर प्रेस में फालतू है तथा इसके उपयोग में न आने से पाठ्य पुस्तकों की छपाई लागत में वृद्धि होती है। इस बारे में कतिपय पत्र अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में मूंगफली की खेती के लिए वित्तीय सहायता

8450. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान मूंगफली के उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार को उसकी स्वकृति के लिए तथा वित्तीय सहायता के लिए कोई योजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वर्ष 1979-80 में 5.68 लाख मीटरी टन मूंगफली के उत्पादन को वर्ष 1984-85 में बढाकर 11.19 लाख मीटरी टन करने के लिए एक विशेष परियोजना प्रस्तुत की थी। 3 वर्षों की अवधि के दौरान योजना की कुल लागत 3289.25 लाख रुपये आंकी गयी थी। इसके अन्तर्गत, बीज, बीज उपचार, वनस्पति रक्षण उपस्करों, रासायनिक दवाओं और परिचालन शुल्क, सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, सुरक्षात्मक सिंचाई और जल उपयोग जैसे विभिन्न पदों पर राज सहायता की व्यवस्था है

(ग) यह निर्णय किया गया था कि चालू केन्द्रीय प्रायोजित सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की विद्यमान पद्धति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को और अधिक धनराशि आवंटित करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

खाद्यान्न और नकद फसलों का उत्पादन

8451. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में गत तीन वर्षों में हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में कृषि सम्बन्धी कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष हुए उत्पादन की तुलना में इस वर्ष नकद फसलों का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए क्षेत्र में काश्त की गई; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) (क) तथा (ख) वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान प्रमुख कृषि फसलों (जिसमें नगदी फसलें भी शामिल हैं) के अनुमानित उत्पादन का विवरण अनुबंध में दिया गया है। प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार अनुमान है कि इस वर्ष खाद्यान्नों का लगभग 1340 लाख मीटरी टन, गन्ने का लगभग 1700-1800 लाख मीटरी टन, तिलहनों का लगभग 112 लाख मीटरी टन, कपास का लगभग 80 लाख गांठों का तथा पटसन और मेस्ता का लगभग 80 लाख गाँठों का उत्पादन होगा।

(ग) भूमि उपयोग सांख्यिकी के तहत "खेती के अन्तर्गत लाए गए नए क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र नहीं की जाती है। तथापि, हाल के वर्षों से सम्बन्धित कुल सस्यगत क्षेत्र के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	(दस लाख हैक्टार) कुल सस्यगत क्षेत्र
1975-76	170.99
1976-77	167.28
1977-78	172.31
1978-79	175.18

(घ) 26 तथा 27 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में आयोजित कृषि विकास से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य सरकारों ने उत्पादकता वर्ष 1982 के दौरान 3 से 5 लाख हैक्टार पुरानी परती भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना स्वीकार कर लिया था। इस उद्देश्य के लिए वे उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेंगे।

विवरण

1977-78 से 1980-81 तक भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन-प्राक्कलन

(दस लाख मीटरी टन)

फसल	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
चावल	52.67	53.77	42.33	53.23
गेहूं	31.75	35.51	31.83	36.46
सभी धान्य	114.44	119.72	101.13	118.70
सभी दलहन	11.97	12.18	8.57	11.17
सभी खाद्यान्न	126.41	131.90	109.70	129.87
मूंगफली	6.09	6.21	5.77	5.02
कुल तिलहन*	9.34	9.70	8.43	8.83
कपास** (लिंट)	7.24	7.96	7.70	7.60
पटसन***	5.36	6.47	6.07	6.52
मेस्ता**	1.79	1.86	1.89	1.68
गन्ना (केन)	176.97	151.66	128.83	150.52
आलू	8.14	10.13	8.33	9.60
तम्बाकू	0.49	0.45	0.44	0.46

*इसमें मूंगफली, एरण्ड, कुसुम, तोरिया तथा सरसों, अलसी, रामतिल तथा जाफरान शामिल है।

** प्रत्येक 170 किलो ग्राम की दस लाख गांठें।

*** प्रत्येक 180 किलोग्राम की दस लाख गांठें।

माडर्न बेकरीज द्वारा दिल्ली में "पूर्ण आहार" की चपातियों की बिक्री

8452. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज लिमिटेड ने प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में "पूर्ण आहार" की चपातियों को बेचना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रयोग कहां तक सफल हुआ है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड ने "चपातियों" की बिक्री करने का कार्य अभी शुरू नहीं किया है। कम्पनी इस समय चपातियां तैयार करने के फार्मूले का मानकीकरण करने के लिए परीक्षण कर रही है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में कृषि विकास परियोजनाएं

8453. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत इस समय कार्यान्वित की जा रही, राज्यवार कृषि विकास परियोजनाओं की संख्या क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं और उनके स्थानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए कृषि विकास कार्यकलापों की विभिन्न मदें ये हैं :

(1) खेत पर (आन-फार्म) विकास कार्य, जिनमें (क) खेत सिंचाई नालियां (ख) खेत नाले (ग) भूमि समतल करने/उपयुक्त आकार देने के कार्य और (घ) खेतों की चकबंदी/खेत मेंड़ों का पुन: संरेखन, जहां भी आवश्यक हो, शामिल हैं।

(2) निकास (आऊट लेट) कमान में जल को बारी-बारी से वितरित करने (वारबन्दी) की प्रणाली को लागू करना;

(3) फसल पैदा करने की उचित पद्धति और सिंचाई की रोस्टर प्रणाली को अपनाना।

(4) कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना;

(5) कमान क्षेत्र में पर्याप्त जलनिकास नेटवर्क की व्यवस्था करना और वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण;

(6) संपुक्त उपयोग के लिए भूमिगत जल का विकास;

(7) अल्पकालिक ऋण सहित, कृषि सम्बन्धी निवेशों तथा सेवाओं की व्यवस्था तथा आपूर्ति; और

(8) कमान क्षेत्र में सड़कों, मंडियों तथा मालगोदाम संम्बन्धी सुविधाओं के रूप में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास।

विवरण

इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं की राज्यवार संख्या और उनके स्थानों को दिखाने वाला विवरण

राज्य का नाम	कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं की संख्या	सिंचाई (कमान क्षेत्र विकास) परियोजनाओं के नाम	स्थान जिला
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	6	1. करनूल कुडाप्पा नहर	कुडाप्पा, करनूल, महबूबनगर
		2. (क) नागार्जुन सागर बायां तट नहर	खम्मन, कृष्णा, नालगोंडा
		2. (ख) नागार्जुनसार दायां तट नहर	गुंटूर, प्रकाशम
		3. पोचमपाद	करीम नगर, निजामाबाद
		4. राजोलीबांदा व्यपवर्तन स्कीम	करनूल, महबूबनगर
		5. तुंगभद्रा	
		(क) उच्च स्तरीय नहर, चरण-एक	अनन्तपुर, कुडप्पा
		(ख) उच्च स्तरीय नहर, चरण-दो	अनन्तपर, कुडाप्पा, करनूल
		(ग) निम्नस्तरीय नहर	करनूल
		6. गजुलदिन्ने	करनूल

1	2	3	4
2. असम	1	7. जमुना	करबीआंगलांग, नवगांव
3. बिहार	6	8. गंडक	पूर्वी चम्पारन, गोपालगंज मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारन सिवान, वैशाली, पश्चिमी चम्पारन
		9. बदुआ	भागलपुर, मुंगेर
		10. चन्दन	भागलपुर, संस्थाल परगना
		11. क्यूल	मुंगेर
		12. कोसी	कटिहार, पूर्णियां, सहरसा
4. गोवा	1	13. सोन नहर प्रणाली	औरंगाबाद, भोजपुर, गया, पटना, रोहतास
		14. सलौली	गोवा
5. गुजरात	3	15. माही-कडाना	कैरा, पंचमहल
		16. शत्रुजी	भावनगर
6. हरियाणा	4	17. उकई, ककरापार	भड़ौंच, बुलसर, सूरत
		18. गुड़गांव नहर	गुड़गांव, फरीदाबाद
		19. जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम	भिवानी, मोहिन्दरगढ़, रोहतक
		20. जुई लिफ्ट सिंचाई स्कीम	भिवानी
		21. रिवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	गुड़गांव, रोहतक
7. जम्मू और कश्मीर	2	22. रावी नहर	कठुआ, जम्मू
		23. तवी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	जम्मू
8. कर्नाटक	5	24. कावेरी बेसिन परियोजना (कृष्णाराजासागर जलाशय)	मांड्या

1	2	3	4
		25. घटाप्रभा	बेलगाम, बीजापुर
		26. मालप्रभा	बेलगाम, बीजापुर, धारवाड
		27. तुंगभद्रा	बेल्लारी, रायचूर
		28. अपर कृष्णा	बीजापुर, गुलबर्गा
9. केरल	5	29. चालागुडी	अर्नाकुलम, त्रिचूर
		30. मालमपुझा	पालघाट, त्रिचूर
		31. पीच्ची	त्रिचूर
		32. नैय्यार	त्रिवेन्द्रम
		33. पोथुंडी	पालघाट
		34. गायत्री	पालघाट
		35. वालयार	पालघाट
		36. मँगलम	पालघाट
		37. चीराकुझी	त्रिचूर
		38. वंझानी	त्रिचूर
10. मध्य प्रदेश	7	39. चम्बल	भिंड, मोरेना
		40. तवा	होशंगाबाद
		41. बर्ना	रायसेन, सीहोर
		42. हलाली	रायसेन, विदिशा
		43. हसदेव	बिलासपुर, रायगढ़
		44. खारूंगताल	बिलासपुर
		45. मनियारी ताल	बिलासपुर
11. महाराष्ट्र	15	46. बाघ	भंडारा
		47. इतियादोह	भंडारा, चन्द्रपुर
		48. भीमा	शोलापुर
		49. घोड	अहमदनगर, पुणे
		50. जयकवाडी, चरण-एक और दो	अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड़, परधानी

1	2	3	4
		51. पूर्णा	नान्देड, परभानी
		52. गिर्ना	जलगांव
		53. अपर तापी, चरण-एक	जलगांव
		54. कृष्णा	संगली, सतारा
		55. कुकाड़ी	पुणे, अहमदनगर, शोलापुर
		56. पेंच	नागपुर भंडारा,
		57. मूला	अहमदनगर
		58. पंजन) 59. अपर पेनगंगा) 60. वर्ना)	नासिक, धुलिया, जलगांव, सागली, कोल्हापुर
12. मणिपुर	1	61. लोकतक लिफ्ट सिचाई स्कीम	मणिपुर (केन्द्रीय)
13. उड़ीसा	3	62. हीराकुड	बोलंगीर, सम्बलपुर
		63. महानदी डेल्टा	
		(क) नया महानदी डेल्टा	पुरी
		(ख) पुराना महानदी डेल्टा	कटक
		64. सालंदी	बालासोर, क्योंझर
14. राजस्थान	3	65. भाखड़ा गंग नहर	श्री गंगानगर
		66. चम्बल	बूंदी, कोटा
		67. राजस्थान नहर परियोजना, चरण-एक	बीकानेर, श्री गंगानगर
15. तमिलनाडु	3	68. कावेरी डेल्टा प्रणाली	कराईकल (पांडिचेरी), तंजावुर
		69. लोअर भवानी	कोयम्बतूर, तिरुची
		70. पेरियार वैगई	मदुरै

1	2	3	4
16. उत्तर प्रदेश	3	71. गंडक	देवरिया गोरखपुर
		72. रामगंगा	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतहपुर, कानपुर, मैनपुरी, मथुरा
		73. शारदा सहायक	इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, फैजाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, खेड़ी, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सुलतानपुर, वाराणसी
17. पश्चिम बंगाल	3	74. दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना	बांकुरा, बुर्दवान, हुगली, हावड़ा,
		75. कंग्सवती	बांकुरा, मिदनापुर, हुगली
		76. मयूराक्षी	वीरभूम, बुर्दवान, मुर्शिदाबाद

ग्रामीण कारीगर एवं बेरोजगार व्यक्ति

8454. **श्री चतुर्भुज :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपेक्षित ग्रामीण कारीगरों तथा बेरोजगार व्यक्तियों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिये एक आदर्श विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे राज्यों के उद्योग तथा ग्रामीण विकास मंत्रियों के सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने उपेक्षित ग्रामीण कारीगरों तथा बेरोजगार व्यक्तियों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए कोई भी आदर्श विधेयक का प्रारूप तैयार नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने की पेराई

8455. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशंका के बारे में मालूम है कि इस वर्ष किसानों के सारे गन्ने को पेरने में चीनी मिलें सक्षम नहीं होंगी और लगभग 1/3 गना बिना पेराई के रहने की सम्भावना है जिसके कारण किसानों में बहुत असन्तोष और नाराजगी हो सकती है; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक समूचे गन्ने की उनके द्वारा पेराई नहीं कर दी जाती, तब तक वे गन्ने की पेराई बन्द नहीं करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) देश की चीनी फैक्ट्रियों की पिराई क्षमता सीमित है और वे सामान्यतया उत्पादित गन्ने का लगभग 1/3 भाग पेरती हैं। शेष गन्ना खण्डसारी यूनिटों, क्शरों और कोल्हुओं द्वारा पेरा जाता है अथवा बीज तथा चूसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान मौसम के दौरान गन्ने का सभी समय का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। गन्ना उत्पादकों के हितों में यथा सम्भव अधिकतम गन्ना पेरने के लिए फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चीनी फैक्ट्रियों को शीघ्र गन्ना पेरने के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रूप में प्रोत्साहन दिया गया था। विलम्ब से पिराई करने के लिए इसी प्रकार की रियायत देने का भी विचार है। यथा-सम्भव अधिकतम गन्ना पेरने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका इस तथ्य से पता चलता है कि 15-4-1982 तक 299 फैक्ट्रियां कार्यरत थीं जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख तक केवल 74 फैक्ट्रियां कार्यरत थीं।

छोटे किसान, सीमांत किसान और कृषि विकास एजेन्सियों की स्थापना करना

8456. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1969 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति (वैंकटप्पाह समिति) के सिफारिशों पर 88 छोटे किसान, सीमांत किसान और कृषि श्रमिक विकास एजेन्सियों की स्थापना की गई थी और तब तक मुख्य बल समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का वित्त पोषण करना था;

(ख) क्या इस बल से वर्ष 1978 में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी 2 निर्णय हुये अर्थात (छोटे उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास सम्बन्धी नीति) (दो) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०);

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रम, जो पहले सघन कृषि जिला कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था और जो सात चुनींदा जिलों में वर्ष 1961 में लागू किया गया था, को कार्यान्वित करने में इन दो नियमों का क्या प्रभाव हुआ; और

(घ) क्या सरकार विशेष रूप से 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को शुरू करने को देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और इस बल की दिशा को सही करेगी ताकि प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जिसके लिये यह अभिप्रेत था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में 46 लघु कृषक विकास एजेन्सियां स्थापित की गई थीं। लघु कृषक विकास एजेन्सी के प्रतिमान पर सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 41 एजेन्सियां भी स्थापित की गई थीं। पांचवी योजना में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 168 संयुक्त एजेन्सियां स्थापित की गई थीं। 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों के कार्यक्षेत्र का ग्रामीण उद्योग तथा तृतीय क्षेत्र शामिल करने के लिए विस्तार किया गया था। 2 अक्तूबर, 1980 के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार पूरे देश में कर दिया गया था और लघु कृषक विकास एजेन्सी के चल रहे कार्यक्रमों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया था। लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम में मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन में सुधार करने तथा कमजोर वर्गों के आर्थिक हालात में सुधार करने हेतु अनेक उत्पादी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी सुलभ करने पर दिया गया था।

(ख) से (घ) कमजोर वर्गों पर अधिक बल देते हुए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत तथा पूरे देश में इसका विस्तार लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम में अपनाई गई पद्धति तथा इसके दृष्टिकोण की मूलभूत बातों को स्वीकार करके किया गया था और ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रत्येक सक्षम आर्थिक गतिविधि को वास्तविक रूप में शामिल करने हेतु उस कार्यक्रम के अधीन गतिविधियों का विस्तार किया गया था। लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम जो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन तथा लघु सिंचाई तक ही सीमित था, के विपरीत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधि के सम्पूर्ण ढांचे जिसमें कृषि, पशु-पालन, कुटीर तथा लघु उद्योग, सेवाएं तथा परम्परागत हस्तशिल्प, व्यापार आदि भी शामिल है, के लिए सहायता सुलभ की जाती है। वर्तमान कार्यक्रम में लाभभोगियों की आय को निर्धनता की रेखा से काफी ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त सहायक प्रबन्धों सहित विस्तृत एक मुश्त सहायता सुलभ करने पर बल दिया गया है। अब विशिष्ट रूप से गरीबी से रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह दृष्टिकोण है कि पूरे परिवार को उपदानों तथा बैंक ऋण के माध्यम से उत्पादी गतिविधियों द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए वित्तपोषित किया जाए। जनवरी, 1982 में घोषित किए गए 20-सूत्री कार्यक्रम में समन्वित ग्रामीण विकास कार्य-क्रम को शामिल करने से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों के आर्थिक हालातों में गिरावट की ओर निरन्तर ध्यान दिया गया है तथा छठी योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के ढांचे में इस कार्य को तात्कालिकता दी गई है।

फसल और पशु बीमा की व्यवस्था के लिये कानून

8457. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने फसल और पशु बीमा की व्यवस्था के लिये कानून बनाये हैं और इससे संबंधित कानून का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे; और

(ग) यदि नहीं तो जिन राज्यों में कानून नहीं बनाये हैं वहां फसल/पशु के मामले में नुकसान होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति या राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाये जाने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) 1979 से भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों क सहयोग से क्षेत्र के आधार पर एक मार्गदर्शी फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना स्वैच्छिक है और ऋण संस्थाओं द्वारा किसानों को दिये गये फसल ऋण से सम्बन्धित है। इस योजना में बीमाकृत फसल मौसम के दौरान मौसम की खराबी की वजह से यदि निश्चित उपज से क्षेत्र की औसत उपज कम हो तो योजना के चुनींदा इकाई क्षेत्रों के सभी बीमाकृत किसानो को एक समान क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। भारत सरकार ने 1979 में सभी राज्यों को इस योजना को अपनाने की सिफारिश की थी। अभी तक 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इस योजना को अपनाया है। कुछ अन्य राज्य भारतीय सामान्य बीमा निगम से अपने क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

1974 से भारतीय सामान्य बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियां देश भर में पशु बीमा की विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। योजना में बीमा अवधि के दौरान बीमा कृत पशु की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने के जोखिम से रक्षा करने की व्यवस्था है। प्रीमियम की दर 2.25 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत तक है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों के लिए तीन योजनाएं हैं, जिनके अन्तर्गत लाभभोगियों द्वारा राज सहायता पर खरीदे गये पशुओं के बीमा पर 2.25 प्रतिशत की दर से रियायती प्रीमियम लिया जाता है। 1981 में 53,53,900 पशुओं का बीमा किया गया जबकि 1980 में 50,14,394 पशुओं का बीमा किया गया था।

भवन निर्माण ऋण योजना हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा सहायता

8458. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने भवन निर्माण ऋण योजना के लिए हाल ही में सहायता के रूप में किसी राशि की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को इस ऋण के वितरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्रिटेन सरकार के साथ हुए करार का ब्यौरा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाएं एवं स्थल तथा सेवाएं आरम्भ करने के लिए राज्य आवास बोर्डों और निष्पादन करने वाले अभिकरणों को समकक्ष निधियां उधार देने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को 1475 लाख पौण्ड का अनुदान देने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इन निधियों के वितरणार्थ अपनाए गए मानदण्ड वही हैं जोकि हुडको द्वारा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए अपनाया जाता है।

राजस्थान में केन्द्रीय कृषि फार्म

8459. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान राजस्थान में प्रत्येक केन्द्रीय कृषि फार्मों पर प्रशासनिक व्यय सहित कुल कितना व्यय किया गया और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक फार्म से कितनी आय अर्जित की गई और प्रत्येक फार्म में पूंजीगत सामान की खरीद पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : भारतीय राज्य फार्म निगम का वित्तीय वर्ष 30 जून को समाप्त होता है। राजस्थान में भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों द्वारा किया गया खर्च तथा अर्जित की गई आय के आंकड़े केवल 30 जून, 1982 के बाद ही उपलब्ध होंगे। तथापि, 31 दिसम्बर, 1981 तक के व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं जो पूर्णरूप से अस्थायी है :

फार्म	किया गया व्यय (लाख रुपये)
सूरतगढ़ (सरदारगढ़ सहित)	195.06
जेतसर	70.08

इस व्यय में सिर्फ कृषि की प्रत्यक्ष लागत ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें ऊपरी खर्चों, मूल्य ह्रास, बोनस, ब्याज, आयकर, मुख्यालय में खर्च के अंश समेत सभी प्रकार की अप्रत्यक्ष लागतें भी शामिल हैं।

30 जून, 1981 तक सूरतगढ़ (सरदारगढ़ सहित) और जैतसर में पूंजीगत माल की खरीद पर खर्च की गई धनराशि क्रमशः 233.52 लाख रुपए तथा 71.86 लाख रुपए है। इसमें उपहारस्वरूप प्राप्त ट्रास्करों और जब फार्मों का प्रबन्ध निगम को हस्तान्तरित किया गया था, उस समय सूरतगढ़ तथा जेतसर फार्मों के अधिकार में लिए गए संयन्त्र तथा मशीनों की लागत भी शामिल है।

हैदवी और सेमारी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

8460 **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैदवी और सेमारी के लिए दो मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इनकी स्वीकृति कब तक मिल जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हैदवी और सेमारी सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामीण विकास एजेन्सी जिला रायसीन, मध्य प्रदेश

8461. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास एजेन्सी जिला रायसीन, मध्य प्रदेश ने वर्ष 1981-82 के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(ख) प्रत्येक विकास खण्ड से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्त तक कितने परिवारों को चुना गया और उनमें से कितने परिवारों को अनुदान और बैंक ऋण मंजूर किए गए;

(ग) क्या सभी ब्लाकों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1981-82 के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में ब्लाक-वार निर्धारित किए गए लक्ष्यों और 31 मार्च तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्योरा क्या है ?

(एक) कृषि तथा लघु सिंचाई

(दो) लघु और कुटीर उद्योग

(तीन) पशुपालन और डेरी और

(चार) अन्य

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

समेकित ग्रामीण विकास योजना

8462. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदिशा जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में ऐसे परिवारों की कुल संख्या क्या है जिन्हें समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 31 मार्च, 1982 तक ऋण और अनुदान मन्जूर किए गए हैं; और

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन्हें ऋण और अनुदानों की मन्जूरी दी गई है तथा उनकी राशि क्या है (एक) कृषि और सिंचाई; (दो) कुटीर तथा लघु उद्योग; (तीन) पशुपालन और डयरी फार्मिंग और (चार) अन्य ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

8463. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण सिदिशा ने प्राप्त कर लिये हैं और इस वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये खंडवार कितने परिवारों को चुना गया है और उनमें से कितने परिवारों/व्यक्तियों को अनुदान और बैंक ऋण मन्जूर किये गये हैं;

(ख) यदि वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तिहाड़ गांव दिल्ली में शमशान भूमि के निकट अनधिकृत निर्माण

8464. **श्री भोखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में तिहाड़ गांव के निकट शमशान भूमि के निकट अनधिकृत निर्माण पूरे जोर पर है और वहां अनेक दुकानें भी चलना आरम्भ हो गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह भूमि करीब एक साल पहले खाली पड़ी थी;

(ग) ये दुकानें, आदि किस आधार पर और किन अधिकारियों की अनुमति से बनाई जा रही हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन दुकानों को बिजली भी दे दी गई है जबकि नियमानुसार 1 जनवरी, 1981 को उसके बाद बनाये गये अनधिकृत निर्माणों को बिजली नहीं दी जाती हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में अनेक लिखित शिकायतें दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम को भेजी गई हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(च) ये सभी अनधिकृत निर्माण कब तक गिरा दिये जायेंगे और इस मामले में ढील दिखाने के उत्तरदायी व्यक्तियों और विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

8465. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या क्या है और उनके निदेशक मण्डल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनका कार्यकाल क्या है;

(ख) इन बोर्डों का गठन किस तारीख को किया गया था तथा उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त होगा;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियों के हितों की देखरेख हेतु इन निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीति को सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन तथा अन्य बोर्डों के निदेशक मण्डल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश अभी विचाराधीन है, यदि हां, तो उस पर निर्णय क्या लिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न, चीनी तथा खाद्य तेलों की सप्लाई

8466. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981-82 में चावल, गेहूं, चीनी तथा खाद्य तेलों की कुल मांग कितनी थी तथा उनका कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) क्या यह सच है उक्त चार वस्तुओं के बारे में किया गया आवंटन उनकी कुल मांग की तुलना में काफी कम था; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) एक विवरण (परिशिष्ट) संलग्न है जिसमें 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों की मांग और उनको इनके किए गये आवंटन को बताया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यथार्थ रूप में ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वह इन जिन्सों के बारे में राज्यों की समूची खपत/आवश्यकता को पूर्णतया

पूरी कर सकेगी। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को ये आवंटन स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान के पैटर्न आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं।

विवरण

लोक सभा में 19-4 82 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 8466 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश की चावल, गेहूं, चीनी और आयातित खाने के तेल की मांग और उनके किए गए आवंटन को बताने वाला विवरण।

मांग (हजार मीटरी टन में)

मास	चावल	गेहूं सा०वि० प्र०	गेहूं रो० फ०मि०	चीनी	आयातित खाने के तेल	चावल	गेहूं सा०वि० प्र०	गेहूं रो० फ०मि०	चीनी	आयातित खाने के तेल
1981										
अप्रैल	100	100	65	@@ **		75	40	30	41.761	2.300
मई	100	60	50	कृपया नीचे		75	40	30	41.761	1.670
जून	100	50	65	नोट देखें		75	40	30	41.761	1.800
जुलाई	100	90	65			75	40	30	41.761	2.000
अगस्त	100	100	75			75	40	30	41.761	2.200
सित०	100	100	75			75	40	33	41.761	5.500
अक्तू०	100	100	75			75	40	30	41.761	5.500
नवम्बर	75	40	30			75	40	30	41.761	1.500
दिसम्बर	45	70	65			45	40	30	41.761	1.200
1982										
जनवरी	45	50	40			45	40	30	41.761	2.538
फरवरी	45	50	40			45	40	30	41.761	1.538
मार्च	55	50	40			45	35	30	41.761	1.700

(@@) चीनी का आवंटन राज्य सरकारों से प्राप्त मांग के आधार पर नहीं किया जाता है। ये कोटे कुछेक समान मापदण्डों के आधार पर सभी राज्य सरकारों को आवंटित करने के लिए कुल उपलब्ध लेवी चीनी में से आवंटित किए जाते हैं।

(**) राज्य सरकार ने वर्तमान तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर, 1981 से अक्तूबर, 1982) से लिए अपनी आवश्यकता 42,000 मीटरी टन बतायी है। उन्होंने फरवरी, 1982 में 3,000 मीटरी टन खाने के आयातित तेल का और आवंटन करने के लिए अनुरोध किया था।

सा० वि० प्र०—सार्वजनिक वितरण प्रणाली

रो० फ्० मि०—रोलर फ्लोर मिल

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

8467. **श्री ए० के० राय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र क्या हैं और उसके विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पारिश्रमिक काम के बदले अनाज कार्यक्रम से भी कम है; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को काम के बदले अनाज योजना के अनुरूप लाने के लिए इसकी दर में वृद्धि करेगी, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन;

(2) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना जिनसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का तेजी से विकास होगा तथा निर्धन ग्रामीणों के आय-स्तरों में भी तेजी से वृद्धि होगी; और

(3) निर्धन ग्रामीणों के पोषणिक स्तरों तथा रहन सहन के स्तरों में सुधार।

जहां तक कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध है, सभी तरह के निर्माण कार्यों, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पतियों का सृजन होता है, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा सकने वाले निर्माण कार्यों की सूची, जो केवल निदर्शी है न कि सर्वांङ्पूर्ण, संलग्न है।

(ख) व (ग) यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पारिश्रमिक काम के बंदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले पारिश्रमिक से कम है। अत: इसमें बढ़ोत्तरी करने का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी दशा में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी प्रत्येक राज्य में लागू न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर होगी।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों की मदों को दर्शाने वाली सूची।

1. सरकारी तथा सामुदायिक भूमि, जिसमें स्थानीय निकायों जैसे पंचायतें आदि की भूमि भी शामिल है, पर वन-रोपण तथा सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, नहरों के

तटों तथा रेलवे लाइनों आदि के साथ बेकार पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना, निरावृत वन क्षेत्रों तथा कृषि के लिए अयोग्य अन्य भूमि पर पेड़ लगाना, ईन्धन व चारे के लिए और फलदार वृक्ष लगाना;

2. पेयजल कुएं, सामुदायिक सिचाई कुए, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि विकास परियोजनाएं;

3. मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, सिचाई या मत्स्यपालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबो का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना तथा उनका पुनरुद्धार करना;

4. लघु सिचाई निर्माण कार्य जिसमें बाढ़ बचाव, नालियां तथा जल लग्नता निवारक कार्य सिचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में माध्यमिक तथा मुख्य नालियों तथा खेत की नालियों का निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि, जल वाहिकाओं आदि की सफाई करना तथा उनकी गाद निकालना आदि शामिल हैं;

5. भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार;

6. मानक विनिर्देशनों, के अधीन ग्रामीण सड़कें जहां उन्हें पक्का करने, क्रास जल निकासी रख-रखाव आदि के लिए विशिष्ट वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं;

7. विद्यालय तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेय जल कुएं, वन क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए पेय जल स्रोत, पशुओं के लिए तालाब, पिंजरापोल, गौशालाएं, सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअरों के लिए घर, नहाने तथा कपड़े धोने का घाट, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक कूड़े-दान और सामुदायिक बायो-गैस सयंत्र।

दिल्ली में और अधिक दूध के डिपो

8468. **श्री राजेश पाइलट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 8 बजे प्रातः से 8 बजे सायं के बीच नियमित सेवा के लिए और अधिक दूध के डिपो खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा और इसकी रोजगार क्षमता को ध्यान में रखते हुए एशियाई खेलों की तैयारी के तौर पर ऐसे केन्द्र डिपो खोलने की कोई योजना बना रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

सुपर बाजार द्वारा जब्त किये गये माल की बिक्री के लिए सामान्य नियमों का पालन

8469. **श्री के० लकप्पा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में सुपर बाजार जब्त किये गये विदेशी माल की बिक्री के बारे में सामान्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हे और प्रभावी व्यक्ति ऐसा सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कर ली गई है तथा सुपर बाजारों को बिक्री के सामान्य तरीके अपनाने के लिए अनुदेश दे दिये गये हैं ताकि सभी खरीदारों को ऐसा विदेशी माल खरीदने के लिए समान अवसर मिल सके ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) सरकार का ध्यान सुपर बाजार में जब्तशुदा वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी समाचारों की ओर दिलाया गया है। इस समय सुपर बाजार जब्तशुदा वस्तुओं को "पहले आये सो पहले पाये" आधार पर बेचने की नीति अपना रहा है। ग्राहक उपलब्ध जब्तशुदा वस्तुएं अपनी पसंद के अनुसार चुनने के लिए स्वतन्त्र हैं।

आन्ध्र प्रदेश के गांवों में पेय जल की सुविधाएं

8470. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां गत दो वर्षों के दौरान पीने के पानी सुविधाएं नहीं थीं और उन गांवों की संख्या कितनी है, जहां उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार पीने के पानी की पानी की व्यवस्था की गई;

(ख) इस कार्यक्रम का सरकार द्वारा कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और इस बारे में राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पेयजल सुविधाओं से रहित जनसंख्या का जैसी कि 31 मार्च, 1981 को थी, राज्यवार खासकर आन्ध्र प्रदेश में अध्ययन किया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार 8206 समस्याग्रस्त गांव थे जिनमें प्राथमिकता के आधार पर जलपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता थी। वर्ष 1980-81 और 1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक) के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जिन समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल पूर्ति सुविधाएं दे दी गई हैं उनकी संख्या क्रमशः 487 और 243 थी।

(ख) छठी योजना के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत जिसमें वर्ष भर निरन्तर जल उपलब्ध हो, उपलब्ध कराकर जल मुहैया

कराने के प्रयास किए जायेंगे। 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की राज्यवार सूची संलग्न है। समूची छठी योजना के लिए वर्षवार और राज्यवार कोई प्रक्षेपण नहीं बनाया गया है।

(ग) जी, हां।

विवरण

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

31-3-1980 तक पता लगाए उन शेष समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जिनमें जल पूर्ति मुहैया की जानी है

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,206
2.	असम	15,743
3.	बिहार	15,194
4.	गुजरात	5,318
5.	हरियाणा	3,440
6.	हिमाचल प्रदेश	7,815
7.	जम्मू और कश्मीर	4,698
8.	कर्नाटक	15,456
9.	केरल	1,158
10.	मध्य प्रदेश	24,944
11.	महाराष्ट्र	12,935
12.	मणिपुर	1,212
13.	मेघालय	2,927
14.	नागालैंड	649
15.	उड़ीसा	23,616

1 2	3
16. पंजाब	1,767
17. राजस्थान	19,803
18. सिक्किम	296
19. तमिलनाडु	6,649
20. त्रिपुरा	2,800
21. उत्तर प्रदेश	28,505
22. पश्चिम बंगाल	25,243
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप	173
24. अरुणाचल प्रदेश	1,740
25. चण्डीगढ़	शून्य
26. दिल्ली	99
27. दादर और नगर हवेली	—
28. गोआ, दमन और द्वीव	66
29. लक्षद्वीप	—
30. मिजोरम	214
31. पाण्डिचेरी	118
योग	2,30,784

छोटे किसानों के ऋण समाप्त करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध

8471. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों के, जिन्होंने सहकारी संस्थानों से ऋण लिया था, ऋण समाप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त ऋण की राशि के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने तदनुसार अनुमति दे दी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

मिट्टी का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाएं

8472. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के सम्बन्ध में कृषि कार्य करने वालों को समय-समय पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में मिट्टी-परीक्षण प्रयोगशाला है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० स्वामीनाथन्) : (क) किसानों के लिए मृदा परीक्षण सम्बन्धी परिणामों के आधार पर विशिष्ट उर्वरकों के बारे में सिफारिश करने हेतु 329 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जबकि देश में लगभग 400 जिले हैं। जिले के मुख्यालयों पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित हैं ।

(ख) राज्य सरकार मृदा परीक्षण कार्यक्रम की अपनी वार्षिक योजनाओं में संवीक्षा करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की व्यवस्था करती हैं ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय की शाखा खोलना

8473. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को पहाड़ी क्षेत्र में अपनी शाखा खोलने का परामर्श देगी ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय पहाड़ी क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, जिसका मुख्य परिसर पंत नगर में है, पहले से ही टिहरी गढ़वाल जिले के रानीचौरी स्थान में एक पर्वतीय परिसर की स्थापना की है । पर्वतीय क्षेत्र के कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान और

प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार की सहायता से इस परिसर को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत रानीचौरी परिसर को और सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के कार्यक्रम में शामिल किये गये विकास खंड

8474. **श्री हरीश रावत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष कुल कितने नए विकास खण्डों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के कार्यक्रम में शामिल किया गया है और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इनके चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा गठित कार्यदल ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 142 नए विकास खण्ड शामिल करने की सिफारिश की है। सिफारिशों का राज्यवार ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है। सिफारिश सिंचाई के मानदण्ड, वर्षा, प्रशासनिक सक्षमता और अपेक्षित विकास नीति के स्वरूप पर आधारित है। कार्यदल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए कार्यदल द्वारा सिफारिश किए गए नए विकास खण्ड।

राज्य	खण्डों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	5
2. बिहार	7
3. गुजरात	9
4. हरियाणा	4
5. जम्मू तथा कश्मीर	—
6. कर्नाटक	26
7. मध्य प्रदेश	6
8. महाराष्ट्र	26
9. उड़ीसा	14
10. राजस्थान	2
11. तमिलनाडु	4
12. उत्तर प्रदेश	39
13. पश्चिम बंगाल	—
योग	142

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन विश्वविद्यालय की स्थापना

8475. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन-विज्ञान में शिक्षा देने की दृष्टि से एक वन विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) केन्द्रीय सरकार का वन विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

वन प्रबन्ध नीति में संशोधन के लिए बिहार सरकार से प्राप्त अनुरोध

8476. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन प्रबन्ध नीति, जो कि ईंधन के मुख्य स्रोत तथा पशुओं के चारे से वंचित स्थानीय लोगों की हितों की रक्षा कर सकती हैं, में संशोधन के लिए बिहार सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों पर जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई समिति भी गठित की गई थी और यदि हां, तो इसने यदि कोई सिफारिशें की हैं तो उनके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं । भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

कर्नाटक में अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित क्षेत्र

8477. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के प्रत्येक जिले में अब तक कितनी भूमि में अधिक उपज देने वाली किस्मों की काश्त की गई है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के शेष तीन वर्षों में कर्नाटक के प्रत्येक जिले सहित सम्पूर्ण देश में कितने क्षेत्र को अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 क दौरान कर्नाटक के जिलों और सारे देश में अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़े और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के लक्ष्य संलग्न विवरण में दे दिये गये हैं।

विवरण

(लाख हैक्टार में)

कर्नाटक के जिले	1981-82 (उपलब्धि)	1984-85 (लक्ष्य)
1	2	3
1. बंगलौर	1.98	2.18
2. कोलार	1.90	1.90
3. तुमकूर	1.52	1.88
4. शिमोगा	2.06	3.00
5. चित्रदुर्ग	2.16	3.46
6. मैसूर	2.34	3.01
7. मांड्या	1.35	1.60
8. कोडागू	0.27	0.38
9. हसन	1.60	2.07
10. चिकमगलूर	0.94	1.12
11. दक्षिण कन्नड़	0.81	1.02
12. धारवाड़	1.99	3.44
13. उत्तर कन्नड़	0.60	0.70
14. बेलगांव	1.81	3.02
15. बीजापुर	2.57	3.04
16. रायचूर	1.84	2.71
17. बेलारी	1.86	2.96
18. गुलबर्ग	0.66	1.08
19. बीदर	0.65	1.11
अखिल भारत	466.80	560.00

बिहार में हथिया नक्षत्र में वर्षा न होने के कारण धान की फसल को क्षति

8478. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरीफ की फसल के दौरान बिहार में हथिया नक्षत्र में वर्षा न होने के कारण धान की फसल को बड़े पैमाने पर क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अनेक ब्लाकों को पानी की कमी वाले ब्लाक घोषित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने, इस स्थिति का सामना करने में सहायता देने हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 1981 में हथिया नक्षत्र में वर्षा न होने के कारण भदाई और अघानी फसलों को क्षति पहुंची थी। राज्य सरकार ने बताया कि 16 जिलों के 66 लाख हैक्टार क्षेत्र पर अभाव परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा।

(ख) तथा (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने राज्य के निम्नलिखित 16 जिलों के 182 खण्डों को अभाव ग्रस्त खण्ड घोषित किया है :

जिले का नाम	खण्डों की संख्या
गया	13
नवादा	10
औरंगाबाद	6
भागलपुर	9
मुंगेर	10
संथाल परगनाज	31
खगरिया	6
रांची	12
पलमाऊ	20
हजारीबाग	24
गिरीदी	18
धनबाद	8
सिंहभूम	5
भोजपुर	2
रोहतास	3
सहरसा	5

(घ) तथा (ङ) बिहार सरकार ने बताया है कि सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया जा रहा है और इसे भारत सरकार को भेज दिया जायेगा। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

बिहार सरकार के पास प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 13.08 करोड़ रुपये की वार्षिक मर्जिन धन राशि है। इसके अतिरिक्त, 1981-82 के दौरान भारत सरकार ने कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए 14.00 करोड़ रु० (खरीफ के लिए 4.00 करोड़ रु० और रबी के लिए 10.00 करोड़ रु०) की धनराशि अल्पावधि ऋण के रूप में स्वीकार की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार को 20,000 मीटरी टन खाद्यान्नों के आवंटन सहित 12.10 करोड़ रु० की नकद सहायता दी गई थी।

सिंचाई के साधनों में वृद्धि के लिए योजना आयोग से धनराशि देने के लिए अनुरोध

8479. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में सिंचाई साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से योजना आयोग को इस वर्ष अतिरिक्त राशि देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई के अतिरिक्त साधनों और इस धनराशि के लिए किए गए अनुरोध का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) (1) वर्ष 1981-82 के लिए, राज्यों को दी जाने वाली 209.68 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया था।

(2) छठी योजना के शेष तीन वर्षों (1982-83 से 1984-85 तक) के लिए सिंचाई हेक्टर, हेतु 2600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के सम्बन्ध में एक पृथक प्रस्ताव भी परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने और 0.26 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए योजना आयोग को भेजा गया था। और इस प्रकार छठी योजना का लक्ष्य 13.74 मिलियन हेक्टेयर से बढकर 14.00 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

(ग) (1) योजना आयोग ने संसाधनों की तंगी के कारण वर्ष 1981-82 के लिए कोई अग्रिम योजना सहायता देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(2) 2600 करोड रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है।

मधुमक्खी परागण तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्रोत

8480. **श्री बो० वो० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुमक्खी के परागण से तिलहनों और फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 1982 से कोई योजना शुरू की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या मधुमक्खी परागण पर प्रयोग प्यून में किया गया था और परिणाम बहुत उत्साहवर्धक थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह योजना खेतों में भी शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में यह योजना कितनी सहायक होगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (घ) केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान सस्थान, पुणे तथा महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी से अनुरोध किया गया है कि वे प्रश्न से सम्बन्धित सूचना भेजे। जैसे ही इन संस्थानों से सूचना प्राप्त हो जायेगी प्रश्न से सम्बधित उत्तर सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में सस्ते किस्म के होटलों का निर्माण किया जाना

8481. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में और अधिक सस्ते होटलों का निर्माण करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन निगम ने मार्च, 1982 के पहले सप्ताह के दौरान पर्यटकों के लिए ऐसे 5 होटलों का प्रस्ताव रखा था;

(ग) यदि हां, तो क्या डी० डी० ए० और दिल्ली पर्यटन विकास निगम इस परियोजना के लिए दो मुख्य प्रतिस्पर्द्धी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार ने विण्डसर प्लेस में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा जनता होटल (अशोक यात्री निवास) के निर्माण की मन्जूरी दी थी। दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा 10 नागरिक आवास गृहों के निर्माण को भी सैद्धान्तिक रूप से मन्जूरी दी गई।

(ख) और (ग) 15 मार्च, 1982 को दिल्ली पर्यटन विकास निगम से रियायती दर पर 5 होटल स्थलों के आवंटन के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था : 4 सरकार के तथा 1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के, जिसमें स्थलों की अनुमानित स्थिति का संकेत किया गया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है।

पंजाब में चीनी फैक्ट्री की स्थापना

8482. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब में चीनी मिलों की स्थापना के प्रस्ताव पर शीघ्र मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में 90% से 82% तक की तुलना में पंजाब में वर्तमान चीनी मिलों में केवल 33% गन्ने की पिराई की जा रही है:

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक चीनी उत्पादक राज्यों ने अपने राज्यों में चीनी यूनिटों की स्थापना हेतु, मंजूरी देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि, हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने और चीनी की मिलें लगाने का केन्द्र से अनुरोध किया है और इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों और दादर तथा नागर हवेली के संघ शासित प्रदेश ने नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं और आशा है कि छठी योजना में लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार और अन्तरक्षेत्रीय तथा पिछड़े हुए जिलों की अग्रता को ध्यान में रखकर सरकार निर्णय ले लेगी।

उर्वरक की खपत में वृद्धि करने की योजना

8483. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी नई योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत उर्वरक की खपत को वर्ष 1981-82 में 61.3 लाख टन से बढ़ाकर वर्ष 1982-83 में 72 लाख टन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मंत्रालय ने निर्णय किया है कि उर्वरक वितरण के लिए ऋण 75.5 प्रतिशत ब्याज की वर्तमान दर के बजाए 12 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए; और

(ग) क्या कार्यवाही योजना के अन्तर्गत सारे देश में गहन कृषि विकास के लिए 400 संस्थाओं द्वारा 10000 गांवों को स्वीकार करने का भी प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) 1982-83 के लिए पोषक तत्वों के रूप में 72 लाख मीटरी टन उर्वरक की खपत का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 1981-82 में 61.30 लाख मीटरी टन की खपत का अनुमान था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1982 के दौरान गहन कृषि विकास के लिए विभिन्न संगठनों/एजेंसियों द्वारा 5000 ग्राम अपनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

लूनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा के लिए मास्टर प्लान

8484. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज तक लूनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी;

(ग) उस पर वार्षिक रूप से कितनी राशि व्यय की जाएगी और इस राशि में केन्द्रीय अंश कितना होगा; और

(घ) इस मास्टर प्लान में आरम्भ किए गए और पूरा किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि लूनी नदी की बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विस्तृत (मास्टर) योजना तैयार करने का कार्य, पूर्ण होने के अपने अन्तिम चरणों में है ।

(ग) और (घ) बाढ़-नियन्त्रण एक राज्य-विषय है और इस क्षेत्र के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपने-अपने वार्षिक योजना बजट में की जाती है । राजस्थान सरकार ने लूनी बेसिन में कुछ आवश्यक बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिए हैं और मार्च, 1982 तक लगभग 45 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि शेष निर्माण-कार्य विस्तृत योजना में की गई व्यवस्था तथा उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हुए पृथक-पृथक स्कीमों की स्वीकृति के अनुसार हाथ में लिए जाएंगे ।

गांधी सागर बांध

8485. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी सागर बांध के अन्तर्गत जलमग्न होने वाले क्षेत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच कोई करार हुआ था और यदि हां, तो क्या उक्त करार की प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त करार का उल्लंघन किया है और गांधी सागर बांध के अन्तर्गत जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में अनेक छोटे बांध बनाकर अब तक 50 हैक्टेर भूमि में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गांधी सागर बांध के अन्तर्गत जलमग्न होने वाले क्षेत्र के उपयोग के सम्बन्ध में किसी ऐसे करार की केन्द्रीय सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मरुस्थल क्षेत्रों की समस्या

8486. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुस्थल-क्षेत्रों की विशाल और अत्यन्त कठिन समस्या को देखते हुए मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया आवंटन बहुत अपर्याप्य है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग मरुस्थल क्षेत्रों की विशाल और अत्यन्त कठिन समस्या को देखते हुए इस राशि को कम से कम 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को कहेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए छठी योजना मे 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को बराबर का योगदान देना होता है। व्यय के वार्षिक स्तर पर विचार करते हुए, उपलब्ध निधियों को अपर्याप्त नहीं समझा जा सकता है। हालांकि यह सच है कि मरुस्थल क्षेत्रों में अनेक कठिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वहां विकास के लिए अत्यधिक व्यय की आवश्यकता होती है फिर भी, निधियो के प्रावधान का निर्धारण ऐसी सक्षम योजनाओं पर विचार करते हुए करना होता है जिन्हें उपयुक्त समय में सन्तोषजनक रूप से क्रियान्वित किया जा सके। अभी तक निधियों की तंगी के कारण मुख्य कठिनाई उत्पन्न नही हुई है।

उत्तर प्रदेश में पेय जल

8487. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित पेयजल सप्लाई करने सम्बन्धी उन योजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है तथा प्रत्येक पर लागत कितनी आयेगी; और

(ख) किस तारीख तक उनमें से प्रत्येक के पूरी होने की सम्भावना है साथ ही इनसे कितने गांव और जनसंख्या को लाभ पहुँचेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई और निष्पादित की जाती हैं। तथापि, पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामो को पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण

जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक 2600 ग्रामों के लिए 198 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को मन्जूरी दी गई है। इन योजनाओं की अनुमोदित लागत 3834.69 लाख रुपए है।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिसम्बर, 1981 तक 1041 ग्रामों की योजनायें पूरी हो गई हैं। शेष योजनाओं को छठी योजना के अगले दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से 21.63 लाख लोगों को लाभ होने का अनुमान है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की करनाल बंट असंक्राम्य किस्म का विकास

8488. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की करनाल बंट-असंक्राम्य का विकास किया है (टाइम्स आफ इंडिया 8.3.1982) और यदि हां, तो सरकार तथा अन्य एजेन्सियों को इस किस्म का कितने टन का वितरण किया है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले 20 वर्षों में गेहूं की इस खतरनाक बीमारी का कोई इलाज ढूंढा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस बीमारी के फैलने का कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से बीज का वितरण करते समय ध्यान न देना है; और

(घ) कृषि उत्पादों को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। अब तक कहीं भी करनाल बंट रोग से मुक्त (रोग रहित) गेहूं की कोई भी किस्म विकसित नहीं की गयी है। फिर भी, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की दो किस्में एच० डी० 2281 और एच० डी० 2285 विकसित की हैं जो अपेक्षाकृत अधिक रोग-रोधी हैं। इन दो किस्मों के क्रमश: 10 और 5 क्विंटल प्रजनक बीजों के वर्तमान खरीफ मौसम में उत्पादन की व्यवस्था की गयी है। इन किस्मों के बीजों का राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगमों के माध्यम से आधारी (मूल) और प्रमाणित बीज के रूप में सम्वर्धन और वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, छ: अन्य किस्मों का भी, जिनमें रोग सहिष्णुता की शक्ति है, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा पता लगाया गया है। इन किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि गेहूं की रोगरोधी/सहिष्णु किस्मों का उपयोग इस बीमारी के मौजूदा समय में नियन्त्रण के लिए एक मात्र ठोस इलाज है।

(ग) यह बीमारी हवा से पैदा होती है और हवा द्वारा यह बहुत दूर तक फैल सकती है। इसी बीमारी के फैलाव को रोकने में यह नहीं माना जा सकता कि या तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय बीज निगम या अन्य सरकारी एजेन्सियों की बीज वितरण पद्धति असफल हो गयी है, क्योंकि उनका प्रयास रोग मुक्त या प्रमाणित बीज उगाने की दिशा में है।

(घ) सरकार ने उपयुक्त अनुसंधान और विस्तार नीति अपनाई है, जैसे — आनुवंशिक तौर पर रोगरोधी फसल किस्मों का उपयोग, रोगमुक्त या उपचारित बीजों का उपयोग, रोग का प्रबोधन और निगरानी, आवश्यकता के अनुसार रासायनिक नियन्त्रण और रोग को न्यूनतम करने के लिए, जो कृषि उत्पादों को प्रभावित करता है, कृषि क्रियाओ का उपयोग करना।

सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई० जांच समिति की अन्तरिम सिफारिशें

8489. **श्री हरिकेश बहादुर : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई० की जांच समिति के चेयरमेन ने भारतीय कृषि अनुसंधान के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कुछ अन्तरिम सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष, 1978 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में घटी दुखद घटनाओं के बारे में मूल सुचना उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों को बचाने और पदोन्नत करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान से सम्बन्धित जांच समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री ज्योतिर्मय बसु से दिनांक 5.3.1981 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मंत्री (कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण) के व्यक्तिगत सूचना के लिए मामलों की एक सूची संलग्न की गयी थी। तथापि, इस पत्र में कोई विशिष्ट अन्तरिम सिफारिशें नहीं की गई थीं। रिपोर्ट के भाग-I के परिशिष्टों के साथ भाग III अन्तिम रिपोर्ट केवल फरवरी, 1982 के आखिर में प्राप्त हुई थी। भाग-I, II तथा III में जांच समिति की जो उपलब्धियां हैं परिषद में उसकी बारीकी से अध्ययन की आवश्यकता है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही लिया जा सका है क्योंकि केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय की रिपोर्ट से सम्बन्धित रिकार्ड केवल 17.2.1982 को समिति को वापस प्राप्त हुआ था।

(ग) दिनांक 9.3.1979 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी-निकाय ने केन्द्रीय भेड तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर तथा भेड़ प्रजनन फार्म, ताल में कथित भेड़ की अधिक मृत्यु दर पर विचार किया था तथा मामले की छानबीन के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया था। तदनुसार स्वर्गीय ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उस समय के शासी निकाय के सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक 15.5.1979 को एक समिति गठित की गई थी।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ऐसी कोई पदोन्नति नहीं की गई है जो कि परिषद के नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं है। जांच समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है तथा जो भी दोषी पाया जायेगा उस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

मिल मालिकों द्वारा गन्ने की खरीद न किया जाना

8490. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों को ठीक ढंग से चलाने हेतु देश में चीनी मिलों के मालिकों के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि चीनी मिल मालिक किसानों से उचित मूल्य पर गन्ने की खरीद नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में चीनी मिल मालिकों तथा किसानों को क्या मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) चीनी मिलों का समुचित संचालन मुख्यतः चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966, गन्ना (नियन्त्रण आदेश) 1966, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 और चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार गन्ने का केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। गन्ना उत्पादकों को वास्तव में दिए गए मूल्य, सांविधिक न्यूनतम मूल्य से साधारणतया काफी अधिक हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्तमान मौसम के लिए निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य और गन्ना उत्पादकों को वास्तव में दिए जा रहे मूल्य बताए गये हैं।

लोक सभा में 19 अप्रैल, 1982 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या

विवरण

1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों में गन्ने का न्यूनतम अधिसूचित मूल्य और फैक्टरियों द्वारा दिये गये मूल्य के रेंज को बताने वाला विवरण

(रुपये/क्विंटल)

राज्य	न्यूनतम अधिसूचित	1981-82 मौसम के आरम्भ होने पर दिया गया मूल्य
1	2	3
उत्तर प्रदेश	13.00 से 16.52	20.50 से 21.50

1	2	3
बिहार	13.00 से 16.21	20.50
पंजाब	13.00 से 14.53	23.00 से 26.00
हरियाणा	13.00 से 15.60	22.00
असम	13.00	19.50 से 20.00
पश्चिमी बंगाल	13.00	16.00 से 23.00
उड़ीसा	14.07 से 14.22	14.22 से 20 00
मध्य प्रदेश	13.00 से 14.68	20.00 से 21.00
राजस्थान	13.00 से 14.99	20·00 से 25.00
महाराष्ट्र	13.00 से 18.81	17.00 से 22.00
गुजरात	13.00 से 17.13	10.00 से 20.00
आन्ध्र प्रदेश	13.00 से 16.21	16.00 से 23.07
तमिलनाडु	13.00 से 15.45	13.00 से 18.05
कर्नाटक	13.15 से 17.44	17.50 से 21.68
केरल	13.00 से 13.92	15.00 से 17.00
पांडिचेरी	13.15	16.69
नागालैण्ड	13.00	19.50
गोआ	13.15	13.50

नोट : महाराष्ट्र और गुजरात में फैक्ट्रियों ने खेत पर अफ़ीम के रूप में सामान्यतया अस्थाई मूल्य दिए हैं।

राज्यों में कृषि विस्तार कार्यक्रम

8491. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से और कितने राज्य हैं, जहां विश्व बैंक की सहायता से कृषि संवर्धन का प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) ये कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किए गए हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसे कार्यक्रम अब भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं तथा (राज्यवार) इन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ङ) क्या उनके मन्त्रालय ने इस कार्यक्रम के शुरू होने से अब तक इस कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में सम्बन्धित राज्यों में कोई पुनरीक्षण किया है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली कार्यक्रम 13 राज्यों अर्थात्, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है ।

(ख) यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में नीचे दिए वर्ष में शुरू किया गया था :

1977—उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश

1978—राजस्थान, गुजरात, बिहार, हरियाणा तथा कर्नाटक

1980—केरल

1981—तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र

1982—आंध्र प्रदेश

(ग) जी हां ।

(घ) इस प्रणाली का मुख्य लक्ष्य किसानों को अनुसन्धान केन्द्रों से कृषि तकनीकी के कारगर हस्तान्तरण को सुनिश्चित करना है । इस प्रणाली का लक्ष्य प्रत्येक पखवाड़े में एकबार विषय वस्तु सम्बन्धी विशेषज्ञों के जरिए क्षेत्रीय स्तर के विस्तार कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना है । बाद में प्रत्येक पखवाड़े में एक बार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विस्तार सेवा कर्मचारियों द्वारा किसानों के यहां नियमित रूप से दौरा करना है । राज्यवार वित्तीय परिव्यय प्रदर्शित करने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ङ) जी हां।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

कृषि विस्तार कार्यक्रम की प्रशिक्षण तथा दौरा परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्यवार वित्तीय परिव्यय का विवरण

राज्य का नाम	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	विश्व बैंक की सहायता दस लाख अमरीकी डालर में
1. उड़ीसा	26.00	20.00
2. पश्चिम बंगाल	25.33	12.00
3. असम	14.76	8.00
4. मध्य प्रदेश		
चरण-1	10.80	10.00
चरण-2	42.00	37.00
5. राजस्थान	23.89	13.00
6. गुजरात	12.65	7.00
7. बिहार	14.70	8.00
8. हरियाणा	11.35	6.20
9. कर्नाटक	20.58	11.10
10. केरल	12.84	10.00
11. तमिलनाडु	31.26	28.00
12. महाराष्ट्र	26.66	23.00
13. आंध्र प्रदेश	7.00	6.00
	279.90	199.30

विवरण-2

प्रशिक्षण तथा दौरा विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संवीक्षा

1. राजस्थान के चम्बल क्षेत्र में प्रगति

(उपज प्रति क्विंटल/हैक्टार)

फसल	परियोजना शुरू होने से पूर्व औसतन उपज (1974)	1975-76	1976-77	1977-78	लक्षित स्तर
धान	20.49	33.51	36.06	43.60	35.70
ज्वार	4.39	4.02	6.63	8.30	8.38
गन्ना	408.00	—	594.00	605.00	710.00

2. राजस्थान के गंगानगर जिला, गंग नहर-चुकन्दर की उपज

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टार में)	उत्पादन (मीटरी टन में)	औसतन उपज (मीटरी टन/ हैक्टार में)	उत्पादन की गई पानी की कीमत (लाख रुपये)
1970-71	100	879	8.75	—
1971-72	699	2751	3.75	2.06
1972-73	785	11400	14.52	20.13
1973-74	1125	9475	8.42	21.92
1974-75	714	5616	8.00	12.91
परियोजना शुरू करने के बाद				
1975-76	1200	24211	20.00	60.59
1976-77	1200	32823	27.50	76.94
1977-78	1120	33632	30.00	—

3. राजस्थान के नहरी क्षेत्र में एकल वी० एल० डब्ल्यू का प्रभाव

मद	परियोजना शुरू करने से पूर्व (1974)	1980-81
ट्रैक्टर (ट्रोलियों के साथ)	5	42
थ्रेसर्स	—	23
हवाई छिड़काव के यंत्र	2	80
जीप तथा कार	3	15
पक्के घर	7	94
मजदूरी की दरें	5 रुपये	15-20 रुपये
शराब के ठेके	39,000 रुपये	1,70,000 रुपये (1979-80)

राजस्थान नहरी क्षेत्र के आर्थिक कल्याण सम्बन्धी प्रभाव

क्र०सं० मद	1973-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81
1. ट्रैक्टर	222	431	680	996	1458	1957	2194	2597
2. ट्रोली	201	382	605	895	1266	1717	1935	2212
3. थ्रेसर	39	125	268	466	752	1093	1288	1593
4. स्प्रेयर्स	108	219	490	740	1062	1822	2216	2462
5. डस्टर	30	63	90	126	212	2287	313	497
6. पम्प सैट	11	30	53	83	115	138	195	244

इनके अलावा, यह कार्यक्रम शुरू करने के बाद, निम्नलिखित स्पष्ट प्रभाव महसूस किए गए हैं :

(क) उड़ीसा में मूंग के तहत का क्षेत्र 1977 में 37,377 हैक्टार से बढ़कर 1979-80 में 5,82,828 हैक्टार हो गया ।

(ख) योजना के प्रथम चरण में कर्नाटक के पांच जिलों में बिना किसी वित्त सम्बन्धी आदानों के आधार वर्ष की तुलना में धान की प्रति हैक्टार औसतन वृद्धि 5-6 क्विंटल तक हुई। ज्वार, बाजरा तथा कपास प्रति हैक्टार उपज में भी इसी प्रकार की वृद्धि ध्यान में आई है।

(ग) राजस्थान के कोटा जिले में धान की औसत उपज प्रति हैक्टार 2.05 मीटरी टन से बढ़कर 3.56 मीटरी टन प्रति हैक्टार हुई और गेहूं की उपज प्रति हैक्टर 1·17 मीटरी टन से बढ़कर 2.21 मीटरी टन प्रति हैक्टार तक हुई। राजस्थान के शेष 17 जिलों में यह अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना के शुरू करने के बाद आधार स्तर की तुलना में उत्पादन में प्रति हैक्टार 30 प्रतिशत तक औसत वृद्धि हुई है। चना, मक्का, कपास के तदनुरूपी आंकड़े 50 प्रतिशत, 136 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत हैं।

छठी योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन

8492. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी योजना अवधि के लिए दुग्ध उत्पादन का वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या देश में दूध की मांग और इसकी उपलब्धता का पता करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह मूल्यांकन किस वर्ष का किया गया था;

(घ) या जिन वर्षों के लिए यह अनुमान लगभग क्या था, उनमें दुग्ध उत्पादन दुग्ध की मांग के अनुरूप था;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) मांग के अनुसार छठी योजना, अवधि में दुग्ध-उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) :

(क) छठी योजना अवधि के लिए दुग्ध-उत्पादन के वर्षवार लक्ष्य ये हैं :

वर्ष	(लाख मीटरी टन)
1979-80 (आधार स्तर)	300
1980-81	314
1981-82	330
1982-83	346
1983-84	363
1984-85	380

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1985 से 2000 ई० तक दूध की सकल मांग के

अनुमानों का आकलन किया है। 1985 और 2000 ई० के निम्न और उच्च अनुमानों के आधार पर दूध की सकल मांग के अनुमानों को नीचे दिया गया है :

(लाख मीटरी टन)

1971	1985		2000 ई०	
	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च
21.7	33.4	44.2	49.4	64.4

मांग के कम और ऊंचे अनुमान प्रति व्यक्ति व्यय की वृद्धि दर से जुड़े हैं। उत्पादन और मांग के बीच अन्तर बना रहता है क्योंकि अधिकांश पशु कम दूध देने वाले होते हैं।

(च) चालू और केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले दोनों प्रकार के विभिन्न गोपशु और भैंस विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत दुधारू पशुओं की उपलब्धि में वृद्धि करना है। कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

(1) सघन पशु विकास परियोजनाएं और मूल ग्राम खण्ड;

(2) गोपशु और भैंस प्रजनन फार्मों की स्थापना;

(3) हिमित वीर्य सांड केन्द्रों/हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना;

(4) उच्च कोटि के प्रजनक सांडों के प्रजनन के लिए संतति परीक्षण योजना;

(5) विदेशी डेरी नस्लों से पशुओं का संकर प्रजनन और हिमित वीर्य तकनीक का इस्तेमाल करके भैंसों की नस्ल को उन्नत बनाना;

(6) आपरेशन फ्लड-2 एक बड़े पैमाने का पशु और डेरी विकास कार्यक्रम;

(7) दाने और चारे की साधन सम्पन्नता में गुणात्मक/परिमाणात्मक सुधार करने के उपाय ।

मूल वेतन में मिलाये गये महंगाई भत्ते को मकान बनाने के लिये ऋण स्वीकार करना

8493. **श्री आर० एम० राकेश :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देते समय मूल वेतन में मिलाए गए मंहगाई भत्ते को भी शामिल किया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए मकान बनाने के ऋण में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता में कमी के कारण गृह निर्माण अग्रिम की मात्रा में वृद्धि का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की प्रचार यूनिटें

8494. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्योरा क्या है, उनके अध्यक्ष तथा प्रचार कर्मचारियों के यूनिट-वार नाम क्या हैं तथा इन यूनिटों द्वारा विज्ञापन पर दिल्ली में तीन वर्षों के दौरान यूनिट-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इन यूनिटों के विज्ञापन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग में लाए गए राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के वर्ष-वार तथा भाषा-वार नाम क्या हैं, इन यूनिटों की नियमित सूची (मेलिंग लिस्ट) में यूनिट-वार कौन-कौन से प्रसिद्ध संवाददाता है; और

(ग) इन यूनिटों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार को तेज करने के लिए यूनिट-वार उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सत्यवती नगर और सावन पार्क दिल्ली के बीच झुग्गियों का हटाया जाना

8495. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सत्यवती नगर और सावन पार्क (अशोक बिहार फेज-II) दिल्ली-52 के बीच कुछ झुग्गियां पिछले 20 वर्ष से हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन झुग्गियों को हटाने के लिए तीन बार आदेश जारी किए जा चुके हैं परन्तु इन आदेशों को अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन झुग्गियों का न हटाये जाने के कारण सत्यवती नगर और अशोक विहार, फेज II के बीच के एक बड़े नाले का निर्माण कार्य रुक गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपना वायदा पूरा न करने के कारण हुए नुकसान के लिए ठेकेदार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है; और

(ङ) क्या सरकार इन झुग्गियों को हटाने के लिये निकट भविष्य में कोई कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कुछ झुग्गियां और खड्डियां इस स्थान पर काफी समय पहले से विद्यमान हैं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भूमि अर्जन अधिनियय के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अर्जन समाहर्ता द्वारा अभी भूमि का कब्जा लिया जाना है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस स्थल पर झुग्गियों और अन्य अतिक्रमणों के कारण 'नाले' का निर्माण रुका हुआ है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया है कि वह भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करे।

"वर्ष 1979 के सूखे से शिक्षा" के बारे में प्रश्नावली

8496. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न एजेंसियों को दिसम्बर, 1979 में "वर्ष 1979 के सूखे से शिक्षा" के बारे में एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राप्त हुए उत्तरों का विश्लेषण और मूल्यांकन कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मूल्यांकन की गई जानकारी परिचालित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) जी हां। प्रश्नावली में वर्षा, फसल प्रतिमान, क्षति की सीमा, सूखे के प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाए गए उपाय, किसानों को समय पर आदानों की उपलब्धि, पशुधन और पेयजल पर सूखे के प्रभाव, शुरू किए गए राहत कार्यक्रम और कार्य के लिए अनाज और पोषण कार्यक्रम के लिए खाद्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी।

(ग) तथा (घ) प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूखा तथा आपदा प्रबन्ध पर एक हस्त-पुस्तिका तैयार करके समस्त राज्य को परिचालित की गई है। हस्तपुस्तिका में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं :

(1) खाद्यान्न रिजर्व को इतने अधिक स्तर पर रखने की आवश्यकता जितना कि आर्थिक तौर पर व्यवहार्य हो;

(2) ग्रामीण गोदामों के एक राष्ट्रीय ग्रिड की तेजी से स्थापना का संवर्धन और "अन्न सुरक्षा" अभियान को तेज करना;

(3) मानव और पशुओं दोनों के लिए पेयजल की सुरक्षा व्यवस्था के विकास को अधिकतम प्राथमिकता प्रदान करना;

(4) परियोजनाओं की एक तालिका तैयार करना, जो कि काम के लिए अनाज कार्यक्रम के जरिए स्थायी लाभ प्रदान कर सके;

(5) एक समेकित ऊर्जा प्रबन्ध नीति का विकास;

(6) भूमि तथा जल उपयोग की वैज्ञानिक व्यवस्थाओं का संवर्धन;

(7) सूखा तथा आपदा राहत के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों के संघ के जरिए राहत तथा पुनर्स्थापन उपायों में सामुदायिक कार्यवाही को समर्थन देना; तथा

(8) सिंचित तथा अनुकूल क्षेत्रों में फसल आयोजन और क्षतिपूरक कार्यक्रमों में फसल बचाव उपायों, मौसम के मध्य सुधारों को अपनाने के लिए किसानों को तैयार करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सहायता से अखिल भारतीय, राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर शीघ्र चेतावनी देने की व्यवस्था का विकास करना।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समितियों की बैठकें

8497. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आठों में से प्रत्येक क्षेत्रीय समिति की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक विचार और आयोजन के लिए की जानी होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1979 में कोई बैठक हुई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी बैठकें वर्ष 1980 और 1981 में आयोजित की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी बैठकें हुई थीं और क्या अनुवर्ती कार्यवाही के लिए यह कार्यवाही परिचालित की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। दिनांक 12-1-1979 को क्षेत्रीय समिति संख्या vi की बैठक सम्पन्न हुई थी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) वर्ष 1980-81 और 1981 82 के दौरान सभी आठ क्षेत्रीय समितियों की बैठकें सम्पन्न हुई थीं। हाल ही में सम्पन्न हुई क्षेत्रीय समिति संख्या vii और iv को छोड़कर, जिस

पर कार्यवाई की जा रही है, इन कार्यवाहियों को अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिचालित किया गया था ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण

8498. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीण पुनर्निर्माण के बारे में दिनांक 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित राज्यों विशेषकर बिहार और इसके जिलों में कितनी राशि अप्रयुक्त रह गई है ;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा सरकार ने स्वरोजगार आदि के जरिए ऐसी राशि के निवेश को उत्पादनोन्मुख बनाने को सुनिश्चित करने तथा इसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु सरकार के पास कोई तन्त्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज सहायता आदि के वर्गों में उप सहायता की शर्तों और इसके केन्द्रीय स्वरूप क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में उपयोग में न लाई गई राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण-1 और बिहार में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में उपयोग में न लाई गई जिलावार निधियों को दर्शाने वाला विवरण 2 संलग्न है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) व (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए किए गए व्यय और सहायित लाभोगियों का नियमित रूप से प्रबोधन करता है । इस मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों द्वारा आयोजित बैठकों के माध्यम से राज्यों में प्रगति की पुनरीक्षा भी की जाती है । इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य मंत्री द्वारा राज्यों को अपने दौरों के दौरान इस मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों की प्रगति की पुनरीक्षा भी की जाती है ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों के लिए योजनाओं की पूंजी लागत से 25 प्रतिशत की दर से तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लिए योजनाओं की पूंजी लागत के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से उपदान सुलभ किया जाता है लेकिन यह धनराशि 3,000 रुपये से अधिक नहीं होगी (सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के क्षेत्रों में 4,000 रुपये)। अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के मामले में उपदान योजना की लागत पूंजी के 50 प्रतिशत की दर से सुलभ किया जाता है। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 5,000 होगी ।

सामुदायिक सिंचाई निर्माण कार्यों जैसी सामुदायिक योजनाओं के मामले में, उपदान छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा वहन की जाने वाली लागत का 50 प्रतिशत दिया जाता है।

विवरण-1

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम
उपयोग में न लाई गई राज्यवार धनराशि
(केन्द्रीय तथा राज्य अंश)

(लाख रुपये में)

राज्य	निम्नलिखित वर्षों की स्थिति		
	1-4-79	1-4-80	1-4-81
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	379.21	366.75	200.90
2. बिहार	190.39	589.80	464.46
3. गुजरात	327.66	333 17	218.12
4. जम्मू तथा काश्मीर	20.46	20.46	शून्य
5. हरियाणा	135.72	80.99	84.76
6. कर्नाटक	176.37	311.39	257.56
7. मध्य प्रदेश	325.45	78.81	78.81
8. महाराष्ट्र	333.10	शून्य	33.12
9. उड़ीसा	165.61	240.60	195.689
10. राजस्थान	272.64	206.94	395.22
11. तमिलनाडु	58.19	130.54	328.08
12. उत्तर प्रदेश	120.53	265.46	87.367
13. पश्चिम बंगाल	150.49	189.09	236.87
मरुभूमि विकास कार्यक्रम			
1. गुजरात	4.99	30.03	61.74
2. जम्मू तथा काश्मीर	22.62	20.00	76.22
3. हरियाणा	152.76	72.88	92.779
4. हिमाचल प्रदेश	43.41	शून्य	शून्य
5. राजस्थान	183.50	351.11	308.83

विवरण-2

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

बिहार

उपयोग में न लाई गई शेष जिलावार धनराशि

(लाखों रुपये में)

जिला	निम्नलिखित तारीखों तक की स्थिति		
	1-4-79	1-4-80	1-4-81
नवादा	47.38	104.80	75.04
जमुई (मुंगेर)	5.80	62.52	84.086
रोहतास	66.19	126.96	108.90
पालामाऊ	71.02	295.52	196.435

टिप्पणी : बिहार में मरुभूमि विकास कार्यक्रम नहीं है ।

सीस पानी बांध

8499. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मन्त्री कमला नदी पर बांध के बारे में 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नदी के अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र और प्रस्तावित सीस पानी बांध के बहुउद्देशीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार महाराज सरकार नेपाल को उनकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई अद्यतन परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या 22 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4499 के उत्तर में स्टेटमेंट के अन्तिम पृष्ठ (तीन) पर नई योजनाओं की मद संख्या 25 के अन्तर्गत "जयनगर से भीर छैया नेपाल तक उपदी कमला नदी के तट बांध बनाया जाना" को क्रियान्वयन के लिए शामिल किया गया है, यदि हां, तो कार्य के पूरा होने की निश्चित तिथि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) कमला नदी पर बहुप्रयोजनी बांध से सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे में नेपाल की महामसिम सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है । कमला नदी पर प्रस्तावित बहुप्रयोजनी बांध के लिए नेपाल सरकार के सहमत हो जाने के बाद ही, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(घ) यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा अभी भारत सरकार को भेजी जानी है। तथापि, बिहार सरकार ने छठी योजना के दौरान उसके लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था रखी है।

खिरोड़ी नदी पर स्लूसि गेट एवं पुल सम्बन्धी योजना

8500. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री खिरोड़ी नदी पर सल्यूरन गेट एवं पुल संबंधी योजना के बारे में 14 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार से इस बारे में जानकारी मिल गई है, क्योंकि यह मामला बहुत उच्च स्तर से उठाया गया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो सामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या बिहार सरकार ने अधवारा परियोजना के दोसन बागमती और खिरोड़ी नदी पट्टियों की बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राज्य सरकार ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है।

(ख) राज्य सरकार ने अधवारा नदी और खिरोई नदी पर बाढ़-नियंत्रण संबंधी उपाय प्रारम्भ किए हैं। बिहार सरकार से अधवारा परियोजना के दोसन बागमती और खिरोई नदियों के क्षेत्रों में किसी बाढ़-नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कृषि ऋण समितियों को ऋण दिया जाना

8501. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि ऋण बोर्ड ने प्राथमिक ऋण समितियों को अग्रिम ऋण देने की योजना बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बाद भी कृषि ऋण समितियों को जारी रखने का औचित्य क्या होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

आई० टी० बी० पी० द्वारा महोबांवा में अवैध रूप से वन काटना

8502. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश) के निवासियों ने चालू वर्ष के दौरान महोबांदा में

आई० टी० बी० पी० के कर्मचारियों द्वारा वन के संरक्षित पेड़ों को अवैध रूप से गिराए जाने के बारे में सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि गिराए गए पेड़ों को चोरी छिपे राज्य से बाहर भेज दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी, हां। तथापि इस जगह का नाम माही डांडा है

(ख) माही डांडा से आई० टी० बी० पी० द्वारा इमारती लकड़ी चोरी छिपे राज्य से बाहर भेज दिए जाने की कोई रिपोर्टें नहीं मिली हैं। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने भी सूचना दी है कि इस क्षेत्र में चालू वर्ष में आई० टी० बी० पी० ने पेड़ों की कोई कटाई नहीं की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नारियल के पेड़ों पर छिड़काव करने तथा रोगग्रस्त पेड़ों को हटाने और उनको स्वस्थ करने के लिए उपाय

8503. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय सरकार ने नारियल के पेड़ों पर व्यापक छिड़काव तथा रोगग्रस्त पेड़ों को हटाने और उनको पुन: लगाने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर क्या कार्रवाई की है; उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) भार सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है; ब्यौरा दिया जाए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) रोगग्रस्त नारियल के बागों को पुन: लगाए जाने के बारे में केरल सरकार के प्रस्ताव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विचार किया है। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में नारियल के जड़ मुर्झान रोग के निदान सम्बन्धी अनुसंधान तथा इसके प्रबन्ध की गति तेज करने के लिए कायागुलाम स्थिय केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया गया है। कायांगुलाम स्थित केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान ने भी विशिष्ट क्षेत्रों में रोगग्रस्त पेड़ों को हटाकर उनके स्थान पर स्वस्थ पौध लगा करके रोग को स्वस्थ क्षेत्रों में फैलने से बचाने के लिए दम उठा हैं। अभी तक 30,000 रोगग्रस्त पेड़ों के स्थान पर पुन: पेड़ लगाए गए हैं।

केरल सरकार पहले ही योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसे राज्य सरकार के दिनांक 18 जुलाई, 198[illegible] के आदेश संख्या (पी०) संख्या 260/80/ए० डी० द्वारा नारियल के पेड़ों पर व्यापक छिड़काव करने के लिए मंजूर किया गया था।

(ख) भारत सरकार 102.93 लाख रुपए के परिव्यय से केरल में रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक नारियल के पेड़ों के नवीकरण पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है, जिस

पर होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर (50:50) के आधार पर वहन किया जाएगा। यह योजना छठी योजना में जारी रहेगी।

नारियल विकास बोर्ड ने नारियल उत्पादकों को केरल में जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित नारियल के पेड़ों को हटाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 49.50 लाख रुपए के परिव्यय से एक योजना तैयार की है जिसे राज्य सरकार तथा नारियल विकास बोर्ड द्वारा बराबर-बराबर (50:50) के आधार पर वहन किया जाएगा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन मध्य प्रदेश में छोटे नगरों का विकास

8504. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत 1981-82, 1982-83 के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो मार्गनिर्देशों और केन्द्रीय निदेशों के अनुसार राजगढ़, गुना, विदिशा, राजापुर और उज्जैन जिलों में विकास और निर्माण के लिए कितने नगरों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उन नये टाउनशिपों में कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उल्लिखित जिला में से राज्य सरकार ने केवल गुना के विकास का प्रस्ताव किया है।

(ग) गुना के बारे में राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गये थे। वे मार्च 1982 के अन्त में प्राप्त हो गये और योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिए परियोजना रिपोर्ट का अब मूल्यांकन किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार विकास योजना

8505. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार विकास सम्बन्धी योजनाओं को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लाया जाये;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों भी कृषि विपणन विकास कार्य को चला सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो विपणन विकास योजनाओं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों दोनों को समेकित ग्रामीण विकास एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में लाने के पीछे क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) बाजारों का विकास समन्वित ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि पर्याप्त विपणन सहायता का अभाव ग्रामीण विकास के लिए एक मुख्य अड़चन रहा है अतः विशिष्ट स्थानों का पता लगाना वांछनीय समझा गया है जिन्हें प्राथमिक बाजारों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां पहले की ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने में लगी हुई हैं, अतः राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि सभी एजेंसियों को इस आशय के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं कि उन्हें ऐसे स्थानों का चयन भी करना चाहिए जिनमें प्राथमिक कृषि बाजारों में विकसित किए जाने की संभाव्यता है तथा उन्हें इस सूचना को कृषि विभाग/बाजार विकास अधिकारी अथवा कृषि विपणन बोर्डों को जिनका कृषि बाजारों के विकास से सीधा सम्बन्ध है, भेजना चाहिए।

आपरेशन फ्लड-1

8506. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र इन्टर एजेंसी मिशन ने आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का दौरा किया और उसने इस आपरेशन को सफल बताया; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का दूसरा चरण कब हाथ में लिया जाएगा और पहले कार्यक्रम में सम्मिलित बातों के अतिरिक्त कौन सी मुख्य-मुख्य बातें शामिल की जाएंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा गठित एक अन्तः एजेंसी अन्तिम मूल्यांकन मिशन ने आपरेपन फ्लड-1 परियोजना के अन्तर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों का दौरा किया। मिशन के निष्कर्षों के अनुसार परियोजना को कुल मिलाकर सफलता मिली है।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना शुरू हो गई है। कार्यक्रम के तहत लगभग 155 दुग्ध स्रवण जिले लेने का विचार है। इसके अतिरिक्त, परियोजना से 100 लाख फार्म परिवारों को लाभ पहुंचने तथा इसके तहत लगभग 150 लाख संकर जनित गायों तथा उन्नत भैंसों के एक राष्ट्रीय दुग्ध यूथ के लाये जाने की आशा है।

कृषि उत्पादों पर राज सहायता

8507. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस समय उर्वरकों, कीटनाशकों, कृमिनाशकों, बिजली तथा पानी जैसे कृषि आदानों पर राज सहायता के भार को वहन कर रही है जो प्रति वर्ष 1000 करोड़ रु० बैठती है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि यह राज सहायता उपरिलिखित मदों में किस प्रकार बांटी जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरकों का उपयोग एक समिति क्षेत्र में ही होता है और उस क्षेत्र में भी केवल सम्पन्न किसानों द्वारा ही कया जाता है और इस प्रकार सरकार जो राज सहायता इस समय दे रही है उसका मुख्य भाग बड़ी जोतों वाले किसान ही प्राप्त करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है कि देश के सभी क्षेत्र उवरकों का पर्याप्त प्रयोग करें तथा निर्धन किसानों को ऊंची कीमत पर उर्वरकों की अपनी ही आवश्यकता की खरीद करने के लिए सम्पन्न किसानों पर निर्भर न रहना पड़े ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) कृषि आदानों पर राजसहायता की मात्रा आदान-विशेष की सप्लाई की मात्रा तथा उनमें से प्रत्येक के लिए दी जाने वाली राज सहायता की दर पर निर्भर करती है। वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों पर लगभग 365 करोड़ रुपये तथा कीटनाशियों/कृमिनाशियों पर 1.8 करोड़ रुपये राज सहायता केन्द्रीय शेयर के रूप मे वहन की। भारत सरकार विद्युत पर किसी प्रकार की राजसहायता नहीं दे रही है। जल के लिए दी जाने वाली राजसहायता की ठीक-ठीक धनराशि का पता लगाने के लिए अभी तक कोई प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) खपत होने वाले कुल उर्वरक का लगभग 85 प्रतिशत भाग का उपयोग समूचे देश के सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है। छोटे एवं सीमान्त कृषक, जो कृषक परिवारों में लगभग 25 प्रतिशत बैठते हैं, खपत किए जाने वाले कुल उवरक का लगभग 31 प्रतिशत खपत करते हैं।

(घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उर्वरक विनिर्माताओं के सहयोग से उन प्रमुख वर्षा सिंचित जिलों के 100 चुनींदा जिलों में उर्वरक संवर्धन अभियान आरम्भ करें जहां उर्वरकों की खपत की और अधिक क्षमता है परन्तु इस समय खपत का स्तर कम है। रेल-मार्ग शीर्षों के स्थान पर ब्लाक मुख्यालयों तक सरकारी खर्चे पर उर्वरकों के प्रेषण की पद्धति आरम्भ की गई है जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक से अधिक फुटकर बिक्री केन्द्र खुले हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में छोटे कृषकों को 33⅓ प्रतिशत सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 50 प्रतिशत की दर से फास्फोरस युक्त एवं पोटाशीय उर्वरकों पर राजसहायता देने का प्रावधान है।

टेट्रापक के साथ करार

8508. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डेयरी निगम ने मंत्रालय अथवा कैबिनेट की पूर्वानुमति के बिना तथा कोई टेंडर आमंत्रित किए बिना दिनांक 8 फरवरी, 1978 को टेट्रापक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने एक भारतीय कम्पनी के सहयोग से "पेपर लिमिनेटेड प्लांट" बनाने वाली एक स्विच-फर्म को लाइसेंस देने पर विरोध किया था जिससे कि डेयरी निगम के सहयोग से कार्यरत टेट्रापक कम्पनी के हितों की रक्षा की जा सके, यद्यपि विशेषज्ञों द्वारा यह सलाह दी गई थी कि टेट्रापक परियोजना को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि एक ऐसी नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिससे "सियर पेपर" के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) भारतीय डेरी निगम तथा मैसर्स टेट्रापैक डेवलमेंट लिमिटेड, स्विटजरलैंड के बीच फरवरी, 1978 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसे भारत सरकार की स्वीकृति मिलनी थी। जनवरी, 1979 में इस करार की जगह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों पर एक दूसरे करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) इस मंत्रालय ने एक स्विस फर्म के तकनीकी सहयोग से "स्टेरीपक स्टैंडअप पोच सिस्टम" के लिए मैसर्स बाबरी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस देने पर आपत्ति की थी, जैसी कि 19 मार्च, 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ताकि भारतीय डेरी निगम द्वारा लेमिनेटेड कागज उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट के हितों की रक्षा की जा सके। तथापि, यह पाया गया कि मैसर्स बाबरी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड से न तो औद्योगिक लाइसेंस हेतु कोई प्रार्थना-पत्र और न ही विदेश सहयोग हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उचित दर दुकानों से बांटी जा रही चीनी के कोटे में अन्तर

8509. **श्री मोहनलाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) I, II और III श्रेणी के शहरों में क्रमश: उचित दर की दुकानों के जरिए प्रति व्यक्ति चीनी के कोटे की मात्रा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भिन्न-भिन्न शहरों में चीनी का कोटा अलग-अलग है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक शहर में बराबर चीनी वितरित करने पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) अधिकांश राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से समान मात्रा में प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा दिया जाता है।

तथापि, कुछेक राज्यों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण की मात्रा भिन्न-भिन्न है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में लेवी चीनी के वितरण की वर्तमान मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारें लेवी चीनी के वितरण के बारे में निर्णय करती हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लेवी चीनी के वितरण की मात्रा बताने वाला विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश	प्रति व्यक्ति चीनी की मात्रा प्रत्येक जिले और प्रत्येक श्रेणी के लिए भिन्न-भिन्न है। 2 से 6 श्रेणियों के उपभोक्ता क्रय शक्ति और खपत आदतों को ध्यान में रखकर इन श्रेणियों में रखे गए हैं। प्रति परिवार आवटन की मात्रा 1/2 किलो के बीच है।
2. असम	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वयस्कों तथा बच्चों दोनों के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास की समान मात्रा।
3. बिहार	शहरी क्षेत्र—प्रति वयस्क प्रतिमास 875 ग्राम। ग्रामीण क्षेत्र—प्रति व्यक्ति प्रतिमास 356 ग्राम बशर्ते कि चीनी का कोटा उपलब्ध हो।
4. गुजरात	ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास।
5. हरियाणा	आवश्यकता के अनुसार उपायुक्तों द्वारा स्थानीय समायोजनों के अध्यधीन, राशन कार्डों पर दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास की समान मात्रा।
6 हिमाचल प्रदेश	400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं में कोई भेदभाव नहीं।
7. जम्मू और कश्मीर	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास की समान मात्रा।
8. केरल	राज्य भर में राशन कार्डों पर 450 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास की समान मात्रा।
9. कर्नाटक	शहरी क्षेत्र—1 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमास लेकिन प्रति कार्ड अधिक से अधिक 4 किलो। ग्रामीण क्षेत्र—प्रति परिवार 2 किलो।
10. मध्य प्रदेश	शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्धता के अनुसार 400 से 450 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमास।

11. महाराष्ट्र	केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए मासिक आवंटन पर निर्भर करते हुए राज्य भर में कम से कम 400 ग्राम और अधिक से अधिक 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
12. मणिपुर	1. शहरी क्षेत्रों में—राशन कार्डों पर 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास । 2. ग्रामीण क्षेत्रों में—300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
13. मेघालय	शहरी क्षेत्र—400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास । ग्रामीण क्षेत्र—200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
14. नागालैण्ड	राज्य भर में राशन कार्डों पर 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
15. उड़ीसा	शहरी क्षेत्रों में 1. "ए" श्रेणी उपभोक्ता कार्ड—1 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमास लेकिन अधिक से अधिक 5 किलो प्रति परिवार । 2. "बी" श्रेणी उपभोक्ता कार्ड—750 ग्राम प्रतिमास लेकिन अधिक से अधिक 3 किलो 750 ग्राम प्रति परिवार । ग्रामीण क्षेत्रों में—425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
*16. पंजाब	दोनों शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
17. राजस्थान	शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 425 ग्राम प्रति मास का अधिकतम प्रति व्यक्ति कोटा निर्धारित किया गया । वस्तुत: औसतन लगभग 350 ग्राम प्रति व्यक्ति की मात्रा दी जाती है । यूनिट और उपलब्धता के अनुसार कलक्टरों को समान रूप से इसमें कटौती करने का अधिकार है ।
18. सिक्किम	दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिमास 1 किलो ।
19. तमिलनाडु	दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कार्डधारियों के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
20. त्रिपुरा	फरवरी, 1980 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में 100 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह । अपर्याप्त आवंटन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मात्रा कम कर दी गई ।
21. उत्तर प्रदेश	(ए) पहाड़ी जिलों में: प्रति यूनिट प्रतिमास 1 किलो—शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों लेकिन चीनी उपलब्ध होने पर ।

	(बी) मैदानी जिलों में :
	(क) शहरी क्षेत्रों में — 1 किलो प्रति यूनिट प्रतिमास ।
	(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में —
	(1) 4 यूनिट तक राशन कार्ड पर 1 किलो
	(2) 5-9 यूनिटों के राशन कार्ड पर 2 किलो
	(3) 9 यूनिटों से अधिक के राशन कार्ड पर 3 किलो
22. पश्चिमी बंगाल	(क) कलकत्ता काम्पलेक्स और दुर्गापुर आसनसोल — 100 ग्राम के सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति सप्ताह ।
	(ख) संशोधित राशन व्यवस्था के क्षेत्रों में —75 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह
23. अण्डमान	दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार पहचान कार्डों पर उचित मूल्य की दुकानों से 900 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
24. अरुणाचल प्रदेश	425 ग्राम प्रति व्यक्ति (वयस्क) प्रतिमास ।
25. चण्डीगढ़ (सं० प्र०)	ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 550 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
*26. दादरा तथा नगर हवेली	सारे संघ शासित प्रदेश में राशन कार्ड पर 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
27. दिल्ली	शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 900 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रतिमास ।
28. गोआ दमन और दीव	शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राशन कार्ड पर 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
29. लक्षद्वीप	समूची जनसंख्या के लिए राशन कार्ड पर 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमास ।
30. मिजोरम	शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राशन कार्डों पर लेवी चीनी 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास की समान दर पर बांटी जाती है ।
31. पांडिचेरी	1. पांडिचेरी और करईकल क्षेत्रों में "ए" और "बी" कार्डधारियों के लिए $3\frac{1}{2}$ किलो प्रतिमास । "सी" कार्डधारियों के लिए 2 किलो प्रतिमास ।

"डी" कार्डधारियों के लिए	1 किलो प्रतिमास।
2. यनम क्षेत्र में	
"ए", "बी" और "सी" कार्ड-धारियों के लिए	1 किलो प्रति वयस्क और ½ किलो प्रति बच्चा। लेकिन प्रति कार्ड प्रतिमास अधिक से अधिक 7 किलो।
"डी" कार्डधारियों के लिए	½ किलो प्रति वयस्क और ¼ किलो प्रति बच्चा लेकिन प्रति-कार्ड प्रतिमास अधिक से अधिक 7 किलो।
3. महे क्षेत्र में	1 किलो प्रति वयस्क और ½ किलो प्रति बच्चा की दर पर समान सप्लाई। लेकिन प्रति कार्ड प्रतिमास अधिक से अधिक 5 किलो।

*राज्य सरकार से मार्च, 1984 में प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति बताई गई है।

**राज्य सरकार से जून, 1980 में प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति बताई गई है।

नेफेड के निदेशक मंडल की बैठक

8510. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**
श्री रशीद मसूद :
श्री बी० डी० सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेयरमैन तथा कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों सम्बन्धी जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने हेतु राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी; और

(ग) क्या नेफेड बोर्ड के प्रत्येक सदस्य तथा उच्च अधिकारी को (500 रु०) पांच सौ रुपये मूल्य की एक स्वचालित एच० एम० टी० घड़ी उपहारस्वरूप दी गई थी; यदि हां, तो इसका क्या अवसर था। इस उपहार के बांटे जाने में कुल कितना व्यय हुआ और इसका भुगतान किसने किया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 3-3-1982 को हुई राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के निदेशक मण्डल की बैठक विशेष तौर

पर नेफेड के उन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गयी समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए नहीं बुलाई गई थी। जिन्होंने समिति के सम्मुख अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये थे, यह बैठक संघ के सामान्य कारोबार पर विचार-विमर्श करने के लिए निश्चित की गयी थी। मण्डल के सामने, 27 अगस्त, 1981 को हुई उनकी पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में समिति से प्राप्त कागजात भी पेश किए गए थे।

(ख) 3-3.1982 को हुई मण्डल की बैठक की अध्यक्षता मण्डल के अध्यक्ष ने की थी। तथापि, जब जांच-समिति से सम्बन्धित कार्यसूची पर विचार-विमर्श शुरू हुआ तो अध्यक्ष बैठक से चले गये और बैठक की कार्रवाई नेफेड के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जारी रही।

(ग) निदेशक मण्डल के सदस्यों को लगभग 480 रुपए के मूल्य की स्वचलित कलाई घड़ियां 24 फरवरी 1982 से वितरित की गई, न कि 3 मार्च, 1982 को जबकि बैठक हुई थी। किसी भी कर्मचारी को घड़ी नहीं मिली। नेफेड तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों का यह दस्तूर है कि निदेशक-मण्डल के सदस्यों को, कुछ मामलों में साधारण सभा के सदस्यों को भी, नव वर्ष/वार्षिक आम सभा जैसे अवसरों पर उपहार दिया जाता है। 36 घड़ियों का कुल मूल्य 17,242.85 रुपए था जिसका भुगतान नेफेड ने किया।

सरोजनी नगर में 'प्रेस वाले'

8511. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नगर में टाइप-4 के सरकारी क्वार्टरों के बीच 'प्रेस वालों' और दूसरे लोगों द्वारा बनाई गई झुग्गियां अधिकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किसने अधिकृत किया और कब;

(ग) क्या सरकारी क्वार्टरों के बीच आस-पास के खाली स्थान में ऐसी झुग्गियों का निर्माण सरकारी नीति के अनुरूप है; और

(घ) यदि उपर्युक्त (क) से (ग) तक का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार आपत्तिजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा आस-पास के इलाकों में अस्वस्थ वातावरण फैलाने के अलावा चोरी की कथित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन झुग्गियों को गिराने का है यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी का उत्पादन लागत, आयात और मूल्य

8512. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान प्रति क्विंटल चीनी की उत्पादन लागत, उस पर लगाए गए बिना किसी कर के, क्या थी;

(ख) उपभोक्ताओं को बिक्री किए जाने से पूर्व प्रति क्विंटल चीनी पर कितनी राशि का कर अथवा शुल्क लगाया गया;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान यदि चीनी का आयात किया गया था तो उसकी कुल मात्रा क्या थी; और

(घ) क्या सरकार गन्ने के वैधानिक मूल्य को संशोधित करने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) चीनी की औसत उत्पादन लागत का हिसाब कुल मिलाकर किसी चीनी मौसम के लिए और न कि किसी विशेष मध्यावधि अथवा महीने से लगाया जाता है। गन्ने के न्यूनतम अधिसूचित मूल्य के आधार पर, 1.10.80 से 30.9.81 की अवधि के लिए डी-30 ग्रेड की चीनी के उत्पादन की अखिल भारत औसत निकासी लागत, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, 284.56 रुपए प्रति क्विंटल बैठती थी। 1.10.81 से प्रारम्भ और 30.9.82 को समाप्त वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी की औसत उत्पादन लागत अखिल भारत आधार पर 294.56 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है।

(ख) लेवी चीनी पर उत्पादन शुल्क निकासी मूल्य पर 13.175 प्रतिशत मूल्यानुसार है। प्रति क्विंटल चीनी पर शुल्क की राशि भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि विभिन्न मूल्य-निर्धारण जोनों में लेवी के निकासी मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं।

480 रुपए प्रति क्विंटल के टैरिफ मूल्य पर मुक्त बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क 15.9 प्रतिशत मूल्यानुसार है (पहली अप्रैल, 1982 से लागू)। इस समय प्रति क्विंटल चीनी पर शुल्क की राशि 76.32 रुपये बैठती है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान कुल 2,14,650 मीटरी टन चीनी का आयात किया गया है।

(घ) सरकार का इस समय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने कोई प्रस्ताव नहीं है।

'आई० ए० आर० आई० मिराकल ग्राम वेरायटी' शीर्षक से समाचार

8513. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1981 के स्टेट्समैन में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमे आई० ए० आर० आई० के चने की चमत्कारी किस्म के बारे पर संसय किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में दाल तथा तिलहन अथवा गेहूं की कोई नई महत्वपूर्ण किस्म विकसित नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि करनाल बंट रोग रोधी एक भी गेहूं की किस्म 20 वर्षों में विकसित नहीं की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि नारियल की जड़ को शिथिल करने वाली बीमारी के सामने में 25 वर्षों से अधिक समय में भारतीय कृषि अनुसंधान की प्रगति समान रूप से निराशाजनक रही है; और

(ङ) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खासतौर पर इसके पुनर्गठन के बाद से इसके कार्य निष्पादन को, भारी पूंजी निवेष की तुलना में, जांच कराने के लिए एक मूल्यांकन दल का सक्रिय रूप से गठन करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

दिनांक 30.12.1981 के स्टेट्समैन में जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है वह संदिग्ध किस्म की है। यह कहा गया है कि बेहतर प्लान्ट टाइट्स को विकसित करके करीब 50 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज वाली आनुवंशिक पैदावार क्षमता वाली चने की एक किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में कुछ सफलता पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चने की एक किस्म बी० जी० 209 रिलीज की है जिसने हरियाणा में कृषकों के खेतों में किये गये प्रदर्शन में प्रति हैक्टर 30 क्विंटल पैदावार दी है। फसल की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए और आगे प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । यह सही नहीं है कि दालों, तिलहनों और गेहूं की नयी किस्मों का विकास भारत में नहीं किया गया है। देश के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त अनेक किस्में, जैसा की नीचे दिया गया है, कृषकों को दी गयी हैं ?

फसल	किस्में
दालें :	मूंग, पूसा वैशाखी, पूसा-16, पूसा-10, पूसा-7, अरहर, प्रभात, यू० पी० ए० एस० 120, पूसा अगेती, चना, पूसा-209, पंत 114 उड़द, पंत यू०-19, पंत यू-30, लोबिया : सी 152 लेन्टील : पंत एल 406, पंत एल 639
तिलहन :	सरसों : बी आई डी-2, बी आई डी-3, पूसा कल्याणी मस्टर्ड : पी० आर-10, पूसा कल्य णी और पूसा क्रांति अरण्डी : अरुणा, भाग्य, सौभाग्य, जी सी एच-1, जी सी एच-2.
गेहूं :	लोक-1, क्षिपरा, के एस एम एल-3, एच एस-86, एच डब्ल्यू 517, एम एल के एस-11, एच बी 208, एच यू डब्ल्यू 37, एच डी 2189, डी डब्ल्यू आर 39, एच डब्ल्यू 135, एच डब्ल्यू 517, सी सी 464, जे-24, राज 911, मालविका, स्वाति, जयराज, जे 1-7, डब्ल्यू 711, डब्ल्यू एच 147, यू पी 262, यू पी 215, जनक, एच एस 86 आदि।

(ग) यह एक तथ्य है कि पिछले 20 वर्षों में गेहूं की ऐसी कोई भी किस्म विकसित नहीं की गयी है जिस पर करनाल बंट रोग का बिल्कुल असर न होता हो। यह एक बहुत जटिल बीमारी है और विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त की गई गेहूं की हजारों किस्मों की इस रोग की प्रतिरोधिता के लिए जांच की गयी है। इनमें से कोई भी रोगरोधी नहीं पाई गई है। फिर भी, एच डी 2281, एच डी 2285, डब्ल्यू एल 1562, आई डब्ल्यू पी 72 और डी डब्ल्यू एल 5023 जैसी किस्में जिन पर अपेक्षाकृत इस रोग का कम प्रकोप होता है, विकसित की गयी हैं। अनुसंधान-कर्त्ता करनाल बंट के बढ़ते हुए प्रकोप के प्रति सतर्क हैं और इस समस्या का हल करने के लिए प्रयत्नों में तेजी लायी गयी है।

(घ) नारियल का 'जड़ गलन' रोग एक बहुत जटिल समस्या है। इस तरह का जटिल नारियल का रोग विश्व के अन्य भागों में भी पाया जाता है जैसे—फिली पाइन्स का कडांग कडोंग रोग, वेस्ट इंडिज का लिथल येलाविंग रोग आदि। इस बीमारी के सुनिश्चित कारण का पता नहीं लगाया गया है। जड़ गलन रोग के मामले में, यद्यपि कारण का अभी पता नहीं चला है लेकिन अनुसंधानों से संभावित रोग जनकों का ठीक-ठीक पता लगाया गया है जो इससे सीधे सम्बन्धित होता है। फिर भी, अनुसंधान के परिणामों से अपेक्षाकृत अधिक रोग-सहिष्णु किस्मों—जिनका नाम नेचुरल क्रॉसड्वार्फ है का पता लगाया गया है। इस किस्म के ताड़ के वृक्षों में पश्चिमी तट के ताड़ के वृक्षों की तुलना में फल अधिक लगते हैं और उनकी बढ़वार भी जल्दी होती है। कृषि क्रियायें जैसे—मिश्रित खेती के साथ दोहरा पलवार बिछाने से भी इस बीमारी से होने वाली क्षति को कम किया गया है।

इसलिए अनुसंधान और विकास की नीति तीन तरीके से तैयार की गयी है, (1) यह देखना कि बीमारी को और आगे फैलने से रोका जा सकता है। तीस हजार से भी अधिक रोगग्रस्त ताड़ के वृक्षों को काट दिया गया है और उनकी जगह रोगरहित उपयुक्त पौधों को लगाया गया है। स्थान विशेष पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है कि नयी बीमारी पैदा न हो, (2) पत्नी गलन रोग के नियन्त्रण और उर्वरक अनुसूचियों के द्वारा ठोस प्रबन्ध प्रक्रिया को अपनाना, (3) अनुसंधान को गहन बनाना;

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गहन अनुसंधान प्रयत्नों में प्रगति जारी है।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में सभी अनुसंधान, अनुसंधान संस्थानों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं और तदर्थ अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से की जाती है। उपलब्धि लेखा परीक्षा समिति जिसका अब नाम पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यू० आर० टी० एस०) है—का गठन प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के लिए किया जाता है जो संस्थान/प्रायोजना के कार्यों की समीक्षा करता है और तकनीकी कार्यक्रम और कार्यकरण में नए दृष्टिकोण और सुधारों की सिफारिश करता है। इसलिए, इन पंचवर्षीय समीक्षा दलों द्वारा नियमित रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों का सक्रिय मूल्यांकन सख्ती के साथ किया जा रहा है।

पैदावार बढ़ाने के लिये गेहूं के नये बीज की खोज

8514. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक नए प्रकार के गेहूं के बीज की खोज की है जिससे एक पर्याप्त सीमा तक प्रति एकड़ भूमि में पैदावार बढ़ेगी;

(ख) यदि हां, तो भारत के किन-किन राज्यों ने इन बीजों का प्रयोग किया है; और

(ग) क्या अन्य राज्य भी पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से इन बीजों का प्रयोग करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान । गेहूं की एक ड्यूरम किस्म डी० डब्ल्यू० एल० 5023 जो अधिक पैदावार देने वाली तथा अन्य व्यापारिक किस्मों जैसे—सोनालिका, डब्ल्यू० एल० 711, अर्जुन आदि किस्मों की तुलना में पीले और भूरे रतुआ और करनाल बंट रोगों को अधिक सहन करने वाली है, हाल ही में विकसित की गयी है ।

(ख) और (ग) यह किस्म जम्मू, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली के मैदानों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठीक समय पर बुआई, सिंचित और अच्छी उर्वरता वाली स्थितियों के अन्तर्गत व्यापारिक खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है । उपर्युक्त राज्यों में इसकी खेती की सिफारिश करने के पहले इस किस्म की तीन वर्षों तक जांच की गयी थी ।

सीमांत किसानों को सक्षम किसान बनाया जाना

8515. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान बहुत से किसान वर्ष दर वर्ष सीमांत किसान होते चले गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सीमांत किसानों को सक्षम किसान बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान सीमांत किसानों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1980-81 की संदर्भ अवधि की कृषि संगणना आजकल की जा रही है और इसके परिणामों को 1983 में प्राप्त होने की आशा है । केवल इसके बाद ही 1976-77 की कृषि संगणना के आंकड़ों के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

पाम आयल और रेपसीड आयल के लिये उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा जमा की गई धनराशि

8516. **श्री निहाल सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा गत दो महीनों के दौरान पाम आयल और रेपसीड आयल के लिये दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग में कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो महीनों से आज तक राशन की दुकानों को रेपसीड आयल और पाम आयल की सप्लाई नहीं की गई है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको रेपसीड आयल और पाम आयल की शीघ्र सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) दिल्ली में उचित दर की दुकानों के मालिक ताड़ के तेल और रेपसीड तेल के लिए दिल्ली प्रशासन के नागरिक पूर्ति विभाग के पास कोई धनराशि जमा नहीं कराते हैं। उन्हें इन तेलों की कीमत दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम और अन्य नामित अभिकरणों के पास जमा करानी होती है, जिनके माध्यम से उचित दर की दुकानों को ताड़ के तेल और रेपसीड तेल की आपूर्ति की जाती है। जनवरी और फरवरी, 1982 के महीनों के दौरान उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा इन नामित अभिकरणों के पास जमा कराई गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) व (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए केन्द्रीय नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन को आर० बी० डी० ताड़ का तेल और रेपसीड तेल का मासिक आवंटन निर्बाध रूप से किया जाता रहा है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से भी इन तेलों का वितरण किया जाता रहा है, यद्यपि फरवरी, 1982 में मूल्य संशोधन और कुछ अन्य प्रशासनिक उपायों के कारण आपूर्ति कुछ सीमित रही। आपूर्ति में हुई इन अस्थायी स्वरूप की कमियों को बाद में अधिक आवंटन करके पूरा कर दिया गया था।

विवरण

नामित अभिकरण का नाम	रेपसीड तेल		आर० बी० डी० ताड़ का तेल	
	मात्रा टिनों में	मूल्य रुपयों में	मात्रा-टिनों में	मूल्यों रुपयों में
1. सुपर बाजार	7950	10,33,077	—	—
2. थोक भण्डार	21666	28,26,330	3092	3,92,313
3. दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम	15193	19,81,959	964	1,22,312
4. केन्द्रीय सरकार का भण्डार	41	5,348	8	1,015
योग :	44850	58,46,714	4064	5,15,640

आपरेशन फ्लड-2

8517. **श्री रशीद मसूद :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत अभी तक केवल 22 राज्यों ने ही करार पर हस्ताक्षर किए हैं और शेष राज्यों ने उस करार पर हस्ताक्षर करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल 7 राज्यों के मामले में ही उपपरियोजना कार्यान्वयन योजनाएं बनाई गई हैं, ऋण और अनुदान करारों पर केवल 11 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) आपरेशन फ्लड-2 के मूल करार पर 19 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों ने हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) कर्नाटक सरकार और भारतीय डेरी निगम के बीच एक करार पर कार्यवाही की जा रही है और इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। तथापि, मेघालय और मणिपुर की सरकारें इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही हैं।

(ग) 10 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मामले में उप-परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जबकि 7 राज्यों द्वारा ऋण एवं अनुदान करार लागू किया गया है और 6 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों ने करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी है।

(घ) मूल्यांकन रिपोर्ट एक मूल दस्तावेज है, जिससे विभिन्न परियोजनाओं की व्यवहार्यता और उनके कुल निवेश के बारे में पता चलता है। भारतीय डेरी निगम ने 14 राज्यों और 4 संघ-शासित क्षेत्रों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट ऋण एवं अनुदान करार का अनुलग्नक है, जिस पर राज्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा ऋण तथा अनुदान करार पर हस्ताक्षर करने में देरी होने का मुख्य कारण यह है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों ने ऋण की राशि के बारे में भारतीय डेरी निगम को गारंटी देने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया।

गोशालाओं को वित्तीय सहायता

8518. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पिंजरापोल सोसाइटी गोशाला को सरकारी और अर्द्ध सरकारी स्रोतों से वित्तीय सहायता कब और, कितनी मिली;

(ग) क्या सरकार को सहायता राशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से शिकायतों की जांच करवाने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जांच की अवधि के दौरान गोशाला के लिये प्रशासक नियुक्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) दिल्ली पिंजरापोल सोसायटी गोशाला को वर्ष 1960-61 से वर्ष 1970-71 तक दिल्ली प्रशासन से कुल 41,828 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी और इसके बाद कोई सहायता नहीं दी गई थी। इस सोसायटी को वर्ष 1974-75 से वर्ष 1976-77 को छोड़कर पिछले दस वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम से कुल 2,90,000 रुपए की राशि भी प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन को इस गोशाला के विरुद्ध केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। चूंकि यह गोशाला समितियों के पंजीकार के पास पंजीकृत है इसलिये प्रशासन यह मामला आगे कार्यवाही करने के लिये पंजीकार के पास भेज रहा है।

(ङ) और (च) समितियों के पंजीकार द्वारा छानबीन पूरी कर लेने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान में बारानी खेती प्रशिक्षण केन्द्र

8519. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने किसानों को बारानी खेती का प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान के किन-किन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं और ऐसे केन्द्र वहां कब खोले गए थे; और

(ख) उनमें से प्रत्येक केन्द्र पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है और उसके परिणाम-स्वरूप बारानी भूमि के कितने क्षेत्र में खेती की गई है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) (1) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में किसानों को खेती का प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला है। तथापि, देश की बारानी भूमि/वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में बारानी खेती की प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करने के लिए 1970-71 में 12 राज्यों में 24 परियोजनाओं के माध्यम से एक समेकित बारानी खेती विकास परियोजना प्रारम्भ की गई थी। राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था। यह योजना 1978-79 तक जारी रही और इसके बाद इसे राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया था।

(2) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बांसवाड़ा, अलवर, श्री गंगानगर और भीलवाड़ा जिलों में 1967-68 से

1978-79 तक चरणबद्ध ढंग से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 8 किसान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई थी। यह कार्यक्रम अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। इन कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों ने स्थानीय आवश्यकताओं तथा बारानी और सिंचित खेती दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार किसानों को प्रशिक्षण दिया।

(3) वर्तमान कृषि-प्रणाली में सुधार लाने के लिए किसानों को दक्षता मूलक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना के अन्तर्गत सीकर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की भी स्थापना की गई है।

(ख) (1) जब यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी, तब प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 1.28 लाख रुपए का वार्षिक बजट होता था।

(2) कृषि विज्ञान केन्द्र पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

1976-77 1977-78 1978-79	1.84 लाख रुपए
1979-80	2.27 लाख रुपए
1980-81	6.41 लाख रुपए
1981-82	3.27 लाख रुपए

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसान को अपनी कृषि प्रणाली में सुधार लाने के लिए जानकारी, सूझ बूझ और दक्षता प्रदान करना है। खेती के अन्तर्गत लाए गए बारानी भूमि के क्षेत्र से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

उड़ीसा में दालों और सब्जियों का उत्पादन

8520. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री राम कृष्ण मोरे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में दालों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को 1982-83 में कुल कितनी राशि नियत की गई;

(ग) उड़ीसा के उन पता लगाए गए जिलों के नाम क्या हैं जहां ऐसा कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव क्रियान्वित करने के लिये अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) दलहन

1982-83 के दौरान दलहन विकास सम्बन्धी चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्तावित आवंटन नीचे दिया गया है :

राज्य	प्रस्तावित आवंटन (लाख रुपए)
आन्ध्र प्रदेश	14.367
असम	3.058
बिहार	19.110
गुजरात	13.067
हरियाणा	22.750
हिमाचल प्रदेश	1.963
केरल	2.270
मध्य प्रदेश	52.092
महाराष्ट्र	22.225
मेघालय	0.855
मणिपुर	0.855
उड़ीसा	19.360
पंजाब	10.500
राजस्थान	44.592
तमिलनाडु	11.127
त्रिपुरा	0.855
उत्तर प्रदेश	63.708
कर्नाटक	17.975
पश्चिम बंगाल	10.066
जम्मू और कश्मीर	1.655
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0 655
दिल्ली	0.645

इसके अतिरिक्त, 1982-83 के दौरान दलहनों की मिनीकीट प्रदर्शन सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ।

(2) सब्जियां

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 600 लाख रुपए के परिव्यय की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्रों को शामिल किया जाएगा :

श्रेणी "क"	श्रेणी "ख"
1. कलकत्ता	1. चण्डीगढ़
2. बम्बई	2. लखनऊ
3. मद्रास	3. पटना
4. दिल्ली	4. गोहाटी
5. हैदराबाद	5. भुवनेश्वर
	6. जयपुर
	7. भोपाल
	8. अहमदाबाद
	9. बंगलौर
	10. त्रिवेन्द्रम

सब्जियों की पौद का सम्वर्द्धन और कमजोर वर्गों के बीच इनका वितरण करने के लिए 1982-83 के दौरान 111.82 लाख रुपए के परिव्यय से 100 सामुदायिक नर्सरियों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) उड़ीसा के कटक और गंजम जिलों को दलहन विकास के अन्तर्गत और भुवनेश्वर को सब्जी विकास के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

(घ) राज्य सरकारों को 1982-83 के दौरान दलहन विकास योजना को जारी रखने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। सब्जी विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा एक स्रोत

8521. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने कृषि के क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकी लागू करके खाद्यान्न उत्पादन, फसल की नई क्षेत्र किस्मों के विकास, रेशम के कीड़ों का पालन तथा कीट नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न उत्पादन अथवा रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए हमारे देश में कितनी प्रगति हुई है और अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार, कृषि क्षेत्र में चीन वाले जिस तरह से परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसका अध्ययन करने के लिए कृषि विशेषज्ञ भेजने पर विचार करेगी और यदि हां, तो ऐसा दल कब तक भेजा जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान। कृषि में आणविक उपकरण समूचे विश्व में, जिसमें भारत भी शामिल है, प्रयोग किए जाते हैं। चीन में भी कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में आणविक उपकरण प्रयोग में लाये जाते है। पता चला है कि चीन ने इन तकनीकों का उपयोग कर नयी किस्में विकसित करने की दिशा में कुछ प्रगति की है।

(ख) देश में अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र जिनमें आणविक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार हैं :

फसल सुधार :

हाल के सालों में फसल सुधार के लिए आणविक तकनीक के प्रयोग को पूरी तरह सराहा गया है। ये क्षेत्र हैं नयी फसल पद्धति के अनुरूप पौध प्ररूप (प्लान्ट टाइप) की पुनर्रचना, बड़े पैमाने पर विविधता पैदा करना, कुछ विशिष्ट दोषों को सुधारना, रोग-रोधिता गुण पैदा करना, पोषक सम्बन्धी क्वालिटी में फेर बदल। विभिन्न विकिरण उपचारों वाले उत्प्रेरित प्रजनन के द्वारा गेहूं की विभिन्न भारतीय प्रजातियों में वांछित परिवर्तन पैदा किये हैं जैसे शरबती दाने का रंग (शरबती सोनोरा) सीकुर युक्त (एन० पी० 836), सी० 308 और एन० पी० 880 में बौनापन पैदा करना और टनोरी-71 किस्म में प्रोटीन अंश बढ़ाना। कपास में चेंपा (जैसिड) रोधिता पैदा करना, बाजरा (पेनिसेटम टायफोइड्स) की नयी संकर किस्में विकसित करने के लिए नर-बन्ध्यता पैदा करना, टमाटर में समान रूप से पकने का गुण पैदा करना, दालों (चना और मूंग) में अधिक उपज के लिए उम्दा पौध प्ररूप (प्लांट टाइप) तैयार करना आदि। ये उपलब्धियां प्राप्त की जा चुकी हैं। इससे पता चलता है कि नियोजित फसल सुधार कार्यक्रम में आणविक ऊर्जा का कितना सकारात्मक और लाभकारी उपयोग उठाया जा सकता है।

मृदा, उर्वरता और जल उपयोग क्षमता :

भारत का अर्ध-मात्रिक चिकनी मिट्टी खनिज विज्ञान सम्बन्धी नक्शा तैयार करने के लिए एक्स-रे विवर्तन तकनीक का योग किया। 15 ना० धारी उर्वरकों पर किये गये अध्ययनों से पता चला कि धान की फसल में रोपण अवस्था में उर्वरक देने की अपेक्षा प्रारम्भिक अंकुरण अवस्था में उर्वरक देने पर 27 प्रतिशत नाइट्रोजन का उपयोग हुआ। विभिन्न फसलों में फास्फेटधारी उर्वरकों की सक्षमता बढ़ाने के लिए विधियों का पता लगाया गया है। पी०-32 ट्रेसर के उपयोग से नाइट्रो.फास्फेटों में पानी में घुलनशील फास्फोरस के न्यूनतम अंश का पता लगाने के लिए समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया। भारतीय मिट्टियों में नाइट्रो-फास्फेटों में कम से कम 50 प्रतिशत घुलनशील फास्फोरस का रहना उपयोगी पाया गया। आणविक तकनीकों के उपयोग से पानी की क्षमता के बारे में यह सारांश निकला है कि प्रचलित तरीकों की अपेक्षा इसमें 30 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत गेहूं जैसी फसलों में प्राप्त की जा सकेगी।

फसल प्रतिरक्षण :

पौध प्रतिरक्षण अनुसंधान में, आणविक विकिरण का प्रयोग भण्डारित खाद्यान्न में एक प्रकार के कीट नियंत्रण के कीट बंध्यकरण विकिरण की संभावनाओं को देखने के लिए किया गया है। इसी प्रकार एक तरह की फल-व्याधि पर भी अध्ययन किया जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र पर किये जा रहे कार्य में रेड पॉम घुन और आलू के कन्द शलभ कीटों पर भी अध्ययन सम्मिलित है। आणविक तकनीकों का यह प्रयोग कृषि उत्पादों की कटाई के बाद बचे अवशेषों को भी कम करने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। रेडियो ट्रसरों का उपयोग विभिन्न कीटनाशकों के वितरण और अन्वेषण में भी किया गया है। आणविक तकनीकों का उपयोग रेशम के कीड़े के विकास में भी हुआ है।

(ग) चीन अथवा अन्य देशों में यदि हमारे वैज्ञानिक नयी तकनीकें अथवा नयी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सरकार अपने वैज्ञानिकों को वहां भेजने में हमेशा मदद करेगी। फिलहाल, हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके अन्तर्गत हम अपने वैज्ञानिकों को चीन के लोगों द्वारा कृषि के क्षेत्र में अपनायी जा रही आणविक ऊर्जा के अध्ययन के लिए भेजें।

यहां यह बताना आवश्यक है कि जब हमें चीन में संकर धान और ऊतक संवर्ध के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हाल ही में तीन वैज्ञानिकों को वहां भेजा गया।

लापता मछुआरे

8522. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1981 के तूफान में बड़ी संख्या में मछुआरे लापता हुए थे और उनका अभी तक पता नहीं लगा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का बंगाल की खाड़ी से लापता हुये बताये गये उन मछुआरों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा के लापता मछुआरों के परिवारों के सदस्यों को क्या राहत दी गई है और उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसम्बर, 1981 में आये समुद्री तूफान में 30 मछुआरे लापता हुए। राज्य मात्स्यिकी विभाग तथा समिति के यंत्रीकृत बोटों के माध्यम से नौवहन खोज की गई थी परन्तु लापता मछुआरों का पता लगाने में कोई सफलता नहीं मिली। लापता मछुआरों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह अनुदान दे दिया गया था। उड़ीसा सरकार द्वारा लापता मछुआरों के परिवार से ऋणों की वसूली बन्द करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को नई दिल्ली नगर पालिका के स्टालों का आवंटन किया जाना

8523. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व सैनिकों का ब्योरा क्या है जिन्होंने 1 जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान स्टालों के आवंटन हेतु नई दिल्ली नगर पालिका को आवेदन किया था;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान भूतपूर्व सैनिकों की दुकानों का आवंटन न करने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और अन्य केन्द्रीय, सरकारी कार्यालयों ने उन्हें क्वार्टर और दुकानों का आवंटन करने के लिए कोटा निर्धारित किया हुआ है; और

(ग) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को दुकानों का आवंटन करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका के आदेश जारी करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि दुकानों/स्टालों के आवंटन के मामले में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण न होने के कारण, भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए उनके द्वारा कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) पुनर्वास महानिदेशक, रक्षा-मंत्रालय ने सूचित किया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए दुकानों और स्टालों के आरक्षण के बारे में कोई स्थाई हिदायतें नहीं हैं। स्थाई हिदायतें न होने के कारण इस बारे में प्रत्येक संगठन अपनी स्वयं की नीति अपनाने के लिए स्वतन्त्र है। सम्पदा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम ने भूतपूर्व सैनिकों को दुकानों/स्टालों/तहबजारी स्थलों के आवंटन का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

जी० टी० रोड, शाहदरा में सीमान्त बांध

8524. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के 'वाटर सप्लाई' एण्ड सिवेज डिसपोजल डिपार्टमेंट ने 54 इंच व्यास की पाईप लाइन कब रखी थी और जी० टी० रोड, शाहदरा में सीमान्त बांध का निर्माण कब किया था;

(ख) क्या इस नाली की 56 फीट लम्बी पाइप वर्ष 1976 में जमुना में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी और फरवरी, मार्च, 1977 में विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए 21,185 लाख रुपये में निविदायें आमन्त्रित की थीं;

(ग) क्या निगम के अधिकारियों ने काला धन कमाने को ध्यान में रखकर समस्त बांध के निर्माण और पाईप बिछाने के कार्य हेतु मैसर्स यू० के० दिवान को 358075.37 रुपये में निविदा जारी की थी और क्या लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उसकी लेखापरीक्षा दिसम्बर, 1979 म की गई थी तथा लेखा परीक्षा विभाग ने लगभग तीन लाख रुपये की धनराशि के दुरुपयोग होने की ओर ध्यान दिलाया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिया जाना

8525. **श्री बी० आर० महाटा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार और योजना आयोग को स्वीकृति हेतु कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और उनका पूंजीगत परिव्यय क्या था और सिंचाई की उपलब्धि का लक्ष्य क्या है;

(ख) भारत सरकार अथवा योजना आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी, कौन-सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं और किन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सिंचाई सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी स्वीकृति तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए चार बृहद सिंचाई/बहुप्रयोजनी तथा 21 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की थीं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा सिंचाई लाभ संलग्न वितरण में दिये गये हैं।

(ख) इनमें से 12 मध्यम परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के नाम निम्न प्रकार है :

1. तिल्लर बांध
2. दोराहा टैंक
3. कालिया सोते
4. सागर
5. बाह
6. बुधना नाला
7. कुंवारी लिफ्ट सिंचाई
8. लखुन्दर बांध
9. छीरपानी
10. कोसर टेडा
11. बन्दिया नाला
12. कम्हरगांव टैंक

शेष परियोजनाओं की, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित रिपोर्टें/उत्तर प्राप्त हो जाने, परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने, लागत लाभों के स्थिर हो जाने और अन्तर्राज्यिक पहलू, जहां कहीं अपेक्षित हों, संतोषप्रद रूप से हल हो जाने के बाद ही स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा सकती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान (जनवरी, 1979 के बाद) मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत सिंचाई परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3	4
	(एक) बृहद/बहुप्रयोजनी परियोजनाएं		
1.	बिहरीखुर्द	2270.00	23.59
2.	केलो	1781.00	25.67
3.	चम्बल लिफ्ट सिंचाई	397.59	12.00
4.	चम्बल अयाकट विकास-चरण-दो	4355.00	47.00
	(दो) मध्यम परियोजनाएं		
1.	तिल्लार बांध	577.31	6.00
2.	दोराहा टैंक	248.77	2.833
3.	काकेटों टिगरा-चरण-दो	181.00	7.692
4.	कालियासोट	932.90	11.093
5.	सागर	1063.11	9.713
6.	बाह	1398.00	11.048
7.	बुद्धना नाला	199.58	2.349
8.	कुंवारी लिफ्ट	103.31	3.926
9.	लखुन्दर बांध	426.85	4.050

1 2	3	4
10. छीरपानी	857.37	8.00
11. कोसरटेडा	601.60	9.473
12. महुअर	1095.48	7.93
13. कन्हारगांव टैंक	522.27	3.724
14. बन्दिया नाला	180.05	2.477
15. बारचर नाला	350.45	2.511
16. देजला देवडा	843.82	10.80
17. रामपुरी पिक अप वीयर एवं पुलपिला डम्मी संचयन	551.51	13.565
18. गज टैंक	520.45	4.077
19. बरनाई टैंक	340.80	2.388
20. रामकुपड व्यपवर्तन	638.50	9.717
21. डोकरिया टैंक	231.60	2.924

प्लाटधारियों द्वारा दिल्ली के पीतमपुरा और शालीमार बाग क्षेत्रों में प्लाटों की बिक्री

8526. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा और शालीमार बाग रिहायती क्षेत्रों में प्लाटों के अनेक अलाटियों ने वर्ष 1976 में उन्हें आवंटित प्लाटों पर रिहायशी मकानों का निर्माण अब तक नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इनमें से अनेक व्यक्तियों ने अपने प्लाटों को चोरी छिपे बेच दिया है और क्रेता को पावर आफ आटार्नी दे दी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पीतमपुरा और शालीमार बाग रिहायशी योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे खाली प्लाटों का सर्वेक्षण करके उन्हें अपगृहीत करने का है जिसे ऐसे प्लाटों को अन्य जरूरतमन्द व्यक्तियों को अलाट किये जा सकें और क्या वह खाली पड़े ऐसे प्लाटो की सूची उनके वास्तविक अलाटियों के नामों सहित सभा पटल पर रखेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में कुछ मामले ऐसे आये हैं जिनमें पट्टेदार द्वारा निष्पादित मुख्तियार नामे में एक अनुच्छेद ऐसा पाया गया है जिसमें ज्यायवादी को बिक्री की अनुमति देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन देने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिक्री की अनुमति देने पर बिक्री करारनामा निष्पादित करने का भी अधिकार दिया गया है। यदि मुख्तियार नामें में एक अनुच्छेद यह है कि यह अपरिवर्तनीय है तो उसका निर्वचन यह किया जाता है कि पट्टा कर्ता से न्यायवादी को प्लाट का गुप्त अन्तरण हुआ है। ऐसे सभी मामलों में पट्टाधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं कि क्यों न पट्टे को रद्द किया जाय। निरपवाद रूप से पट्टेदार/उप पट्टेदार कुछ ऐसे आधार प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने उसे मुख्तियारनामा निष्पादित करने के लिए मजबूर किया। वह इस बात पर जोर देते हुए कि सम्पत्ति के अन्तरण की उसकी नीयत नहीं थी, मुख्तियारनामें को रद्द करने की भी इच्छा व्यक्त करता है। यदि इस प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो पट्टे के निर्धारण की कार्यवाही की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

चीनी का उत्पादन

8527. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जनवरी, 1982 को समाप्त होने वाले चालू सीजन 1981-82 के पहले चार महीनों में चीनी का उत्पादन 6.08 लाख टन से बढ़कर 32.22 लाख टन हो गया है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में इसका उत्पादन 26.14 लाख टन था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी अवधि में निर्यात 68,000 टन हुआ है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह शून्य था;

(ग) जनवरी, 1982 के महीने में चीनी का कुल उत्पादन कितना था और पिछले वर्ष की तुलना में यह कितना अधिक था;

(घ) फरवरी, 1982 में सीजन के पांचवे महीने में इसकी स्थिति क्या थी; और

(ङ) सरकार ने चीनी के चालू सीजन के अन्त तक चीनी के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां। वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 के प्रथम चार महीनों अर्थात अक्तूबर से जनवरी के दौरान चीनी का उत्पादन 32.22 लाख मी० टन हुआ था जबकि 1980-81 के चीनी मौसम में उसी अवधि के दौरान 26.14 लाख मी० टन का उत्पादन हुआ था। इसमें 6.08 लाख मी० टन की वृद्धि हुई थी।

(ख) चीनी मौसम 1981-82 के उपर्युक्त प्रथम चार महीनों के दौरान फैक्ट्रियों से निर्यात हेतु लगभग 68,000 मी० टन चीनी प्रेषित की गई थी जबकि 1980 81 मौसम की उसी अवधि के दौरान 374 मी० टन चीनी प्रेषित की गई थी।

(ग) जनवरी, 1982 में 14.21 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि जनवरी, 1981 में 12.15 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अत: 2.06 लाख मी० टन की वृद्धि हुई थी।

(घ) फरवरी, 1982 में 13.62 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि फरवरी, 1981 में 10.73 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अत: 2.89 लाख मी० टन की वृद्धि हुई थी।

(ङ) सरकार चीनी के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। तथापि उत्पादन की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार, अनुमान है कि 1981-82 मौसम में चीनी का उत्पादन 70 लाख मी० टन से भी अधिक होगा।

रुग्ण चीनी मिलों का अधिग्रहण

8528. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार के स्वामित्व के अधीन चीनी मिलों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी मिलों का अधिग्रहण तभी किया गया था जब उनके पिछले निजी प्रबन्धकों द्वारा गन्ने के मूल्य, श्रमिकों की मजूरी, कर आदि की भारी बकाया राशि छोड़कर इन्हें रुग्ण बनाकर छोड़ दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में परीक्षण के तौर पर स्थापित की गई चीनी फैक्ट्री के अलावा, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कोई अन्य चीनी मिल नहीं है। तथापि, इस समय राज्य सरकार के स्वामित्व में 42 चीनी मिलें हैं—18 उत्तर प्रदेश में, 9 बिहार में, 5 आन्ध्र प्रदेश में, दो-दो पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में तथा एक-एक असम, नागालैण्ड, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में।

(ख) जहां तक उत्तर प्रदेश बिहार का सम्बन्ध है, अधिकांश मामलों में राज्य सरकार द्वारा मिलों को अपने अधिकार में लेने का मुख्य कारण गैर-सरकारी स्वामित्व में मिलों का रुग्ण होना होता है। उत्तर प्रदेश की कुछेक मिलों सहित अन्य राज्यों में मूलत: सरकारी क्षेत्र में मिलें स्थापित की गई थीं।

(ग) राज्य सरकारें गैर-सरकारी स्वामित्व की चीनी मिलों को अपने अधिकार में लेने अथवा सरकारी क्षेत्र में नयी चीनी मिलें स्थापित करने में सक्षम हैं।

परिवार के सदस्यों की मृत्यु के आधार पर उनकी मत्यु के काफी समय बाद सरकारी आवास का बिना बारी के आवंटन

8529. **श्री शिबु सोरन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके परिवार के सदस्यों अथवा उस विशेष परिवार के सदस्य अथवा आश्रित माता पिता की मृत्यु के काफी देर बाद, जिनकी डाक्टरी आधार

पर सरकारी कर्मचारी, सरकारी आवास के तदर्थ आवंटन हेतु अनुरोध करता है, तदर्थ आधार पर सरकारी क्वार्टर का लिया जाना वैध है या नहीं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (ब) तथा (ख) ऐसी आकस्मिकता में आजकल सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

राज्यों द्वारा दुग्ध योजनाओं के विकास हेतु राशि का उपयोग किया जाना

8530. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान दुग्ध योजनाओं के विकास के लिए आवंटित की गई राशि का प्रत्येक राज्य द्वारा पूरा उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो उसके राज्यवार कारण क्या हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी फार्मों द्वारा विदेशी सहयोग से अथवा अन्य देशों की सहायता से राज्य-वार कितनी डेरियों की स्थापना की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) 1980-81 और 1981-82 की अवधि के दौरान डेरी और दुग्ध सप्लाई योजनाओं के लिए राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र वार परिव्यय और खर्च का विवरण संलग्न है। (अनुबंध-1)

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यवार स्थापित किये गये संयंत्रों/दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियों का विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध-II)। इनमें से भोपाल में एक डेरी और जयपुर और बंगलोर में दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियां अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से स्थापित की गयी थीं।

विवरण I

राज्य क्षेत्र के तहत 1980-81 और 1981-82 के दौरान डेरी उद्योग और दुग्ध सप्लाई योजनाओं के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार परिव्यय और खर्च का विवरण

	1980-84		1984-82	
			(लाख रुपए में)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संशोधित परिव्यय	वास्तविक खर्च	अनुमोदित परिव्यय	अनुमानित खर्च
1 2	3	4	5	6
1. अन्ध्र प्रदेश	170.00	170.00	100.00	100.00
2. असम	85.00	46.00	60.00	60.00

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	109.00	102.00	160.00	160.00
4.	गुजरात	*300.00	302.00	32.00	32.00
5.	हरियाणा	16 00	13.00	60.00	60 00
6.	हिमाचल प्रदेश	85.00	86.00	80.00	85.00
7.	जम्मू और कश्मीर	26.00	361.00	*44.00	344.00
8.	कर्नाटक	210.00	349.00	211.00	211.00
9.	केरल	152.00	115.00	180.00	180.00
10.	मध्य प्रदेश	62.00	56.00	80.00	75.00
11.	महाराष्ट्र	550.00	449.00	739.00	740.00
12.	मणिपुर	*53.00	53.00	*60.00	60.00
13.	मेघालय	16.00	14.00	16.00	16.00
14.	नागालैण्ड	*90.00	88.00	*100.00	100 00
15.	उड़ीसा	*161.00	169 00	*200 00	170.00
16.	पंजाब	*341.00	331.00	51.00	51.00
17.	राजस्थान	321.00	371.00	180.00	180.00
18.	सिक्किम	*92.00	88.00	90.00	115.00
19.	तमिलनाडु	29.00	29.00	96.00	43.00
20.	त्रिपुरा	26.00	20.00	35.00	35.00
21.	उत्तर प्रदेश	*475.00	494.00	203.00	214.00
22.	पश्चिमी बंगाल	192.00	139.00	150.00	188.00
	उप-योग	3861.00	3895.00	3227.00	3219.00
23.	अण्डमान	*35.00	35.01	*50.00	47 03
24.	अरुणाचल प्रदेश	*86 68	83.05	9.00	9.00
25.	चण्डीगढ़	*2.61	3.40	*12.00	11.11
26.	दिल्ली	135.00	135.00	5.00	5.00
27.	गोआ	12.55	11.11	15.00	15.00
28.	लक्षद्वीप	—	—	*14.00	14.00
29.	मिजोरम	*65.00	65.00	*88.00	88.00
30.	पाण्डिचेरी	5.00	3.78	4.00	1.95
31.	दादरा तथा नगर हवेली	*7.70	6.43	*8 00	9.07
	उप-योग	349.54	342.78	205.00	200.16
	कुल योग	4210.54	4237.78	3432.00	3419.16

*इसमें पशुपालन सम्बन्धी परिव्यय और खर्च शामिल हैं।

स्रोत : (1) संशोधित परिव्यय 1980-81 =पी० सी० (पी०) 2/79 दिनांक 8-4-81 और 13-4-81।

(2) अनुमोदित परि यय 1981-82 वार्षिक योजना दस्तावेज।

(3) 1980-81 का वास्तविक खर्च और 1981-82 का अनुमानित खर्च, राज्य योजना खाका।

विवरण 2

1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्य वार डेरी संयंत्रों/दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियों का वितरण।

1. तरल दुग्ध संयंत्र

राज्य	1980-81	1981-82
असम	जोरहट	—
सिक्किम	जोरथांग	—
केरल	कन्नानोर	—
मध्य प्रदेश	उज्जैन	भोपाल
गुजरात	—	पंचमहल
महाराष्ट्र	नांदुरा	—
पंजाब	मोहाली	—
हिमाचल प्रदेश	—	शिमला
त्रिपुरा	—	अगरतला
कर्नाटक	—	तुमकुर

2. दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियां

कर्नाटक	बंगलोर	—
महाराष्ट्र	नागपुर	—
तमिलनाडु	—	एरोड
राजस्थान	—	जयपुर

———

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : कर्नाटक के सम्बन्ध में गोकाक समिति के प्रतिवेदन के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी···

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। वह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, बम्बई में 2.5 लाख से अधिक कपड़ा मजदूर 90 दिनों से अधिक हड़ताल पर हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। आज महाराष्ट्र बन्द भी है।

(व्यवधान)

मैंने केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने तथा विवाद को हल करने में असफलता का उल्लेख करता हूं। 90 दिनों से वे हड़ताल पर हैं। आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह राज्य का विषय कैसे है ? केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 15 तारीख को कालिंग एटेन्शन का नोटिस दिया था। 16 तारीख को आपने नियम 377 के अन्तर्गत एलाऊ किया था। 17 तारीख से हिन्दुस्तान समाचार में तालाबन्दी है। वहां के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : अपको नियम 377 के अधीन अनुमति दी गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय क्या है महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम चाहते हैं केन्द्र हस्तक्षेप करे।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : *

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आप हम सबको एक-एक करके सुनेंगे ?

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : कल मैं बम्बई में था। आज पूरा बम्बई बन्द है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी है । नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यह कैसे कहते हैं कि यह राज्य का विषय है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कृपया आप कम से कम आधे मिनट के लिए बारी-बारी से हमें सुनें ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप आधे मिनट के लिए भी हमारी बात नहीं सुन सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपको यह कहते सुना है कि यह राज्य का विषय है । परन्तु वाणिज्य मंत्री ने, जिनके मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर पिछले वाद-विवाद हुआ था, अपने भाषण में बम्बई कपड़ा उद्योग की हड़ताल का विस्तार से उल्लेख किया था। श्रम मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया था और उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह राज्य का विषय है । कपड़ा उद्योग वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । आज सम्पूर्ण महाराष्ट्र में बन्द है। इस हड़ताल को तीन महीने हो गए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : केन्द्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है । यह संयुक्त उत्तरदायित्व है ।

आचार्य भगवान देव : *

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली । अब आप बार-बार दोहरा रहे हैं । यह बहुत बुरा कर रहे हैं । मैंने आपकी बात सुन ली है । अगर आप दोबारा सुनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूं ।

आचार्य भगवान देव : मैं इस पर चर्चा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चर्चा चाहते हैं तो मैं एलाऊ नहीं कर सकता । यह गलत तरीका है । नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूं ।

दण्डवते जी, मैं इस पर विचार करूंगा । परन्तु कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं···

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों आदि की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(1) पर्यावरण विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3935/82]

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3936/82]

(3) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3937/82]

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3938/82]

(5) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3939/82]

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3940/82)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, हम विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गए)

भारतीय डेरी निगम, बड़ोदा की वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) भारतीय डेरी निगम, बड़ोदा, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय डेरी निगम, बड़ोदा, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3941/82)

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 21 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) का० आ० 167 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और कावेरी शूगर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कावेरी फैक्टरी, पेट्टाईवायतलाई (तमिलनाडु) के प्रबन्ध के बारे में है ।

(2) का० आ० 168 (अ), 25 मार्च, 1982 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था और अयोध्या शूगर मिल्स राजा-का-सहसपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है ।

(3) का० आ० 169 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, शंकरनगर (महाराष्ट्र) के प्रबन्ध के बारे में है ।

(4) का० आ० 170 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और रायबहादुर नारायण सिंह शूगर मिल्स लिमिटेड, नहकसर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है ।

(5) का० आ० 171 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और श्री सीताराम शूगर कम्पनी लिमिटेड, बैतालपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है ।

(6) का० आ० 172 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और देवरिया शूगर मिल्स लिमिटेड, देवरिया (उत्तर प्रदेश के प्रबन्ध के बारे में है ।

(7) का० आ० 173 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और सेकसरिया शूगर मिल्स लिमिटेड, बभनान (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है ।

(8) का० आ० 174 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और श्री केशोरायपतन सहकारी शूगर मिल्स लिमिटेड, केशोरायपतन (राजस्थान) के प्रबन्ध के बारे में है।

(ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3942/82)

वित्त मन्त्रालय आदि की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3943/81))

(2) संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3944/82)

इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : मैं इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3945/82)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर डिस्कसन करवा देते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : दो मिनिस्टरों ने इस मामले पर बर्क्स से अपील की। क्या हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं विचार करने के लिए हमेशा तैयार हूं, परन्तु इस प्रकार नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : इससे 15 लाख लोग प्रभावित हैं। आप इस पर चर्चा का आश्वासन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, क्यों नहीं ? परन्तु यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप आश्वासन दें तो यह बिल्कुल ठीक है ।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान समाचार···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । 377 में एलाऊ कर दिया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

वह क्या कर रहे हैं ? श्री चन्द्रपाल शैलानी । (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : मेरी बात भी सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बेकार में मेरा समय खराब कर रहे हैं ? जब मैंने आपको आश्वासन दे दिया है कि यह मेरे विचाराधीन है तो आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते ? आप प्रचार चाहते हैं, क्या ? मैं अपने वायदे पर कायम रहूंगा ।

(व्यवधान)

अब नियम 377 के अधीन मामले ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा से चवर हटाये जाने की घटना की जांच करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बौद्ध तीर्थ कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर से चौवर उतार देने, देश विदेश के बौद्ध-भिक्षुओं व उपासकों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने तथा उन्हें पूजा एवं वन्दना न करने देने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन कुशीनगर एक विश्वविख्यात महान बौद्ध तीर्थ स्थान है जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और इस स्थान पर हजारों की संख्या में प्रति वर्ष विदेशों से बौद्ध तीर्थ यात्री दर्शनार्थ आते हैं । भारत सरकार ने भी लाखों रुपये खर्च करके इस स्थान का पुनरुद्धार किया और रमणीक बनाया है । मान्यवर, मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि सन् 1860 ई० में ब्रिटिश सरकार के भारत के स्थित वाइसराय लार्ड कनिंग्टन ने भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों की खुदाई प्रारम्भ कराई जिसमें अन्य स्थलों के साथ कुशीनगर में सन् 1876 ई० में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की स्थिति की एक चौबीस फुट की विशाल लेटी हुई मूर्ति प्राप्त हुई थी और तभी से बर्मा के मूल निवासी विद्वान भिक्षु महावीर ने उस मूर्ति पर बौद्ध भिक्षुओं का प्रतीक एवं पवित्र माना जाने वाला वस्त्र "चीवर" चढ़ाया और उस समय से निरन्तर

ऐसा होता आया है । भिक्षु महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् बौद्ध संसार के जाने माने विद्वान बौद्ध भिक्षु भदन्त चन्द्रमणि जी महास्थविर ने चीवर चढ़ाने का कार्य पूर्वत: जारी रखा और वह यह कार्य अपने जीवन भर करते रहे। उनके परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य भदन्त ज्ञानेश्वर यह कार्य अपनी पूर्ण धार्मिक श्रद्धा से करते आ रहे थे परन्तु खेद है कि अभी कुछ दिनों से वहां पुरातत्व विभाग ने भगवान बुद्ध की मूर्ति से चीवर को उतार दिया है और देश विदेश से आने वाले बौद्ध यात्रियों के प्रति उचित शब्दों का प्रयोग एवं आदर नहीं कर रहे हैं जिससे समस्त बौद्ध संसार विक्षुब्ध है और उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है तथा इसकी बड़ी गलत प्रतिक्रिया हो रही है। श्रीमन्, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने-अपने पावन पवित्र तीर्थ स्थानों पर पूजा एवं वन्दना करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है फिर बौद्धों के साथ यह भेदभाव क्यों ? मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की तुरन्त जांच करा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(दो) गुजरात में गैस पर आधारित तीसरे उर्वरक कारखाने की स्थापना की आवश्यकता

श्री अहमद मोहम्मद पटेल (भड़ौच) : महोदय, सतीशचन्द्र समिति ने देश में बम्बई हाई से प्राप्त गैस पर आधारित 10 उर्वरक संयन्त्र लगाने की सिफारिश की थी। अत: नाइट्रोजीनियस उर्वरक पर खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये गुजरात सरकार को गैस पर आधारित तीसरे उर्वरक कारखाने को लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

दो बड़े उर्वरक कारखाने लगाने के अनुभव तथा सहज उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के कारण गुजरात कम से कम संभव समय में गैस पर आधारित तीसरा उर्वरक कारखाने स्थापित करने की स्थिति में है

चूंकि इस परियोजना को भड़ौच स्थित गुजरात-नर्मदा घाटी उर्वरक की मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के रूप में लिया जा रहा है, इसलिए बुनियादी और सम्बन्धित सुविधाओं के कारण पूंजीगत लागत में लगभग 54 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अतिरिक्त विस्तार का काम 12 महीने पहले समाप्त हो जाने के कारण ब्याज के रूप में 40 करोड़ रुपये की और बचत होगी।

यह पता चला है कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी इस परियोजना के लिए 120-30 करोड़ रुपए देने की स्थिति में है इससे सरकार पर वित्तीय भार और भी कम हो जाएगा।

नाइट्रोजीनियस उर्वरकों के आयात में कमी आ जाने से इस परियोजना के कारण लगभग 7 वर्षों में करीब 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की आशा है।

ऐसा समझा जाता है कि गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भी भेजा है। इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति मिलने से देश में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले की पनबिजली सम्भाव्यता के विशेष संदर्भ में पनबिजली को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : ऊर्जा मन्त्रालय को चाहिए कि वह छठी पंचवर्षीय योजना में तापीय विद्युत के स्थान पर जल विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान करे क्योंकि ताप विद्युत के स्रोत एक सीमा पर समाप्त हो सकते हैं तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों के उपयोग की तकनीक या तो अभी पर्याप्त महंगी है या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। इनके विपरीत जल विद्युत के स्रोत अगाध हैं व हमेशा रहने वाले हैं।

देश के पर्वतीय क्षेत्र जल विद्युत के उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में छोटी व बड़ी दोनों नदियों पर जल विद्युत योजनायें बनाई जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारों द्वारा यहां की जल विद्युत उत्पादन क्षमता के 90 प्रतिशत का भी उपयोग नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो इस संदर्भ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जनपद में जल विद्युत पैदा करने की अगाध क्षमता है। मैं पिछले दो वर्षों से इस जनपद की जल विद्युत उत्पादन क्षमता का फिजिबिलिटी सर्वे करवाये जाने की मांग कर रहा हूं।

इस जनपद में सरयू नदी में पंचेश्वर नामक स्थान पर तथा गोरी व छोली नदियों में कई छोटी बड़ी जल विद्युत योजनायें बनाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त पिंडर नदी को सरयू में मिलाकर अगाध जल विद्युत पैदा की जा सकती है।

सुरीनमाड़ नामक स्थान के लिए एक योजना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार की थी। उसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड ने धन भी स्वीकृत किया था। अभी तक वह कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जनपद तथा अल्मोड़ा की माइक्रो हाईडिल योजनायें स्वीकृति हेतु ऊर्जा मन्त्रालय को प्रस्तावित की हैं, जिनकी स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

अतः मेरा माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन है कि सिद्धांत रूप में जल विद्युत उत्पादन की योजनाओं के निर्माण को महत्व प्रदान करें तथा उत्तर प्रदेश के विद्युत मन्त्री जी से वार्ता कर पिथौड़ागढ़ जिले की जल विद्युत क्षमता के उपयोग के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करें।

(चार) मध्य प्रदेश में सांची का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र विदिशा में 'सांची' एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन केन्द्र है, जहां प्रत्येक वर्ष सैकड़ों विदेशी पर्यटक प्रसिद्ध सांची स्तूप, 'जातक' बुद्धकाल की कहानियों तथा अशोक के काल की ऐतिहासिक कलाओं को देखने के लिए आते हैं। सांची में भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म और कला का संगम है और इसीलिए भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस स्थान से बड़ा ही प्रेम था तथा उन्होंने सांची एवं विदिशा के विकास के लिए बहुत कुछ किया था परन्तु इस स्थान का विकास लगभग रुक सा गया है। इसके राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर होने के बावजूद यहां पर्यटकों के लिए कोई होटल नहीं है, भोजन के लिए कोई जलपान गृह नहीं है, स्तूप पहाड़ी पर पीने के पानी का कोई

अच्छा प्रबन्ध नहीं है, पहाड़ी पर स्थित स्तूप पर जाने के लिए मोटर परिवहन उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य पर्यटन विभाग और केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने सांची के विकास के लिए कोई विशेष योजना प्रारम्भ नहीं की है। राज्य सरकार ने सांची के विकास के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने का वचन दिया है और लगभग एक करोड़ रुपये का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, परन्तु इस योजना में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री से मेरा यह निवेदन है कि सांची के विकास की योजनाओं को शीघ्रता से लागू किया जाए। विदिशा में एक ऐसा पर्यटन केन्द्र होना चाहिए जहां पर पर्यटकों को सभी प्रकार की सूचना और परिवहन सुविधायें उपलब्ध हो सकें। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मिनि-बसों और पर्यटक टैक्सियों का प्रबन्ध आवश्यक है।

यह निवेदन है कि सरकार इस दिशा में कुछ करेगी।

(पांच) तमिलनाडु के रामानाथपुरम और रामेश्वरम तट क्षेत्र के मछुआरों की सुरक्षा करने की आवश्यकता

श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन (रामनाथपुरम) : यह सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में रामनाथपुरम और रामेश्वरम समुद्र-तट पर हमारे मछुआरों को तंग किया जाता है। कच्चा तिवू को श्रीलंका को सौंपे जाने के बाद से, रामनाथपुरम समुद्र तट पर श्रीलंका की नौसेना की गश्त तेज हुई है। हमारे भारतीय समुद्र तटी सुरक्षा संगठन द्वारा इन असहाय मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इस संगठन के पास गश्त के लिए कुछ टूटे-फूटे जलयान हैं। वे मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। भारतीय समुद्री तट सुरक्षा संगठन ने प्रस्ताव किया है कि 32 किलोमीटर की आर्थिक क्षेत्र की पूरी तरह से आकाश में गश्त लगाने के लिए उन्हें हैलिकाप्टर दिए जायें।

रामनाथपुरम से 25 कि० मी० दूर उचिपुलि में एक आपातकालीन हवाई पट्टी है। भारतीय समुद्र तटी सुरक्षा संगठन की सहायता के उद्देश्य से और रक्षा वायु पट्टी के रूप में भी इसको विकसित किया जाना चाहिए। इसका सामरिक महत्व होने से इस पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(छः) उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृन्दावन नगरों का पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मथुरा और वृन्दावन में भारत से ही नहीं पूरे संसार से यात्री आते हैं। जितने तीर्थ स्थान इस ब्रज क्षेत्र में हैं उतने हमारे देश में कहीं नहीं। पूरे वर्ष यात्री आते रहते हैं। अमरीका, यूरोप और अन्य देशों के जितने यात्री यहां दिखाई देते हैं अन्य स्थानों पर नहीं। इन नगरों की सरकार की ओर से उपेक्षा की गई है। तीर्थ-स्थानों की सूची में इन नगरों का नाम नहीं। टूरिस्ट विभाग का कोई काम भी यहां नहीं। कोई आडिटोरियम भी नहीं। मथुरा, वृन्दावन में यमुना के घाट नहीं बनवाये। बने हुए बिना मरम्मत के टूटे जा रहे हैं।

गन्दे पानी के यमुना में आने से नहाने योग्य नहीं रहा। छपाई के कारखानों का पानी यमुना के पानी को जहरीला बना रहा है।

मथुरा का भगतसिंह पार्क शौचालय बना हुआ है। सड़क व गलियां खराब हैं। नल के पानी के अभाव में जनता अत्यन्त दुःखी है। बी० एस० ए० कालेज के पास गन्दे पानी की स्थाई झील बन गई है। उद्योग विभाग और आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के कारण भी गन्दा पानी मथुरा नगर में ही आयेगा।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वृन्दावन में यमुना का पुल बनाया जाए। मथुरा वृन्दावन के घाट बनवाए जायें। गन्दा पानी यमुना में आने से रोका जाए। सड़क व गलियां ठीक कराने की सहायता की जाए। आडीटोरियम बनना चाहिए। टूरिस्ट विभाग ठहरने को भवन बनवायें। मथुरा वृन्दावन को तीर्थस्थानों की सूची में लाया जाए। पीने के पानी की समस्या हल की जाए। जनता के लिए शौचालय बनवाये जायें। जो काम केन्द्रीय सरकार कर सकती है वह करे और अन्य के लिए उ० प्र० सरकार को अनुदान देकर सहायता करे।

(सात) देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, हथकरघा उद्योग से हमारे देश के कई करोड़ लोग सम्बन्धित हैं। उनमे से अधिकांश लोगों की जीविका इसी उद्योग पर आधारित है किन्तु यह दुःख का विषय है कि इस उद्योग में लगे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण सूत और केमिकल्स की कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं। आज हमारे देश में ऐसे अनेक बुनकर परिवार हैं जो भुखमरी के कगार पर पहुँचने की स्थिति में आ गये हैं। सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस उद्योग को एक विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। सूत और केमिकल्स के मूल्यों में तत्काल कमी करना अत्यन्त अनिवार्य है तथा हथकरघा विकास निगमों द्वारा बुनकरों के माल की खरीद तेजी से की जानी चाहिए साथ ही पावरलूम की अबैध खरीद तत्काल समाप्त होनी चाहिए। इस प्रकार के निगमों के अध्यक्ष किसी अनुभवी बुनकर को ही बनाना चाहिए तथा बुनकरों को दिये गये 3000 (तीन हजार) रुपये तक के कर्ज माफ कर दिये जाने चाहिए। सरकार को शीघ्र इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

(आठ) अपनी मांगों पर जोर देने के लिए कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिल्ली में धरना

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के सैकड़ों अध्यापक अपनी 12-सूत्री मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्यापकों के संगठनों के अखिल भारतीय संघ के झण्डे के तले आज (19-4-82) दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं। उनकी निम्नलिखित मांगें हैं : सेवा सुरक्षा के लिए सांविधिक व्यवस्था, महाविद्यालयों के निजी

प्रबन्ध को समाप्त करना वेतनमानों का संशोधन तथा अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों के अध्यापकों सहित सभी अध्यापकों के वेतनमान एवं एक ही चल ग्रेड तथा सरकारी खजाने से सीधे ही भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक वेतन के ह्रास का निष्प्रभावीकरण प्रदर्शकों, पुस्तकाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों अध्यापकों, सहायक अध्यापकों, मानचित्रकारों आदि के वेतनमानों को लागू करना, 8 महाविद्यालयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने हेतु लाये गये पश्चिम-बंगाल के विधेयकों को तुरन्त केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के संगठनों के महासंघ को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ को मान्यता प्रदान करना, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शासन का लोकतंत्रीकरण, अध्यापकों को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार देना, समस्त अन्य लाभों के मामले में राज्य और केन्द्र के विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के बीच भेदभाव को समाप्त करना, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए समान संवर्ग तथा सेवा-निवृत्ति की आयु का 60 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक बोट क्लब मैदान पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए शिक्षा मन्त्री महोदय से मिलने के लिए एक शिष्टमण्डल भेजेंगे ।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की उचित मांगों पर विचार करके शीघ्र उन्हें पूरा करे । मुझे आशा है कि शिक्षा मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य देंगे ।

———

अनुदानों की मांगें, 1982-83—जारी

कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा करेगी और मतदान करेगी। श्री पीयूष तिरकी बोल रहे थे । समस्त चर्चा के लिए 10 घन्टे का समय निर्धारित किया गया था । हम पहले ही 7 चन्टे 41 मिनट समाप्त कर चुके हैं । शेष 2 घन्टे और 19 मिनट का समय बचा है । माननीय मन्त्री महोदय लगभग 2.30 म० प० उत्तर देंगे । अब श्री पीयूष तिरकी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा ब्लाक लेवल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए । अभी तक जितने भी इन्स्टीट्यूट हैं वे शहरों में बनाए गए हैं, वहां से शिक्षा प्राप्त लोग गांवों में आना पसंद नहीं करते हैं ।

इसी प्रकार बिजली इत्यादि आधुनिक उपभोग की वस्तुएं भी शीघ्र से शीघ्र देहातों तक पहुंचाई जानी चाहिए, इससे कृषि उपज को भी बढ़ावा मिलेगा ।

लैण्ड रेफार्म की बात जिस दिन से आजादी प्राप्त हुई है, उस दिन से कही जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह बहुत ताज्जुब की बात है कि ऐसे 12 प्रतिशत लोग जो खेती स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि मजदूरों या भागीदारी के आधार पर करवाते हैं, उनके पास कुल कृषि भूमि का 60 प्रतिशत भाग है। किसी के पास तो हजार, दो हजार, चार हजार एकड़ तक जमीन है। यह एक तरह का नया शोषक वर्ग पैदा हो रहा है जो गरीबों का शोषण कर रहा है और उनको उचित मजदूरी भी नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि लैण्ड रेफार्म की तरफ सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए और जिन लोगों के पास अधिक भूमि है, उनसे लेकर समितियों को दे देनी चाहिए, ताकि ग्रामीण अंचल के लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके और उनमें उत्साह बढ़े कि वे स्वयं अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन कर रहे हैं।

कुछ कृषक तो ऐसे हैं जिनके पास .5 एकड़ से भी कम जमीन है। ये कृषक आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग महाजनों के ऋण से दबते जा रहे है। गांवों में भी पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही है। इन किसानों की जमीन लीज पर ली जा रही है। जिस किसान के पास एक एकड़ जमीन है, और 5-10 मन अनाज पैदा करता है, उसको कहा जाता है कि तुम अपनी जमीन हमको दे दो हम तुम्हें इससे ज्यादा अनाज देंगे, इस तरह से छोटे किसानों की जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

हम इतना अनाज उपजाते हैं, इतना अनाज हमारे पास होने के बावजूद 51 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की सीमा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जिस आदमी के पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, वही गरीबी की सीमा से नीचे है। इतनी उपज होते हुए हम उन लोगों को अनाज नहीं दे पा रहे हैं। हमारा अनाज गोदामों में सड़ जाता है लेकिन गरीब आदमी को पेट भरने के लिए अनाज नहीं दे पा रहे हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग बिना खाए रह रहे हैं। इससे बच्चों में बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

काटेज इन्डस्ट्री की बात बहुत की जाती है, इसके महत्व को भी बताया जाता है। देहातों में जहां-जहां पर खेत हैं वहां साथ-साथ जंगल भी हैं। आजकल होता यह है कि जंगल की लकड़ी जलावन के व्यवहार में लाई जा रही है। इसको बचाया जाना चाहिए और फारेस्ट वेस्ट काटेज इन्डस्ट्रीज वहां पर लगाई जानी चाहिए। ब्लाक लेवेल पर छोटी और स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिए वहां लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कृषि के काम से जब उनको फुर्सत मिलती है तो ये शहरों की तरफ काम धंधा ढूंढने के लिए भागते हैं। उनको वहां जाना न पड़े और आसपास ही उनके काटेज इंडस्ट्रीज में उनको काम मिल जाए और पैसा भी मिल जाए तो वे शहरों की तरफ नहीं जायेंगे और उनको वहीं काम मिल जाएगा।

जिन कर्मचारियों को ग्रामीण विकास के काम करने के लिए, ग्रामीणों में काम करने के लिए भेजा जाता है आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या उनका ग्रामों की उन्नति करने की ओर झुकाव है भी या नहीं ? यह पहला उनका टैस्ट होना चाहिये। आपको यह भी देखना चाहिए कि

जिस इलाके में उनको भेजा जा रहा है उस इलाके की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का उनको कुछ ज्ञान है या नहीं, आदिवासियों के रहन-सहन से वे परिचित हैं या नहीं । यह बहुत जरूरी है। आज कहने को तो काम बहुत हो रहा है लेकिन कागज पत्रों में ही हो रहा है । वास्तव में ग्रामीण इलाकों की भलाई हो, उनकी उन्नति हो इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कृषि मन्त्री जी से कि उन्होंने जो 142 रुपये गेहूं की कीमत मुकर्रर की है, बहुत हल्के लफ्जों में मैं कहूं तो यह कहूंगा कि किसान के साथ उन्होंने इन्साफ नहीं किया है । पिछले साल 130 रुपये कीमत थी। आज 142 है । लेकिन फर्टिलाइजर की कीमत आपने 17 परसेंट बढ़ा दी है, डीजल की 40 परसेंट । बिजली पूरे पैसे लेने के बाद भी किसान को मिले या न मिले इससे सरकार का कुछ ताल्लुक नहीं । इनपुट्स की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं । पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत समय लग जायेगा । लेकिन मेरे हिसाब से आपने जो 142 रुपये दिए हैं उसमें से 22 रुपये आप वापिस ले लेते हैं बढ़ी हुई फर्टिलाइजर की कीमत के रूप में, डीजल की बढ़ी हुई कीमत के रूप में वगैरह वगैरह । सही मानों में आपने उसको 120 रुपये दिये हैं 142 नहीं । आप एवरेज लगाते हैं पैदावार का । आप कहते हैं कि एक एकड़ में दस क्विंटल पैदा होता है हालांकि होता नहीं है । दस क्विंटल एवरेज हर किसान के यहां पैदा नहीं होता है । लेकिन इसी एवरेज पर अगर आप हिसाब लगाएं तो 142 रुपये में से 22 रुपये आप वापिस ले लेते हैं ।

ए० पी० सी० क्या बीमारी है ? उनमें कोई है ऐसा जो किसान से हमदर्दी रखता हो, किसान की प्रावलैम्ज को, उसके मसाइल को समझता हो, किसान जो मेहनत खेत पर करता है, उसका अन्दाज लगा सकते हों । किसान के साथ यह हर्गिज इंसाफ नहीं हुआ है । वह मार्किट में जाता है तो साठ रुपये में उसको सीमेंट की बोरी मिलती है, 5-6 रुपये किलो चीनी मिलती है । सभी जरूरियातें जिन्दगी की चीजों की उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है । वह खून पसीना बहाकर गेहूं पैदा करता है, दूसरी खेती की चीजें पैदा करता है । ए० पी० सी० उसकी पैदावार की कीमतें दिल्ली में एयर कंडिशंड कमरो में बैठकर तय करती है, यहां पर उसके द्वारा पैदा की गई चीजों की कीमतों का फैसला होता है । यह भी उस देश में जिस देश में अस्सी परसेंट किसान रहते हैं, जो देश किसान की पैदावार पर निर्भर करता है, जो खून पसीना बहाकर हमको पैदा करके देता है । तो मेरा निवेदन है कि 142 रु० आप देंगे लेकिन कम से कम जो हिसाब मैंने बताया है, मैं चाहूंगा उसका आप कैलकुलेशन कर लें और बतायें कि क्या यह सही नहीं है कि उसमें से 22 रु० आप इन कीमतों की वजह से वापस ले लेते हैं ? मैं जिस कांस्टीट्यूऐंसी से आता हूं हजारों एकड़ वहां ऊसर है । 32 साल आजादी के हो गये, आपकी आई० सी० ए० आर० है, मुल्क में आबादी बढ़ रही है, जमीन की जरूरत है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऊसर को रिक्लेम करने के बारे में कोई काम किया है ? नहीं । ऐटा जिले में आज तक सरकार ने 5 एकड़ ऊसर रिक्लेम नहीं किया है । जबकि प्राइवेट सैक्टर के हिन्दुस्तान लीवर ने कम से कम 100 एकड़ आवागढ़ क्षेत्र में, जहां खार जमीन थी और खाक नहीं होती थी, एक कैमिकल तैयार करके कमर-कमर तक गेहूं पैदा कर रहे हैं । उन्होंने एक सोल्यूशन तैयार किया है हिन्दुस्तान लीवर ने, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, अगर उसको फसल पर स्प्रे कर दें तो 35 परसेंट यील्ड बढ़ जाएगी । और वह सोल्यूशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हिसार से मिलकर उन्होंने बनाया है । और

हमारी कांस्टीट्यूएंसी में तजुर्बा किया है कि फसल खड़ी होने के बाद अगर स्प्रे कर दिया जाये तो गेहूं मोटा हो जाता है, यील्ड 35 परसेंट बढ़ जाती है। आज पैदावार बढ़ाने की जरूरत है और जब आपके यहां एप्लाई कोई करता है तो पहले तो आई० सी० ए० आर० के तौर तरीकों से गुजरे तब आप उसकी सेंक्शन देंगे। आपकी ही यूनिवर्सिटी से मिलकर उन्होंने यह सोल्यूशन तैयार किया है। फिर आप रेड टैपिज्म को क्यों बढ़ा रहे हैं ? अगर आई० सी० ए० आर० को करना है तो जल्दी से तय कर लें ताकि दूसरे साल वह पोपुलराइज हो और 35 परसेंट यील्ड में बढ़ोत्तरी मिल सके।

अभी अखबार में पढ़ा है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि आयल रिसोर्सेज हमारे पास होते हुए भी हम हजारों रु० का आयल इम्पोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि फूड कोर-पोरेशन ने एक कमेटी मुकर्रर की थी जिसकी रिपोर्ट है कि रायस ब्रान जो होता है जिसको पंजाब में गधे और घोड़े खा जाते हैं, उसमें 25 परसेंट ऐडिबिल आयल होता है। राइस ब्रान आयल कमेटी की रिपोर्ट है जो मोडर्न रायस मिल्स हैं उनके साइड वाई सायड ऐक्सट्रैक्शन प्लांट लगाये जायें और राइस ब्रान से आयल निकाला जाय तो आपको एक पैसे का भी ऐडिबिल आयल इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आपकी समझ में नहीं आता। मन्त्री जी को जरा फुर्सत कम होती है, नीचे से जैसा नोट आया उसी पर दस्तखत करके वापस कर देते हैं। पिछली दफा मैंने कहा था आपकी अन्डरटेकिंग्स का बुरा हाल है। एफ० सी० आई० का मैं जिक्र कर चुका हूं,एक आपकी एन० बी० आई० अन्डरटेकिंग है। मैं फूड कोरपोरेशन का डायरेक्टर था जब मेज प्लान्ट लगाने की बात चली, मैंने विरोध किया कि फरीदाबाद में काम नहीं होगा। श्री इक-बाल सिंह उस वक्त चेयरमैन थे···मैंने उसी वक्त एप्रोच किया कि यह कामयाब नहीं होगा। इत्तिफाक से उस वक्त जो फूड कार्पोरेशन के चेयरमैन थे वह सैक्रेटरी हो गये, आई० ए० एस० थे। लिहाजा उज्जैन आयल प्लान्ट, जो सवा दो करोड़ रुपये का नुकसान एफ० सी० आई० को दे चुका था, और मेज प्लान जो बराबर नुकसान दे रहा था, वह इन आई० ए० एस० साहब ने, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने सैक्रेटरी साहब के साथ मिलकर फूड कारपोरेशन जैसे हाथी से निकालकर इस गरीब एम० बी० आई०, जो जरा अच्छे ढंग से चल रही थी, उसके सुपुर्द कर दिया और 36 लाख रुपये कास्ट मुकर्रर की गई। पहली साल में उसमें 28 लाख रुपये का नुक-सान हुआ और इस साल 32 लाख का नुकसान हुआ इस तरह से 60 लाख 66 हजार एम० बी० आई० नुकसान दे चुका है 16 लाख की प्लान्ट में। मन्त्री जी को फुरसत नहीं है यह देखने की कि कहां बरबादी हो रही है।

5 लाख रुपये साल मेज प्लान्ट नुकसान दे रहा है जो कि आपने माडर्न बेकरीज को दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसे माडर्न बेकरीज को क्या दिया ? एफ० सी० आई० बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन था, जिसको 26 करोड़ रुपये सबसीडी आप देते हैं। उसको 100 करोड़ दे देते। एम० बी० आई० को बरबाद करने के लिये यह आपने उसे क्यों दिया जबकि आप जानते थे कि सवा 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वही सैक्रेटरी केबिनेट सैक्रेटरी हुए। ऐसे लोगों की तरक्की होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सवा दो करोड़ रुपये जिसमें नुकसान हो रहा था, वह आपने इस छोटी सी अन्डरटेकिंग में क्यों दिया। मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि मैं उसका चार साल तक चेयरमैन रहा हूं।

जब मैंने 1971 में चार्ज लिया तो इसमें 68 लाख का नुकसान था। जितनी अन्डरटेकिंग्ज आपकी गवर्नमेंट आफ इण्डिया की है, ऐसा मालूम होता है कि यह आपने बनाई ही नुकसान के लिए हैं। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव जो होता है, उसको अक्ल नहीं होती। मैं एम० बी० आई० की मिसाल से साफ करूंगा कि इसको बनाने वाला पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव था और बरबाद करने वाला आई० ए० एस० था।

68 लाख के लाभ में मुझे यह मिली थी जब मैंने इसका जार्ज लिया। उसके पहले आई० ए० एस० वहां पर थे। पहले साल में 71-72 में ही 54 लाख का प्राफिट हुआ और 1972-73 में 62 लाख का प्राफिट हुआ और 1973-74 में भी 62 लाख का प्राफिट हुआ। और 1974-75 में एक करोड़ 3 लाख का प्राफिट हुआ और उसमें भी 3 लाख रुपया आउट स्टैंडिंग था। इस तरह से आउट स्टैंडिंग को मिलाकर 1 करोड़ 6 लाख का प्राफिट हुआ, जब मैंने इसको छोड़ा था। जबकि मैं रिटायर हो गया, उसमें फिर आई० ए० एस० तशरीफ लाये। 1975-76 में इसमें सिर्फ 77 लाख का प्राफिट रह गया और चार्ज यह लगाया कि चूंकि 10 जुलाई 75 को चेयरमैन ने 10 पैसे ब्रेड की कीमत कम कर दी थी, इसलिए प्राफिट कम हो गया।

जगलरी में ये लोग माहिर होते हैं, फाइल को उलट-पलट करने में, कागज को इधर से उधर करने में। हमारे मिनिस्टर साहब ने तो दस्तखत मार दिये और कागज को भेज दिया। यह नहीं देखा किसी ने कि जिस वक्त 10 पैसे कम किये गये थे तो रा-मैटीरियल की कीमत साढे 7 पैसे उस वक्त कम हो चुकी थी जो कि मैदे और दूसरी चीजों की कीमत थी। और ढाई पैसे मैंने मीटिंग क के इकनामी के आधार पर कम किया, ताकि प्राफिट बरकरार रहे। मैंने एक प्रोफार्मा जारी रखा था, जो आज भी एम० बी० आई० के रिकार्ड में मौजूद है जो हर यूनिट में मौजूद है जिसमें जुलाई से लेकर नव-बर तक 18 लाख रुपये प्राफिट के बचे थे। कहते हैं कि छः महीने में प्राफिट घटकर 17 लाख रुपये इसलिए रह गया कि ब्रेड की कीमत में दस पैसे कम किए थे। दस पैसे इसलिए कम किये गये थे कि रा-मैटीरियल की कीमत कम हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह बताने के लिए घण्टी बजाई है कि आप पहले ही 15 मिनट का समय ले चुके हैं। आप बात जारी रखें। मैंने आपको नहीं रोका है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं तो अभी दस मिनट बोला हूं। यह तो इन्ट्रोडक्शन है। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके भाषण की सराहना के लिए ही उन्होंने घण्टी बजाई थी।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं सही बात कह रहा हूं। किसी के पसंद करने या नापसंद करने से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं।

मैं इस बारे में आंकड़े देना चाहूंगा। एम० बी० आई० को 1.6 करोड़ रुपये का प्राफिट हुआ था, लेकिन जब आई० ए० एस० साहब तशरीफ लाए, तो 1975-76 में वह घटकर 17 लाख रह गया। उसके बाद 1976-77 में 43 लाख रुपये, 1977-78 में 57 लाख रुपये, 1978-79 में 46 लाख रुपये, 1979-80 में 49 लाख रुपये और 1980-81 में 45 लाख रुपये

का प्राफिट हुआ। जब 1.6 करोड़ रुपये का प्राफिट हुआ, तो 11 लाइनें थीं। उसके बाद एक्स-पेंशन हुआ और 7 लाइनें और बढ़ा दी गईं। इसका मतलब यह है कि इनके वक्त में जो प्राफिट हुआ, वह 18 लाइनों पर हुआ।

उसके बाद एक एक्स० एम० पी० जुलाई में एम० बी० आई० के चेयरमैन मुकर्रर हुए और उसके बाद उसका प्राफिट हुआ 1.70 करोड़ रुपये। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जादू कैसे हुआ कि एक ही साल में प्राफिट 45 लाख रुपए से बढ़कर 1.70 करोड़ रुपये हो गया। यह रुपया कहां जाता था ? यह जनता के खून-पसीने का पैसा है।

जब मैंने इस कम्पनी का चार्ज लिया था, तो इसके एसेट्स 2.13 करोड़ रुपये के थे। नवम्बर, 1975 में जब मैंने चार्ज छोड़ा, तो 1.6 करोड़ रुपये के प्राफिट के अलावा 8 करोड़ रुपये के एसेट्स छोड़े। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को सम्भालने में दिलचस्पी रखती हो, तो उन्हें सम्भाला जा सकता है।

मुझे गौरव है इस बात का कि मैं सबसे पहला आदमी हूं, जिसने एम० बी० आई० में वर्कर्ज को 20 परसेंट बोनस दिया। जब मेरे बुजुर्ग, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और श्री जार्ज फर्नान्डीस रेलवे के वर्कर्ज के लिए लड़ रहे थे, तो वे एम० बी० आई० की मिसाल देते थे कि वहां के क्लास फोर के लोगों को जो बोनस मिलता है, वह रेलवे में भी मिलना चाहिये। मैंने मद्रास में इस तरह के पोस्टर देखे। मैंने क्लास फोर के वर्कर्ज को 600, 650 रुपये की सैलेरी दिलाई और टेरीकाट की वर्दी पहनाई। लेकिन आई० ए० एस० साहब ने वह टेरीकाट की वर्दी छीन ली। उनका कहना था कि क्या स्वीपर को भी टेरीकाट की वर्दी पहनने का अधिकार है।

मेरा दावा है कि प्राईवेट सैक्टर कभी भी पब्लिक सैक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रिटेनिया एक मल्टी-नेशनल कम्पनी है। वहां पर स्ट्राइक हुई, तो उसके वर्कर्ज ने मांग की कि एम० बी० आई० के वर्कर्ज को जो सैलेरीज और वेजिज मिलते हैं, वे हमें मिलने चाहिए। ब्रिटेनिया ने अपनी ब्रेड की कीमत बढ़ाने के लिए लेफ्टिनेंट-गवर्नर को प्रोपोजल दिया। लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने प्रोपोज किया कि 30 पैसे कीमत बढ़ा दी जाए और ब्रेड की कीमत ढाई रुपए कर दी जाए। इसके मुकाबले में पब्लिक अंडरटेकिंग के चेयरमैन एक्स-एम० पी० ने लिखकर दिया कि मौजूदा कीमत पर ही हम 1.70 करोड़ रुपये का प्राफिट कर सकते हैं। एम० बी० आई० में आज भी वर्कर्ज को 20 परसेंट बोनस दिया जाता है। मैं हैड आफिस के वर्कर्ज को भी 20 परसेंट बोनस देता था। पर आज हैड आफिस के वर्कर को 20 परसेंट बोनस नहीं मिल रहा है जिसका मुझे दुख है और आप देखिए, कोई देख रहा है ? कोई देखने वाला नहीं है। वही लीगल ऐडवाइजर जो मेरे जमाने में लीगल ऐडवाइस देता है कि हैड आफिस में 20 परसेंट बोनस दिया जा सकता है, वही लीगल ऐडवाइजर है, जब मैं चला आया, उससे लीगल ऐडवाइस मांगी गई तो उससे मैनेजिंग डाइरेक्टर ने लिखवा लिया कि 20 परसेंट बोनस नहीं दिया जा सकता, 8.3 परसेंट दिया जा सकता है। वह अभी भी वहां है। देख लीजिए फाइल मंगा कर। मिनिस्टर साहब कोई नोट कर रहे हैं या कोई है ही नहीं नोट करने वाला ? वही लीगल ऐडवाइजर मेरे जमाने में यह ऐडवाइस देता है कि हैड आफिस के वर्कर को 20 परसेंट बोनस दिया जा सकता है, मेरे चले आने के बाद

मैनेजिंग डायरेक्टर ने उससे लिखवा लिया कि 8.3 परसेंट दिया जा सकता है। लिहाजा एक ही कम्पनी का एक वर्कर 20 परसेंट बोनस ले, दूसरा 8.3 परसेंट, यह हो रहा है। क्यों उनके साथ इस किस्म की नाइंसाफियां फरमा रहे हैं ?

मुझे माफ करेंगे मेरे बुजुर्ग दोस्त, ऐसी बढ़िया कम्पनी जो डिविडेंड दे, 20 परसेंट बोनस दे, एक्सपशन जिसका हो रहा था, जनता पार्टी ने इसको स्माल स्केल इंडस्ट्री में डाल दिया। हमारे चौधरी साहब इसके कुछ खिलाफ थे, ऐसा मैंने सुना है। वह चाहते थे कि इसको स्टेट को दिया जाय। लिहाजा इसको स्माल स्केल इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया। सारा डेवलमेंट रुक गया। इसका एक्सपेंशन प्रोग्राम सारा रुक गया। मैं निवेदन करूंगा मिनिस्टर साहब से, जरा नोट कर लें, जनता पार्टी के इस आर्डर को रिवाइज करवा दें जिससे कि जो एक्सपंशन है वह जारी रहे।

मैं जब आया तो इसका रैपिंग पेपर करोड़ों रुपए का खरीदा जाता था। मैं प्रोजेक्ट तैयार करके आया कि इसका प्रोजेक्ट लगा दिया जाय। उससे और प्राफिट बढ़ जाता। जो मिडिल मैन का प्राफिट है, वह अगर अपनी फैक्ट्री लग जाती, अपनी मशीनरी हो जाती तो वह हमको मिलता। इसी तरह यीस्ट की मोनोपली है एक कम्पनी की। ये सब सांठ-गांठ किए रहते हैं। मैंने प्रोजेक्ट बनाया था···(व्यवधान)···यह है न राज ? वही तो राज मैं चाहता हूं, मेरी ड्यूटी है कि मैं खोल दूं। यीस्ट की मोनोपली एक कम्पनी है। यीस्ट का प्रोजेक्ट बना हुआ तैयार है कम्पनी में। अगर मैं दो साल और रहा होता तो दोनों फैक्ट्रियां ले आता। यीस्ट का भी प्रोजेक्ट बना हुआ रखा है, रैपिंग पेपर का प्रोजेक्ट बना हुआ रखा है।

इसी तरह नान के बारे में दिल्ली के बहुत से लोगों को याद होगा। मैंने नान तैयार कराया इसलिए कि जो आफिस जाने वाले हैं उनको ईजी फूड मिल जाय जल्दी से। सिर्फ एक रुपए का एक पैकेट मिलता था। कैन्टीन्स के अन्दर एक रुपए का एक था। तीन दिन तक खा सकते थे। अंगीठी पर गरम किया और फ्रेश हो जाता था, चार आने की सब्जी लेकर खा सकते थे। वह नान का प्लान्ट भी बेच दिया हमारे आई० ए० एस० के आफिसर ने नान बनाना यो दूर रहा। मैंने नान बनाकर बेचे भी। उन्होंने नान का प्लान्ट ही बेच दिया। मैंने पी-नट बटर भी तैयार किया। उन्होंने पी-नट बटर का भी फन्दा काट किया। मैं जानता हूं आपके पास फुर्सत कम है, मगर जरा देखिए तो सही कि यह हो क्या रहा है ? आप शायद थड मन्थली रिव्यू करते हैं ? क्या रिव्यू करते हैं ? ये मुख्य चीजें हैं जिससे कि भारी नुकसान है।

मेरी राय है कि अगर पब्लिक अंडरटेकिंग्स को मजबूत करना है, उनको बढ़ावा देना है, सही लाइन पर लाना है तो आफिशियल और और नान-आफिशियल में आप काम्पीटीशन क्रियेट कीजिए। दो कम्पनियों में आपके चेयरमैन हैं। मेरा कहना है कि चेयरमैन की पावर्स मुकर्रर कीजिए ताकि आपस में काम्पीटीशन हो। यह मेरा प्रोपोजल है। यह केवल आई० ए० एस० या दूसरे आफिसर ही जो हैं उनकी यह जागीर नहीं है। जो पब्लिक के भेजे हुए लोग हैं वह भी यह काम कर सकते हैं और ईमानदारी से, मेहनत कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एम० बी० आई० की मिसाल दी। मैं दो मिनट और लूंगा।

मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं बेकार बात नहीं कहता। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें सिफ उसकी ही जागीर न बने बल्कि मुल्क के अन्दर जो और लोग हैं जोकि सेवा कर सकते हैं उनको भी मौका मिले। दूसरी बात यह है कि कुछ ऊपर के जो ऐसे चेयरमैन होते हैं, विदाउट हैण्ड्स ऐंड लेग्ज, उनको रखने से क्या बात हुई? आप चेयरमैन तो मुकर्रर करें लेकिन उसके हाथ-पैर काट दें तो क्या फायदा होगा? एम० बी० आई० में यह हो रहा है। चेयरमैन कोई आडर भेजता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है इसको फेंक दो। मैं यह जानना चाहूंगा कि एम० बी० आई० में चेयरमैन ने कितने आर्डर दिए और उसमें से कितने इंप्लीमेंट हुए? वहां पर चेयरमैन कुछ लिखता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर उससे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। इसलिए अगर आप कोई चेयरमैन मुकर्रर करते हैं तो उसके हाथ-पैर काटकर नहीं, हाथ-पैर जोड़कर मुकर्रर कीजिए। मैं यहां पर किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि कांपिटीशन क्रिएट हो ताकि मालूम हो सके कि वह भी कुछ काम कर सकते हैं या नहीं।

आखिर में मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे काफी टाइम दिया। शुक्रिए के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि। आपके दल को 16 मिनट का समय दिया गया है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : महोदय, हम कृषि मन्त्रालय के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गये आंकड़े दिए गए हैं। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों के संकलन का सम्बन्ध है, मुझे स्वयं सन्देह है कि क्या वे सही भी हैं या नहीं, क्योंकि कृषि मन्त्री महोदय, राव बीरेन्द्र सिंह ने एक बार एक समारोह में कहा था कि राज्यों के खाद्य उत्पादन के दावे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं। अतः राज्यों द्वारा केन्द्र को भेजे गये आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर हो सकते हैं। मैं यह नहीं जानता कि राज्यों द्वारा सप्लाई किए गये आंकड़े सही हैं या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय इनका उल्लेख करना चाहिये।

यह तो सुविदित है कि कृषि एक राज्य विषय है। केन्द्र तो केवल कुछ नीतियां तैयार कर सकता है और राज्यों को निदेश दे सकता है। इसके साथ-साथ, केन्द्र के पास अपनी तैयार की गई और राज्यों को भेजी गई नीतियों के सम्बन्ध में राज्यों की कार्यान्विति को जांच करने कोई नियन्त्रक संस्थान नहीं है। यद्यपि राज्य के मन्त्रियों से समय-समय पर चर्चाएं चलती रहती हैं, फिर भी बहुत से राज्यों की कार्य निष्पत्ति सन्तोषप्रद नहीं है।

जहां तक आत्मनिर्भरता का सम्बन्ध है, यह बताया गया है कि हमने 1966 में 103 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया था। अब हम अन्य देशों को खाद्यान्न भेज सकते हैं जिसके लिए समस्त देश और संसद किसान समुदाय की ऋणी है। परन्तु आज किसानों की क्या दशा है? दिन प्रतिदिन उनके ऋणों में वृद्धि हो रही है। किसान वास्तव में कंगाल होते जा रहे हैं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कोई अन्य उपाय ढूंढ़ना चाहिए क्योंकि कृषि कोई सेवा नहीं है यह तो एक ऐसा उद्योग है जो अधिक रोजगार जुटा सकता है। केवल इतना ही नहीं। यह एक

लघु उद्योग है जो कि देश की अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। यहां तक कि विवरण में भी यह कहा गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 40 प्रतिशत कृषि से आता है, 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात और देश की कार्यरत जनसंख्या का 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है, अतः इसे भारतीय अर्थ-व्यवस्था की जननी कहना उचित ही है।"

अतः, जैसा कि राव बीरेन्द्र सिंह ने भारतीय कृषि सांख्यकीय समिति का उदघाटन करते समय कहा था, उनके अनुसार भारतीय अर्थ-व्यवस्था की यह जननी अपने आपमें लाभकारी नहीं है। मैं यहां पर उनके कथन को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था :

"भारत में कृषि अभी भी अपने आप में लाभजन्य और आत्मनिर्भरता की व्यवस्था में नहीं पहुंची है।"

अतः, इतने दिनों तक उन्होंने हमारी जननी की परवाह नहीं की है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वह उचित कदम उठाए क्योंकि इन तमाम दिनों में हम यही चर्चा करते रहे हैं, मंच पर यह कहते रहे हैं कि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिये। हमने इन सब बातों पर चर्चा की। परन्तु इसका क्या ठोस परिणाम निकला है ? मेरे विचार से, जैसी कि आशा की गई थी, ऐसा कोई सुधार हुआ नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ सीमा तक तो हुआ है, परन्तु आशा के अनुकूल नहीं हुआ है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं वह कुछ ठोस कार्यवाही करे, और इस पहलू पर नवीन दृष्टि से विचार करे तो अधिक अच्छा होगा।

जहां तक मूल्य नीति जैसे अन्य मामलों का सम्बन्ध है सभी सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है और कहा है कि उन्हें कृषि उत्पादों के लिए उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। वर्ष 1970-71 तथा 1979-80 के बीच कृषि में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में 128% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर उवर्रकों की कीमतों में 95.4% की वृद्धि हुई है। बिजली लागत में 125.6% की वृद्धि हुई है कीटनाश दवाइयों के मूल्य में 172.2% की वृद्धि हुई है तथा डीजल की कीमतें 220.8% बढ़ी हैं।

ये आंकड़े कृषि में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि को दर्शाते हैं जबकि उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य बहुत कम है। निस्सन्देह, सरकार ने कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया हुआ है। उसके द्वारा कुछ मापदण्ड अपनाया जाता है जिसकी घोषणा की जाती है जो कृषकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है। कृषि मूल्य आयोग दिल्ली में ही बैठा हुआ है। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि इस आयोग में कृषकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। केवल कुछ तकनीशियन तथा अन्य व्यक्ति जो आंकड़ों का हिसाब-किताब लगा सकते हैं वे कृषि मूल्य आयोग में बैठे हैं जो कि कुछ मूल्यों की घोषणा करते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक राज्य की समस्याएं अलग-अलग होती हैं। अतः इस प्रकार के आयोगों को प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाए। किसानों की आवश्यकताएं भी प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर

तमिलनाडु राज्य में हमारे मुख्य मन्त्री महोदय कहते हैं, "मैं गन्ने तथा धान के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार हूं। लेकिन कृषि मूल्य आयोग मेरे मार्ग में बाधा बनता है। अतः, मैं अधिक मूल्य देने की स्थिति में नहीं हूं।" हमारे मन्त्री महोदय श्री आर० वी० स्वामीनाथन् इस सम्बन्ध में जानते हैं क्योंकि वह हमारे ही राज्य के हैं। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय यह बात कई बार कह चुके हैं। हो सकता है इस सम्बन्ध में अन्य मन्त्री महोदय भी इसी प्रकार के वक्तव्य देते रहे हों। अतः, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य स्तर पर कृषि मूल्य आयोगों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय क्यों नहीं ले सकती है, जिससे कि वे स्थानीय कृषकों की मांगों को पूरा कर सकें। बहुत से सदस्यों ने इस सदन में यह कहा है। मेरे राज्य में अर्थात् तमिलनाडु में आज भी किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 4,000 से अधिक किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी सम्पत्तियां कुड़क कर ली गई हैं। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट शब्दों मे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने स्वयं विधान सभा में कहा था कि केन्द्रीय सरकार की ओर से यह निदेश दिया गया है और उसी के कारण किसानों के विरुद्ध वह कार्यवाही की जा रही है तथा उनकी वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है तथा कुड़की की गई है। क्या राज्य सरकार को इस प्रकार की निदेश जारी किया गया है अथवा नहीं ?

खेतिहर मजदूरों को उपयुक्त मजूरी नहीं मिल रही है जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। आजकल उनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी है। बहुत से क्षेत्रों में तथा मेरे क्षेत्र में भी उनको उपयुक्त मजदूरी नहीं मिल रही है जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस विषय में केन्द्रीय कानून बनाया जाये। खेतिहर मजदूर सदा मजदूर ही रहता है उसकी पत्नी उसके बच्चे सभी मजदूर रहते हैं। बहुत वर्षों से वे मजदूर ही हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके लिये एक पृथक कल्याण बोर्ड होना चाहिये। खेतिहर श्रमिकों के लिये कुछ उपकर लिया जा सकता है जिससे उनका हित हो सके।

आई० आर० डी० पी० धनराशि आवंटित करता है। ग्रामीण रोजगार योजना की भी व्यवस्था की गई है। इस बारे में मैंने सुबह भी एक प्रश्न पूछा था। इस कार्य के लिए आवंटित की गई धनराशि को भी तमिलनाडु में अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया गया है। करोड़ों रुपयों की राशि इधर उधर कर दी गई है। ज्ञात नहीं इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है। योजना आयोग ने उनके पिछड़ेपन और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए शिवरामन आयोग नियुक्त किया था। योजना आयोग शिवरामन आयोग की रिपोर्ट चाहता था। शिवरामन आयोग ने अन्य समिति मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डैवेलप्मेंट स्टडीज़ नियुक्त कर दी। उसकी धर्मपुरी और रामनाड जिलों में बैठक हुई। हमारे मंत्री रामनाड के हैं। उस समिति ने सर्वेक्षण किया तथा एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि धनराशि का दुरुपयोग किया गया था। करोड़ों रुपयों की राशि का दुरुपयोग किया गया। इस बारे में मैं इकानामिक टाइम्स से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं

> "तमिलनाडु के रामनाड और धर्मपुरी जिलों में मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डैवेलप्मेंट स्टडीज ने ऐसा किया। जो निष्कर्ष निकले हैं इनसे आश्चर्य होता है। लक्ष्य ग्रुप का निर्धारण लगता रहा है तथा अधिकांश लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसानों, अध्यापकों

और सरकारी अधिकारियों द्वारा उठाया गया है। इतनी घटिया किस्म का अनाज दिया गया कि श्रमिकों ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम की अवधि के दौरान निर्धन ग्रामीणों की ऋण ग्रस्तता वास्तव में बढ़ी है। अधिक धनराशि बर्बाद करने से पूर्व इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों के दलों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

यह रिपोर्ट इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित हुई है केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। मंत्री महोदय राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि केन्द्र दोषी राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा जो कि 29 मार्च 1982 के इकानोमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है।

अत: इस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने ग्रामीण विकास कार्यों के लिए निर्धारित की गई धनराशि का दुरुपयोग किया है। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहूंगा जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने भी किया हैं। वह है वितरण मूल्य। तमिलनाडु में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने आटा मिलों को मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी थी, 23 अप्रैल, 1981 को यह सभी राज्यों पर लागू होती है। किन्तु तमिलनाडु सरकार मैदा और सूजी के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करना चाहती थी। जब मिल मालिकों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया तो उसने उनसे कहा कि उन्हें उसी वर्ष अतिरिक्त वृद्धि की मांग केन्द्रीय सरकार से करनी चाहिए। मेरा विचार है वे मंत्री महोदय से मिले होंगे तथा समृद्ध अधिकारियों से भी मिले होंगे। उन्हें केन्द्र से कुछ नहीं मिला तथा वे वापस चले गये। इसके बाद फिर राज्य सरकार ने इस मामले में सिफारिश की। उसने 5 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना के द्वारा मैदा और सूजी के मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। यह दीपावली से पहले किया गया जिससे कि मिल मालिक धन कमा सकें। मैं इसे दस्तावेजों के नीचे सिद्ध कर सकता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी ने मिल मालिकों से लाखों रुपए लिए तथा उनको मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी।

इन सब बातों को जानकर मैंने खाद्य विभाग के सम्बद्ध अधिकारी को एक पत्र लिखा क्योंकि मैदा और सूजी के मूल्यों में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति होनी चाहिए। मैंने अधिकारी को लिखा क्योंकि उस समय मंत्री महोदय राव बीरेन्द्र सिंह भारत में नहीं थे। वह भारत से बाहर गए थे। सचिव भी यहां नहीं थे। मैंने सभावत, संयुक्त सचिव को अथवा किसी अन्य अधिकारी को पत्र लिखा। मैंने उसे लिखा कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि राज्य सरकार ने मैदा और सूजी के मूल्यों में पूर्व अनुमति प्राप्त किए वृद्धि कर दी है किन्तु मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ ? क्या राज्य सरकार और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कोई सांठ-गांठ थी अथवा क्या था। उसकी अनुमति दे दी गई तथा दीपावली के अवसर पर लोगों को खूब लूटा गया। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाये। यह गम्भीर मामला है और मैं इस मामले में विस्तृत जानकारी एकत्र कर रहा हूं यह गम्भीर मामला है तथा मन्त्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि अधिकारियों ने इसकी अनुमति

किस प्रकार दे दी जबकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

अब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उल्लेख करूंगा। सभा के दोनों पक्षों की ओर से बहुत से व्यक्तियों ने इस संस्थान के बारे में कहा है। यह सच है कि इसने उल्लेखनीय कार्य किया है। किन्तु साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें पारस्परिक राजनीति और गुटबन्दी बहुत अधिक है। बहुत से लोगों की पदोन्नति और नियुक्तियां जाति, सम्प्रदाय, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर हुई हैं। यह बुराई बन्द होनी चाहिए। मैं ऐसे कई मामलों के बारे में जानता हूं तथा मैंने यह मामला उठाया भी था। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय एक मामले पर, जिस पर मैंने अधिकारियों के साथ बात-चीत भी की थी, अधिक जानकारी दें। बहुत से कर्मचारियों को दबाया गया। इस मामले में मैंने भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री यू० एन० राव से पत्र की कापी मांगी थी। कर्मचारियों के बारे में एक विशेष मामले पर मैं बात करना चाहता था। श्री राव ने अधिकारियों को पत्र लिखा जिसमें कहा कि अमुक पत्र के सन्दर्भ में आप अमुक पद के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने एक विशेष व्यक्ति का हवाला दिया। यदि वह किसी व्यक्ति विशेष के पत्र का हवाला देते हैं तो उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसमें क्या लिखा है। जब मैंने श्री यू० एन० राव से पूछा कि उसमें क्या लिखा है तथा सम्बन्धित प्रक्रिया और नियमों की प्रति मांगी तो श्री राव ने कहा कि "मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मामलों में जो सरकारी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके अनुसार इस प्रकार के पत्र व्यवहार की प्रतियां देने की अनुमति नहीं है।" मैं जानना चाहता था कि विभाग की कठिनाइयां क्या हैं तथा पत्र में लिखा क्या है, किन्तु उन्होंने यह देने से इन्कार कर दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्रीय संस्थान है अत: इसकी विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में इसी प्रकार का संस्थान होना चाहिए जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वैज्ञानिकों के साथ कोई भेदभाव न किया जा सके। हम जानते हैं बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली है तथा बहुतों ने आई० सी० ए० आर० से अपनी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उसमें निहित स्वार्थ बहुत हो गए हैं।

इस संस्थान को बाहर से अर्थात् यू० एन० डी० पी० 'यूनेस्को' और एफ० ए० ओ० से भारी विदेशी धन प्राप्त होता है। इन संगठनों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को धन दिया जाता है। ज्ञात नहीं यह संस्थान प्राप्त धनराशि का पूरा लेख-जोखा रखता है अथवा नहीं। इसकी संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिये।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं नदी जल के बारे में महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। हम गंगा-कावेरी लिंक और अन्य परियोजनाओं की बात करते हैं किन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध है हमने अपने जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। अभी तक केवल 35 प्रतिशत जल संसाधनों का उपयोग किया गया है। शेष का अभी उपयोग नहीं किया जा सका। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये तथा गंगा-कावेरी लिंक योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे इसका लाभ नीचे दक्षिण की ओर तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ मिल सके।

अन्ततः सभी नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति बनाया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र कोयम्बतूर में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अर्थात् केरल राज्य से, उन नदियों में जल नष्ट हो रहा है। यदि इसे कोयम्बपूर जिले की ओर मोड़ दिया जाये तो यह एक दूसरा और जिला बन सकता है।

सरकार को कुछ उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। वे हैं सिंचाई सुविधाओं का पूरा उपयोग तथा सिंचाई सुविधाओं को सूखाग्रस्त क्षेत्रों को उपलब्ध कराना। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छोटे और सीमान्त किसानों को बीज खाद आदि के समय पर सप्लाई की जाये। पौधों की सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए तथा छोटे किसानों को राजसहायता मिलनी चाहिए। किसानों को शीघ्र ही लाभप्रद मूल्य दिलाये जाने चाहियें क्योंकि इसकी बहुत समय से आवश्यकता है। भूमिहीनों को भूमि वितरित की जानी चाहिए। ये कुछ अविलम्बनीय महत्व की बातें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मुझे आशा है सरकार इस बारे में शीघ्र उपयुक्त कदम उठाएगी। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया। मैं इनका समर्थन करता हूं, साथ ही साथ सुझाव भी दूंगा। कृषि का कार्य पिछले दो सालों में काफी अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है जिसके लिए मैं कृषि मंत्री और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवधि में कृषि मंत्रालय के जितने भी इन्फ्रा स्ट्रक्चर हैं उनको सुदृढ़ करके पैदावार को बढ़ाया है।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कृषि उत्पादन में कोआपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत सहायक है। सारे देश में सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कृषि के विकास में बहुत बड़ा सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। आप जानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि साधन है जो कृषि विकास के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। सारे देश में लगभग साढ़े 3 लाख कोआपरेटिव सोसाइटियां ग्रामीण स्तर से लेकर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक हैं। साढ़े 3 लाख समितियों में से लगभग सवा लाख गांवों का स्तर पर हैं जो कृषि विकास में क्रेडिट या अन्य साधन कृषि की उपयोगिता को ध्यान में रखकर मुहैया करती है। सारे देश में कोआपरेटिव क्षेत्र में 337 सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं जो किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है चाहे बैल खरीदने के लिए या इम्पलीमेंट्स, पेस्टीसाईड्स या फर्टिलाइजर्स खरीदने का काम हो, इन सब कामों के लिए सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से फाइनेंस होता है। लगभग 97 परसेंट गांव सहकारिता के क्षेत्र में आ गये हैं, बड़े व्यापक ढंग से सहकारिता के माध्यम से कृषि के विकास और विस्तार के काम देश में चलाये जा रहे हैं। सारे राष्ट्र में 27 स्टेट कोआपरेटिव बैंक हैं जो पैसे की व्यवस्था करके सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से ग्राम समितियों के द्वारा अपने सदस्यों को मुहैया कराते हैं। इसी तरह से नेशनल लेविल पर भी 19 राष्ट्रीय स्तर की कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं। इसमें नाफैड मारकेटिंग सैक्टर में सबसे बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी है। एन० सी० सी० एफ० कंज्यूमर के क्षेत्र में बड़ी सोसाइटी हैं। इफको इंडस्ट्री के क्षेत्र में सबसे बड़ी सोसाइटी इंडस्ट्री है जो फर्टिलाइजर्स बनाती है। इसी तरह से अनेक राष्ट्रीय स्तर पर समितियां ऐग्रीकल्चर के विकास और विस्तार के काम में लगी

हुई हैं । इनका इनफ्रास्ट्रक्चर जो सहकारिता के क्षेत्र में मारकेटिंग और प्रोसेसिंग की सहायता करने के लिए है उसमें एक संस्था एन० सी० डी० सी० है । वह काफी तत्परता और कर्मठता के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहा है । इस छठे पंचवर्षीय योजना में मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के काम को बढ़ाने के लिए 460 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें लगभग 1981-82 में 160 रुपया अभी तक कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ाने के है । सारे कंट्री में स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी न होने के कारण बहुत सा हमारा अन्न बरबाद हो जाता है जिसे चूहे और कीड़े खाते हैं । आज भी वह प्रावलम बड़े पैमाने पर है ।

मैं एन० सी० डी० सी० के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से सारे कंट्री में कोल्ड स्टोरेज की अच्छी सुविधा की गई है । जो आलू आज हिन्दुस्तान में किसान पैदा करता है, खासकर यू० पी०, पंजाब, हरियाणा, बिहार में आलू का उत्पादन बढ़ गया है, कृषि विकास के सहयोग और सहायता से, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी न रहने के कारण किसानों को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है । इस साल यू० पी० में किसान का 10 रुपये मन आलू बिका जिसको कहा जा सकता है कि हार्वेस्टिंग कास्ट भी नहीं आया । एन० सी० डी० सी० के बड़े पैमाने पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोल्ड स्टोरेज और रूरल गोडाउन्स हैं, जो किसानों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं और यह बड़ा सराहनीय है ।

अभी तक सारे कंट्री में 137 कोल्ड स्टोरेज इन्होंने बनवाये हैं और वर्ल्ड बैंक की सहायता से बड़े पैमाने पर इनकी कैपेसिटी 38 लाख टन और बढ़ जायेगी । इसलिए कृषि मंत्रालय को इन इन्फ्रा स्ट्रक्चर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ।

एन० सी० डी० सी० की ओर से को-आपरेटिव के क्षेत्र में चीनी मिल, वनस्पति मिल और स्पिनिंग मिले बैठाने की बड़ी भारी योजना है । इस बार 33 स्पिनिंग मिल सहकारिता के क्षेत्र में एन० सी० डी० सी० के माध्यम से बनाने की योजना है जिसमें यह चाहते हैं कि 37 ऐसे स्थानों पर बनें जहां कि हमारे बुनकर की संख्या ज्यादा है, 26 ऐसे स्थानों पर बनें, निर्मित हों, जहां कि हमारे कोटन उत्पादकों की संख्या ज्यादा है । लेकिन मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिये । आप जानते हैं कि चीनी के उत्पादन के मामले में सहकारिता क्षेत्र का बहुत ही इम्पार्टेन्ट रोल है । 154 चीनी मिलें एन० सी० डी० सी० की सहायता से सारे कन्ट्री में बनाई गई हैं । देश में जो चीनी का उत्पादन है, उसका 57 परसेंट हमारे सहकारिता क्षेत्र में है । मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने सहकारिता मंत्री जी से कि उन्होंने छठी योजना में सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिलों के लाइसेंस देने की व्यवस्था जो की है, लेकिन अभी छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में प्रारम्भिक काल में केवल 20 मिलें देने की चर्चा योजना के अन्तर्गत की गई है । मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों का विस्तार हो और चीनी के उत्पादन को बढ़ाया जाए । आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में जब चीनी की कमी हुई, तो हमें फिर से चीनी का इम्पोर्ट करना पड़ा । अब चीनी की स्थिति सुधरी है । सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता, चाहे वे गैर-सरकारी कार्यकर्ता हों और चाहे मिलों में काम करने वाले हों, उत्पादन में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं । मैं चाहता हूं कि चीनी मिलों का जाल बिछाया जाए और खासकर बिहार में तीन चार चीनी मिलों की स्वीकृति दी जाए, जो हम सहकारिता क्षेत्र में स्थापित कर सकें ।

एन० सी० डी० सी० वनस्पति मिलो के लिए भी सहायता करता है । अभी चार वनस्पति मिलों की योजना है : तीन चालू हैं और एक अभी चालू नहीं है। उसमें नये फंड देने की चर्चा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितना दिया जाएगा। मैं कृषि मन्त्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में और वनस्पति मिलों की स्वीकृति दी जाए। आज सारे देश में वनस्पति मिलें प्राईवेट ट्रेड के हाथ में हैं। प्राईवेट ट्रेड जब चाहता है, तब देश में हाहाकार मचवा देता । आज बिहार में वनस्पति तेल की भारी कमी है। वहां पर एक टीन पर पचास-पचास रुपये की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं भारत सरकार और कृषि मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में और वनस्पति मिलों की व्यवस्था की जाये, ताकि देश में वनस्पति के अभाव को दूर किया जा सके।

एक बड़ा भारी प्रश्न है सहकारिता आंदोलन का। चूंकि कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री भी हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि को-आपरेटिव का एसेंस है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। जिस कोआपरेटिव में प्रजातंत्र न हो, जिसमें एपायंटिड लोग हों, उसे कोआपरेटिव की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसे कार्पोरेशन कहा जा सकता हैं। सहकारिता समिति सदस्यों की समिति होती है। सदस्यों को चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। जब मैं कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जिस राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ चुनाव कराए जाएं, तो यही कहा जाता है कि कोआपरेटिव एक स्टेट सबजेक्ट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ही चुनाव कराने का अधिकार है।

आज यू० पी० के सारे कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्ज अंडर सुपरसेशन हैं। सुपरसेशन का मतलब यह है कि अगर मैनेजमेंट कोई मिसमैनेजमेंट करता है, तो उसको सुपरसीड किया जाए। लेकिन पोलीटिकल कनसिडरेशन से सुपरसेशन किया जाता है। यू० पी०, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश और वैस्ट बंगाल में यही स्थिति है। सहकारिता आंदोलन का एक सिपाही होने के नाते मैं मांग करता हूं कि सहकारिता समितियों में डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए। सब जगह यह मांग है कि डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए। तो फिर कोआपरेटिव के साथ ही क्यों अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है और क्यों उसकी डेमोक्रेसी को तबाह करके रखा जाता है। आप रक्षा कीजिये। आप इसमें हस्तक्षेप करिये। केन्द्रीय सरकार को सारे देश में सहकारी संस्थानों के चुनाव कराने चाहिये।

इस संदर्भ में मैं मांग करता हूं कि कोआपरेटिव को बहुत दिनों तक स्टेट सबजेक्ट बनाकर इसका सत्यानाश किया गया है, अब इसको सेंट्रल सबजेक्ट बनाया जाए और कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट करके इसे कानकरेंट लिस्ट में लाया जाए। कोआपरेटिव से 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। हिन्दुस्तान के 69 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ परिवार इसके सदस्य हैं। इसके साथ यह खिलवाड़ होता है। मेरी मांग है कि इसको कान्करेंट लिस्ट में लाया जाए।

एक और मांग रखना चाहता हूं। इस देश की महान नेता हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफी पहले आज से लगभग 7 साल पहले जब हमारे जैसे लोगों ने मांग की कि सहकारिता आन्दोलन का डि-आफिशियलाइजेशन हो तो उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव मूवमेंट का डि-पोलिटिकलाइजेशन भी करना चाहिए। लेकिन उसके बजाय कोआपरेटिव मूवमेंट आज पालि-

टिशियन्स का एक टूल बनाया जा रहा है। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट को जनतांत्रिक संस्था के रूप में काम करने दिया जाय। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको उसे मैनेज करने दिया जाय। यह नहीं कि सुपरसीड करके उस पर किसी को बैठा दिया जाय। मैं मांग करता हूं कि एक कमीशन बनाया जाये और इसकी जांच करायी जाय कि जो सुपरसीड करके नामिनेटेड लोगों के द्वारा, आफिसरों के द्वारा जो कोआपरेटिव चलायी गई उसकी आज क्या हालत है, नान-आफिशियल निर्वाचित लोगों के जरिए चलायी जा रही है, वह कैसे चलाया जा रही है।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी अध्यक्षता में इसी सदन में हम लोगों ने नवार्ड, नेशनल बैंक फार ऐग्रीकल्चरल ऐंड रूरल डेवलपमेंट का बिल पास किया। इसमें यह मांग हमारी बहुत पहले से चली आ रही थी—सहकारिता आंदोलन मैंने पहले ही कहा कि कृषि के विकास और विस्तार के क्षेत्र में काम करता है और यह जो बैंक नवार्ड बन रहा है, इसमें कोआपरेटिव को उससे दूर रखने की चेष्टा की गई है। कृषि और कोआपरेटिव दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों एक साथ मिलकर चलने वाले हैं। तो उसको कैसे अलग रखा जा रहा है? केवल दो डायरेक्टर की व्यवस्था उसमें की गई है। मैं मांग करता हूं कि 50 परसेंट रिजर्व बैंक या भारत सरकार के शेयर होल्डर्स हों और 50 परसेंट सहकारी क्षेत्र के लोग उसमें मेम्बर हों। इक्विटी मेम्बरशिप हमें दी जाय। यह हमारी मांग है और मैं विश्वास करता हूं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी।

एक और अत्यंत आवश्यक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको पता है एन० टी० सीमिल के सम्बन्ध में हमारे देश की नेता और प्रधान मंत्री का यह निर्णय था कि गरीब लोगों के लिए इसके अन्दर सस्ते दर पर कपड़ा बनाया जाएगा और सस्ते दर पर वितरण किया जाएगा। उसका वितरण कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिए किया जायगा। हिन्दुस्तान में कन्ज्यूमर कोआपरेटिव मूवमेंट काफी आगे बढ़ रहा है और बड़ी भारी संख्या में लाखों से ऊपर की संख्या में लोग ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं। लगभग 100 करोड़ रुपये का कपड़ा एन० टी० सी० बनाती थी और सस्ते दर पर गरीब भाइयों में इन कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिए उसका वितरण होता था। भारत सरकार की सब्सीडी थी लेकिन 6 महीने पहले एकाएक लगभग ढ़ाई सौ परसेन्ट दाम बढ़ा दिए गए जिसका परिणाम यह है कि आज बाजार में एन० टी० सी० का कपड़ा महंगा है और प्राइवेट टेक्सटाइल फैक्टरीज का कपड़ा सस्ता है। मैं मन्त्री जी से मांग करूंगा कि वे सिविल सप्लाइज के भी मन्त्री हैं और सिविल सप्लाइज में यह आइटम आता है तथा कोआपरेटिव्ज से यह वाइटली सम्बन्धित है, अत: वे इस पर पुनर्विचार करें तथा इरेशिनल ढंग से जो कन्ट्रोल्ड क्लाथ के दाम बढ़ा दिए गए हैं उनमें सुधार लायें ताकि गरीबों को यह उपलब्ध हो सके।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने जिन नीतियों को चलाने का प्रयास किया है उसका लाजमी नतीजा यह निकला है कि कृषि की पैदावार में गतिविरोध की स्थिति पैदा हो गई है। 1978-79 में 131.90 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुआ। 1979-80 में 109.70 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुआ। 1980-81 में

129.87 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ। 1981-82 का जो लक्ष्य रखा गया है वह पूरा होने वाला नहीं है। अनुमान है 5 मिलियन टन का शार्ट-फाल होगा। इसके परिणाम-स्वरूप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटती चली गई है। 1979 में 435.4 ग्राम से घटकर 420.6 ग्राम की उपलब्धता रह गई। इसी तरह से दलहन के मामले में 1979 में 44.9 ग्राम से 1981-82 में 39.1 ग्राम की उपलब्धता प्रति व्यक्ति रह गई। यह स्थिति गतिरोध की चल रही है।

एक तरफ सरकार पैदावार बढ़ाने की बात करती है। सरकार ने घोषणा की है कि वह 1982 को प्रोडक्टिविटी ईयर के रूप में मनाने जा रही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के सिलसिले में सरकार की नीति क्या है? आप जानते ही हैं कि पिछले साल लगातार पूरे देश के पैमाने पर किसानों की ओर से शोर मचाया गया और उन्होंने मांग की कि गेहूं की कीमत बढ़ाई जाए लेकिन सरकार ने 135 रुपए प्रति क्वींटल कीमत निर्धारित की। परिणामस्वरूप सरकार ने जो उगाही का लक्ष्य रखा था वह पूरा नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने कीमत कम रखी थी और किसानों को घाटा हो रहा था। उसके बाद सरकार की ओर से 15 लाख टन गेहूं का आयात किया गया; आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि सरकार को उस आयात पर 99 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा। अगर देश में ही गेहूं का दाम 135 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए क्वींटल कर दिया जाता तो उससे केवल 18 करोड़ का ही अतिरिक्त खर्चा सरकार को करना पड़ता और किसान खुशी से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर देते तथा विश्व की बाजारों पर हमारी निर्भरता भी कम होती। साथ-साथ हमारे देश के किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता।

एक तरफ तो कृषि के लिए फर्टिलाइजर तथा दूसरे इन-पुट्स की कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। आप देखेंगे कि 1979 में यूरिया के दाम 1450 रुपए प्रति टन से बढ़कर 1981 में 2350 रुपए हो गए हैं। इसी प्रकार किरोसिन, डीजल तथा अन्य इनपुट्स के दाम भी बढ़ते गए हैं। खेती के इनपुट्स के दाम तो 62 प्रतिशत बढ़े हैं लेकिन धान और गेहूं के दामों में सरकार ने केवल दस परसेन्ट का ही इजाफा किया है। इस प्रकार से किसानों को अपार क्षति का सामना करना पड़ा है। आप कहते हैं कि हम पैदावार बढ़ाएंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए अगर इनपुट्स के दामों को कम नहीं किया गया और उसको उस स्तर तक नहीं गिराया गया, जिस पर आसानी से लोग खरीद सकें और किसानों को उनकी फसल का लाभकारी दाम अगर नहीं मिला, तो आपका जो मंसूबा कृषि की पैदावार बढ़ाने का है, वह कभी पूरा नहीं हो सकता। आपने इस बात की घोषणा की थी कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है कि विस्तार करने की बात तो अलग रही, अभी जो सिंचाई की क्षमता है, उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, यह आप जानते हैं। बिहार में सिंचाई की जो योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और जो बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स लगाए गये हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार की वजह से जो ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, उनके नालों का विस्तार नहीं हो सका है। ठेदारों और अफसरों, इन दोनों के भ्रष्टाचार से कमांड एरिया में जितनी सिंचाई हो सकती है, उस क्षमता का भी उपयोग नहीं हो सका है।

बाढ़ से सुरक्षा के नाम पर गंगा, गंडक और बलान में आपने बांध लगाए हैं लेकिन पानी के निकासी के जो प्राकृतिक स्रोत थे, वे रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं और आपने पानी के निकासी का

कोई इन्तजाम नहीं किया है। बिहार में सिर्फ एक जिला बेगूसराय के बारे में मैं कह सकता हूं कि पचासों हजार एकड़ जमीन में जल जमाव की वजह से फसलें बरबाद हो जाती हैं। आप सिंचाई की सुविधाएं देने की बात करते हैं लेकिन पानी के निकासी का इन्तजाम नहीं करते। सिंचाई की सुविधाएं देकर आप खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं मगर वास्तविकता दूसरी है, तस्वीर दूसरी है और नतीजा यह है कि पैदावार का निरन्तर ह्रास हो रहा है और आप पैदावार के लक्ष्य किसी भी कीमत पर एचीव नहीं कर सकते।

देहातों की क्या स्थिति है, ग्रामीण जीवन की क्या वास्तविकता है ? कितने दिन हो गये कि आपने लैंड रिफार्म्स के कानून बनाए, लैंड सीलिंग के कानून बनाए मगर कितनी जमीन आपने अभी तक बांटी है। मात्र 18 लाख एकड़ जमीन बांटी है जबकि नेशनल सेम्पिल सर्वे के अनुसार 215 लाख एकड़ सरप्लस जमीन है। इस जमीन का अभी तक बटवारा नहीं हुआ। आज ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनके लिए आप कानून के अन्तर्गत कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके, जिससे दृढ़ता के साथ वह कानून लागू किया जा सकता। आप ऐसे अफसरों को मुहय्या नहीं कर सके, जो प्रतिबद्ध हों लैंड रिफार्म्स लागू करने के लिए। आज तो हालत यह है कि कानून के अलमबरदार या पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सका जबकि हजारों हजार शेयर-क्रौपर्स को बेदखल कर दिया गया। बेदखली पर रोक लगाने के लिए आप सक्षम कानून बना सकते थे। आज ऐसे कानून का नितान्त अभाव है। जो कानून बनाए हैं, वे किस की मदद से लागू होंगे ? वे इन्हीं लोगों की मदद से लागू होंगे लेकिन आप यह देखें कि बड़े पैमाने पर बेदखलियां हुई हैं और इतना ही नहीं वह पुलिस प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी थी बेदखली रोकने की, आज वह खुल्लम-खुल्ला भूस्वामियों की मदद कर रहा है। मैं आपको एक इन्स्टांस इस सिलसिले में देना चाहता हूं।

हमारे बिहार में खगरिया जिले में मोहनपुर पंचायत के अग्रहन ग्राम में बटाईदारों को जमीन के पर्चे मिले और वे जमीनों पर बेदखली रोकने के लिए गये, तो पुलिस जो उनकी जमीनों पर खड़ी थी, वह इसलिए नहीं खड़ी थी कि बटाईदारों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए बल्कि वह उन लोगों की मदद के लिए थी जो बटाईदारों को जमीनों से बेदखल करना चाहते थे और बटाईदारों का नेता मेदनी शाह को जमींदारों के गुण्डों ने नहीं पीटा बल्कि पुलिस ने लगातार उस पर लाठियों की वर्षा की और पुलिस की लाठियों से चोट खाकर वह जमीन पर तड़पता रहा और तकलीफदेह बात तो यह है कि उसकी पत्नी वहां खड़ी थी और यह देख रही थी कि उसके पति की हत्या किस तरह की जा रही है। यह है आपका पुलिस प्रशासन और आपके प्रतिबद्ध अफसर, जिनके द्वारा आप लैंड रिफार्म्स के कानूनों को लागू करवाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, उसी पंचायत में एक घटना और घटी। एक हरिजन लड़की, जिसकी उम्र 18-20 साल रही होगी, आपको मालूम होगा कि उसके साथ क्या हुआ। वे लोग जो जमीन की बेदखली करने वाले लठैत थे, उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर डाली उसकी जमीन पर और जिस दरोगा ने मेदनी शाह की हत्या की थी और जन-आक्रोश ने संगठित रूप जब धारण किया था, तो उस दारोगा को वहां से हटाया गया था लेकिन पालीटीकल प्रोटेक्शन और पालीटीकल इन्टरफियरेन्स की वजह से उस दारोगा का उसी जगह पर पदस्थापन कर दिया गया, उसको उसी थाने में वापस बुला लिया गया। वहां पर ऐसा हुआ है और आप हरिजनों के नाम पर आंसू बहाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं। भूमिसुधार कानूनों और हरिजनों के नाम की यह सरकार दुहाई

देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है ? हरिजनों के साथ अत्याचार और अन्याय करने वाले दारोगा को उसी इलाके में स्थापित किया गया है जहां कि किसानों का आन्दोलन जमीन के बंटवारे के लिए हो रहा है।

हमारे सत्तारूढ दल के भाई कहते हैं कि विरोधी पक्ष का यह पेशा बन गया है कि वह हर सवाल पर सरकार की आलोचना करे। आप जानते हैं कि गांवों के अन्दर आज क्या स्थिति हो रही है ? आज यह स्थिति है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद भी भूमि सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गांवों के मुट्ठीभर लोग, 10 परसेंट बड़े-बड़े किसान 53.3 परसेंट जमीन को समेटे हुए हैं और वहां का विशाल जनसमुदाय, यानी 60 परसेंट लोगों के पास मुश्किल से 9 फीसदी जमीन होगी। लघु किसान, सीमांत किसान जो मेहनत करके पैदावार बढ़ाना चाहते हैं उनको आपकी योजना का कितना लाभ मिल पाता है, क्या कभी आपने इसको देखा है ? इन लघु और सीमांत किसानों को आप सिंचाई और खाद की कितनी सुविधाएं दे पाते हैं ? हरित क्रांति के नाम पर जो भी आपने खर्च किया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गांव के बड़े-बड़े भूस्वामियों ने हड़प लिया है। ऐसी स्थिति में पैदावार बढ़ाने की बात सोची भी नहीं जा सकती।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारीगण भूमिसुधार कानून लागू करने से इंकार करते हैं, बटाईदारों को काननी संरक्षण देने से इन्कार करते हैं, जमींदारों की जमीनों का बंटवारा करने से इन्कार करते हैं छोटे किसान सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहते हैं, और दूसरी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाती हैं।

आप जानते हैं कि आज औद्योगिक माल की कीमतें बढ़ती जाती हैं। जबकि उसी अनुपात में किसानों की पैदावार की कीमत नहीं बढ़ पाती है। इससे उद्योग और कृषि पैदावार की कीमतों में डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गयी है। उस डिस्पैरिटी की क्या हालत है ? पिछले 4-5 वर्षों में किसानों को 13 हजार 69 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार किसानों की सरकार है और वह किसानों के लिए काम करती है।

हमारे देश का कृषि मुख्य उद्योग है। यह हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाने का काम करता है। किन्तु नतीजा क्या हो रहा है ? आज सरकार ने ईयर आफ प्रोडक्टिविटी की घोषणा की है, पैदावार बढ़ाने की घोषणा की है, सिंचाई और दूसरे साधनों के प्रसार और फैलाव की घोषणा की है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी निर्भरता विदेशी बाजारों पर घटे और देश में गल्ले की पैदावार बढ़े। हम अपने गल्ले का निर्यात कर सकें और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें इसलिए·····

आप लघु और सीमांत किसानों को सभी सहायता दीजिए। उन्हें सिंचाई की, बीज की, ऋण की, खाद की सभी सहायता दीजिए और भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से लागू कीजिए। ये कानून जन प्रतिनिधियों की देखरेख में, चुनी हुई समितियों की देखरेख में लागू कीजिए। तभी सही मायनों में भूमि का वितरण आप कर सकेंगे। बगैर इससे कृषि के विकास को आगे बढ़ाने का सपना आपका पूरा नहीं होगा और न हमारा देश आगे बढ़ सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी माननीय सदस्य 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेगा तथा मंत्री महोदय लगभग 2.30 अथवा 8 बजे उत्तर देंगे। अत: कृपया सहयोग दीजिए। अब श्री शैलानी।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कैसी विडम्बना है कि जिन लोगों ने अपनी निजी गाथाएं व्यक्त की हैं उनसे 20-25 मिनट बुलवाया गया है। मैं इस देश और इस देश की जनता की बात करना चाहता हूं तो आप मुझे सीमा में बांधना चाहते हैं। मैं अपनी निजी बात कहने के लिए नहीं आया हूं। इस देश के किसानों, ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनसे सम्बन्धित बात करने आया हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे देश की महान नेता प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने नए बीस सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीणों की आकांक्षाओं और आशाओं को नया बल प्रदान किया है और वे उससे अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे हैं। यह कार्यक्रम हमारे विकास की आधारशिला है।

श्रीमन्, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में 75 से लेकर 80 फीसदी जनता गावों में रहती है और किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर करती है। हमारे यहां भूमिहीनों की ज्वलंत समस्यायें है। आज किसान के नाम पर इस देश में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास एक-एक हजार और 5-5 हजार एकड़ भूमि है और ऐसे लोग भी हैं किसान के नाम पर जिनके पास एक इंच जमीन भी नहीं है। जब किसान की बात आती है तो मैं किसान उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने हाथ से खेत में हल चलाता है, जो सर्दियों के कड़े जाड़े में खेत में पानी लगाता है और कड़ी धूप में वहां पर गेहूं से दाना निकालता है, उसको मैं किसान मानता हूं जो परिश्रम करता है।

इस देश में किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है, उससे अवश्य राहत मिलेगी।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस देश में एक अर्से से भूमि सुधार की मांग चली आ रही है। कल-परसों और आज भी अखबारों में निकला है कि योजना आयोग ने इस बात पर बड़ा रोष और क्षोभ प्रकट किया है कि इस देश में जिस तरह से भूमि सुधार होना चाहिए, उस तरह से नहीं हो पा रहा है। योजना आयोग ने बार-बार राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह भूमि सुधार करे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि योजना आयोग के निर्देश के बावजूद इस देश में भूमि सुधार अभी तक नहीं हो पाया। इसकी वजह यह है कि कहीं-कहीं पर सरकारें बड़े-बड़े जमींदारों, राजा-महाराजाओं और जो हजारों एकड़ भूमि के मालिक हैं, उनके दबाव में है। इस वजह से भूमि सुधार नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जहां भूमि का आवंटन शेड्यूल कास्ट और

शेड्यूल ट्राइब के लोगों को किया गया है, गरीबों और भूमिहीनों को किया गया है, उनको आज तक कब्जा नहीं दिया जा रहा है और पट्टा उनको नहीं दिया जा रहा है। जहां नाममात्र के पट्टे कर दिए गए हैं, लेकिन कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

यहां पर ऊसर और बंजर भूमि का सवाल भी कई बार आया है। मैं अलीगढ़ जिले का रहने वाला हूं। अगर आप कभी रेलगाड़ी से या सड़क से कानपुर की तरफ यात्रा करेंगे तो अलीगढ़ से निकलते ही आप पायेंगे कि दोनों तरफ बेहद ऊसर और बंजर जमीन पड़ी हुई है। हमारे अलीगढ़ जिले में ही 80 हजार एकड़ ऊसर और बंजर भूमि है, जिसका कोई सदुपयोग नही हो रहा है और बेकार पड़ी हुई है। अगर उसको उपजाऊ बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि इस देश के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। अलीगढ़ से लेकर । टा, मैनपुरी इटावा, कानपुर आदि जिलों में लाखों हैक्टेयर जमीन ऊसर तथा बंजर पड़ी हुई है। उसको उपजाऊ बनाने के लिए अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है।

मान्यवर, मैं खेतीहर मजदूरों की समस्याओं पर आता हूं। खेतीहर मजदूरों में ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इस देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर जुल्म और अत्याचारों की जो भरमार हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है। हमारी सरकार चाहती है, उसका इरादा है और हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन वहां पर सबल जमींदार और बड़े लोग उनको उस अधिकार से वंचित रखे हुए हैं। अगर उनकी ये समस्यायें हल नहीं हुई तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि उनमें किसी और प्रकार की भावना पैदा हो। खेतीहर मजदूर जो खेत में काम करता है, मेहनत करता है, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ मिलकर खेत में काम करता है, उनकी समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और उनको हल किया जाना चाहिए।

सरकार ने किसानों को सुविधायें देने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, बहुत सी एजेंसियां जुटाई हैं लेकिन वहां पर जिस कद्र भ्रष्टाचार है; जिस तरह से उनकी दुर्दशा होती है उसका एक उदाहरण मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। सरकारी ऋण लेने में उसका शोषण किस तरह से किया जाता है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं किसान उसको मानता हूं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, जो अपने हाथ से हल चलाता है, खेत में मेहनत करता है, काम करता है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मरता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज में, शासन काल में, उनकी मेहरबानी से किसान ने कुछ चैन की सांस ली है। लेकिन फिर भी उसको अपनी खेतीवाड़ी के लिए, अन्य कामों के लिए साहूकार के पास, महाजन के पास जाना पड़ता है हालांकि बैंकों ने ऋणों की व्यवस्था की है, ऋणों की सुविधा दी है लेकिन वही एक साधन पर्याप्त नहीं है। बैंकों से ऋण लेने में उनको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है इसको भी आप देखें। उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितना ऋण उनको सैंक्शन होता है, उसका कितना भाग उसको मिल पाता है, यह तथ्य मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। पम्पिंग सैट, ट्यूबवैल, बैल खरीदने के लिए या और इस तरह का कोई ऋण लेना होता है तो किसान को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। उसके

बाद ऋण प्राप्त करने के लिए उसको चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकों का परसेंटेज बंधा होता है, पांच, दस, बीस और पच्चीस प्रतिशत तक। एक हजार रुपये अगर सैंक्शन किए जाते हैं तो किसान को मुश्किल से छः सात सौ रुपये ही मिलते हैं। किसी तरह से वह समय पर अदा नहीं कर पाता है तो बहुत ही बेरहमी के साथ उसके साथ सलूक किया जाता है, उसके घर के बरतन, उसकी पत्नी के जेवरात आदि बेचकर भी उससे पैसा वसूल कर लिया जाता है। यह जो तरीका है बैंकों से ऋण लेने का इसको सुधारा जाना चाहिए ताकि किसानों को, काश्तकारों को ज्यादा फील न हो।

उर्वरकों की बात कही गई है। दिने-प्रतिदिन खेती में लागत बढ़ती चली जा रही है। किसान अपनी फसल लेकर जब मार्किट में आता है तो अपनी फसल का उसको उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। मैं इसी फसल की बात करना चाहता हूं। आलू और गन्ने की जितनी मिट्टी खराब हो रही है और हुई है, उससे सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूं। मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि आलू की पैदावार करने में जितनी लागत लगी है, उससे प्रोफिट कमाने की बात तो दूर रही जितनी लागत भी लगी है उसका आधा पैसा भी किसान को प्राप्त नहीं हो पाया है। आलू आठ, नौ और दस रुपये मन में बिका है जबकि लागत उसकी उससे चौगनी और पांच गुनी लगी है। मैं चाहता हूं कि फर्टिलाईजर की कीमत को आप कम करें। सही वक्त पर उसको ऋण मुहैया करें। इतनी परेशानियों के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने शोषण के बावजूद, किसान एक कठोर कर्मा इंसान है, किसान से अधिक मेहनत कोई नहीं करता है उससे ज्यादा मुशक्कत कोई नहीं करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा कठोरकर्मा है, सबसे ज्यादा परिश्रम करता है वही सबसे ज्यादा दुखी है और जो कुछ भी नहीं करता है...

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैंने तो अभी शुरू ही किया है। और माननीय सदस्य आध-आध घण्टा बोले हैं।

सभापति महोदय : मेरा निवेदन सुन लें। यह आपके लिए ही नहीं है सबके लिए है। जो अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनके लिए भी है। मैं आया अभी। जो लिस्ट डिप्टी स्पीकर मुझे दे गये उसके अनुसार आपके अतिरिक्त 8 सदस्य और बोलने वाले हैं और मंत्री जी 3 बजे जवाब देना चाहते हैं। इसलिए 10 मिनट से ज्यादा पोसिबिलिटी नहीं है, और 10 मिनट आपके हो गये। जब तक आप लोग सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तब तक मैं क्या कर सकता हूं। आप मेरी लाचारी समझ लीजिए। यह नहीं कि मैं कंजूस हूं, अधिक से अधिक उदार होने की चेष्टा करता हूं। अतः आप सहयोग प्रदान करें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : इसी सदन के सदस्य आधा घंटा बोले हैं, मुझे तो अभी 6 मिनट ही हुए हैं। फिर भी जल्दी ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

किसानों के सामने सिंचाई की प्रोबलम है। वैसे नहरों और डम्बों का बहुत बड़ा अभाव है, लेकिन सरकार चाहती है कि किसान का उद्धार हो इसलिए जगह-जगह ट्यूबवैल लगाये जा रहे

हैं, उनको सरकारी सहायता भी इसके लिए मिल रही है। लेकिन किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती, जबकि उद्योग धंधों को बिजली मिलती है। इस साल गन्ने और आलू का रेकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। विदेशों में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये उसकी फसल को सरकार खरीद लेती है भले ही चाहे उत्पादन को समुद्र में डुबोना पड़े, जलाना पड़े या कुछ भी करे, लेकिन किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिल जाता है। इससे उसका उत्साह बढ़ता है। लेकिन यहां पर किसास कर्ज लेकर खेती में लगाता है और जब पूरा मूल्य उसको नहीं मिलता तो उसकी हिम्मत टूटती है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश की पैदावार बढ़ रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान हसायन है जहां दुनिया का सबसे उम्दा किस्म का गुलाब पैदा होता है। वह गुलाब नहीं जो बड़े-बड़े आदमियों की कोठियों की शोभा बढ़ाता है, बल्कि ऐसा गुलाब है जो देखने में तो अच्छा नहीं होता, लेकिन उससे उच्च कोटि का सेंट, रूह, गुलकन्द और गुलकन्द और गुलाब जल बनता है। हमारे यहां कन्नौज के व्यापारी आते हैं और कौड़ियों के मोल में उसको खरीद ले जाते हैं। इसलिए हसायन क्षेत्र में सरकार कोई ऐसा रिसर्च सेन्टर या कारखाना खोले जिससे बढ़िया किस्म का इत्र, रूह आदि पैदा हो सके। अभी तो वहां के लोग घरेलू उद्योग धन्धे के आधार पर इन चीजों को बनाते हैं। अगर फैक्ट्री लग जाय तो करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

ग्रामीण बैंकों को व्यापक बनाया जाय, यह एक बहुत बड़ी योजना है जिससे किसानों को लाभ हो सकता है। ग्रामीण विकास की बात जब आती है तो कहना पड़ता है कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां पर गांव के पढ़े लिखे नौजवान गांव छोड़कर शहर की तरफ भागते हैं। जब कि विदेशों में लोग शहर में रहना पसन्द नहीं करते हैं, बल्कि गांव में रहना पसन्द करते हैं। इसके भी कुछ कारण हैं, और वह यह कि ग्रामीण विकास की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। उन्हें साज-सज्जित रखने के लिये मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं। मैं हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों का शुक्रगुजार हूं कि वहां पर हर गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हमारा देश बहुत विशाल है, यहां ऐसे बहुत से गांव हैं जहां कि अभी भी बिजली नहीं है। मेरा निवेदन है कि हर गांव में बिजली पहुंचाई जाये, गांव को सड़क से जोड़ा जाये, चिकित्सा के लिये हस्पताल खोले जायें, लघु-उद्योग-धन्धे खोले जायें, शुद्ध जल और चिकित्सा की व्यवस्था की जाये और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जातीय और साम्प्रदायिक सद्भावना के लिये प्रयास किये जायें जिससे यहां पर जो जातीय व साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, वह न हों और देश में सुरक्षा की भावना पैदा हो। समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाये।

इन सारी चीजों की व्यवस्था कर दी जाये तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह देश संसार में सबसे आगे की श्रेणी में आ जायेगा और खुशहाल होगा और यह देश महात्मा गांधी के सपनों का देश होगा। यहां हर तरह से खुशहाली, वैभव हो सकेगा और हर आदमी सुख व चैन से रहेगा।

इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दौलतराम सारण (चुरू) : सभापति जी, सबसे विस्तृत मंत्रालय की मांगों से संबंधित मदों पर सबसे कम समय में बोलना पड़ रहा है।

कृषि हमारे देश का आधार है, 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और यहां की सारी अर्थ-व्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। इस कृषि की जितनी महत्ता और आवश्यकता यहां पर है, उतनी ही घोर उपेक्षा इसकी हुई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल 37 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिये प्रावधान किया गया था उसके बाद निरन्तर सब योजनाओं में उसका प्रावधान कम होता गया और बड़े उद्योगों में प्रावधान कम होता गया और बड़े उद्योगों में प्रावधान बढ़ता गया। जिन बड़े उद्योगों द्वारा केवल 4 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, उन पर अधिक पैसा लगाया गया और जिस कृषि द्वारा 73 प्रतिशत लोगों को सीधा रोजगार मिलता है, उस पर बहुत थोड़ा पैसा रखा गया। इस कृषि-निवेश में कंजूसी के परिणामस्वरूप यह अभाव आया कि खाद्यान्न का भयंकर अभाव हुआ और 73 प्रतिशत कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को 4 प्रतिशत खेती में लगे हुए लोगों के देश से अनाज मंगाकर खाना पड़ा। इसका परिणाम यह है कि सरकार गलत नीति पर आ रही है और अभी पिछले वर्ष में भी लाखों टन अनाज बाहर से मंगाया गया है। कृषि पैदावार कई रूप में बाहर से मंगाई जा रही है।

हमारे यहां दालों और तिलहनों का उत्पादन गिर रहा है। हमारी आबादी बढ़ने के अनुपात में हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हमारे एक भाई ने आंकड़े देकर बताया था, मैं उसमें न जाकर यह कहना चाहता हूं कि दालें, दूध और अनाज प्रति व्यक्ति घटा है। कपड़ा प्रति व्यक्ति घटा है। एक तरफ यह कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां अभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि खेती की तरफ कम निवेश किया है, कम ध्यान दिया गया है।

आज 35 वर्ष के बाद भी हमारे देश में केवल 30 प्रतिशत भूमि में पानी पहुंचाया गया है, 70 प्रतिशत भूमि आज भी असिंचित है, इस तरह इस ओर घोर उपेक्षा हो रही है। इस क्षेत्र में बहुत थोड़ा पैसा ऋण के लिये दिया जाता है। ज्यादातर शार्ट-टर्म पर ऋण दिया जाता है। लम्बी अवधि के ऋण बहुत कम दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता संस्थाओं को ऋण दिया है। अगर वसूली रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपात में नहीं होती है, तो सारे किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया जाता है। राजस्थान के जयपुर जिले में, जो कि सबसे बड़ा जिला है, जहां बीस लाख लोग रहते हैं, इस प्रकार से ऋण रोक दिया गया है। वहां किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूमि विकास बैंक की वसूली रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आधार के मुताबिक नहीं है। इसकी तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से ऋण देने पर कोई रोक-टोक नहीं है। कृषि क्षेत्र में बकाया ऋण औद्योगिक क्षेत्र के ऋण से कहीं कम है।

खेती के क्षेत्र में ऋण-सुविधाएं बहुत कम हैं, इसलिए किसान अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने में असमर्थ है। सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नदियों का पानी बहकर बाढ़ के रूप में अरबों रुपये की हानि करता है। उसको खेतों तक पहुंचाने के लिए बड़ी-

बड़ी योजनायें नहीं बनाई गई हैं। ऐसी बहुत-सी योजनाएं अन्तर्राज्यीय झगड़ों में उलझी पड़ी हुई हैं। नदियों का पानी बहकर नष्ट हो रहा है, लेकिन खेतों को नहीं मिल रहा है। यह सरकार खेती की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।

इस देश में जब तक आम आदमी की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश की माली हालत नहीं सुधर सकती, और आम आदमी की क्रय-शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र उपाय खेती की पैदावार को बढ़ाना है। खेती की पैदावार बढ़ने से 80 प्रतिशत लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश का उद्योग, व्यापार और यातायात पनपेगा और उससे खेती पर से भार कम होगा, दूसरे धंधों में ज्यादा लोग लगेंगे और हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी। लेकिन सरकार की समझ में यह बात नहीं आती, जिसको गांधी जी ने बहुत विस्तार से समझाया था।

आज गलत आर्थिक नीतियों के कारण खेती की उपेक्षा की जा रही है और बड़े उद्योगों पर धन बर्बाद किया जा रहा है। दिल्ली में केवल दस होटलों पर 400 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान कैनाल, सीधमुख नहर, जमना नहर और नर्वदा से पानी देने की व्यवस्था करने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन एशियाड पर 1,000 करोड़ रुपये बर्बाद करने के लिए हैं।

इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, ठीक प्राथमिकताएं तय न करने के कारण आज देश के आम आदमी को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। केवल खेती और खेती से सम्बन्धित धन्धे ही आम आदमी को पौष्टिक आहार दे सकते हैं। लेकिन आज न अनाज, न दालें और तिलहन, न फल-सब्जी और न दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं। हमारे यहां 38 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं और वे दोनों समय खाना भी नहीं जुटा सकते।

खेती की उपेक्षा का सीधा अर्थ है देश की उपेक्षा, देश की अर्थ-व्यवस्था को गलत दिशा देना, आम आदमी की माली हालत को सुधारने से इन्कार करना और उसको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना। इसलिए सरकार चलाने वालों से मेरा निवेदन है कि वे खेती की ओर ध्यान दें और खेतों में पानी पहुंचाएं और खेती की उपज की बिक्री के लिए बाजार को नियंत्रित करें। आज हालत यह है कि जब फसल आती है, तो भाव एक-दाम गिरा दिए जाते हैं और जब किसान की फसल बिक जाती है, तो भाव आसमान को छूने लगते हैं। किसान को हर फसल में खरीद और बिक्री में 200 रुपए प्रति-क्विंटल का घाटा होता है। इस तरह की लूट बाजार और मंडियों में चल रही है। किसानों की इस भयंकर शोषण को रोकने की जरूरत है।

आज हमारे देश में खेती और गैर-खेती के मामले में बड़ा भेदभाव है। गैर-खेती क्षेत्र में, खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र में, ऋणों के सम्बन्ध में बड़ी उदारता है, बड़ी सुविधा है। लेकिन खेती के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। खेती में ऋण अगर बाकी रह जाता है तो तुरन्त सख्ती के साथ कुड़की होती है, उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। लेकिन उधर 2 हजार करोड़ से अधिक रुपया औद्योगिक क्षेत्र में बकाया पड़ा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि वह तो सुप्रीम कोर्ट

और हाईकोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन ये गरीब किसान किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वे तो माई बाप कहकर केवल आह भरकर रह जाते हैं। यह हालत खेती करने वाले लोगों की है। खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

समय के अभाव के कारण मैं आंकड़ों सहित अपनी बात कहने में असमर्थ हूं। परन्तु इतना ही कह देना चाहता हूं कि खेती बढ़ाएंगे तो यातायात, व्यापार, उद्योग और रोजगार सभी कुछ बढ़ेगा और पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा। आज खेती के सम्बन्ध में अनुसन्धान और खोज के जो काम किए जा रहे हैं वह सारी खेती के दृष्टिकोण से नहीं हैं। केवल 30 प्रतिशत सिंचित भूमि के क्षेत्र में ये अनुसंधान और खोज के कार्य चल रहे हैं। बाकी 70 प्रतिशत भूमि के लिए अनुसंधान का कार्य नहीं के बराबर है। इस तरफ भी समग्र विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे खुशी है कि कुछ प्रयास इस तरफ होने लगा है लेकिन सूखी खेती के क्षेत्र में अभी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर हमारे अनुसन्धान और रिसर्च का खेतों के साथ तालमेल नहीं बैठाया गया है। वह अभी तक केवल बड़ी-बड़ी जगहों में ही सीमित है। या तो आपके विश्वविद्यालयों में या अनुसन्धान संस्थाओं में यह काम चल रहा है। अभी आज ही प्रश्न के घंटे में पहला ही प्रश्न वन-अनुसन्धान के सम्बन्ध में था। वनों में पेड़ नहीं हैं और एक तरफ पिसीकल्चर और पेड़ों की खोज पर रुपया खर्च हो रहा है लेकिन खोज गांवों तक और जंगलों तक पहुंचायी नहीं जा रही है। बहुत से अच्छे बीज और अच्छे पौधों की खोज की गई है लेकिन उसका किसान तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो खेती और अनुसंधान दोनों का तालमेल बैठाने की जरूरत है।

भूमि का कटाव चाहे पानी से हो चाहे हवा से हो, उसको रोकने की आवश्यकता है। उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। उसमें भी व्यापक प्रयास की आवश्यकता है।

इस प्रकार इस सरकार ने कोई सन्तुलित कृषि विकास का प्रयास नहीं किया है। संतुलित कृषि विकास का प्रयास नहीं किया है। संतुलित कृषि विकास नहीं करने के कारण···(व्यवधान) ···व्यास जी, उसी के कारण पेट पर ज्यादा जोर पड़ा हो गया है, किसी के दांत गिर गए हैं, पौष्टिक आहार की कमी के कारण यह सब हो रहा है। उसके लिए व्यास जी अपनी सरकार को कहें कि संतुलित विकास की व्यवस्था करे।

कृषि के उत्पादन की जितनी क्षमता है, क्षमता के अनुपात में उत्पादन नहीं है। तो क्षमता के अनुरूप उत्पादन हो सके इसके लिए ज्यादा साधन-सुविधा प्रदान करने की जरूरत है। पानी की व्यवस्था की जाय। ऋण की और क्रय-विक्रय की व्यवस्था की जाय। इसके साथ-साथ अनुसंधान और इन सारी चीजों का तालमेल खेती के साथ बैठाने की जरूरत है और फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इन बुनियादी आधारों की उपेक्षा न करके अगर व्यवस्था करेंगे तो यह सन्तुलित नियोजन हो सकेगा।

केवल अनाज बढ़ाने की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा भोजन के लिए दूसरे आवश्यक पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक समय

एकदम एक चीज बाजार म ज्यादा आ जाती है, एक चीज का उत्पादन बढ़ जाता है, एक चीज गायब हो जाती है। दूसरे वर्ष दूसरी चीज गायब हो जाती है। पहले चीनी गायब हो गई, फिर गेहू की बहार हो गई, फिर चावल गायब हो गया, अगली बार गेहूं गायब हो गया। इस तरह से हम जब अभाव होता है तब उसके लिए हाथ पांव मारते हैं। पहले से आवश्यकता के अनुरूप सुनियोजित ढंग पर नियोजन नहीं करते हैं। कितनी आवश्यकता होगी, उसको देखकर उसके अनुरूप नियोजन नहीं करते हैं और जब अभाव हो जाता है तब कहते हैं कि जनसख्या बढ़ गई। (व्यवधान) इस प्रकार से आज असन्तुलित नियोजन और असन्तुलित कार्यक्रम चल रहे हैं। न तो सरकार के पास कोई कृषि नीति है और न ही कोई भूमि नीति है। भूमि-सुधार की बात कहकर ये भूमि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। भूमि टुकड़ों में बटती जा रही है। दूसरी ओर जो वास्तविक काश्तकार हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। और जो काश्तकार नहीं हैं, जो गैर-पेशा है वे फार्मों के मालिक बनते जा रहे हैं। जिनके बाप-दादाओं ने कभी खेती नहीं की, वे आज फार्मों के मालिक हैं। इन्दिरा जी फार्म की मालिक हैं। जिनके बाप-दादाओं ने अपना खून पसीना बहाकर हमेशा खेती की वे आज खेती से बेदखल किए जा रहे हैं। वे लोग आज भूमिहीन मजदूर बनते जा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने सीलिंग का एलान किया लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। शहरों में सम्पत्ति पर कोई भी सीलिंग नहीं है। अरबों रुपए के कारखाने लगाए जा रहे हैं और वह भी सरकार के पैसे से। उनको ब्याज में छूट तथा तमाम अन्य प्रकार के कन्सेशन्स दिए जा रहे हैं। उनके द्वारा कमाए गए मुनाफे पर भी कोई कन्ट्रोल नहीं है। एक बेचारा किसान ही है जिसको कोई भी संरक्षण नहीं है। किसान को लूट से बचाने के लिए तथा ब्याज और ऋण में उसको राहत देने के लिए कोई भी कार्यक्रम नही हैं। चूंकि सरकार की कोई सही और सन्तुलित कृषि नीति नहीं है इसीलिए कृषि क्षेत्र में असन्तोष है और अभाव है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सही ढंग से सही कृषि नीतियों को अपनाया जाए ताकि खेती करने वाले पनप सकें और उनकी लूट बन्द हो, उनका शोषण बन्द हो तथा बिचौलियों से उनकी रक्षा हो सके। साथ ही साथ किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत भी दी जाए। समर्थन और समता मूल्यों में संगति बैठाई जाए। आज औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कृषि क्षेत्र में किसान की पैदावार के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हू कि वह समता मूल्यों की तरफ ध्यान दे और समर्थन मूल्य भी उसी हिसाब से निश्चित करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, मेरे बहुत से साथी कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित सभी विषयों पर विस्तार से बोल चुके हैं। मैं केवल वानिकी, जो इस मंत्रालय का एक मात्र है, के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगा। गत कुछ वर्षों से हमारे देश में अनेक वैज्ञानिकों, योजना बनाने वाले व्यक्तियों, यहां तक कि आम जनता ने भी यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि हमारे देश में वनों का धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है और वनों को सुरक्षित रखने तथा इनका विकास करने के लिए शीघ्र उपाय करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए मैं इन सभी

लोगों को सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं समाचार पत्रों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को उजागर किया और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया।

सभापति महोदय : आप सम्बन्धित मंत्री का धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : ऐसा मैं तब करूंगा, जब वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। यह मेरा तर्क है। क्योंकि समय बहुत कम है तथा बहुत से लोग बोलने के लिए अपनी बारी का बड़ी बेताबी से इन्तजार कर रहे हैं, अत: मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

इस विषय को मैं इन चार मुद्दों में विभक्त करता हूं।

1. कुछ वर्ष पहले तक वनों के क्षेत्र आदि से सम्बन्धित स्थिति क्या थी ?

2. वनों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

3. वनों की यह स्थिति क्यों हुई ? इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

4. और अन्त में, वनों की सुरक्षा के लिए तथा परिस्थिति के सन्तुलन को बनाए रखने के लिए शीघ्र ही क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

अब, मैं पहले मुद्दे को विस्तार से स्पष्ट करूंगा। पहले मैं वर्ष 1976 में जो स्थिति थी, उसके बारे में 'इन्डियन फोरस्ट्स 1980' से कुछ आंकड़े उद्धृत करूंगा।

वनों का कुल क्षेत्रफल 747.4 लाख हैक्टर है, जो हमारी कुल भूमि का 22.7 प्रतिशत मात्र है। यह विभिन्न हिस्सों में विभाजित है, अर्थात् आरक्षित वन, जिसका क्षेत्रफल 389.7 लाख हैक्टर है और जो वनों सम्बन्धी कुल आरक्षित क्षेत्र का 52.1 प्रतिशत है। दूसरे भाग में सुरक्षित वन आते हैं, जो 231.9 लाख हैक्टर क्षेत्र में हैं। यह 31.0 प्रतिशत है। तीसरा भाग श्रेणीरहित है—जिसका श्रेणीकरण नहीं हुआ है—इसका कुल क्षेत्रफल 125.8 लाख हैक्टर है यह 16.9 प्रतिशत हैं।

दूसरा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र है। कृषियोग्य कुल भूमि 1547 लाख हैक्टर है, जो 47.0 प्रतिशत बैठती है। खेती की अन्य भूमि 431 लाख हैक्टर है, जो 13.1 प्रतिशत बैठती है। गैर-कृषि भूमि 172 लाख हैक्टर है, जो 5.3 प्रतिशत है। बंजर और कृषि न हो सकने योग्य भूमि का क्षेत्रफल 391 लाख हैक्टर है, जो कुल भूमि का 11.9 प्रतिशत है।

इन आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हैक्टर बैठता है, जो अत्यधिक कम हैं, संसार में लगभग सबसे कम है। यदि हम तुलना करें तो हमारा वन-क्षेत्र विश्व-वन क्षेत्र का 1.85 प्रतिशत भाग है, जबकि हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत भाग है।

पहले एक बार हमारी राष्ट्रीय वन नीति में यह सुझाव दिया गया था कि देश के सम्पूर्ण क्षेत्र का 33.33 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए ।

अब मैं वनों की वर्तमान स्थिति का जिक्र करता हूँ । गत तीन दशाब्दियों में वनों का क्षेत्र, जो 22.7 प्रतिशत था और जिसे जनसंख्या में तथा पृथ्वी पर दबाव में वृद्धि के कारण और उद्योगों द्वारा वन-उत्पादों की मांग में हो रही वृद्धि के कारण 33.33 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, बढ़ाने की बजाय राज्य सरकारों द्वारा वनों की बेतहाशा कटाई शुरू कर दी गई । मैं यही शब्द प्रयोग करूंगा, क्योंकि अन्ततः जो कुछ हुआ, वह क्या है । अल्प अवधि में ही हमारे वन क्षेत्र की लगभग 43 लाख हैक्टर भूमि को, जो वनों के लिए आरक्षित थी, गैर-वन-प्रयोजनों के प्रयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया । ऐसे समय में ही हमारी माननीय प्रधान मंत्री जी ने वनों के महत्व को मान्यता प्रदान की और वनों के आरक्षित क्षेत्र को दूसरे कार्यों में प्रयोग करने के खतरे को पहचाना । यही कारण था कि गत वर्ष एक अध्यादेश जारी किया गया, बाद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 कहा गया और इसमें वनों के लिए आरक्षित क्षेत्र का अन्य किन्ही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

आज की सबसे गम्भीर स्थिति तो यह है कि हमारा वन विभाग सरकार को तथा राष्ट्र को यह बताने में बुरी तरह से असफल रहा है कि इस समय उसके अधिकार में कितना वन-क्षेत्र है । वे केवल भौगोलिक आंकड़ों का उद्धरण दे रहे है और कह रहे हैं कि हमने यह-यह भूमि वनों के लिए सुरक्षित रखी हुई है । हम न केवल इस बात को जानने के इच्छुक हैं कि आपने वनों के लिए कितनी भूमि आरक्षित रखी हुई है, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि इस समय देश में कुल कितने क्षेत्र में वन फैले हुए हैं ।

यहां मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे यह सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई, संसदीय पुस्तकालय से भी नहीं, कि देश में कुल कितने क्षेत्र में वन फैले हुए हैं और तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है या गत वर्ष की अथवा तीन वर्ष पहले की स्थिति क्या थी । मेरा सम्बन्ध ऐसे जिले से है, जहां 40 प्रतिशत भाग में वन फैले हुए माने जाते हैं । हालांकि इस समय वहां इतने वन नहीं हैं । महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश, जहां वनों के लिए कुल क्षेत्र का 50% भाग सुरक्षित है, के थोड़े-बहुत अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में कोई वन नहीं हैं । हमारे ग्राम-वासियों ने, हमारे उद्योगपतियों ने और अन्य सभी लोगों ने उनका प्रयोग कर लिया है और अब हमारे पास कोई वन शेष नहीं रह गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, आरक्षित वनों में भी, मुझे पक्का विश्वास है कि हमने कम से कम उससे 10-15 प्रतिशत भाग का प्रयोग कर लिया है । अतः यदि हम आंकड़ों का हिसाब लगाएं तो मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि देश में कुल क्षेत्र के 9 से 10 प्रतिशत भाग तक से अधिक क्षेत्र वन नहीं हैं । जबकि हमारी राष्ट्रीय नीति यह कहती है कि हमारे पास कुल क्षेत्र का 33⅓ प्रतिशत भाग अवश्य ही वन-क्षेत्र होना चाहिए । यह स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है ।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि वन-प्रयोजनों के लिए 448.4 लाख हैक्टर क्षेत्र आरक्षित था तथा 774 लाख हैक्टर भूमि वनरहित आरक्षित थी। कई वर्षों से उस क्षेत्र का भी कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसे कृषि के प्रयोग में भी नहीं लाया जा रहा है। जो वनों के लिए आरक्षित है। इसका क्या परिणाम निकला ? हमारे यहां काफी वर्षा होती है और ऐसे में यदि भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो भूमि-क्षरण होना शुरू हो जाता है। अत: शनैः शनैः अब हमारी यह स्थिति बन गई है कि 448.4 लाख हैक्टर भूमि में से अधिकांश भूमि बंजर और कृषि न करने योग्य हो गई है। भूमि का 11.1 प्रतिशत भाग पहले से ही बंजर है। इसलिए मेरे विचार में, मोटे अनुमान के अनुसार हमारे भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24 प्रतिशत भाग, जो वन के रूप में घोषित है, बंजर है तथा प्रयोग करने लायक नहीं है। अत: जहां एक तरफ हमारे वन खत्म होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपने भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे 24 प्रतिशत भाग को खो रहे हैं, जिसका प्रयोग करने में हम असमर्थ हैं। यह एक ऐसी अत्याधिक गम्भीर स्थिति है, जिसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

स्थिति इतनी नाजुक बनी कैसे ? इसके पीछे क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ? 19वीं शताब्दि में, जब लोगों ने वनों की उपयोगिता को फर्नीचर और अन्य प्रयोजनों के लिए अनुभव किया, उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। सरकार ने इसके महत्व को समझा और यह अनुभव किया कि यदि वनों को आरक्षित न किया गया, तो उनके लोप हो जाने का खतरा है। वर्ष 1865 में उन्होंने इस दिशा में प्रयास करने आरम्भ कर दिए और पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई पर नियन्त्रण रखने के लिए प्रथम भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में इसका अपेक्षित असर नहीं हुआ। अत: वर्ष 1894 में उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय वन नीति पारित की, जिसमें वनों के सीमांकन, आरक्षण और संरक्षण पर बल दिया गया था। फिर भी वनों का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था। इसलिए वर्ष 1952 में जब हमारी पार्टी शासन में आई, तो हमने वानिकी सम्बन्धी कार्य के रूप में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया और यह सुझाव दिया कि 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत भाग को वनों के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोट करें। यहां वे कहते हैं कि देश के भू-क्षेत्र के 33.33 प्रतिशत भाग को वनों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इन सब बातों का हवाला देने का मेरा तात्पर्य आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाने का है कि वर्ष 1865 में अर्थात् 117 वर्ष पहले, लोगों ने तथा सरकार ने भी इस खतरे के महत्व को समझ लिया था। अब वर्ष 1982 में क्या स्थिति हो गई है ? सभी वन लगभग समाप्त हो गए हैं। खुद को अब उस खतरे में डाल चुके हैं। इसके समर्थन में···

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी० नरसिंहा रेड्डी : महोदय, कृपया पांच मिनट की अनुमति दें। मैं किसी राजनीतिक विषय पर टीका-टिप्पणी नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : आपकी अपनी ही बात के अनुसार आप एक और मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। अत: मुख्य विषय की ओर आते हुए शीघ्र अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी० नरसिंहा रेड्डी : इसके मुख्य कारण क्या हैं ? मैं तो यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में सभी पिछली सरकारों की असफलता का मुख्य कारण यह है कि सभी पिछली सरकारों ने पर-

म्परागत रूप से वनों को राजस्व कमाने का स्रोत समझा और इसे एक क्षेत्र नहीं माना, जिसमें पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इन सभी वर्षों में राज्य सरकारों ने राजस्व अर्जित करने के लिए वनों की अन्धाधुन्ध कटाई की। मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसे सिद्ध भी कर देना चाहता हूं।

एन० सी० ए० रिपोर्ट, पैरा नौ, 1976 के अनुसार, जिसमें उन्होंने औद्योगिक लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की अनुमानित आवश्यकता का उल्लेख किया है, वर्ष 1980 में उन्हें 2109 लाख घन मीटर लकड़ी की आवश्यकता थी, जबकि इससे अधिक वनों की कटाई कर डाली गई। वर्ष 1985 में उन्हें 2371 लाख घन मीटर लकड़ी की आवश्यकता है और वर्ष 2000 में उनकी आवश्यकता 2895 लाख घन मीटर लकड़ी की होगी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वनों का क्षेत्र और अधिक सिकुड़ता जा रहा है।

जैसा कि मैंने कहा हैं, वहां की सरकार राजस्व अर्जन के लिए वनों का उपयोग कर रही है तथा उनमें कोई खास निवेश नहीं कर रही है। इसे सिद्ध करने के लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अब समाप्त करें। आपने ज्यादा समय ले लिया है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : हमारे माननीय मंत्री यह मानेंगे···

सभापति महोदय : अभी बहुत से सदस्यों ने बोलना है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : आप मुझे बोलने दीजिए। जितना समय आपने बीच में हस्तक्षेप किया है इतने में मैंने अपना भाषण समाप्त भी कर लिया होता।

सभापति महोदय : मैंने आपको जरूरत से ज्यादा समय दे दिया है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : इतने समय में मैं एक एक बात कह चुका होता।

सभापति महोदय : आपको मालूम है कि आप कितना समय ले चुके हैं ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैंने 10 मिनट लिए हैं।

सभापति महोदय : नहीं, आपने 14 बजकर 26 मिनट पर शुरू किया था।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : महोदय, हमारी सरकार 1971 से टिम्बर (इमारती लकड़ी) का निर्यात कर रही है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 से 1977 तक, छह वर्षों के दौरान हमने 3309.2 मिलियन रुपये के टिम्बर निर्यात किए हैं। निर्यात करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि हमारी सरकार राजस्व प्रयोजनों के लिये वनों को इस्तेमाल कर रही है।

दूसरा प्रश्न यह है कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल मिलाकर हमने केवल 3,400 मिलियन रुपये निवेश किए हैं, जो कि निर्यात से हमारे अर्जन के लगभग बराबर है। उदाहरणार्थ, 1976 के दौरान वनों से प्राप्त कुल राजस्व 3,444.75 मिलियन रुपए था जबकि

सामान्य व्यय 1,446.09 मिलियन रुपये था, और शुद्ध राजस्व 1998.66 मिलियन था। उस वर्ष के दौरान सरकार ने विकास और योजना कार्यकलापों पर 443.28 मिलियन रुपये खर्च किए, जो कि कुल राजस्व का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

मेरे विचार में, इमारती लकड़ी को सभी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना हमारा अधिकार है, लेकिन नैतिक रूप से हम बंधे हुए हैं क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने वनों को हमें सौंपा है और सरकार तथा लोगों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वनों का कम से कम 33.3 प्रतिशत आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जाए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप मुझे बाहर नहीं निकाल देते।

सभापति महोदय : यह क्या है ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : वह बहुत ज्यादती है। मैंने आपसे बार-बार अनुरोध किया है। क्या आपका यह कहना उचित है कि "मैं नहीं बैठूंगा ?"

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : यदि आप मुझे आदेश दें तो मुझे बैठना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आप जैसे एक वरिष्ठ सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : ठीक है। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने दें।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। ऐसा मत बोलिए।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : यदि आप खड़े होंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। कृपया···

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दीजिए।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : कम से कम वनों के हित में मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मेरी वनों में बहुत रुचि है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : एक प्रश्न है कि विनाश (वनों के) के लिए कौन उत्तरदायी है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। लोग यह कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासी वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। यहां मैं सभा को तथा लोगों को बताना चाहता हूं कि···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : यदि आप खड़े होते हैं, तो मुझे बैठना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आप पर कोई रोक नहीं लगा सकता । मैंने आपसे बार-बार अनुरोध किया है कि समाप्त कीजिए ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैंने समाप्त कर दूंगा । आपकी आज्ञा से मैं समाप्त कर दूंगा ।

मैं केवल इतना कहूंगा कि जो ग्रामवासी वन क्षेत्र में रहते हैं वे वन क्षेत्र को बदल देते हैं क्योंकि वे ईंधन की लकड़ी का प्रयोग करते हैं और अपनी झोंपड़ियां बनाते हैं । इससे अधिक, वे वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं हैं । जैसाकि मैंने पहले ही कहा है—योजना ही गलत थी । राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं ।

निम्नलिखित उपाय तत्काल किए जाने चाहिए :

1. हमें टिम्बर का निर्यात बन्द करना चाहिए ।

2. लकड़ी पर आधारित उद्योगों को जिन्हें 15 मिलियन घनमीटर से भी अधिक लकड़ी की जरूरत होती है, यह अनिवार्य होना चाहिए कि देश के जितने भी बड़े उद्योग हैं वे अपने स्वयं के टिम्बर, अपनी स्वयं की कच्ची सामग्री पैदा करें, और इसके लिए सरकार उन्हें भूमि आवंटित करे ।

यहां कुछ वन अधिकारी यह समझते हैं कि केवल वही इस काम को चला सकते हैं । ऐसी बात नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि उत्पादकता को जो कि 2 घनमीटर प्रति हैक्टेयर है, कैसे प्रतिस्थापित किया जाए तथा औद्योगिक लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तथा टिम्बर सम्बन्धी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-विनष्ट क्षेत्रों में विकासशील पौधे किस पैमाने पर लगाए जाएं ।

3. बचे हुए वनों का राज्य सरकार तथा अन्य लोगों द्वारा किए जा रहे अन्धाधुन्ध विनाश को कैसे रोका जाए और पर्यावरण को कैसे बनाए रखा जाए ।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह एक नया विधेयक प्रस्तुत करें अथवा भावी विधेयक में इस बात की जरूरत को शामिल करें कि वनों से अर्जित राजस्व को वनखंड प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग न किया जाए । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार इस समय वनों से जितना भी राजस्व अर्जित कर रही है वह सारा वन क्षेत्र में ही निवेश किया जाना चाहिए ताकि और अधिक वन पैदा किए जाएं और वनों का संरक्षण किया जाए, जब तक कि हम 33.3 प्रतिशत के लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते । ।

धन्यवाद ।

सभापति महोदय : मुझे काफी लम्बा अनुभव है, लेकिन इस तरह की जिद करना कि "मैं नहीं बैठूंगा" एक अजीब रवैया है । इस तरह की स्थिति में कोई कार्यवाही पर कैसे नियंत्रण रख सकता है ?

श्री आर० एल० भाटिया ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

विपक्षी दल के मेरे एक मित्र ने बताया है कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष 15 मिलियन टन गेहूं का आयात किया। यह गलत है। मैं आपके माध्यम से उनके इस कथन में शोधन करना चाहता हूं। यह केवल 15 लाख टन था, अर्थात् 1.5 मिलियन टन।

इसी तरह माननीय सदस्य श्री सारण ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इस देश में अनाज की मात्रा घटती जा रही है और भारत सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि उन्होंने मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ा होता तो सम्भवतया वह ऐसा नहीं चाहते। 1976-77 में देश में अनाज का कुल उत्पादन 111 मिलियन टन था। पिछले वर्ष यह 132 मिलियन टन था तथा इस वर्ष यह 134 मिलियन टन तक पहुंचने की सम्भावना है। यह सब भारत सरकार के प्रयत्नों के कारण ही है जिसने बेहतर बीज तथा सिंचाई की बेहतर सुविधाएं की हैं जिससे हम अधिक पैदावार कर सके हैं। यदि मैं पिछले पांच वर्षों के आंकड़े पढ़ूं तो वह इस बात से सहमत हो जाएंगे।

1977 में चावल का उत्पादन केवल 42 मिलियन टन था। लेकिन पिछले वर्ष, अर्थात् 1981 में, यह उत्पादन 53 मिलियन टन था। इसी तरह, 1977 में गेहूं का उत्पादन केवल 29 मिलियन टन था लेकिन पिछले वर्ष, 1981 में, यह उत्पादन 36.46 मिलियन टन हुआ। इससे यह पता चलता है कि भारत सरकार देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के भरसक प्रयत्न कर रही है, और यह इस सरकार के प्रयत्नों का ही फल है कि उत्पादन बढ़ता जा रहा है। यहां हमें यह भी उल्लेख करना होगा कि हम चीनी और कपास के उत्पादन को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन दालों के उत्पादन में हम पीछे हैं। 1977 में इनका उत्पादन 11.36 मिलियन टन था। लेकिन पिछले वर्ष यह घटकर 11 मिलियन टन रह गया। अतः दालों के उत्पादन के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि दालें इस देश का बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। क्योंकि हम सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अतः दालों के उत्पादन में हम पीछे क्यों रहें ? मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस देश के 68 करोड़ लोगों की मांग को पूरा करने के लिए मंत्री ने त्रि-पक्षीय नीति बनाई है—खरीद की नीति, भण्डारकरण की नीति, और वितरण की नीति। जहां तक खरीद की नीति का प्रश्न है, मुझे आश्चर्य है कि सभी अधिशेष खाद्यान्नों की खरीद क्यों नहीं की जाती ? गेहूं के मामले में, आपको पता चलेगा कि पिछले वर्ष 36 मिलियन टन में से केवल 6.59 मिलियन टन खरीद की गई। समान्यतया, बाजार में आने वाले कुल अनाज में से एक तिहाई अधिशेष के रूप में खरीदा जाता है और दो तिहाई किसानों को उनके उपभोग तथा बीज प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार, कुल का एक-तिहाई 12 मिलियन टन बैठता है। लेकिन केवल 6 मिलियन टन खरीदा गया। मुझे समझ नहीं आता कि बाकी 6 मिलियन टन व्यापारियों, काला बाजार और जमाखोरों के लिए क्यों छोड़ दिया गया, जो हमेशा स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे अनाज को जमा कर लेते हैं और केवल तभी बेचते हैं जब लाभ

काफी हो। इस देश में सूखा और अकाल एक आम बात है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि चोरबाजार तथा जमाखोर लाभ उठाते हैं। अत: मेरा सुझाव यह है कि सरकार को बाकी छह मिलिटन जो कि बाजार अधिशेष है, भी खरीद लेना चाहिए तथा अपने आरक्षित भण्डार को मजबूत बनाना चाहिए।

यह देखा गया है कि बाजार में फसल पहुंचने पर अनाज के भाव सबसे कम होते हैं तथा कमी वाले महीनों में यह भाव बढ़ता जाता है। यदि आप पिछले दो वर्ष के आंकड़े देखें तो मालूम हो जाएगा कि किसान सरकार की नीति की आलोचना ठीक ही करते हैं। बाजार में फसल पहुंचने के समय उन्हें 130 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया था। कमी के महीनों में गेहूं का भाव 160 रु० से 170 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। स्वाभाविकत: वे कष्टभोगी हैं। यदि आप बाजार में आने वाले सारे अधिशेष अनाज को खरीद लें तो यकीनन भाव में सन्तुलन होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मैं उठाना चाहूंगा। खरीद की नीति में एकरूपता नहीं है। आप इसे राष्ट्रीय नीति कहते हैं। वास्तव में, मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि यह नीति केवल पंजाब और हरियाणा में है अन्य राज्यों को खरीद की इस नीति में सहयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, में 1980-81 मे केवल 5 लाख टन की खरीद की गई और 1981-82 में भी केवल 5 लाख टन की खरीद की गई। एक अन्य बड़े राज्य मध्य प्रदेश में 1980-81 में खरीद नहीं के बराबर थी तथा 1981-82 में 1.64 मिलियन टन थी। अत: मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं क्या वह हमें यह बता सकेंगे कि खरीद की नीति में भेदभाव क्यों है, खरीद केवल पंजाब और हरियाणा में ही क्यों की जा रही है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं। इसके परिणामस्वरूप व्यापारी तथा अन्य लोग इस स्थिति का लाभ उठा रहे है।

देश भर में की गई कुल 6 मिलियन टन खरीद में से, मुझे गौरव है कि अकेले पंजाब ने केन्द्र के आरक्षित भण्डार में 3 76 मिलियन टन का योगदान दिया। ऐसा क्यों हैं ? इसका कारण यह है कि वहां एक कुशल सरकार है; वहां अच्छी सरकार है जो यह विश्वास रखती है कि उन्हें केन्द्र की सहायता करनी चाहिए। यह इस तथ्य के कारण हैं कि खरीद की हमारी अत्यधिक कुशल प्रणाली है। खरीद की प्रणाली अन्य राज्यों में क्यों नहीं है ? केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इसे तेज करे। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री यह कहेंगे कि राज्य एजेंसियां अनाज खरीदती हैं। भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, जिसे उन्होंने बनाया है ? जहां कहीं भी कोई राज्य सरकार अनाज की खरीद करने में असफल रहती है, वहां भारतीय खाद्य निगम उस कमी को पूरा करता है। अत: मैं चाहता हूं कि वह खाद्यान्न की बेहतर खरीद के लिए प्रशासन को तेज करें।

अब मैं चावल के बारे में बोलूंगा। इसका भी वही हाल है। पिछले वह कुल 5.3 करोड़ टन पैदा हुए चावलों में, उन्होंने केवल 60 लाख टन चावल की खरीद की। जरा सोचें, यह कितना कम है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। उन्होंने केवल 5 लाख टन चावल खरीदा। मध्य प्रदेश में उन्होंने 3 लाख टन चावल खरीदा। लेकिन पंजाब जैसे छोटे राज्य ने जिसके सिर्फ

12 जिले हैं, केन्द्र को 30 लाख टन चावल दिया, जो कि भारत के सारे राज्यों से प्राप्त मात्रा का लगभग 50% है। इसलिये, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे जो राज्य वसूली में अनाज दे रहे हैं उनके साथ भेदभाव न बरता जाये। आप उन राज्यों को, जो वसूली कर रहे हैं और उसे उच्च मूल्य पर बेच रही हैं, कुछ छूट दे रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या हम पंजाब से वसूली बंद कर दें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह नही कहता हूं। मैं अपने सुझावों की ओर आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट उत्तर दें।

जहां तक भंडारण का प्रश्न है, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मसला है, इससे मूल्यों में सुनिश्चिता बनी रहती है और साथ ही साथ हमारी उचित दर दुकानों से सप्लाई भी सुनिश्चित रहती है। कुछ समय पहले एक तकनीकी दल ने सुझाव दिया था कि हमारा आरक्षित भण्डार 1.2 करोड़ टन का होना चाहिये। अब छठी पंचवर्षीय योजना में 1.5 करोड़ टन का सुझाव दिया गया है। मेरा विचार है कि यह बहुत कम है। अन्य देशों में हम पाते हैं कि एक वर्ष की कुल खपत के बराबर आरक्षित भण्डार में रखा जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ में भी यही परिपाटी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे भी इसी नीति का अनुसरण करें और उचित दर दुकानों को सप्लाई देने के बाद कम से कम 200 लाख टन अनाज केन्द्रीय आरक्षित भण्डार में रखें।

अनाज वितरण करने के लिये हमारे यहां 2.98 लाख उचित दर दुकानें हैं। पिछले वर्ष हमने 1 3 करोड़ टन अनाज वितरित किया था, जिसके फलस्वरूप हमारा आरक्षित भण्डार 1.1 करोड़ टन रहा गया। इसलिये शायद उन्होंने अनाज का आयात किया था। इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ज्यादा वसूली करके आरक्षित भण्डार में वृद्धि की जानी चाहिये। इससे हमको सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। क्योंकि भारत एक गरीब देश है और यहां अक्सर सूखा और बाढ़ आती रहती हैं, इसलिये जरूरत के समय, यह आरक्षित भण्डार हमारे लिये बहुत उपयोगी होगा।

यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व राजनीति में अनाज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कई देश अनाज की मांग कर रहे हैं और जिन कुछ लोगों के पास यह है वे इसे दे नहीं रहे हैं। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिये यह एक सही अवसर है। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जिसका क्षेत्रफल इतना अधिक है, जिसके पास काफी जनसंख्या है और जहां काफी बेरोजगारी है, हम निश्चित रूप से अनाज का उत्पादन 15 करोड़ टन तक बढ़ा सकते हैं। फालतू अनाज का हम निर्यात कर सकते हैं। इस समय भारत को तेल के मूल्यों के कारण विदेशी मुद्रा की कमी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और हम इसको अनाज निर्यात करके पूरा कर सकते हैं। इसलिए यह इस मन्त्रालय की जिम्मेवारी है कि वह ज्यादा सिंचाई, ज्यादा सुविधायें जुटाये, जिससे कि कम से कम अनाज का उत्पादन 15 करोड़ टन तक बढ़ाया जा सके।

अब मैं पंजाब के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा पंजाब ने केन्द्रीय आरक्षित भण्डार में 50% शायद इससे भी अधिक, योगदान दिया है। मन्त्री महोदय ने मेरे से पूछा है कि "क्या हम वहां से वसूली न करें ?" मैं कहता हूं कि आप पंजाब के किसानों को बोनस क्यों नहीं अदा करते, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से और आपके आदेशों का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार की तिजोरियां भरी हैं। आप पंजाब के किसानों को बोनस क्यों नहीं देते ? यदि आप उनको बोनस देंगे तो वे और अधिक उत्पादन करेंगे, और आप तो स्वयं ही किसान हैं। हम आपकी ओर देख रहे हैं कि आप भारत के किसानों की मदद के लिए आगे आयेंगे। आपने मूल्यों को 142 रु० प्रति क्विंटल किया है जो कि बहुत कम है। आधारभूत ढांचा इतना अधिक महंगा है। आप देखिए कि उर्वरकों एवं अन्य सभी समानों के भाव काफी बढ़ गये हैं। इसलिए आयोग द्वारा सुझाये गये 142 रु० की बजाये, हम आपसे आशा करते थे, क्योंकि आप किसानों की मुश्किलों को अच्छी प्रकार से समझते हैं कि वे किन परिस्थितियों में उत्पादन कर रहे हैं। आपको कम से कम 150 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे देने चाहियें। मैं आपसे मांग करता हूं कि गेहूं के भाव 142 रु० की बजाय कम से कम 150 रु० घोषित किये जायें···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया—मैं भी आपका समर्थन करता हूं। इस उत्पादकता वर्ष में, अगर आपका सुझाव मान लिया जाता है तो इससे किसानों का हौसला बुलन्द होगा, खासकर पंजाब के किसानों का।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब में अधिकाधिक लोग गन्ने की खेती करने लगे हैं और काफी गन्ना अभी भी खेतों में खड़ा है, जबकि चीनी कारखाने बन्द होने लगे हैं। यह एक भारी राष्ट्रीय क्षति है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम पंजाब में 6 चीनी मिलों के लिए लाइसेंस मंजूर करें, ताकि राज्य अपना लक्ष्य पूरा कर सके।

आखिर में, मैं आपसे अनुरोध और पुरजोर मांग करता हूं कि देश के, और खासकर उन राज्यों के किसानों को, जहां वसूली लक्ष्य पूरा हो चुका है, बोनस दिया जाये। आखिर में मैं कम से कम आपसे आशा करूंगा कि आप पंजाब सरकार को धन्यवाद देंगे कि उसने इतने सुचारू ढंग से कार्य किया कि उसने केन्द्रीय आरक्षित भण्डार में 50% से अधिक योगदान दिया।

***श्री इ० के० इम्बीचीबावा** (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर जहां सदन कृषि मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहा है, वहां मैं सरकार का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत मुख्यत: एक कृषि प्रधान देश है, आज देश के किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है। मुख्य कारण है उनको उपज के उचित दाम नहीं मिलते हैं। सभी राज्यों में यह समस्या समान रूप से है।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उसने समय रहते किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान न दिया तो वे किसानों के आक्रोश से बच नहीं पायेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे किसानों को उचित मूल्य क्यों नहीं दे रही है। हमें इस पर गम्भीरता से

*मन्त्रालय में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विचार करना चाहिए। यह सरकार आवश्यक खाद्य-वस्तुओं के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सही राष्ट्रीय नीति नहीं तय कर पायी है। वे ऐसी नीति पर चल रही हैं, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य न मिल पाये और दूसरी ओर पूंजीवादियों को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे कि वे और फल-फूल सकें। उनके दबाव में आकर सरकार ऐसी नीतियों पर चल रही है, जिससे अततः किसानों का अहित हो। मैं अपने कथन की पुष्टि के लिये केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह एक सर्वविदित है कि केरल की मुख्य फसल नारियल है। केरल देश की कुल नारियल उत्पादन का 70% पैदा करता है। एक समय था जब नारियल के भाव ऊंचे थे, जिसके फलस्वरूप किसानों को नारियल की फसल पैदा करने के लिये प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन केन्द्र सरकार की आयात नीति की वजह से केरल के नारियल उत्पादकों की कमर टूट गई है। नारियल का तेल आयात कर, सरकार द्वारा बहुत गलत कदम उठाया गया था। हम केन्द्र में सम्बन्धित मन्त्री और प्रधान मन्त्री से मिले, ताकि नारियल के तेल के आयात को रोका जा सके। हर दफा, जब हम उनसे मिलते थे तो उन्होंने कहा कि आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि बम्बई और कोचीन बन्दरगाहों पर नारियल का तेल उतारा जा रहा है। श्रीमन्, क्या आप जानते हैं कि देशी बाजार में इसकी वजह से नारियल के भाव कितने गिर गये हैं। 500 रु० प्रति हजार नारियल की दर से भाव गिरे हैं। इसकी वजह से करल के किसानों को 1,500 करोड़ रु० की हानि हुई है। जब किसानों को जो देश के लिए दौलत पैदा करता है, इतनी अधिक हानि होगी, तो देश का क्या होगा? ये किसान कौन हैं? वे टाटा, बिड़ला नहीं हैं। उनमें से 60% के पास 10, 20 प्रतिशत या ½ एकड़ हेक्टेयर भूमि भी नहीं है। सरकार द्वारा अपनायी गई गलत गई नीतियों की वजह से, उनको मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है। आयात के लिए अनुमति दी जाती है और समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयात में, आयात शुल्क सम्बन्धी सभी नियमों को ताक पर रखा जाता है। यह समस्या सिर्फ नारियल तक ही सीमित नहीं है। कोको का उदाहरण लें। भारत सरकार ने स्वयं केरल के किसानों को कोका की खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। भारत में कोको के खरीददार कौन हैं? बहुराष्ट्रीय कम्पनी, कैडबरी इसकी सबसे बड़ी खरीददार है। उनकी फिलिपिन्स, और कुछ अन्य देशों में अपनी फैक्टरियां हैं। उन्होंने कोको के दाम कम करने के लिए पूरे प्रयास किये। उनके दबाव में आकर, भारत सरकार ने कोको का आयात आरंभ कर दिया, और जिसके फलस्वरूप कोको-उत्पादकों को करोड़ों रु० की हानि उठानी पड़ी। रबड़ के मामले में भी यही स्थिति है। **(व्यवधान)**

अगर हम देश में उत्पादित सभी बड़ी, व्यापारिक फसलों को लें। हम पायेंगे कि सरकार की नीतियों की वजह से कृषि क्षेत्र में तबाही ला दी है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सरकार काली मिर्च का भी आयात करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप देश के आर्थिक विकास को कैसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की उपेक्षा करते हुए कि भारत में सभी आर्थिक विकासों का आधार कृषि है। कुछ एकाधिकार औद्योगिक घरानों को पनपने देने और योजनाबद्ध तरीके से विशाल कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की सरकार की यह एक पूर्णतः संकीर्ण दृष्टिकोण गलत और राष्ट्र विरोधी नीति है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान स्थिति पैदा हुई है। मैं तो सरकार से केवल इतना

ही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्द वह इस नीति का त्याग कर दे उतना ही देश के लिए अच्छा है।

मत्स्य विभाग के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। केरल के समुद्री उत्पादकों से देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसमें हम सभी की दिलचस्पी होनी चाहिए। अपने 21 माह के शासन काल के दौरान, पिछली नायनार सरकार ने इस क्षेत्र की भलाई के लिए काफी कुछ किया है। उस सरकार ने केरल के तटवर्तीय क्षेत्र में मछेरों के लिए 124 सरकारी समितियां बनाई और इस तरह मछेरों की सहायता के लिए ईमानदारी से कोशिशें कीं। समितियों को उचित तरीके से कार्य करने के लिए सभी सम्भव प्रबन्ध किये गये। और जब निर्णायक मत सरकार सत्ता में आयी तो इन सभी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया और यहां तक कि इन समितियों की देखभाल के लिए नियुक्त अधिकारियों को भी हटा लिया गया। यही नहीं पिछली नायनार सरकार ने एक जीवन बीमा योजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत अगर समुद्र में मछली पकड़ते हुए किसी मछेरे की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को 10,000 रु० मिलेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि इस योजना के बदले दूसरी व्यवस्था की जा रही है जो कि काफी विलम्बकारी और समय लेने वाली होगी और जिसस लाभार्थी को समय पर लाभ नहीं पहुंचेगा। श्रीमान्, आप उस गरीब मछेरे परिवार की हालत का अन्दाज लगा सकते हैं, जिसके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। पिछली सरकार ने बेपुर, कासरगोड, अजीकल, पोनानी कोडुन्गल्लुर आदि स्थानों पर मछली पकड़ने की (फिशिंग) पत्तन बनाने का काम भी शुरू किया था। 1968 में इन्डो-पोल क० ने इन पत्तनों की विकास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया था तथा रिपोर्ट दी थी। लेकिन इन सबका क्या हुआ? श्रीमन, इन पत्तनों का विकास बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में, मैं आपका ध्यान इसके समान एक अन्य महत्वपूर्ण पत्तन की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका विकास किया जाना है। वह मिदनापुर है। हाल ही में जब मैंने इस जगह का दौरा किया, तो वहां के मछेरों ने वहां पत्तन बनाने की शीघ्र अत्यावश्यकता पर जोर दिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर भी विचार करें।

मैं अब, भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हम सबको यह जानना चाहिए कि यह निगम कैसे चल रहा है। यह निगम इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले अथवा एक तरह से या अन्य ढंग से इससे सम्बन्ध रखने वाले कामगारों के अधिकारों के बारे में गलत रवैया अपना रहा है। उदाहरण के तौर पर केरल राज्य के कुट्टीपुरम् स्थान में निगम द्वारा माल उतारने व चढ़ाने वाले कामगारों से भविष्य निधि अंशदान इकट्ठा किया गया था, लेकिन कई वर्षों के बाद भी ये धनराशि जमा नहीं की गई हैं। भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष एक मामला आया है और उन्होंने भविष्य निधि की धनराशि को शीघ्र जमा करने का आदेश दिया है। यह धनराशि कामगारों द्वारा बड़ी मेहनत से कमाई है और निगम को इसे रोकना नहीं चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे निगम को कामगारों की इस धनराशि को समस्त ब्याज सहित जमा कराने के लिए शीघ्र निर्देश जारी करें। इस सरकार को यह दावा करने का क्या अधिकार है कि हमारा राज्य एक जनकल्याणकारी राज्य है जबकि वे अपने खुद के कामगारों को न्यूनतम सुविधाएं भी सुनिश्चित नहीं कर सकती ताकि वे आदमी की तरह जीवन बिता सकें।

महोदय, काफी केन्द्रीय मंत्री, जिनमें श्री स्टीफन भी शामिल थे, केरल का दौरा करते रहते हैं। कोई भी आदमी उनसे यह आशा करेगा कि वे राज्य के हितों से सम्बन्धित प्रमुख मामलों के सम्बन्ध में जनता की शिकायतों की जांच करें। लेकिन इस प्रकार का रुख अपनाने की बजाए वे वहां केवल भ्रम पैदा करने आते हैं। केरल के लोग आज प्रमुख रूप से उनके द्वारा जनता के मामलों के बारे में अपनाए गए नकारात्मक तथा मदद करने के रुख से दुःखी हो रहे हैं। चाहे यह रबड़, चाय, कोकोआ का प्रश्न हो अथवा नारियल का, उनकी गलत नीतियों ने केरल की समस्त अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। अतएव, मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को अब तक लागू सभी गलत नीतियों को समाप्त कर देना चाहिए और केरल की जनता की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शतीश प्रसाद सिंह (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है। कृषि की उपज में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। देश के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। गौर से देखने पर हमको पता चलता है कि कृषि अनुसन्धान के कार्यों में तथा कृषि शिक्षा के कार्यक्रम में हम जितना आगे बढ़े हैं, उस हिसाब से कृषि प्रसार में हम आगे नहीं बढ़े हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि किसान 25-30 प्रतिशत कृषि सम्बन्धी आधुनिक तकनीक को जान पाए हैं। इस हिसाब से हमारे देश में जो दो-तीन गुना कृषि की उपज बढ़ सकती है वह नहीं बढ़ पाई है। किसानों के बीच में जो कृषि सम्बन्धी तकनीक का प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो सका है। मैं खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे देश में कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य हुए हैं तथा जो शिक्षा दी गई है उसका प्रसार हर जगह होना चाहिए ताकि हमारी उपज दो-तीन गुना बढ़ सके।

दूसरी बात यह है कि 1951 से देश में सामुदायिक विकास योजना लागू थी और उसके लागू होने से देश में कुछ काम भी हुआ। जिस ढंग से काम हो रहा है, उसमें कुछ शिथिलता आई है। हमने जन सेवकों को कृषि का प्रशिक्षण दिया था और वह जो कार्य कर रहे थे उस समय सरकार के द्वारा यह अनाऊन्स किया गया था कि ये जो जन सेवक हैं उनकी तरक्की होगी और कृषि विभाग में वे अच्छी से अच्छी जगहों पर जा सकते हैं। इसलिए उस समय उनके मन में अच्छा काम करने की भावना बहुत ज्यादा थी और शुरू के वर्षों में उन्होंने काम भी अच्छा किया लेकिन उसके बाद काम में शिथिलता बढ़ती जा रही है और उसका कारण यह है कि उनके प्रोमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है। वे जन सेवक ही वर्षों तक बने रहते हैं जिसकी वजह से जो उत्साह उनके मन में पहले था, वह अब नहीं रह गया है और काम में ढिलाई बढ़ गई है।

एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृषि के जो कार्यकर्ता गांवों में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह कम मिलती है मुकाबले उन लोगों के जो शहरों में काम करते हैं। शहरों में जो काम करते हैं उनकी पे एण्ड एलाऊन्सेज ज्यादा हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो गांवों में काम करने वाले हैं, उनको भी उतनी पे और एलाऊन्सेज मिलने चाहिए जितना कि शहर में रहने वालों को मिलते हैं ताकि गांवों में जाने के लिए लोग तैयार रहें। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर गांवों में लोग अपनी पोस्टिंग नहीं कराना चाहते और अगर पोस्टिंग हो भी जाती

है, तो फिर वहां मन से काम नहीं करते और पैरवी करा कर अपनी बदली कराना चाहते हैं। ऐसी हालत में गांवों का जो विकास होना चाहिए, वह अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि गांवों में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका वेतन ज्यादा होना चाहिए उनके कम्पेरीजन में जो शहरों में काम करते हैं और जिनको सब सुविधाएं प्राप्त हैं। उनको जो एलाऊन्सेज मिलते हैं, वही गांवों में काम करने वालों को मिलते हैं क्योंकि गांवों में उन लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको वहां पर रहने के लिए मकान नहीं मिलता है और दूसरी बहुत सी परेशानियां हैं। ऐसी हालत में उनको ज्यादा एलाऊन्सेज मिलने चाहिए।

जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है जो अनुसंधान हम करते हैं, साइंटिस्ट्स जो नये बीज निकालते हैं और जो खेती के नये नये तरीके निकाले जाते हैं, उनके बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। बीच बीच में किसानों को लगातार प्रशिक्षण मिलते रहना चाहिए ताकि वे नई-नई चीजों से अवगत रहें और उसके अनुसार खेती करें क्योंकि आजकल खेती कोई साधारण बात नहीं रह गई है और अब यह एक महंगा उद्योग हो गया है। बड़े किसान तो किसी तरह से अपना काम चला लेते हैं लेकिन जो छोटे किसान हैं, वे इसका रिस्क लेने को तैयार नहीं कि वे कोई चीज करें और उसका रिटर्न उनको न मिले। ऐसी हालत में प्रशिक्षण बराबर मिलना चाहिए और जो नये-नये अनुसंधान हों, जो नई चीजें निकलें और जो नये तरीके निकलें, उनसे उनको अवगत कराते रहना चाहिए।

1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी कि जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रत्येक जिले में दो केन्द्र ऐसे खुलने चाहिए और 2000 ई० तक एक जिले में ऐसे तीन-तीन केन्द्र खुलने चाहिए ताकि ज्यादा अनुसन्धान हो सके लेकिन अभी जो कृषि विज्ञान केन्द्र खुले हैं, वे 30-30 ही खुले हैं और किसान प्रशिक्षण केन्द्र जो हैं, उनकी संख्या सारे मुल्क में 150 थी जो अब घटकर 141 रह गई है। बढ़ने की बजाए, वे घट गये हैं। इस तरह से किसानों को ट्रेनिंग देने का जो रुचि बढ़नी चाहिए थी, वह कम हो गई है। मेरी समझ में इसका एक मुख्य कारण यह है कि सेन्टर जो पैसा देती है, वह 50 परसेन्ट ही देती है और बाकी 50 परसेन्ट पैसा स्टेट्स को देना पड़ता है और स्टेट्स इतना इन्ट्रेस्ट नहीं ले रही हैं। कृषि जो है, वह एक राष्ट्रीय सवाल। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 50 परसेन्ट पैसा खास किसानों के प्रशिक्षण के लिए देते हैं और उतना ही पैसा स्टेट्स से लेते हैं, तो जिस समय बजट में स्टेट्स को पैसा आप एलोकेट करते हैं, उसी समय यह इयरमार्क कर देना चाहिए कि इतना पैसा इस प्रोग्राम के लिए है जैसा कि आई० सी० ए० आर० के लिए करते हैं। इस ढंग से करने से यह जो आपकी स्कीम है, इसमें आप पूर्ण रूप से सफल होंगे और किसानों को फायदा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो राष्ट्रीय खेती आयोग की अनुशंसा है उस पर ध्यान दिया जाए और उसको बढ़ाया जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना में कम से कम चार सौ कृषि विज्ञान केन्द्र होने चाहिए थे लेकिन अभी तक सारे देश में केवल 30-35 केन्द्र ही खुले हैं। यह भी अनुशंसा है कि दो हजार ईस्वी तक प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की संख्या तीन और सारे देश में 1200 हो जानी चाहिए। इसी प्रकार आयोग की यह भी रिपोर्ट है कि किसान प्रशिक्षण केन्द्र सारे देश में खोले जाने

चाहिए। ये केन्द्र अभी तक 150 खोले गए थे लेकिन उनमें से भी अब 141 केन्द्र ही रह गये हैं। इसलिए मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और आयोग की रिपोर्ट में दी गई अनुशंसा पर कार्य करें।

नार्थ ईस्टर्न जोन एक पहाड़ी एरिया है। उसमें आई० सी० ए० आर० वे बहुत सी स्कीम शुरू की हैं और अच्छी स्कीम शुरू की हैं। लेकिन वहां के लोग उनमें रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां का सिचुएशन कुछ दूसरा सिचुएशन है जिससे वहां के रहने वालों को उनमें काफी दिक्कत होती है। वहां के लोगों को हार्टिकल्चर में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसमें कि वे बहुत तरक्की कर सकते हैं। इस तरफ भी मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए।

एक बात की ओर मैं और इशारा करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान में फार्म के काम में लगभग आधी औरतें काम करती हैं। इसलिए जहां भी शिक्षा और ट्रेनिंग देने का सवाल हो उसमें लेडीज के लिए 50 परसेंट नहीं तो जितना अधिक से अधिक हो सके उनके लिए रिजर्वेशन करना चाहिए।

अभी जो हमारी देहात में शिक्षा चल रही है उस शिक्षा में एग्रीकल्चर के, कृषि के सम्बन्ध में कोई पढ़ाई नहीं होती है और जो लड़के मैट्रिक फेल कर जाते हैं या पास कर जाते हैं उन्हें गांवों में ही रहना पड़ता है और उनमें कृषि के सम्बन्ध में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। मेरा सुझाव है कि देहातों के प्रत्येक हाई स्कूल में बी० एस-सी० एग्रीकल्चर शिक्षक बहाल करने चाहिएं ताकि वे देहातों के विद्यार्थियों को बता सकें कि खेती के बारे में विज्ञान ने क्या-क्या तरक्की की है और खेती में वे लोग किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। इस तरह से अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो कृषि के सम्बन्ध में जानकारी होने से वे अपना कृषि का धन्धा अच्छी तरह से कर सकेंगे और इससे हमारी कृषि भी आगे बढ़ेगी।

सन् 1976-77 में इण्डो बल्गेरिया एग्रो इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स खोले गए। एक बिहार में और एक कर्नाटक में खोला गया। यह काम्पलेक्स बहुत अच्छा है। इसमें वेजीटेबल और फ्रूट्स की मार्किटिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग का काम होना था, ऐसे काम्पलेक्स बल्गेरिया जैसे छोटे से देश में 170 हैं जबकि हमारे इतने बड़े देश में तो ये हजारों की संख्या में होने चाहिए थे। लेकिन ये जो काम्पलेक्स खुले थे इनका भी क्या हुआ, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं हो सकी है। मंत्री जी इसकी तरफ भी ध्यान दें। यह एक बहुत अच्छी स्कीम है। इन काम्पलेक्स को चलाया जाना चाहिए और नये काम्पलेक्स खोलने चाहिएं। मन्त्री जी इस पर ध्यान दें और यह बताएं कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

मेरा क्षेत्र खगरिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कोसी और गंगा के बीच में है। एक तरफ उसके कोसी है और दूसरी तरफ गंगा है। वहां बाढ़ का भी प्रकोप रहता है इसके लिए कुछ इन्तजाम भी किया गया है। वहां केले की खेती होती है, वहां मछली बहुत ज्यादा होती है और मक्का भी बहुत ज्यादा पैदा होती है। दूध भी काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। अगर इन सब चीजों की वहां एग्रो बेस्ट इण्डस्ट्री लगायी जाएं तो वहां के लोगों का काफी फायदा हो सकता है।

इसके सिवाय वहां के लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिखा भी था और मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसका सर्वे कराएं और उस सर्वे की अनुशंसा के आधार पर वहां एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज खुलवाने की कोशिश करें।

इतना कहकर मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, यह बात सर्वमान्य है कि कृषि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की आज भी रीढ़ है और यदि हिन्दुस्तान में खेती और खेती करने वालों की हालत नहीं सुधरेगी तो यह देश गरीब रहेगा और इस देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता खत्म नहीं हो सकती। आज दुर्भाग्य की बात है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश में किसानों की आर्थिक हालत सबसे ज्यादा खराब है। आज अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो किसान की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। भाटिया जी ने हरियाणा और पंजाब के किसानों की चर्चा की पर उनको भी मालूम है कि पंजाब और हरियाणा का किसान दूसरे प्रदेशों के किसानों की अपेक्षा ज्यादा उन्नत, ज्यादा अमीर और ज्यादा आधुनिक खेती करने वाला होने के बावजूद 90 फीसदी किसान कर्जे से दबा हुआ है। देश के विभिन्न भागों में किसान 90 फीसदी कर्जे से दबे हुए हैं। खास तौर से ऐसे किसान जिनके पास 2-3 एकड़ से कम जमीन है, उनकी हालत बिल्कुल एक खेतीहर मजदूर की श्रेणी के बराबर है। छोटे किसान और खेतीहर मजदूर दोनों की हालत बहुत खराब है।

श्री सुन्दर सिंह : काम नहीं करना चाहते।

श्री चन्द्रजीत यादव : काम करने के बावजूद, आप अगर पंजाब में जाकर देखें तो 90 फीसदी किसान कर्जे के बोझ से दबा हुआ है। काम करने वाला किसान।

श्रीमन्, अभी जो कीमत दी जा रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में खेती के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं, जैसे—फर्टीलाइजर, डीजल, ट्रेक्टर, सीमेंट और दूसरे सामानों के दाम जिस रेट से बढ़े हैं, उसकी अगर औसत निकाली जाए तो उस औसत से सरकार ने किसानों को न तो गन्ने की कीमत दी है और न गेहूं चावल, सरसों, चने आदि की कीमत दी है। इसकी वजह से किसानों में गहरा असंतोष है। मेरी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि सरकार किसानों के साथ इन्साफ नहीं करती। जब तक किसान आंदोलन नहीं करता, लड़ने के लिए मजबूर नहीं हो जाता, तब तक उसको उचित दाम नहीं मिलता। पिछली बार गन्ने का दाम 13 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था और जब सारे देश में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और जब आंदोलन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शुरू हो गया तो उसके डर से फिर सरकार ने 20 रुपए प्रति क्विंटल कीमत दी, लेकिन यह कीमत उसको पहले दे दी जानी चाहिए थी। मुझे कृषि मंत्री महोदय एक भी उदाहरण दे दें इस देश में कारखाने के मालिक, उद्योगपति कभी अपनी कीमत के लिए आंदोलन करते हों, कभी वे भी अपने कारखाने बंद करते हों? उसके बिजली का दाम, मजदूरों की तनख्वाह, डीजल के दाम बढ़ने से उसका जो उत्पादन का रेट बढ़ता है, उस रेट से सरकार बिना किसी आंदोलन के उसका मुनाफा बढ़ा देती है लेकिन एक किसान ऐसा है जो इस देश की रीढ़ होते हुए, जब तक लड़ता नहीं है और सरकार को मजबूर नहीं करता, तब तक

सरकार उसके साथ न्याय नहीं करती। जो 142 रुपए गेहूं का दाम निर्धारित हुआ वह इस बात का सबूत है। बोने से पहले सरकार को दाम घोषित करने चाहिए।

किसान के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के दाम 31 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं और उसका रेट बढ़ाया गया है 22 फीसदी के करीब। किसानों के साथ यह नाइंसाफी क्यों ? मैं यह बात कृषि मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्रीमन्, इस देश में सिर्फ 25 फीसदी गांवों में बिजली पहुंची है और 80 फीसदी गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं 90 फीसदी गांवों में अस्पताल नहीं हैं। गांवों में किसान रहते हैं। आज इस देश में 35-40 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनमें से 90 फीसदी आदमी गांवों में रहते हैं। वे या तो खेती करते हैं या खेतीहर मजदूर हैं या छोटे दस्तकार हैं। जब तक हम गांव में रहने वालों की हालत नहीं सुधारेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारेंगे, तब तक हिन्दुस्तान एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश बना रहेगा—इस बात को सरकार को मानना चाहिए। आज उद्योगों और कारखानों में जो सामान तैयार होता है उसके दामों के बारे में सरकार की एक नीति है और खेत में पैदा होने वाले सामान के बारे में दूसरी नीति है। मेरी मांग है कि एग्रिकल्चर प्राइस कमिशन को समाप्त कर दिया जाए और राष्ट्रीय प्राइस एंड प्राफिट कमिशन बनाया जाना चाहिए और वह एक तरह से, एकरूपता कीमतों के अन्दर लाए फिर चाहे वह कारखानों का सामान हो, उद्योगों द्वारा तैयार किया गया सामान हो या खेती में पैदा किया गया सामान हो, और एक ही तरह का मुनाफा, एक ही तरह की कीमत लागत मूल्य जोड़ कर तय करे और इन सभी को वह मिले।

मेरी यह भी मांग है कि भूमि सुधारों को सख्ती से लागू किया जाए। आज हदबन्दी नहीं हो रही है। आज भी देश में लाखों किसान हैं जिनके पास सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जबकि दूसरे किसानों की हालत खराब है। जापान में 99 परसेंट किसानों के पास दो एकड़ से भी कम भूमि है लेकिन हमसे वे छः गुना पैदा करते हैं और मेहनत करते हैं। वे इंटेंसिव खेती करते हैं। छः गुना ज्यादा वे पैदा करते हैं। हमारे यहां भी किसानों को सुविधायें दी जानी चाहिये।

आज भी पन्द्रह करोड़ ज्यादा रुपया किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया है। अगर यही हालत रहेगी तो दो सौ करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों का चीनी मिलों की तरफ बकाया हो जाएगा जो वे नहीं दे पायेंगी। अगर यही नीति सरकार की चलती रही और किसान को गन्ने के दाम नहीं मिले और वे बकाया रहते रहे तो अगले साल मैं वार्न करता हूं कि सरकार को चीनी का आयात करने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। आज कपास की कीमत किसानों को पूरी नहीं मिल रही है। यही हालत रही तो आपको 1983 में कपास का भी आयात करना पड़ेगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब किसान को उसकी पैदावार के उचित दाम नहीं मिलते हैं, दाम उसको कम देते हैं तो कर्जे से लदा होने के कारण देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको 1983 में चीनी और कपास दोनों का आयात करन पड़ेगा और इस कारण से देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको चाहिये कि आप अपनी नीति को बदलें।

आज भी भारत के आधे से अधिक किसानों की पैदावार का जो एवरेज होता है वह दुनिया में सबसे कम है। एक पैरा मैं कोट करना चाहता हूं। हमारे देश के दो जाने माने अर्थशास्त्रियों भल्ला और अलघ ने अपने अध्ययन की बुनियाद पर कहा है :

> "यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि यहां तक कि अब भी लगभग आधा क्षेत्र, जो भारत को लगभग आधा उत्पादन दे रहा है, अब भी औसत उत्पादकता की श्रेणी में आता है और लगभग एक तिहाई क्षेत्र, जो उत्पादन का लगभग 1/5 वें भाग उत्पादन करता है, अभी भी सबसे निम्न श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त, उच्च विकास (लगभग 4.5 प्रतिशत) केवल 17 प्रतिशत जिलों तक सीमित है। कैलिफल का 10 प्रतिशत और 25 प्रतिशत जिलों में एक प्रकार न के बराबर विकास हुआ है।"

इस साल आप 134 मिलियनटन टन पैदावर का अन्दाजा लगाते हैं। लेकिन पिछले सालों को आप देखें। जिस साल पानी कम बरसा, सूखा हुआ हमारी पैदावार गिर गई। बुनियादी तौर पर आज भी हम प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। आप सिंचाई को बढ़ाएं। बिजली का रेट बढ़ाने के बजाय उसको पूरी बिजली दें। उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। जिस तरह से-- कारखानेदारों को उनका मुनाफा लगा कर आप कीमत देते हैं दूसरी चीजों की कीमतों के साथ जोड़ कर उसको कीमत देते हैं उसी तरह से आप किसान को भी दें। गांवों के विकास के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें। इससे देश में गरीबी की समस्या, विषमता की समस्या और गरीबों की समस्या भी हल होगी।

जो कीमत आपने गेहूं की घोषित की है उसके ऊपर आप पुनर्विचार करें। आप दिल्ली के, हरियाणा के बाजारों में चले जाएं। आज भी वहां 185-190 रुपये क्विंटल पर गेहूं बिक रहा है। आपने 142 रुपये कीमत घोषित की है। बाजार में जो दाम हैं उस हिसाब से कम से कम 180-185 रुपये तो आपको किसान को देने चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री इन बातों पर ध्यान देकर किसान विरोधी नीति को बदलेंगे और ऐसी नीति बनाएंगे जिससे गांवों का और देश का कल्याण हो।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : महोदय, मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय से एक निर्णय चाहता हूं। हम हर समय विरोध पक्ष की ओर से शोरगुल सुनते हैं : "हम किसानों के शुभचिन्तक हैं।" किसानों के बारे में चर्चा के दौरान, महोदय, कृपया यह देखने का कष्ट करें कि विरोध पक्ष की ओर कितने सदस्य बैठे हैं और हमारी तरफ कितने सदस्य बैठे हैं। अनुपात ले लीजिये। मैं आपसे निर्णय चाहता हूं। ये लोग किसानों के समर्थन में ज्यादा चिल्लाते हैं : हम किसानों के लिए ज्यादा करते हैं।

महोदय, किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है; लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, आप नहीं जानते यद्यपि वे यहां नहीं हैं, उनके हृदय हमेशा किसानों के साथ रहते हैं।

श्री राजेश पायलट : पहला मुद्दा यह है कि कृषि मूल्य आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। (व्यवधान)। मैं माननीय मंत्री महोदय से कृषि मूल्य आयोग के गठन को फिर से कायम करने का अनुरोध करूंगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसका पुनः गठन करें। इसमें कुछ और किसानों को शामिल किया जाये।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि सरकार ने किसानों के लिए जो भी नीति बनाई है वह ठीक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे एक मानीटरिंग सैल स्थापित करें और विशेष दस्ते द्वारा आकस्मिक जांच कराएं और यह पता लगाएं कि उनकी नीतियों का किस हद तक पालन किया जा रहा है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा; मैं अभी एक अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। जो सरकार आज सत्ता में है वह अच्छी तरह जानती है कि किसानों के अधिक हित किसमें हैं लेकिन मैं केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे जो भी नीतियां बनाएं उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए और कार्य की मानीटरिंग तथा प्रतिपुष्टि होनी चाहिए अर्थात इतना कार्य किया गया है और इतना काम नहीं किया गया है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सदन को यह आश्वासन दें कि नीतियों को 100 प्रतिशत कार्यान्वित किया जाएगा। धन्यवाद।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर हुई इस चर्चा में इतनी अधिक रुचि दिखाई है। मेरे लिए माननीय सदस्यों द्वारा इस चर्चा के दौरान, जो 10 घंटे से भी अधिक समय तक चली है, उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा, लेकिन मैं माननीय सदस्यों के बीच उत्पन्न कुछ गलतफहमियों तथा गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा।

मुझे बेहद खुशी है कि विशेष रूप से किसानों तथा ग्रामीण जनता की दशा को सुधारने तथा इस देश की कृषि का आधुनिक तरीकों से विकास करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उनकी इस दिन में आम सराहना की गई है। सारा देश एक कृषि प्रधान देश है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार भली-भांति जानती है कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। वे परिश्रमी हैं। उन्होंने देश को बहादुर सिपाही दिए हैं। ये ही वे लोग हैं जिन्होंने शताब्दियों से इस राष्ट्र को जीवित रखा है। वे ईमानदार भी हैं। उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वे कालाबाजारी नहीं करते हैं, वे जमाखोरी नहीं करते हैं। सरकार की कामना यह है, और इस सदन के सभी अध्यक्षों ने भी यही कहा है कि इस देश के किसानों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। न केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के 16 वर्ष से नेतृत्व में बल्कि उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भी कांग्रेस शासन ऐसी नीतियां अपनाता रहा है कि जिनके अच्छे परिणाम निकले हैं। कृषि का विकास हुआ है और तेजी से विकास हुआ है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में इस देश में सिंचाई की दर में तेजी से

विस्तार हुआ है जबकि 1950-51 में हमारी सिंचाई क्षमता 220 लाख हैक्टेयर थी; यह कोई व्यर्थ की उपलब्धि नहीं है कि अब हम गर्व कर सकते हैं कि हमने लगभग 600 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता उत्पन्न कर ली है। कृषि के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है।

इसके बाद अच्छी किस्म के बीजों, अधिक उपज देने वाले बीजों का नम्बर आता है। इसके बाद उर्वरक का नम्बर आता है, न केवल उर्वरक की खपत का बल्कि उर्वरक उत्पादन का भी नम्बर आता है। और विश्व जानता है कि हमारी उर्वरक की खपत जो वर्ष 1950-51 में केवल 69,000 मी० टन के स्तर पर थी उससे बढ़कर अब 60 लाख मी० टन हो गई है। 30 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था इस देश में उर्वरक का उत्पादन केवल 18 000 मी० टन था। अब हम इस देश में लगभग 40 लाख मी० टन उर्वरक का उत्पादन कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के फलस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई है। कुछ माननीय सदस्यों के अनुसार, जिन्होंने हमारी आलोचना की है, अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। यदि अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है तो राष्ट्र का पेट कैसे भरा जा रहा है? क्या पिछले वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है; जो पहले 35-36 करोड़ थी और अब बढ़कर लगभग 70 करोड़ हो गई है? इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कौन भरता रहा है?

वर्ष 1976 के बाद पिछले 5 सालों में, हाल ही में आयात किये गये 22 लाख मी० टन अनाज के सिवाय वास्तव में अनाज का कोई आयात नहीं किया और यह भी वर्ष 1979-80 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था उसके कारण अनाज का आयात करना पड़ा है। शायद यह हमारे पर्याप्त रक्षित भण्डार का ही परिणाम है जो हमने अपने पास कर रखा है कि हमें बाहर से अनाज का कोई आयात नहीं करना पड़ा। इन परिस्थितियों की तुलना बंगाल में पड़े अकाल की परिस्थितियों से करें। 40 लाख से भी अधिक लोग भूख से मर गए थे। वह अकाल देश के बहुत छोटे से भाग तक ही सीमित था। और इस पिछले सूखे से 38 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन, जिस पर फसल खड़ी थी, प्रभावित हुई थी; 2200 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए थे। पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को पानी सप्लाई किया गया भले ही हमें मिलिट्री के ट्रकों तथा रेलवे ट्रेनों का इस्तेमाल करना पड़ा। वायुयानों द्वारा खाना गिराया गया था। लेकिन उस सूखे के दौरान इस देश के किसी भी व्यक्ति को भूखों नहीं मरने दिया गया। क्या यह श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की एक उपलब्धि नहीं है?

जहां तक भारत के प्रयासों का सम्बन्ध है, समस्त विश्व, विश्व संगठनों, कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनाज के उत्पादन की अब प्रशंसा की जा रही है। लेकिन हमारे कुछ मित्र अपनी आंखें खोलकर देखने को तैयार नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें किस प्रकार विश्वास दिलाया जाए कि हमारे आंकड़े नहीं हैं। यह एक सच है, यह एक वास्तविकता है। भारत के अनाज उत्पादन के बारे में खाद्य और कृषि संगठन के अनुमानों को पढ़ें। वे पूर्णतया हमारे आंकड़ों के आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं। वे अपने अनुमान अपने सहायकों द्वारा किए गए अध्ययन के बाद उपलब्ध जानकारी तथा उनके द्वारा उनके अपने ढंग से स्थिति का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों के बाद उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष की फसल, जो अभी खत्म होने जा रही है, के साथ हम लगभग 1340 लाख मी० टन अनाज का

उत्पादन कर लेंगे, जो इस देश द्वारा अब तक प्राप्त किए गए रिकार्ड में सबसे अधिक है, और यह उत्पादन उस अवधि का है जिसमें कृषि को बहुत भारी नुकसान हुआ था। हमने 1320 लाख मी० टन के उत्पादन का स्तर प्राप्त कर लिया है। लेकिन एक ही वर्ष के अन्दर यह कम होकर 1090 लाख मी० टन के लगभग हो गया है। खराब मौसम, अनाज की कमी, सूखे आदि के कारण लगभग 230 लाख मी० टन अनाज की हानि हुई है। माननीय सदस्य ने इस बारे में बताया था कि कृषि अभी भी मौसम पर निर्भर करती है। क्या विश्व में ऐसा कोई देश है जहां कृषि मौसम पर निर्भर नहीं करती है? यदि हम सारी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था कर दें और उस पर खेती करें तो भी हमें मौसम पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई थी जिसकी अभी कटाई की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों में बेमौके की बरसात तथा ओलों ने नुकसान कर दिया है। क्या हम इसे रोक सकते थे? क्या मनुष्य को अब तक किसी ऐसे विज्ञान की जानकारी है जो मौसम पर नियन्त्रण पा सकता हो? लेकिन इस नुकसान के बावजूद भी हमें अभी आशा है कि इस बार का उत्पादन कृषि उत्पादन में सभी समय के लिए एक रिकार्ड होगा जिसे देश ने कभी देखा हो।

महोदय, किसी मंत्रालय अथवा विभाग का कार्य-निष्पादन प्रथम इसके योजनागत आवंटन के उपयोग, उपयुक्त उपयोग, दिखाए गए परिणामों से देखा जाता है और उसके बाद इसके द्वारा गैर योजनागत व्यय में बनाई गई अर्थ-व्यवस्था से देखा जाता है। मैं आपको कृषि तथा कृषि मंत्रालय के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जिसमें कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग शामिल हैं। वर्ष 1981-82 में कुल योजनागत तथा गैर योजनागत आवंटन 1843.25 करोड़ रुपए के आस-पास था। संशोधित अनुमान (योजनागत तथा गैर-योजनागत) लगभग 1,794.24 करोड़ रुपए था। चालू वर्ष में हमने कृषि विभाग के लिए 1,908.07 करोड़ रु० की मांगें सदन के समक्ष रखी हैं। मैं यह बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं कि योजनागत आवंटन में से पिछले वर्ष कृषि के लिए कुल आवंटन में से हमने संशोधित अनुमान का 99.1 प्रतिशत खर्च किया था। किसी भी मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग करने के ये सबसे ऊंचे आंकड़े हैं। यदि आप पिछले वर्ष के दौरान गैर-योजनागत व्यय में कमी के बारे में जानना चाहते हैं, हमने इसमें 34.59 करोड़ रुपए की कमी की, और इससे पता चलता है कि कृषि मंत्रालय न केवल अपनी निधियों के उपयोग पर ध्यान दे रहा है बल्कि किफायत करने का भी प्रयास कर रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि एक भी पैसा जो किसान की भलाई तथा कृषि के विकास के लिए दिया गया है उसका उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

यदि माननीय सदस्य उत्पादन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, इस बारे में इस सदन में बार-बार बताया गया है, वे स्वयं भी उस बारे में बातें करते रहे हैं और सत्तापक्ष की ओर से भी हमारे मित्रों ने भी उन्हें काफी जानकारी दी है लेकिन शायद मुझे कुछ आंकड़े देकर विरोध पक्ष के कुछ मित्रों की यादाश्त दोबरा ताजा करनी पड़ेगी।

इस वर्ष चावल का उत्पादन 544 लाख टन होने की आशा है जबकि गत वर्ष इसका उत्पादन 532 लाख टन हुआ था। ये सभी प्रारम्भिक अनुमान ही है क्यों अन्तिम तथा सही अनुमान तो कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही प्राप्त होते हैं। गेहूं के उत्पादन 376 लाख टन

होने की आशा है जबकि गत वर्ष इसका उत्पादन 365 लाख टन ही हुआ था। कई का उत्पादन 76 लाख गांठों से बढ़कर 80 लाख टन हो गया है। आलू का उत्पादन 96 लाख टन से बढ़कर 106 लाख टन हो गया है। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार आलू की विक्रय व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस बारे में सभा में चर्चा की जा चुकी है। तिलहन के उत्पादन की ओर प्राय: उस प्रत्येक माननीय सदस्य ने ध्यान दिया है जो भी कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में बोला है। इसका उत्पादन 94 लाख टन से बढ़कर 112 लाख टन हो गया है। मैं यह दावा नहीं करता कि इस सम्बन्ध मे भारी सफलता मिली है। किन्तु इस ओर भी उपेक्षा नहीं की गई है। विश्वविद्यालयों और राज्यों द्वारा तिलहनों और दालों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनुसंधान किए जाने के अतिरिक्त हम भी इस सम्बन्ध में धन खर्च कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अकेले ही तिलहनों के सम्बन्ध में अनुसंधान के लिए इस वर्ष लगभग 15.6 करोड़ रुपया रहता है।

कृषि के विकास का पता तो उर्वरकों जैसी सामग्रियों की खपत से ही लगाया जा सकता है। गत वर्ष की तुलना में इस कृषि वर्ष मे उर्वरकों की खपत 11.1 प्रतिशत बढ़ गयी है। बढ़कर अब 61.3 लाख टन हो गयी है। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों तथा उनकी खेती के अधिक क्षेत्रफल से भी पता चल जायेगा कि किस प्रकार सुधार हो रहे हैं और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से पग उठाये जा रहे हैं। अधिक उत्पादन वाली किस्मों की खेती के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

हम न केवल कृषि की परम्परागत फसलों की ओर ही प्रत्युत वनों की ओर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हर कोई जानता है कि हमारी प्रधान मंत्री वन संरक्षण में रुचि लेती हैं। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि गत तीस वर्षों के दौरान वन विकास पर खर्च किये लगभग 30 करोड़ रुपये की तुलना में छठी योजना में 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष में हमने 22 करोड़ रुपए की प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया है। यदि आप इसकी तुलना गत 30 वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि से करें, तो आपको मालूम हो जायेगा कि वन विकास को कितना महत्व दिया जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने वनों की ओर ध्यान न दिये जाने के बारे में कहा है मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछले वर्षों के दौरान वनों को बड़े पैमाने पर समाप्त किया गया है। किन्तु हम इस विनाश को रोकने में समर्थ हुये हैं। प्रधान मन्त्री के कहने पर इस सभा ने अभी कुछ समय पूर्व वन संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया था। गत तीस वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 1.5 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र की कमी होती रही है और 42 लाख हैक्टेयर से अधिक के कुल वन क्षेत्र को गैर-वन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया। अब सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इसे 1.5 लाख हैक्टेयर से घटाकर लगभग केवल 3000 हैक्टेयर प्रतिवर्ष तक ले आये हैं, किन्तु हम चाहते है कि वन क्षेत्र मे कमी होना बिल्कुल ही बन्द हो जाए।

माननीय सदस्य पहले ही जानते हैं क्योंकि हम सभा को अनेक बार सूचित कर चुके हैं कि हम एक व्यापक विधेयक को तैयार कर रहे हैं। वन राज्यों की सम्पत्ति होते है। हम उनका मार्ग-दर्शन करने तथा उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन अधि-

नियम लागू नहीं होता है। हम इस सम्बन्ध में अधिक कड़ा रुख अपनाना चाहते हैं। इस साथ-साथ हम उन आदिवासियों के हितों की रक्षा भी करना चाहते हैं जो अपनी आजीविका वनों से अर्जित करते हैं। यह स्वयं आदिवासियों के हित में ही है कि वनों को सरक्षित किया जाए, कि वन क्षेत्र बढ़े तथा वनों को फिर से नया बना दिया जाये ताकि वे वन उत्पादन से होने वाली आय पर जीवित रहते चले आए।

मेरे मित्र, श्री बालेश्वर राम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में बोलना था। दुर्भाग्यवश उन्हें समय नहीं मिल सका क्योंकि माननीय सदस्यों ने जो प्राथमिकता दी उसमें उन्होंने अधिकांश समय ले लिया। कुछ विषयों के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी, श्री स्वामीनाथन बोल चुके हैं। जिन बातों के बारे में वह बोल चुके हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

ग्रामीण विकास कृषि की तरह बहुत महत्व रखता है और यह कृषि का अंश है। यही कारण है कि इन मंत्रियों को एक प्रभार के अन्तर्गत रखा गया है। यदि ग्रामों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है, तो कृषि का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से श्रीमती गांधी द्वारा एक बड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना एक मंत्री मण्डलीय स्तर के मंत्री के अधीन की गई है। ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का काफी अधिक नियतन किया गया है। माननीय सदस्यों ने आंकड़ों को देख लिया होगा। मैं इन सभी आंकड़ों को पुनः उद्धृत नहीं करूंगा फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। समेकित ग्रामीण विकास के लिए योजना में 1500 करोड़ रुपया रखा गया है। पांच वर्षों में लगभग 150 लाख परिवारों को, या प्रतिवर्ष 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा।

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि गरीबी को इन कार्यक्रमों द्वारा समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि भारत के लिए गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। बावजूद इसके भारत में गरीबी की सीमा को बहुत ही नीचे स्तर पर रखा गया है, भारत में लगभग 450 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। कोई भी परिवार, जो एक वर्ष में 3,600 रुपए नहीं कमाता है उसे एक गरीब परिवार समझा जाता है : वर्तमान मूल्यों तथा जीवन निर्वाह की लागत के होते हुए मैं यह बताने में समर्थ नहीं हूं कि यह रेखा कहाँ होनी चाहिये। दूसरे उन्नत देशों की तुलना में मध्यम वर्गों को भी गरीब कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें जीवन की अनेक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, सुख-साधनों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी ग्रामीण जनता को बहुत लम्बे समय से पीड़ित किए हुए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत से लेकर कुछ भी है, सीमान्त किसानों के लिए 33 प्रतिशत तक और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत तक है। आर्थिक सहायता की धनराशि जो उपलब्ध की गई है वह 3000 रुपये से 5000 रुपये के बीच है। वे मुर्गीपालन सूअर पालन, भेड और बकरी पालने की छोटी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं, वे पशुओं, अर्थात् सूअरों को पाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त हमारा एक विशेष पशु विकास कार्यक्रम भी है जिसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निकट सहयोग से भी चलाया जा रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना नियतन 1620 करोड़ रुपये का किया गया है। 980 करोड़ रुपया केन्द्रीय क्षेत्र में है। केवल इस वर्ष के लिए हमने 190 करोड़ रुपए की मांग की है, इसी प्रकार हमने आई०आर०डी० के लिए 180 करोड़ की धनराशि की मांग की है। हर कोई जानता है कि इस कार्यक्रम से क्या प्रभाव रहा है, यद्यपि यह अब 50 : 50 के अनुपात के आधार पर है, 50 प्रतिशत राज्य द्वारा दिया जाता है और 50 प्रतिशत भारत सरकार से मिलता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण भारत का रूप ही बदल रहा है। गलियों और मार्गों को पक्का बनाया जा रहा है, हरिजन बस्तियों में बिजली लगायी गयी है, नलकूपों के लिए और अधिक कनैक्शन दिये गये हैं, स्कूल भवनों की मरम्मतें की गयीं हैं, सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया है और ग्रामों के लिए जल आपूर्ति की योजनाओं की व्यवस्था की गई है। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यह संख्या कम नहीं है, और हमें आशा है कि अगले वर्ष भी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जायेगी जो 3500 लाख से 4000 लाख जन दिवस तक होगी। अनाज भी दिया जा रहा है स्थायी आस्तियों के सृजन हेतु सामग्री की खरीद के लिए 40 प्रतिशत नकद दिया जाता है और शेष 60 प्रतिशत मजदूरियों से पूरा किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि हम सभी ग्रामीणों को रोजगार देने में समर्थ हो पाये हैं किन्तु, कुछ तो किया गया है और मैं प्रसन्न हू कि माननीय सदस्यों द्वारा इसकी सराहना की जा रही। इसके अतिरिक्त हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे विभिन्न दूसरे कार्यक्रम भी हैं जो देश में लगभग 554 खण्डों में चलाए जा रहे हैं और 15 लाख···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा में डी० पी० ए० पी० का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसको वहां करवाइये।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह भी करवायेंगे। प्रतिवर्ष विकास प्रयोजना के लिए प्रत्येक खण्ड का 15 लाख रुपया दिया जा रहा है।

इसी प्रकार मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड को 15 लाख रुपया दिया जा रहा है। वह भी जिलों से अधिक को जा रहा है।

कुछ शिकायत की गई हैं जैसाकि श्री व्यास ने कहा है। कुछ खण्डों को, जिनमें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए था, छोड़ दिया गया है। कुछ अन्य खण्डों को दोहरे लाभ मिल रहे हैं। उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के भी अन्तर्गत लाया गया है। महोदय, हम इस असन्तुलन की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमने एक कृतिक बल की स्थापना की है, इस कृतिक बल ने भेदभाव को जहां यह पाया गया है, दूर करने के समूचे प्रश्न पर विचार किया है। राज्यों से भी इस बारे में परामर्श किया जायेगा। हम चाहते हैं सभी क्षेत्रों पर वांछित विचार किया जाए और उनको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाए। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे क्षेत्रों को जिन्हें अनावश्यक लाभ पहुंचाया गया है उन कुछ लाभों को छोड़ना पड़ सकता है जिनके वे हकदार नहीं थे और जिनका वे पिछले कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं। मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहूंगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कई अन्य कार्यक्रम हैं, जिनमें से एक है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भण्डागार कार्यक्रम । भारत सरकार से 25 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध है। (व्यवधान)

ग्रामीण खादी—खादी ग्रामोद्योग की स्थापना मंत्रालय के अधीन है । यह मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन 20 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता स्थापित की जानी है। 1982-83 के दौरान 3 करोड़ रुपये के परिव्यय से 5 लाख मीटरी क्षमता स्थापित की जानी है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि सुधार की बात की है । इस बारे में स्थिति समय-समय पर स्पष्ट की जा चुकी है । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अतिरिक्त भूमि शीघ्रातिशीघ्र वितरित कर दी जाए ताकि समाज के गरीब वर्गों, भूमिहीन लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों को राष्ट्रीय उन्नति अर्थात भूमि का कुछ भाग मिल जाए ।

हमने इस वर्ष, 1982-83 के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए 3.97 करोड़ रुपये की राशि मांगी है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मांग है और सरकार जो ये कल्याणकारी कदम उठाना चाहती है उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर भी हम काफी ध्यान दे रहे हैं ।

खाद्यान्न उत्पादन 1340 लाख मीटरी टन होगा । पिछले वर्ष यह 1300 लाख मीटरी टन था । यह बात माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो जानी चाहिए ।

माननीय सदस्यों ने किसानों को मिलने वाले मूल्यों पर काफी चिन्ता व्यक्त की है । मैं नहीं जानता वे क्या अपेक्षा कर रहे हैं ? किन्तु यदि वे ऐसे किसान पर विश्वास करें जोकि उनकी तरह किसानों के प्रति सहानुभूति रखता है तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस बारे में काफी उत्सुक है कि किसान को उचित लाभकारी मूल्य मिले । मेरे विचार से हमने गेहूं के लिए जो 142 रुपये का खरीद मूल्य रखा है उससे माननीय सदस्यों को संतुष्ट होना चाहिए क्योंकि एक बार···(व्यवधान) जहां तक संतुष्टि का प्रश्न है विश्वभर के किसान एक से हैं । सम्पूर्ण देश के किसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते । हो सकता है मैं एक किसान के नाते मुझे सन्तोष न हो किन्तु सरकार की अपनी सीमाएं हैं । मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे पिछले समय को देखें । कुछ वर्ष पहले जब केन्द्र में दूसरी सरकार की वर्षानुवर्ष प्रमुख फसलों के मूल्यों में वृद्धि की क्या स्थिति थी—गेहूं के लिए वृद्धि 2.5% से भी कम थी किन्तु जब से इस सरकार ने काम सम्भाला है जो कार्य हमने किया है उसके लिए ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय सदस्य उसे अपने दिलों में जानते हैं । दो वर्षों में गेहूं का मूल्य 117 रुपये से बढ़कर 142 रुपये हो गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उर्वरकों का मूल्य कितना बढ़ा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उर्वरकों का मूल्य ज्यादा नहीं बढ़ा है । इसकी तुलना में वह भाग्य है । इससे उत्पादन लागत में प्रति क्विंटल 2 से 4 रुपये से अधिक अन्तर नहीं पड़ा है । आप उसका हिसाब लगा सकते हैं । मैं संतुष्ट हू । यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास जब समय हो मुझसे बात कर लीजिए । (**व्यवधान**) प्रत्येक चीज शामिल की गई थी । यह प्रतिवर्ष 9 से 10% वृद्धि है । प्रतिवर्ष गेहूं के मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि और धान के मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

हमने पिछले दो वर्षों में धान का मूल्य 95 रुपये से 115 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है । इसी प्रकार से मोटे खरीफ अनाज के मूल्य 95 रुपये से 116 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये हैं। आप इस वृद्धि को देखिये । हम कितने उदार है ? फिर भी आप राजनीतिक कारणों से संतुष्ट नहीं हैं । मूंगफली की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 270 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि एक वर्ष पहले वह 200 रुपये था । एक वर्ष में 64 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है । सूरजमुखी के बीजों का समर्थन मूल्य 183 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है । इस पर भी कोई व्यक्ति कह सकता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं और यह कि सरकार किसानों को ऊंचे दाम देने के लिए उत्सुक नहीं है । पिछले वर्ष सोयाबीन का मूल्य 183 रुपये था किन्तु हमने इसे बढ़ाकर 210 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है । ऐसा इसलिए किया गया है कि इन फसलों को अधिक बोया जाए । इस पर भी माननीय विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हैं । मुझे विश्वास है कि किसान संतुष्ट हैं । इसीलिए यद्यपि विगत में उन्होंने किसानों को भड़काने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु वे किसानों में अपनी कोई जगह नहीं बना पाये । (**व्यवधान**)

कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों का विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में समता लाने की बात की गई है । मैं आंकड़े देता हूं । पिछले 12 महीनों के अन्दर मार्च, 1981 से मार्च, 1982 तक भारत में सभी जिन्सों के थोक मूल्य सूचकांक में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कृषिजन्य जिन्सों में थोक मूल्य सूचकांक में 6.3% की वृद्धि हुई है । आप देखिये हम किस प्रकार समता बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं या उससे भी अधिक दे रहे हैं जितना समता बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।

श्री सुन्दर सिंह : ठीक है—ठीक है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहब, तकलीफ तो नहीं है, मैं किसानों की बात कर रहा हूं ।

श्री सुन्दर सिंह : आपकी मौजूदगी में किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो सकती ।

एक माननीय सदस्य : वह केवल प्रशंसा कर रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब मैं विनिर्मित वस्तुओं, जिनके बारे में माननीय सदस्यों की धारणा है कि उनके मूल्य कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, के थोक मूल्य सूचकांक लेता हूं । विनिर्मित वस्तुओं के मामले में थोक मूल्य सूचकांक पिछले मार्च से इस

मार्च तक 1.9% कम हुआ है। कृषिजन्य जिन्सों के मूल्य सूचकांक की तुलना में, जोकि 6.3% बढ़ा है, यह 1.9 प्रतिशत घटा है। इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिए कि यह सरकार ने केवल समता बनाये रखने का प्रयत्न कर रही है बल्कि पिछले वर्षों की कमी को भी पूरा कर रही है।

यह भी कहा गया है कि किसानों को पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध नहीं हैं। यदि इस सरकार ने किसानों को आवश्यक सामग्री देने का अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य किया है तो सबसे अच्छा कार्य कृषि ऋण देने का किया है। 1972-73 में किसानों को सहकारी और सभी वित्तीय संस्थाओं से कुल 966 करोड़ रुपये के ऋण दिये गए थे। 1980-81 में यह राशि बढ़कर 3391 करोड़ रुपये हो गई। इस योजनावधि के अन्त तक, 1984-85 में, हमें आशा है कि कृषि ऋणों की राशि 5400 करोड़ रुपये हो जायेगी। हमें आशा है कि किसानों को ऋण की कोई कमी नहीं होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रतिवेदन के बारे में भी बात की है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 2361 सिफारिशें की हैं। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन 2361 सिफारिशों में से 1842 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। 166 और सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यरूप दिया जायेगा। 328 सिफारिशों की जांच की जा रही है। इनकी और अधिक जांच की आवश्यकता है और हमें आशा है कि किसानों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक होगा, सरकार को वह स्वीकार्य होगा। इन 2361 सिफारिशों में से केवल 25 सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इनकी संख्या बहुत कम है। इनकी समुचित जांच की गई है और उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर नहीं देना चाहता हूं। मैं उनमें से कुछ का ही उल्लेख करूंगा, हालांकि माननीय सदस्यों में काफी अच्छा योगदान किया है। जनरल स्पैरो यहां बैठे हैं। श्री भीम सिंह यहां नहीं हैं किन्तु उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। श्री आर० एल० पी० वर्मा केवल वैज्ञानिकों द्वारा की गई आत्म-हत्याओं से ग्रस्त रहे। मैं नहीं जानता कि उन्हें कौन जानकारी देता है और वह उसे कैसे प्राप्त करते हैं। सदन में कई बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1960 से अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केवल 4 वैज्ञानिकों की मृत्यु हुई जबकि परिषद में हजारों वैज्ञानिक हैं। केवल वैज्ञानिक की मृत्यु आत्म-हत्या प्रमाणित हुई क्योंकि आत्महत्या सम्बन्धी एक टिप्पण मिला था। डॉ० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बिठायी गई थी और उसने कुछ सिफारिशें की थीं। जबसे इस सरकार ने कार्यभार सम्भाला है, हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सम्पूर्ण कार्यकलाप और उसके नियमों और विनियमों की जांच की है। हमने प्रशासन को सुव्यवस्थित किया है। हम सभी शिकायतों की शीघ्रता से जांच करते हैं। मुझे आशा है कि कृषि वैज्ञानिकों को इस बात का सन्तोष होगा कि सरकार उनकी ओर पूरा ध्यान दे रही है और उनका आदर कर रही है किन्तु कई बार सरकार की स्थिति बहुत शोचनीय हो जाती है जब कुछ वैज्ञानिक राजनीतिज्ञों का सहारा लेते हैं, जब हम कुछ बुरे वैज्ञानिकों को अनुशासित करने का प्रयत्न करते हैं वे विपक्षी संसद सदस्यों और शायद शासक दल के संसद सदस्यों के पास भी पहुंच जाते हैं।

मुझे खेद है कि श्री दण्डपाणि ने एक वैज्ञानिक श्री घनराज के मामले का उल्लेख किया। वह चाहते थे कि उन्हें कृषि अनुसंधान सेवा में लिया जाए। उनके मामले की जांच की गई और जो कुछ सम्भव था किया गया किन्तु योग्यता के आधार पर मामला नहीं बनता था क्योंकि वह चाहते थे कि उस अवधि को भी, जिसके दौरान वह खाद्य मंत्रालय में प्रतिनियुक्त थे, कृषि अनुसंधान सेवा में लिए जाने के लिए ध्यान में रखा जाए। किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि वह नियम विरुद्ध था। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि सरकारी कर्मचारियों या सरकार से नियंत्रणाधीन किसी संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपने हित साधन के लिए राजनीतिज्ञों के पास जाना गलत है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए उनके पास जाते हैं। आप यह क्यों सोचते हैं कि वे हमारे पास आते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह अनुशासन का मामला है और यह अनुशासन सम्बन्धी नियमों में अन्तर्गत आता है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : दो अन्य वैज्ञानिकों के मामले में सरकार ने कुछ अन्य निर्णय लिया है और हालांकि वे अर्हता प्राप्त नहीं थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें अनुसंधान सेवा में ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में ये लोग जिन्हें शिकायत होती है हमारे पास आते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : जिन मित्रों के लिए आप बोल रहे हैं उनका आप भला नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति गो सेवा का मामला संसद सदस्य के माध्यम से उठाता, है अनुशासन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आता है और मेरी उस वैज्ञानिक के प्रति अच्छी राय नहीं हो सकती जो पदोन्नति या कुछ लाभों के लिए यह रास्ता अपनाता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरे विचार से मंत्री महोदय भी संसद सदस्य हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : कड़ा परिश्रम करके कृषि वैज्ञानिकों ने देश में कृषि के सम्बन्ध में बहुमूल्य सहायता की है और इसके लिए इनकी सराहना की जानी चाहिए, साथ ही किसानों के कड़े परिश्रम की भी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि मेरा सदैव यह विचार रहा है कि किसान का कड़ा परिश्रम ही उत्पादन बढ़ाने में सर्वाधिक सहायक है। भूमि के लिए सबसे बढ़िया खाद किसान की मेहनत है। यह बात मैंने कभी स्कूल में एक कविता में पढ़ी थी।

हमारे कृषि वैज्ञानिक उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं जिनमें अब तक वे सफल नहीं हो सके हैं। इस देश में अरबों रुपये अनुसंसान पर खर्च किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम सभी समस्याओं को सुलझा लेंगे।

अधिक उपज देने वाली अनेक किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसी कि बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा मांग की गई है अब हम बीजों की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। किसानों को उनकी जरूरतों के मुताबिक बीजों की पूर्ति की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय भी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। न केवल खाद्य फसलों के बीजों बल्कि

अच्छे फलों के वृक्षों और अन्य सभी किस्म के वृक्षों के बीजों का उत्पादन भी आने वाले वर्ष में भारी मात्रा में होगा और हम आशा करते हैं कि हम बीजों की इस कमी पर काबू पा सकेंगे जिसका अनुभव विगत में कुछ माननीय सदस्यों और किसानों को भी हुआ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन, चौधरी मुल्तान सिंह और श्रीमती पटनायक ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जहां कहीं हम इस ओर ध्यान दे सकते हैं और कार्य संचालन में सुधार कर सकते हैं, हम सभी कदम उठाएंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ने शिकायत की है कि केवल पंजाब के किसानों को ही बफर स्टाक के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करने को कहा जा रहा है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब वसूली में सक्षम हो सका है। मुझे इस बात का गर्व है कि पंजाब में कुल बफर स्टाक का 50 प्रतिशत दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे भी इस बात का गर्व है कि पंजाब ने न केवल 50 प्रतिशत दिया है बल्कि यह 70 प्रतिशत तक दे सकता है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपको प्रोत्साहन देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही जवाब है।

राव बीरेन्द्र सिंह : पंजाब और हरियाणा दोनों पूरे राष्ट्र को चावल की वसूली का 70 प्रतिशत से अधिक देते हैं **(व्यवधान)**

इसका अर्थ यह नहीं है कि देश के कतिपय भागों में अपने प्रयोग के लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा न किया जाए और कुछ अन्य राज्यों को अधिक उत्पादन के लिए अदायगी की जाए।

इस समय भी, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, गेहूं के वितरण के सम्बन्ध में 40 रुपए प्रति क्विंटल की आर्थिक सहायता अन्तर्ग्रस्त है। चावल के वितरण में 38 रुपए प्रति क्विंटल की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसीलिए हम पंजाब के गेहूं के लिए किसानों को अधिक ऊंची कीमत दे सके हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों का भी यही मामला है। यदि उन्हें यह पता चल जाता है कि अनाज अधिक है तो वे मण्डी से यथासम्भव बहुत कम अनाज खरीदते हैं। हम प्रत्येक राज्य से आशा करते हैं कि वह कुछ योगदान दें। यह वहीं से खरीद कर सकता है जहां माल की अधिकता है। क्या आप ऐसी स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय खाद्य निगम पंजाब की मण्डी में वसूली न करे ?

आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष हमने धान के मूल्य की घोषणा करने में पांच दिन की देरी की थी इसलिए यह घटकर 90/- हो गया था और आप सब लोगों ने शोर मचाया था। अगर हम पंजाब में गेहूं और धान की खरीद बन्द कर दें तो आप यह सोच भी नहीं सकते कि मूल्य कितने नीचे गिर जाएंगे। इसी वजह से हम पंजाब के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आपको और कितना लाभ चाहिए ? अगर हम खरीद न करें तो पंजाब के किसानों की क्या दशा होगी ? **(व्यवधान)** क्या कुछ किया जा रहा है, हम समझते हैं परन्तु इसके साथ ही पंजाब देश का एक हिस्सा है। पंजाब के किसानों को अब बड़ी सुविधाएं मिली हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं तो यहां उसका विशेष रूप से उल्लेख तो कीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री भाटिया ने चीनी मिलों के लाइसेंस के बारे में पूछा है । कई राज्यों से कुछ आवेदन पहले से ही पड़े हैं । कुछ राज्यों को चीनी मिलों के कुछ लाइसेंस दे दिये गये हैं । महाराष्ट्र ने सबसे ये अधिक संख्या में प्राप्त किए हैं । क्योंकि वे सहकारी संस्थाएं स्थापित करना और समय पर आवेदन करना जानते हैं । अब हमने देश में चीनी फैक्ट्रियों के लिए समान वितरण नीति बनाई है । हर राज्य को इसके लिए आगे आना चाहिए और इसे एक ही रूप में नहीं होना चाहिए । इसीलिए हम कुछ धीमी गति से बढ़ रहे हैं । अगर कोई राज्य आवेदन तैयार करे और उन्हें यथा समय पर समय से पहले भेजता है तो अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए । (**व्यवधान**) माननीय सदस्य अब पंजाब की स्थिति को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं । आप गेहूं का अधिक उत्पादन क्यों नहीं करते हैं, चीनी का ही उत्पादन क्यों करते हैं ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : वहां लेवी की चीनी के मूल्य में पक्षपात किया जा रहा है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : चीनी फैक्टरियां ग्रामीण सेलों के पूरे स्वरूप को ही परिवर्तित कर सकती हैं । सड़कों, विद्युतीकरण, स्कूलों, कालेजों, उद्योगों व सभी क्षेत्रों में विकास किया जाना चाहिए । अत: प्रत्येक की उपयुक्त भागेदारी होनी चाहिए । मैं श्री भाटिया को आश्वासन देता हूं कि चीनी मिलों के बारे में पंजाब को भी उसका हिस्सा मिलेगा । (**व्यवधान**) श्री तपेश्वर सिंह ने कहा है कि बिहार को चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने चाहिए ।

परन्तु मैं उन्हें यह सूचित करना चाहूंगा कि चीनी मिलों के लाइसेंस के सम्बन्ध में बिहार से एक भी प्रार्थना पत्र नहीं आया है । (**व्यवधान**) । जब कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं आया है तो हम चीनी मिल का लाइसेंस कैसे दे सकते हैं ? (**व्यवधान**) । उत्तर प्रदेश को 5 नए कारखानों का लाइसेंस पहले से दिया गया है, इसलिए वहां पांच नई फैक्ट्रियां लगेंगी । (**व्यवधान**) । आपको और लाइसेंस भी मिलेंगे, दूसरों को भी लाइसेंस से लेने दो । बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैंने गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि के बारे में पूछा था । गन्ने की कीमत के कारण कोई भी किसान उसे फैक्टरी में नहीं ले जा रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर दुबारा आम बहस नहीं कर सकते । कृपया हमसे सहयोग करें ।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें उठाई हैं जिन्हें सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ एक सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा उत्पादित एक कैमिकल का उल्लेख किया है । वह अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनी ऐसे कैमिकल का उत्पादन करती है और दावा करती है कि इसके प्रयोग से फसलों की वृद्धि होगी इसका परीक्षण कर लिया गया है । अब तक ऐसा नहीं पाया गया है कि वह विशेष कैमीकल (मिक्सटानोल) उतना प्रभाव-

कारी नहीं है जितना कि उन्होंने दावा किया है। अब यह देखना सरकार का काम है कि अधिक पैदावार या फसलों को सुरक्षा के नाम पर उत्पादित किया गया कोई भी कैमिकल ऐसा है जो वास्तव में प्रभावकारी है और किसानों को धोखा नहीं देगा क्योंकि वे प्रचार के कारण उसे खरीद लेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी ऐसे प्रचार का खर्चा हमेशा वहन कर सकती है। अतःएव, इसका और परीक्षण करने की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से कोई देरी नहीं की जा रही है। परन्तु माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे जिम्मेदार संगठन द्वारा प्रभावित सम्बन्धी प्रमाणपत्र जल्दी में भी नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदय, यह इतना व्यापक विषय है कि मैं समझता हूं कि मैंने पहले ही सदन का इतना अधिक समय ले लिया है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमन्त्री के संशोधित 20-सूत्रीय कार्यक्रम में बारानी भूमि पर खेती किये जाने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। एक ही राज्य में 15 लाख हैक्टेयर फसल की बुवाई की जाती है जो साल में केवल एक फसल पैदा करती है। यदि वहां दूसरी फसल बोई जा सके तो और अधिक अनाज प्राप्त किया जा सकता था। तेल के बीजों को कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है और दालों के बारे में भी ऐसा ही है। ये सभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल हैं। जैविक गैस इकाइयों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। हम उन्हें लगाना चाहते हैं। पहले वाली स्कीम के अन्तर्गत 25% की सरकारी सहायता दी जाती थी। अब कृषि मंत्रालय की नई स्कीम राज्यों को नियंत्रण सहायता की 100% सरकारी सहायता की व्यवस्था करती है। यदि राज्य गावों में जैव-गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र लगाने में पहल करते हैं तो सरकार उनकी सहायता करेगी। जंगलों के सम्बन्ध में, मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : चीनी के बफर स्टाक और गन्ने की देर से पिराई के सम्बन्ध में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गन्ने की बहुत अधिक मात्रा बरबाद हो रही है। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों को इस स्तर पर अदायगी नहीं की है जिस पर गत वर्ष की थी क्योंकि बैंकों ने वित्त पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए हुए थे। इस मामले पर कोई भी विलम्ब नहीं हुआ है तथा माननीय वित्त मन्त्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस मामले को उठाया है। मुझे आशा है कि वित्त की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी और चीनी की फैक्ट्रियां अपनी पिछली बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगी और वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम बकाया राशि इकट्ठा नहीं होने देंगे। देर से गन्ने की पिराई के लिए प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर भी सरकार जांच कर रही है। थोड़ा बहुत विलम्ब तो हुआ है। परन्तु मैं अपने सहयोगी माननीय वित्त मन्त्री से इस विषय पर विचार विमर्श करूंगा। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि जब कभी इस संबंध में कोई निर्णय घोषित किया गया तो वह पहले से ही लागू होगा इसलिए इस विषय पर चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इसकी

घोषणा देर से भी की गई तो भी चीनी की फैक्ट्रियों को इससे लाभ ही होगा । जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि उसी तारीख से यह लागू हो जाएगा ।

श्री दिगम्बर सिंह : लैंड एक्वीजीशन के बारे में नहीं बताया ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस विषय पर भी मैं बताना चाह रहा था परन्तु इन लोगों ने मेरा ध्यान उस तरफ से हटा दिया । हम पहले ही यह वादा कर चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । मेरे सहयोगी श्री भीष्म नारायण सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया है । सदन में हम अपनी कही हुई बात पूरी करेंगे । विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है और मुझे आशा है कि पीठासीन अध्यक्ष की अनुमति से संसद का सत्र समाप्त होने से पूर्व ही हम इसे पेश कर सकेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये कुछ मुद्दों पर क्या वह स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं । आप सभी कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाएं । श्री बीरेन्द्र सिंह क्या आप सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कृषि मूल्य आयोग ने अपनी सिफारिश गेहूं के सम्बन्ध में 6 मास पहले भेज दी थी जिससे बोवाई से पहले मूल्य घोषित किया जा सके ? यदि हां, तो अब तब इसे क्या इस कारण से रोका गया कि सरकार इसका मूल्य कम करना चाहती थी या यह चाहती थी कि किसानों में पहले ही असंतोष व्याप्त हो जाय ?

दूसरे क्या कृषि का मूल्य आयोग के एक सदस्य ने गेहूं का मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल देने की सिफारिश की थी और कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने 150 से 200 रुपये तक प्रति क्विंटल देने की सिफारिश की थी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बात का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है कि विभिन्न राज्यों की सिफारिश भिन्न हैं । लेकिन हम उन सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हैं और कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने में समय लगता है । हमें राज्यों के विचार जानने पड़ते हैं, उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा अपना मत तैयार करने से पूर्व हम मामले पर अनौपचारिक रूप से विचार भी करना चाहते हैं । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि मूल्यों की घोषणा कब की जानी है, अनाज बोने से पूर्व या फसल के बाजार में आने से पूर्व । क्योंकि हम अन्तिम क्षण तक रुख देखने का प्रयास करते हैं और हम यह भी देखना चाहते हैं कि क्या कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के उपरान्त भी फसल के लि कुछ आवश्यक सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि तो नहीं हो गई है । किसानों के हित में, हम अन्त तक यह सब देखते हैं ताकि हम विद्यमान परिस्थितियों पर ध्यान दे सकें ।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है । किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । उसको डर है कि

उसका गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायगा और फैक्ट्रियां उसे पेल नहीं पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि गन्ना है तो क्रशर्स भी हैं और पुर्वांचल में केवल गन्ना है और फैक्ट्रियां हैं। तो पुर्वांचल के लोग चिन्तित हैं कि हमारा गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायगा या पेला भी जायगा ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि एक भी गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहने पायगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अब ऐसा आश्वासन मैं कैसे दे सकता हूं कि एक भी गन्ना खेत में नहीं रह जायेगा या कितना गन्ना खेत में रह जायगा।...(व्यवधान)...

अब हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि फैक्टरियों में गन्ने की पिराई अधिकतम सीमा तक हो। इस प्रयोजनार्थ हम पहले ही इसके लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है। लाखों बटाईदारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। परन्तु उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। पंचायतों ने पहले बटाईदारों को ऋण देने की सिफारिश की थी। हाल ही में वित्त मंत्री ने पश्चिमी बंगाल में बैंकों को पंचायतों की सिफारिशों की ओर ध्यान न देने को कहा था। क्या आप कृपा करके वित्त मंत्री से सम्पर्क करके इस सिफारिश पर आवश्यक कार्यवाही कराएंगे ?

दूसरे, केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम को बन्द कर दिया गया है। आपके कक्ष में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में आपने हमें यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम के कर्मचारियों को अन्य सरकारी उपक्रमों में खपा लिया जायेगा परन्तु अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।...(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : अब यह सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम के यथासम्भव कर्मचारी दूसरे निगमों मे लगा दिए जाएं परन्तु अभी तक उन सब कर्मचारियों को नहीं खपाया गया है। लेकिन जैसा कि मैं सभा के माननीय सदस्यों को वचन दे चुका हूं हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई है कि पश्चिम बंगाल ने अब बटाईदारों के अधिकारों को समझा है। पहले वे ऐसा करने के अनिच्छुक थे।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 15 हजार मजदूर, जोकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको राहत कार्यों से अलग कर दिया गया है। ऐसे लोगों को पुन: काम पर रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि पिछला रिकार्ड देखा जाए तो जब भी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा है तब दस लाख लोगों को काम पर लगाया जाता रहा है लेकिन इस साल केवल ढाई लाख लोगों को ही काम पर लगाया गया है। इसलिए आज जिन लोगों को रोजी-रोटी की आवश्यकता है उनके लिए उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

भीलवाड़ा जिले के तीन कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स के लिए सप्लाई किया गया है। इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने माननीय सदस्य की बातों को नोट कर लिया है। हम राजस्थान की अकाल की स्थिति से अवगत हैं। हाल ही में मुख्य मन्त्री मुझसे मिले थे। राजस्थान में ओला-वृष्टि से नुकसान हुआ है। राजस्थान को भारत सरकार से अधिकतम सहायता मिल रही है। हम शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल राजस्थान भेज रहे हैं जो वहां की स्थिति का जायजा लेगा। हम राजस्थान की सहायता करने का भरसक प्रयास करेंगे।···(**व्यवधान**)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : केवल एक प्रश्न···(**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह : आपको पहले एक अवसर दिया जा चुका है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। मैं किसी वैज्ञानिक विशेष से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मुझे खेद है कि आपने मुझे गलत समझा। मेरा वह प्रश्न नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगरकुरनूल) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 करोड़ रुपये की राशि देने के बारे में केन्द्र सरकार से कई बार सम्पर्क किया है। यह राशि पिछले कुछ समय से भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार इसके लिए बार-बार अभ्यावेदन कर चुकी है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार वह राशि देने पर विचार कर रही है ?

मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, काल्वा कोट तालुक में इस वर्ष भी गम्भीर सूखा पड़ा हुआ है। मैं भारत सरकार और प्रधान मन्त्री जी को भी एक अभ्यावेदन भेज चुका हूं कि उन्हें जनता की मदद करनी चाहिए परन्तु अभी तक जनता को कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है···(**व्यवधान**) आन्ध्र प्रदेश के न्यायालयों में भूमि सुधार के हजारों मामले लम्बित पड़े हैं। क्या भारत सरकार राज्य सरकार को इन मामलों को निपटाने के लिए विशेष पीठ स्थापित करने की सलाह देने पर विचार करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के लिए राशि देने के मामले में बहुत चुस्त है। और यदि कोई राशि रोकी गई है तो ऐसा राज्य के विकास के कार्यकरण में कुछ अनियमितताओं को देख कर किया गया होगा। यदि कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के विरुद्ध हमारी राशि का इस्तेमाल करती है तो हमें उस धोखा-धड़ी की जांच करने का अधिकार है जो हमारी जानकारी में आती है। और जब तक वे राज्य सरकारें हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती हम उन्हें राशि नहीं देंगे। जहां तक मुझे याद है कि कोई शिकायत प्राप्त हुई थी कि विकास कार्य के लिए किसी ठेकेदार को नियुक्त किया गया था जबकि उसके लिए केवल ग्रामीणों को ही नियुक्त करना अपेक्षित था। यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे खेद है, मैं राज्य सरकार को सहायता नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव पर पृथक रूप से विचार किया जाये तो मैं अब कृषि मन्त्रालय से संबंधित लेखानुदान की मांगों पर पेश हुए कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मन्त्रालय की लेखानुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कृषि मन्त्रालय सम्बन्धी कार्यसूची के स्तम्भ दो में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	कृषि मन्त्रालय				
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	58,09,000	—	2,90,46,000	—
2.	कृषि	15,10,10,000	198,78,64,000	75,50,51,000	993,93,18,000
3.	मीन उद्योग	2,98,12,000	1 38,95,000	14,90,61,000	6,94,74,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	22,71,22,000	1,35,17,000	113,56,10,000	6 75,88,000
5.	वन	6,06,33,000	12,50,000	30,31,66,000	62,50,000

1	2	3	4	
6. सहकारिता	3,84,96,000	28,86,71,000	19,24,79,000	144,33,54,000
7. खाद्य विभाग	118,84,79,000	4,22,85,000	594,23,94,000	21,14,28,000
8. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	13,47,000	—	67,36,000	—
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संदाय	18,86,37,000		94,31,83,000	

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित लेखानुदान मांगें पारित हुईं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल न करें ।

यदि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव पर पृथक रूप से विचार किया जाए तो मैं ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित लेखानुदान की मांगों पर पेश हुए कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं ग्रामीण विकास मन्त्रालय की लेखानुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ग्रामीण विकास मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 75 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
75	ग्रामीण विकास मंत्रालय	75,03,82,000	8,20,000	375,19,11,000	41,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें पारित हुईं ।

संचार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा में संचार मन्त्रालय की मांग संख्या 14 से 18 पर चर्चा और मतदान किया जाएगा । इसके लिए 6 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है ।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहें, तो जिन प्रस्तावों को वे रखना चाहते हैं उनके क्रमांक लिखकर पर्चियों को 15 मिनट में सभा पटल पर पहुंचा दें । केवल ऐसे कटौती प्रस्तावों को प्रस्तावित माना जाएगा ।

प्रस्तावित किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांकों की एक सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी । यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई गलती लगे, तो वह कृपया उसे अविलम्ब पटल-अधिकारी के ध्यान में लाए ।

अब हम चर्चा शुरू करते हैं । श्री ईरा मोहन ।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष, श्रीमान मैं अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से संचार मन्त्रालय की 1982-83 की अनुदान मांगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

श्रीमान आप जानते हैं कि केन्द्रीय बजट से कुछ दिन पहले डाक तार विभाग ने टेलीफोन प्रभार और कुछ अन्य डाक सामग्री की दरें बढ़ा दी हैं । केन्द्रीय बजट में अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

और रजिस्ट्री आदि की दरें भी बढ़ा दी हैं। मनीआर्डर पर लगने वाले कमीशन 1-3-1982 से बढ़ा दिए गए हैं। अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफे की कीमतें 1-4-82 से लागू होंगी। संसद भवन में स्थित डाक घर में भी ये दरें लागू हो गयी थीं। दो दिन के बाद फिर से पुरानी दरें लागू की गयी हैं। ऐसा किसी ऐसे अनुदेश के न होने के कारण हुआ कि अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि की संशोधित दरें वित्त विधेयक के विधि बन जाने के बाद ही लागू होंगी। ससद भवन में स्थित डाक घर और देश के अन्य डाक घरों ने 1-4-1982 से अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफों आदि की संशोधित कीमतें लेनी शुरू कर दी थीं। इन दिनों में डाक सामग्री पर जो अतिरिक्त पैसा लिया गया उसे लौटाना अब संभव नहीं है। यह इस कारण से हुआ है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने डाक घरों को यह सूचित करने में लापरवाही की कि संशोधित दरें वित्त विधेयक के अधिनियम के पश्चात लागू होंगी। मैं माननीय संचार मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को देखें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी गलती दुबारा न हो और अधिकारियों को भविष्य में सावधान रहने की सलाह दी जाये।

डाक के लिफाफों की कीमत बढ़ाकर 50 पैसा कर दी गयी है। इस वृद्धि को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अन्तर्देशीय पत्र की कीमत 25 पैसे से 35 पैसे करना अनुचित है क्योंकि निम्न मध्य वर्ग के लोग ही अन्तर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का स्तर उनसे बेहतर नहीं है जो पोस्ट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि अन्तर्देशीय पत्रों की कीमत 25 पैसे ही रहनी चाहिए 35 पैसे नहीं की जानी चाहिए।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

संसद में तथा संसद के बाहर समाचार पत्रों में कई बार यह शिकायत करते हैं कि पत्रों तथा टेलीग्राम आदि को पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब होता है, कहीं-कही पर कभी-कभी कुछ विलम्ब हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि डाक तार विभाग के हमारे कर्मचारी दुनिया के कर्मचारियों में बेहतर हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे बड़े भाई कई वर्ष से मांट्रियल, कनाडा में काम करते हैं। हम यहां से जो पत्र उन्हें लिखते हैं वे ओटावा, कनाडा में 4-5 दिन में पहुंच जाते हैं लेकिन ओटावा से वे पत्र उनके पास मांट्रिलय में एक महीने से भी अधिक समय में पहुंचते हैं। कनाडा एक उन्नत देश है। यह देश काफी बड़ा भी है लेकिन यहां की जनसंख्या हमारे देश के एक राज्य से बराबर भी नहीं है। इसकी तुलना में 68 करोड़ लोगों की डाक तार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमारे डाक तार कर्मचारी वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि हम इन परस्थितियों को देखें जिनमें वे काम कर रहे हैं तो वे सभी इस सभा द्वारा, उनकी कुशलता के लिए, प्रशंसा के पात्र हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं उन्हें देखते हुए हमें उनकी छोटी-मोटी भूलों को माफ कर देना चाहिए।

डाक तार कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, लेकिन डाक तार और टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों की कुछ उचित तथा छोटी शिकायतें हैं जिन्हें दूर करने में सरकार को करोड़ों रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये शिकायतें ऐसी हैं जो उच्च अधिकारियों तथा नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों के बीच सम्पर्क की कमी के कारण हैं। यदि इन छोटी-मोटी शिकायतों को दूर कर दिया

जाये तो वे अपने दिन प्रतिदिन को कठिन कार्य को ओर अधिक उत्साह से करने के लिए तत्पर होंगे। मैं माननीय मन्त्री से अपील करता हूं कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें जिससे कर्मचारियों की शिकायतें दूर हों और वे बेहतर कार्य कर सकें।

श्रीमान्, हमारे देश में 5.96 लाख गांव हैं और इसकी तुलना में केवल 1.24 लाख ग्रामीण डाकघर हैं। इसका मतलब है प्रत्येक 4 गांवों के लिए एक डाक घर की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वे गांव पास-पास बसे हों उनके बीच में कई-कई मील का फासला होता है। इस दूरी को कम किया जाना चाहिए और हर दो गांवों के लिए एक डाक घर होना चाहिए। जहां भी ऐसा करना संभव न हो उन गांवों में चलते-फिरते डाकघरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए चलती-फिरती डाकगाड़ियों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों की संचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जहां कहीं डाकघरों की व्यवस्था नहीं हैं चलती-फिरती डाकगाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण लोगों की समस्याओं को उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। जबकि ग्रामीण लोग अपनी शिकायतों को उचित व्यक्तियों तक स्वयं नहीं पहुंचा सकते। लेकिन शहर में रहने वाले लोगों की छोटी-छोटी समस्यायें भी बहुत बड़ी बनाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है जिससे माननीय मन्त्री का ध्यान उन पर जाता है। इस पृष्ठभूमि में मैं मांग करता हूं कि माननीय संचार मन्त्री उन गांवों के लिए चलती-फिरती डाकगाड़ियों की व्यवस्था करें जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं या जहां पर हर दो गांवों के लिए एक डाकघर खोलने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

मैं समझता हूं कि ग्रामीण डाकघरों में बचत खातो को ठीक प्रकार से नहीं रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी ग्रामीण डाकघरों में समान स्थिति है। गांव के गरीब लोग, दस्तकार और स्कूलों के अध्यापक अपने जीवन में की गई बचत को बचत खाते में रखते हैं लेकिन या तो खाते ठीक ढंग से नहीं रखे जाते या इन ग्रामीण डाकघरों में काम करने वाले अधिकारी उनका पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। 5,000 या 10,000 रुपये की अपनी बचत को वापस लेने के लिए इन लोगों को वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और डाक-तार विभाग मे बहुत अधिक पत्र व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बहुत से लोग तो अपना पैसा पाये बिना ही मर जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की असहाय स्थिति और अधिक नहीं रहने देनी चाहिए। सरकार को समय पर तत्काल कदम उठाने चाहियें।

श्रीमान, हमारे विशाल देश में बचत खातों में जमा करने वालों की संख्या 4.56 करोड़ है जो बहुत कम है और इसे देखते हुए बचत बैंक योजना तत्काल मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है और अधिक लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

हमारे सारे देश में केवल 34096 तारघर हैं। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि तार घरों की संख्या और अधिक होनी चाहिए विशेषकर हमारे देश के आकार और हमेशा बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए तभी तारों की पूर्ति में विलम्ब होने की शिकायतें दूर हो सकेंगी। जहां यह भावना समाप्त की जानी चाहिए कि साधारण पत्र तार से भी जल्दी पहुंच जाते हैं और इसे समाप्त करने के लिए तारघरों की संख्या बढ़ानी होगी।

टेलीफोन केन्द्रों में हमारे कर्मचारी बहुत पुरानी मशीनो पर काम करते हैं उनके पास पुरानी मशीनें हैं जिनमें बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है। पुरानी मशीनों को बदला नहीं जा रहा है। टेलीफोन केन्द्रों को आधुनिक नहीं बनाया जा रहा है। इन कठिनाइयों के बावजूद हमारे कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों मे मुझे इस बात पर दया आती है कि हमारे देश में टेलीफोन केन्द्र सबसे अधिक बदनाम संस्थायें हैं। यहां पर मैं मन्त्रालय पर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि दूर संचार योजना के लिए अनुमोदित धनराशि में इसलिए 50 प्रतिशत खर्च किया गया है। 1980 में दूर संचार योजना के लिए 403.31 करोड़ रुपया मंजूर किया गया था और इस वर्ष (एबचुएल) कुल 268.28 करोड़ रुपये हैं। अपेक्षित धनराशि अनुमोदित की गयी है और बड़े कार्य निष्पादन के लिए योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए फिर भी अनुमोदित धनराशि में से केवल 50 प्रतिशत धनराशि खर्च की गयी फिर दूर संचार के क्षेत्र में प्रगति कैसे हो सकती है? अधिकारियों द्वारा खुली लापरवाही किये जाने का इससे अच्छा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जो अनुमोदित योजनायों को निश्चित वर्ष में कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। ऐसा यह है कि हमारी स्वतंत्रता के 35 वर्ष बाद भी हमारे यहां 1328 मेनुअल टेलीफोन केन्द्र हैं। वह समय कब आयेगा जब इन केन्द्रों को स्वचालित केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा? देश में इतने अधिक मैनुअल टेलीफोन केन्द्रों के होते हुए हम प्रगति नहीं कर सकते। और इतना सारा काम किये जाना बाकी हो तो हम इसे कैसे उचित मान सकते हैं। 1980 में अनुमोदित खर्च में से केवल 50 प्रतिशत खर्च किया गया है। इस मामले में माननीय मन्त्री को ध्यान देना चाहिए।

सारे देश में केवल 2728096 टेलीफोन हैं। 68 करोड़ लोगों के लिए एक करोड़ टेलीफोन उपलब्ध करने के लक्ष्य पर भी हम नहीं पहुंच पाये हैं। 1000 रुपये जमा करने के बाद लाखों लोग वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं। ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत भी 8000 रुपये जमा करके आवेदक 2 से 4 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े-बड़े व्यापारियों को जिनका काम टेलीफोन पर ही हो जाता है वर्षों से टेलीफोन नहीं मिल पाये हैं। ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपये जमा करता है तो 24 घन्टे के अन्दर उसे प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन दिया जाये बजाय इसके कि इसके 4-4 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यहां बहाना किया जाता है कि बंगलौर में अधिकतम क्षमता के अनुसार टेलीफोन उपकरण बनाये जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं है। कम से कम अस्थाई उपाय के रूप में हमें देश में टेलीफोनों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए टेलीफोन उपकरणों को आयात करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये। इस क्षेत्र में जापान ने प्रशंसनीय प्रगति की है। वहां पर बहुत अच्छे टेलीफोन उपकरण बनाये जा रहे हैं। हमें जापान से या अन्य देशों से फिलहाल आयात कर सकते हैं। ताकि हमारी न्यूनतम मूल आवश्यकतायें पूरी की जायें।

कई क्षेत्रों में हमारे माइक्रोवेव टावर डाक तार विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं। डाक तार इन्जीनियरों ने मुझे बताया है कि इन माइक्रोवेव टावरों की स्थापना से यह संभव होगा कि काफी लम्बी दूरी से टेलीविजन के कार्यक्रम प्रसारित किया जा सके। उदाहरण के लिए कोइम्बतूर में हमारा सूक्ष्म तरंग टावर है। यदि एक छोटा सैल वहां स्थापित कर दिया जाए तो कोइम्बतूर

में मद्रास से प्रभावित प्रदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा सकता है। इस व्यवस्था से लाखों लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच की जाये तथा आवश्यक कदम उठाया जाये।

भाषण समाप्त करने से पूर्व दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा। हम इस वर्ष महाकवि सुब्रामनिया भारती शताब्दी मना रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु के इस महाकवि देशभक्त के सम्मान में डाक-तार विभाग को एक स्मारक डाक टिकट जारी करना चाहिये। इसी प्रकार गांधी दर्शन के साक्षात आदर्श आचार्य कृपलानी की हाल में मृत्यु हुई है। वह राष्ट्रपिता और वर्तमान पीढ़ी के बीच की दरार को भरने वाले थे। इस वर्ष उनकी स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाना चाहिये। अन्नानगर, मद्रास, तमिलनाडु की राजधानी के टेलीफोन विभाग ने एक टेलीफोन केन्द्र के लिये एक प्लाट खरीदा है। माननीय संचार मन्त्री श्री सी० एम० स्टीफन ने मेरे माननीय मित्र डा० कलानिधि को यह आश्वासन दिया है कि यहां टेलीफोन केन्द्र बनाने के लिये कदम उठाये जायेंगे। यद्यपि इस मामले में अभी तक कोई प्रारम्भिक उपाय नहीं किये गये हैं। मैं माननीय संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री चतुर्भुज (झालवाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[सारे देश में तार, डाक, टेलीफोन व्यवस्था पूर्ण रूप से सुधारने की आवश्यकता। (6)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्मगत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[भारत के प्रत्येक गांव में डाकतार प्रतिदिन पहुंचाने की आवश्यकता। (7)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र के 7 किलोमीटर सर्किल में एक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (8)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[देश के प्रत्येक जिला खंड पर आटोमेटिक टेलीफोन केन्द्र खोलने और सभी बड़े शहरों को सीधा डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (9)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें.

[टेलीफोन कनेक्शन के लिए 200 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क एवं लागत खर्चा 500 रुपये से ज्यादा नहीं लेने की आवश्यकता। (10)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[डाकतार और टेलीफोन केन्द्रों के लिए प्रत्येक प्रखंड में सरकारी भवन बनाने की आवश्यकता। (11)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[देश के सभी जिला मुख्यालयों को सीधे डायल सिस्टम से जोड़ने की आवश्यकता। (12)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[प्रदेश की राजधानी और सभी जिला मुख्यालयों को सीधे टेलीफोन से जोड़ने की आवश्यकता । (13)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए में कम किये जायें ।

[झालवाड़ जिले के सभी कस्बों को सीधे टेलीफोन सेवा से जोड़ने की आवश्यकता। (14)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्मर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[मनोहर थाना, अकलेरा, रायपुर, पिड़ावा, सुनेल गंगवार, चौमहला, भवानीमंडी, पाटन, खानपुर को सीधा डायल सेवा से जिला केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता। (15)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[देश के प्रत्येक जिला केन्द्रों को ब्लाक खण्डों से सीधा टेलीफोन से जोड़ने की आवश्यकता । (16)]

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[उन मृत टेलीफोन उपभोक्ताओं के उत्तराधिकारियों को जो, कतिपय संगठनों के पदाधिकारी थे और जिन्हें 30 से 40 वर्ष पूर्व टेलीफोन कनेक्शन दिये गये थे, टेलीफोन कनेक्शन आन्तरित करने में असफलता । (32)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उपयोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार करने में असफलता । (33)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[लाईनमैनों के कदाचार जिसके द्वारा एस० टी० डी० कालों के लिए टेलीफोनों का दुरुपयोग करते हैं तथा व्यापारियों को मदद करते हैं, जिसका भार अन्य उपयोक्ताओं को वहन करना पड़ता है, को रोकने की आवश्यकता । (34)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[जोनों में तकनीकी इंजीनियरों के स्थान पर एम० बी० ए० योग्यताधारियों को प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता । (35)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[टेलीफोन के बिल भेजने की प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता ताकि अधिक राशि के बिल न भेजे जा सकें। (36)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[स्वतन्त्रता सेनानियों के पुत्रों अथवा आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने की आवश्यकता। (37)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[ओ० वाई० टी० श्रेणी, जिसे दिल्ली में एशियाई खेलों के कारण स्थगित कर दिया गया है जबकि महीनों पहले लोगों ने निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, में टेलीफोन कनेक्शन देने की आवश्यकता। (38)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[मध्य प्रदेश में सारंगपुर और बिओरा टेलीफोन केन्द्रों को भोपाल से जोड़ने की आवश्यकता। (39)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए जिले राजगढ़ में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये नरसिंहगढ़ में एक टेलीफोन फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता। (40)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[देश के प्रत्येक गांव में डाक और तारों के प्रतिदिन और समय पर वितरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (41)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[मध्य प्रदेश के रायगढ़, गुना और विदिशा आदि पिछड़े जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र के दस किलोमीटर के घेरे में कम से कम एक टेलीफोन केन्द्र अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (42)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[देश के प्रत्येक जिले और नगर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने और सभी बड़े शहरों को सीधे डायल करने की पद्धति से जोड़ने की आवश्यकता। (43)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[मध्य प्रदेश के प्रत्येक सब-डिविजनल नगरों में डाक-तार कार्यालयों और टेलीफोन केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता। (44)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[देश भर के सभी जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० पन्नति से जोड़ने की आवश्यकता । (45)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[मध्य प्रदेश सब-डिविजनल मुख्यालयों और राज्य की राजधानी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता । (46)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[मध्य प्रदेश में सभी खण्डों की सीधी टेलीफोन लाइन से जिला मुख्यालयों से जोड़ने की आवश्यकता । (47)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[ग्रामीण क्षेत्रों को भेजे जाने वाली पुस्तकों के पार्सलों पर डाक प्रभार को कम करने की आवश्यकता । (48)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[अन्तर्देशीय पत्रों के डाक प्रभार को कम करने की आवश्यकता । (49)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार विभाग की कुशलता में सुधार करने के लिए अधिक कर्मचारी लगाने की आवश्यकता । (50)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बिओरा तहसील में टोडी और पीपलहेल्या में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता । (51)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ (बिओरा) जिले में मऊ फडाना सारंगपुर खण्ड में एक नया सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता । (52)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[मध्य प्रदेश में डाक-तार विभाग द्वारा अपनी भूमि पर आवास बनाने की आवश्यकता । (53)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ (बिओरा) जिले के अन्तर्गत सारंगपुर ब्लाक में उड़नखेड़ी में नया सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता । (54)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[विदेशी मुद्रा में ओ० बाई० टी० प्रभार जमा करने वाले प्रार्थियों को नए टेलीफोन कनेक्शन देने में असाधारण विलम्ब । (55)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[विशेष अथवा स्मारक डाक टिकट जारी करने की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता । (56)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[गांवों में, विशेषकर मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पत्रों और डाक सामग्रियों को शीघ्रता से इकट्ठा करने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता । (57)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[टेलीफोन केन्द्रों के पुराने और बेकार संयंत्रों और बोर्डों को, विशेषकर मध्य प्रदेश में, बदलने की आवश्यकता । (58)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[प्रत्येक टेलीफोन की होने वाली कालों को पंजीयित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था का विकास करने में असफलता । (59)]

कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[गलत कालों, गलत नम्बरों और अचानक कालों के बन्द हो जाने की संख्या को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता । (60)]

मि डाक तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

["साधारण" ट्रंक कालों और "आवश्यक" ट्रंक कालों की प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता । (61)]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[गलत कालों को कम करने के लिए कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता । (62)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[एस० टी० डी० प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करने की आवश्यकता । (63)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[गांवों में स्थापित किये गये पी० सी० ओ० के अनुरक्षण की आवश्यकता । (64)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[उपयोक्ता के रिकार्ड को एस० टी० डी० मीटर के साथ प्रतिमास मिलाने की पद्धति चलाने की आवश्यकता । (65)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[देश में डाक, तार, टेलीफोन और माइक्रोवेव सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता । (66)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[टेलीफोन, तार और माइक्रोवेव सेवाओं में पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता । (67)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[बिहार के समस्तीपुर जिले में डाक-तार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विभाग की भूमि पर आवास बनाने की आवश्यकता । (68)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सीधी टेलीफोन लाइनों द्वारा सभी ब्लाक मुख्यालयों को अपने-अपने जिला मुख्यालयों के साथ मिलाने की आवश्यकता । (69)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी जिला मुख्यालयों को सीधी टेलीफोन लाइनों द्वारा राज्यों की राजधानियों से जोड़ने की आवश्यकता । (70)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[शाखा पोस्ट मास्टरों और चपरासियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करके उन्हें इसी प्रकार का कार्य करने वालों के बराबर लाने की आवश्यकता । (71)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[टेलीफोन विभाग के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता । (72)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[लाईनमैनों के कदाचार को, जिसके द्वारा वे व्यापारियों की मदद करने के लिए एस० टी० डी० कालों हेतु टेलीफोन का दुरुपयोग करते हैं तथा जिसका भार अन्य निर्दोष उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है, रोकने की आवश्यकता । (73)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[एस० टी० डी० के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए टेलीफोनों में यन्त्र लगाने की आवश्यकता । (74)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[टेलीफोन के बिल तैयार करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता ताकि अधिक राशि के बिल न भेजे जायें । (75)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[टेलीफोन कनैक्शनों को मृत उपयोक्ताओं के उत्तराधिकारियों के नाम करने की आवश्यकता । (76)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[ओ० वाई० टी० श्रेणी के टेलीफोन कनैक्शनों को, जिन्हें दिल्ली में एशियाई खेलों के कारण स्थगित कर दिया गया है, मंजूर करने की आवश्यकता । (77)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।

[ई० डी० डी० ए० एवं ई० डी० एम० सी० कर्मचारियों को उसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य डाक कर्मचारियों के बराबर लाने की आवश्यकता । (78)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[शाखा पोस्ट मास्टरों और चपरासियों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचारों को रोकने की आवश्यकता । (79)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[पटोरी पी० सी० ओ० को हाजीपुर (जिला वैशाली) की बजाय सीधे समस्तीपुर मुख्यालय से जोड़ने की आवश्यकता । (80)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[देश के गांवों में डाक और तारों को प्रतिदिन शीघ्र बांटने की आवश्यकता । (81)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[ग्राम पंचायत मुख्यालयों से 7 किलोमीटर से अनधिक दूरी पर टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (82)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[प्रत्येक जिले को एस० टी० डी० तथा स्वचालित टेलीफोन केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता । (83)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[प्रत्येक सब-डिवीजन मुख्यालय में डाक और तार घरों तथा टेलीफोन केन्द्रों के लिए अलग-अलग भवन बनाने की आवश्यकता । (84)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[डाक-तार विभाग की भूमि पर विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की आवश्यकता । (85)]

कि डाक-तार पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[19 जनवरी, 1982 की अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों के विरुद्ध की गई दंडनीय कार्यवाही को वापस लेने की आवश्यकता । (86)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षकके अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[यह सिद्धान्त लागू करने की आवश्यकता कि स्थानान्तरण का अभिप्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है न कि डाक-तार विभाग में एक ही स्थान पर अनुभागों में स्थानान्तरण । (93)]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में कर्मचारियों को पंखों और कूलरों जैसी ग्रीष्मकालीन सुविधाएं देने की आवश्यकता । (100)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में कर्मचारियों को हीटर जैसी शीतकालीन सुविधाएं देने की आवश्यक ता । (101)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में कर्मचारियों को गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी सप्लाई करने की आवश्यकता । (102)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में पुराने और काम में न आने योग्य टाइपराइटरों को बदलने की आवश्यकता, जिनके कारण कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । (103)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में बहुत पुराने फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता । (104)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में लिफ्टों की मरम्मत करने की आवश्यकता । (105)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[लिपिक काडर में नियमित रूप पदोन्नति के लिए 40 सूत्री रोस्टर के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों को लागू करने की आवश्यकता । (106)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[सरकारी नियमानुकूल 40 सूत्री रोस्टर के अनुसार लिपिक काडर में नियमित रूप से पदोन्नति के लिये लिपिकों की सूची तैयार करने की आवश्यकता । (107)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[सी० एस० एस० एस०/सी० एस० एस०/सी० एस० सी० एस० काडरों के कर्मचारियों की स्वीकृत स्थायी संख्या की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता । (108)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[सी० एस० सी० एस०/सी० एस० एस० एस०/सी० एस० एस० काडरों के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता । (109)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[सी० एस० सी० एस०/सी० एस० एस० एस०/सी० एस० एस० काडरों के कर्मचारियों की वरीयता-सूची जारी करने की आवश्यकता । (110)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[सी० एस० सी० एस० के उन कर्मचारियों की पदोन्नति करने की आवश्यकता, जिनकी पदोन्नति देय है और जो अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के योग्य हैं । (111)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक तार महानिदेशालय में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैनों की वरीयता-सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता । (112)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय के कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैनों को सिलेक्शन ग्रेड देने की आवश्यकता । (113)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[कर्मचारियों की उचित शिकायतों को हल करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें और बातचीत करने की आवश्यकता । (114)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में नियमित रूप से कार्यालय परिषद (आफिस काउंसिल—जे० सी० एम०) की बैठकें करने की आवश्यकता । (115)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में कार्यालय परिषद (जे० सी० एम० कर्मचारी पक्ष) को उपयुक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (116)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[सी० एस० सी० एस०/सी० एस० एस०/सी० एस० एस० एस० काडरों में कर्मचारियों की पदोन्नति में विलम्ब को रोकने की आवश्यकता ।(117)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें ठीक समय पर तैयार कराने की आवश्यकता । (118)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[टी० आर० सी० कार्यरत उन मजदूरों को, जो डाक-तार महानिदेशालय में वायमैन निम्न श्रेणी लिपिक के पदों के लिए योग्य हैं, पदोन्नत करने की आवश्यकता । (119)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय के चतुर्थ श्रेणी के उन सदय कर्मचारियों को, जिन्होंने नैमित्तिक मजदूरी पर 480 दिन से अधिक सेवा पूरी कर ली है, नियमित करने की आवश्यकता । (120)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 5 प्रतिशत आरक्षित कोटे में शैक्षणिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत करने/नियमित करने की आवश्यकता । (121)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार लेखा सेवाओं के लेखाकारों और लेखाधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों में वापिस भेजने और उसके परिणामस्वरूप रिक्त पदों को डाक-तार महानिदेशालय के सी० एस० सी० एस०/सी० एस० एस० के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा भरने की आवश्यकता । (122)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में उन पदों पर दूर संचार लेखा लिपिकों की नियुक्ति को रोकने की आवश्यकता, जहां केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के निम्न श्रेणी लिपिकों को ही नियुक्त किया जा सकता है । (123)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[विभागीय कैन्टीनों में कैन्टीन कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की अवश्यकता । (124)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार महानिदेशालय में विभागीय कैन्टीनों के लिए सुपर बाजार/उचित दर की दुकानों से खरीदारी करने की आवश्यकता । (125)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[उन मृत उपयोक्ताओं, जिनके पास कतिपय संगठनों के नाम में टेलीफोन थे, के उत्तराधिकारियों के नाम में टेलीफोन कनैक्शन अन्तरित करने की आवश्यकता। (128)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[अधिक टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिये दक्षिण दिल्ली में और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता। (129)]

कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[दिल्ली में शक्ति नगर और शाहदरा स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में नये टेलीफोन कनेक्शन देने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को दूर करने और इन क्षेत्रों में और टेलीफोन कनेक्शन मन्जूर करने की आवश्यकता। (130)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[दिल्ली में साधारण ट्रंक कालों को मिलाने में अनावश्यक विलम्ब। (131)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[अन्य उपयोक्ताओं के टेलीफोन नम्बरों पर व्यापारियों के लिये एल० टी० डी० काल देने में लाइनमैनों द्वारा किये जा रहे कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (132)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[उपयोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिये टेलीफोन के अधिक राशि के बिल भेजने को रोकने की आवश्यकता। (133)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[काम में दक्षता लाने के लिए डाक-तार विभाग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता। (146)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[टेलीफोन एक्सचेंजों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों के लिए निःशुल्क ट्रंक कालों की व्यवस्था करने के कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (147)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[शाखा डाकघरों के कर्मचारियों को अंशकालीन कर्मचारी मानकर उन्हें वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रखना। (145)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[ई० डी० ए० और ई० डी० एम० सी० के वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता । (149)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[पहाड़ी और अन्य पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर छोटा नागपुर में, टेलीफोन एक्सचेंज और पी० सी० ओ० की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (150)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक के नियमित वितरण हेतु डाक गाड़ी की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (151)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं को व्यापक पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता । (152)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[2500 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों वाले गांवों में डाकघर खोलने की आवश्यकता । (153)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[गिरिडीह जिले में करीहारी, हिरोडीह, चकनाडीह और हजारीबाग जिलों में अरैया कटियो और चोपनडीह (मरकंचो प्रखंड) में शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता । (154)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[गिरिडीह जिले के जमुआ और बगोदर प्रखंड मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता । (155)]

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के एक पुत्र/पुत्री को रोजगार देने की आवश्यकता । (134)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[डाक-तार विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता । (135)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[टेलीफोन बिलों को ठीक से तैयार करने की आवश्यकता । (136)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[टेलीफोन के बार-बार खराब होने के सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता । (137)

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[एस० टी० डी० प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता। (138)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[उन आवेदकों को, जो लम्बी अवधि से टेलीफोन कनेक्शनों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विशेषकर बम्बई जैसे शहरों में, तुरन्त टेलीफोन कनेक्शन देने की आवश्यकता। (139)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[संचार विभाग (डाक-तार) के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता। (140)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[डाक पत्रों और तारों के वितरण में असाधारण विलम्ब। (141)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[उन डाकियों, जो डाक पत्रों के वितरण में विलम्ब करते हैं और जो डाक पत्रों को फेंक देते हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता। (142)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[डाक और तार कार्यालयो के लिए बेहतर परिसरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (143)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[बंगलोर नगर के नये क्षेत्रों में डाक घर खोलने की आवश्यकता। (144)]

कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[डाक-तार टेलीफोन विभागों में धीरे-धीरे बढ़ रहे कदाचारों को रोकने की आवश्यकता। (145)]

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : सभापति महोदय, मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। देश में दूरसंचार प्रणाली और इसके कार्यकरण का उल्लेख करते समय इसके कार्यकरण की आलोचना नहीं समझनी चाहिये क्योंकि इसके कार्यकरण के सम्बन्ध में हमारे देश में कोई भेद-भावपूर्ण रवैया नहीं है। दूरसंचार व्यवस्था में कुछ कमी के कारण विपक्ष को इस स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देश की विशालता और वितरण को देखते हुये इस व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। टेलीफोन प्रणाली कोई बड़प्पन का प्रतीक नहीं है वरन् यह राष्ट्र की प्रगति और विकास का प्रतीक है। इस आधार पर मैं देश में दूरसंचार प्रणाली के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में यह प्रणाली कुछ पीछे रह गई है। मैं यह नहीं कहता कि यह 100 वर्ष पीछे है लेकिन कम से कम 20 वर्ष पीछे अवश्य है।

हमारे यह अभी वही प्रणाली है जो छठे या सातवें दशक में थी। मैं इस मंत्रालय की मांगों पर तीसरी बार चर्चा में भाग ले रहा हूं तथा यह शिकायत कर रहा हूं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने उल्लेखनीय काम किया है। दूरसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विस्तार में भारी सुधार हुआ है। हमें अब इस बात पर विचार करना है कि क्या यह विस्तार कार्य और आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य पर्याप्त रहा है। श्री स्टीफन देश के एक योग्य तथा बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं तथा आज वह एक बहुत ही जिम्मेदाराना हालत में हैं और इसका प्रशासन उन्हीं के अधीन है। अत: मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि दूरसंचार प्रणाली के प्रशासन की बाहर से और अन्दर से भी इतनी आलोचना क्यों की जा रही है।

महोदय, दूरसंचार व्यवस्था में सुधार सम्बन्धी विभिन्न रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए हम सरीन कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करना चाहते हैं क्योंकि यह एक तकनीकी रिपोर्ट है। यह एक विशाल रिपोर्ट तैयार की गई है तथा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों के सारांश से ज्ञात होता है कि बहुत सी प्रणालियों को बदलना होगा तथा विस्तार करना होगा तथा कुशल इन्जीनियरों की सेवा लेनी होगी तथा नई प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। श्री सरीन ने विभिन्न अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों का सुझाव दिया है तथा दूरसंचार मंत्रालय को इन सभी बातों को क्रियान्वित करना होगा। यह बड़े उत्साह की बात है कि हमारे देश को अत्यन्त शीघ्रता से विकास करना चाहिए कि अन्य देशों में उपयुक्त टेलीफोनों की तुलना में अपने देश में हम जिन टेलीफोनों का उपयोग करते हैं उनसे लगता है कि हमारे देश का स्थान विकासशील देशों में सातवां है किन्तु हमारे यहां 1000 व्यक्तियों के पीछे केवल 4 टेलीफोन हैं।

मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि टेलीफोन प्रणाली के क्षेत्र में हमारी वास्तविक स्थिति क्या है तथा हम कितने पीछे हैं। यह आंकड़े लोक सभा में ही प्रस्तुत किये गये थे।

हमारी छठी योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 1000 व्यक्तियों पर 6 टेलीफोन हों। 1980 के तुलनात्मक आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत सात विकासशील देशों में पीछे है। अल्जीरिया में 22 प्रति हजार है, ब्राजील में 51 प्रति हजार, ईरान में 22 प्रति हजार, मैक्सिको में 69 प्रति हजार, घाना में 6 प्रति हजार, श्रीलंका में 6 प्रति हजार और कीनीया में 11 प्रति हजार टेलीफोन हैं। बंगलादेश में 2 प्रति हजार से कम तथा पाकिस्तान में 3 प्रति हजार टेलीफोन हैं।

विकसित देशों में अमरीका में 791 प्रति हजार, स्वीडन में 771 प्रति हजार और कनाडा में 654 प्रति हजार टेलीफोन हैं। विश्व के आंकड़े 164 टेलीफोन प्रति हजार जनसंख्या है।

विकासशील देशों में से हमारा देश सशक्त देश है, यह बड़ा राष्ट्र है। हमारे यहां जन-संख्या अधिक है, संसाधन हैं। हमारे यहां जन शक्ति है तथा हमारे यहां सभी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए भारी संसाधन भी हैं। हमारा नेता भी विश्व नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करता जा रहा है तथा हमारे यहां संचार प्रणाली बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अर्थ-

व्यवस्था आदि के क्षेत्र में आगे भी विकास होना अनिवार्य है । अतः दूरसंचार प्रणाली के प्रशासन में मौलिक परिवर्तन किये जाने चाहिए तथा इसका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए । यदि इसमें मौलिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा तो टेलीफोन प्रणाली के नष्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं । अतः मैं मंत्री महोदय श्री स्टीफन से यह निवेदन करता हूं कि सरीन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जाए तथा टेलीफोन उत्पादन सम्बन्धी हमारी वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये तथा टेलीफोन सेवा और टेलीफोन उपकरणों की किस्म में सुधार किया जाये । इस प्रकार के उपकरणों के उत्पादन के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता हो उसकी देश भर में जांच की जाये । ऐसा अभी तक नहीं किया गया है । हमें इलैक्ट्रोनिक प्रणाली का भी उपयोग करना पड़ेगा । क्रास बार प्रणाली अब बहुत पुरानी हो गई है तथा यह विभिन्न कारणों से देश में अच्छी तरह काम भी नहीं कर रही है हमारे पास अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रणाली और सूक्ष्मतरंग प्रणाली भी हैं । आज इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है । प्रशासन कुछ किस्म की केबल का उत्पादन कर रहा है, चाहे आई० टी० आई० बंगलौर में, फरीदाबाद का बरेली में, टैक्नीकल रिपोर्ट के आधार पर हमें विस्तार करना है । वह रिपोर्ट मंत्रालय में है । यह बात नहीं है कि हमने कोई विस्तार ही नहीं किया । हमने विस्तार किया है । इस योजना में 400 टेलीफोन केन्द्रों में विस्तार किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विस्तार, प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के लिए 54 करोड़ रुपयों की राशि का आवंटन किया गया था । मेरे विचार से आधुनिकीकरण, विस्तार और उपकरणों के लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं थी । जनता को दो लाख टेलीफोन दिये जाने हैं ।

आज संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी खाई है । इसका आर्थिक गतिविधियों से सम्बन्ध है । देश भर में दूरसंचार प्रणाली को फैलाना होगा तथा उसका एक जाल सा बिछाना होगा । टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वह क्यों नहीं हो सकी ? इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है । बम्बई, हैदराबाद, बंगलौर और अन्य ऐसे ही नगरों में टेलीफोन व्यवस्था उपयुक्त स्तर तक नहीं सुधार सकी । दूरसंचार प्रणाली अधिक संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है । किन्तु उसकी जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई । दूरसंचार प्रणाली और इस प्रणाली के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट दी जा रही है । इसमें उपयुक्त लोगों को नियुक्त नहीं किया गया है । पता नहीं कौन इसकी व्यवस्था करता है । कौन इन लोगों को वहां लगा रहा है । जहां तक टेलीफोन प्रणाली का सवाल है इससे हमारी सरकार बदनाम हो रही है । अतः इसमें से नौकरशाहों को अलग करना होगा । कानून बनाने पड़ेंगे । इस व्यवस्था में जो दोष हैं उनको दूर करना होगा । हम देखते हैं हर जगह टेलीफोन व्यवस्था खराब हो रही है । 10 कालों में से कभी-कभी 3 तथा कभी-कभी 6 कालें गलत जगह मिल जाती हैं । केवल दिल्ली में ही ऐसा नहीं है वरन हर जगह यही होता है ।

श्री स्टीफन ने कई उपाय किये हैं जहां तक विस्तार और अन्य बातों का सम्बन्ध है उन्होंने सराहनीय कार्य किया है । उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है । किन्तु प्रशासन में विभागाध्यक्षों को, जोकि संचार व्यवस्था को नियंत्रित रखते हैं, हो सकता है किसी तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ता हो । टेलीफोन विभाग में अथवा निगम में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हम निगम भी चला रहे हैं । हमारे यहां सरकारी क्षेत्र की संचार प्रणाली है जिसमें देश के विभिन्न भागों में उत्पादन

एकक हैं। क्या कारण है कि उपयुक्त किस्म की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता ? अपेक्षित किस्म की मशीनें नहीं लगाई गई। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि हम अत्यधिक विकसित देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। किन्तु हमारा देश किसी भी देश से किसी प्रकार कम नहीं है। एशिया में हमारे नेतृत्व में तीसरा विश्व पनप रहा है तथा भारत सर्वाधिक आधुनिक देश के रूप में उभर रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों की सराहना की गई हैं। जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है हम किसी भी देश से किसी प्रकार कम नहीं हैं। बहुत से देश हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का अनुसरण कर रहे हैं।

जहां तक प्रशासन का प्रश्न है टेलीफोन विभाग एक छोटा सा विभाग है। हम इसके प्रशासन और इसके कार्यकरण के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य क्यों नहीं कर पाये ?

यह देखकर बड़ी निराशा होती है कि टेलीफोन व्यवस्था न केवल बहती जा रही है बल्कि समूची टेलीफोन संचार व्यवस्था नौकरशाही के उचित कार्यक्रम के अभाव में गड़बड़ा गई है। इसके कार्यकरण के लिए आधुनिकतम प्रणाली अपनाने अथवा इसमें परिवर्तन अथवा सुधार करने से पूर्व, उसके लिए हम मशीनों का आयात करेंगे अ वा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आरम्भ करेंगे या फिर किसी अन्य देश जैसे जर्मनी या इटली से माइक्रोवेव प्रणाली प्राप्त करेंगे, हमें इसकी वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह सुधारना चाहिए। हम टेलीफोन कारखानों तथा उत्पादक एककों पर बहुत राशि खर्च कर रहे हैं। यह राशि विस्तार योजना पर खर्च हो रही है और 400-500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। प्रशासन की तरफ भी हम काफी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। आज हम कर दे रहे हैं। लोग कर देकर खुश हैं बशर्ते कि टेलीफोन व्यवस्था ठीक से कार्य करे। यदि नहीं कार्य करती तो स्वाभाविक ही है कि इसकी आलोचना होगी। अतः आधुनिकतम पद्धति अपनाने से पूर्व समूची स्थिति पर पूर्णतया विचार करना होगा। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है और यदि हां, तो किस क्षेत्र में, जैसे जन शक्ति का आयोजन तकनीकी कर्मचारियों से लेकर उच्चतम कार्य-केन्द्रों तक काफी समय इस व्यवस्था का जंग सा लग चुका है। इस व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों की क्षमता को जंग लग चुका है। मैं तो कहना चाहूंगा कि देश में आज जो कनेक्शनों के लिए विचाराधीन मामले पड़े हैं, जिनकी संख्या लाख-दो लाख होगी, उन बंगलौर टेलीफोन वाले तो एक संसद सदस्य को भी टेलीफोन नहीं दे रहे हैं। मैं विगत छः महीने से इसकी मांग करता आ रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा। परन्तु संगठन एक लाइन नहीं दे रहा है। चाहे वह अपना निजी टेलीफोन देने की बात हो या जमा-राशि देकर, या सरकारी कार्य के लिए या किसी भी अन्य प्रकार का हो परन्तु जब एक संसद सदस्य एक अतिरिक्त टेलीफोन लाइन मांग रहा हो, तो वह नहीं दिया जा रहा। उसे विशेषाधिकार के अन्तर्गत टेलीफोन भी नहीं माना गया।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपका टेलीफोन तो कार्य कर रहा है परन्तु मेरा नहीं।

श्री के० लक्कप्पा : मैं दोष नहीं दे रहा हूं। परन्तु मंत्री को इस पर विचार करना होगा। निश्चित रूप से गलत गणना की जा रही है। गलत बिल बनाये जाते हैं। गलत कनेक्शन जारी

रहते हैं । यदि टेलीफोन पर ताला भी लगा हो, अलमारी में भी रखा हो तो भी, बिल भेज दिया जाता है । एक ध्वनि-प्रणाली होनी चाहिए । मेरे विचार से, पुराने ढर्रे की प्रणाली को बदलना होगा । किस आधार पर अधिकारी गलत गणना करते हैं ? जब कोई गलत टेलीफोन कनेक्शन मिलता है, तो इसमें मेरा दोष तो नहीं है । न आपका दोष है और न ही उपभोक्ता का । परन्तु फिर भी इसे अदायगी करनी पड़ती है । सारी व्यवस्था धराशायी हो चुकी है और टेलीफोन खराब होते रहे हैं । वे उपभोक्ताओं से मनमाने बिल वसूल कर रहे हैं । खराब उपकरणों के कारण भी गलत कनेक्शन मिलते हैं । इन उपकरणों की देखभाल भी ठीक-ठाक नहीं की जा रही है । इनकी संख्या लगभग 20 लाख होगी । मंत्रालय ने बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजनायें बनाई है । उन्होंने कुछ योजनायें तैयार की हैं, कुछ परिवर्तन भी किये हैं । व्यवस्था में भी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि मंत्रालय बहुत परिश्रम कर रहा है, मंत्री महोदय भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं । परन्तु उत्तरदायित्व और जवाबदेही की समिति उचित रूप से बनाये रखी जानी होगी । जब तक ऊपर से नीचे तक आप लोगों पर उत्तरदायित्व निश्चित नहीं करेंगे, इस व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकेगा । आपको प्रौद्योगिकी में सुधार करना होगा चाहे वह माइक्रोवेव पद्धति हो या उपग्रह प्रौद्योगिकी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा देश है और इसमें संचार साधन की कमी नहीं रहनी चाहिए ।

देश का समूचे तौर पर विकास तथा अर्थव्यवस्था का सार्वभौमिक विकास संचार व्यवस्था के अच्छे कार्यक्रम पर निर्भर करता है । यदि संचार व्यवस्था धराशायी होती है तो समूची विकास गतिविधियां भी ठप्प पड़ जायेंगी । इसलिए, यह सामान्य समझ की बात है तथा एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि संचार व्यवस्था को गलत ढंग से सुधारा जाना चाहिए और यह कार्य वैज्ञानिक ढंग से किया जाये । हम विज्ञान के युग में जी रहे है तथा हमारे ऊपर वैज्ञानिक चेतना है जिसे बहुत से देशों ने भी अपनाया है । हमारे पास जनराशि की कोई कमी नहीं है । प्रौद्योगिकी की कमी नहीं है, कच्ची सामग्री की कमी नहीं है । इनका समन्वय क्यों नहीं किया गया ? अत:, हम सरीन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति की मांग कर रहे हैं । यदि अधिक देना पड़े तो भी हमें कोई एतराज नहीं परन्तु संचार व्यवस्था तो ठीक चलनी चाहिए । बेशक हम अधिक आयात करें परन्तु संचार व्यवस्था ठीक से कार्य करे । आज जितनी भी टेलीफोन व्यवस्था विद्यमान है वह तो ठीक से कार्य करे ।

डाक व तार ने भी एक विस्तार योजना बनाई है । इसके अन्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों को लाया जाना है । हम आज भी यह मांग कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी डाकघरों का कार्यकरण तथा रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । वहां पर लोगों की ठीक से नियुक्ति नहीं की जाती । इन डाकघरों का रखरखाव ठीक ढंग से होना चाहिए ताकि गांवों में संचार व्यवस्था ठीक से हो । हर गांव में एक डाकघर होना चाहिए । आज अनेक गांवों में डाकघर नहीं हैं अस्थायी रूप में वहां अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है । अत: ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिए ।

समूचे तौर पर देखा जाये तो मंत्रालय और मंत्री महोदय ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं । परन्तु विभाग में कुछ चक्कर है । उसे कुछ झटका दिया जाना चाहिए । मैं अपने प्रतिभाशाली मंत्री श्री स्टीफन से अपील करता हूं कि वह कुछ करें । इसमें कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है । आज दूर-

संचार व्यवस्था तथा टेलीफोन व्यवस्था बहुत ही खराब दशा में हैं। यह सारी सभा का मत है तथा बाहर के लोगों का भी यही मत है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि इसे एक आकस्मिक झटका दिया जाये। वह समूची व्यवस्था में परिवर्तन लायें तथा उसे पुनर्गठित करें। वह सारी नौकरशाही, जोकि उनकी योजना तथा परिकल्पना के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है उसे सुधारें तथा दण्डत करें। केवल दिल्ली में ही नहीं सभी बड़े नगरों में टेलीफोन उपयोक्ता झीख रहे हैं। सारी ही व्यवस्था को पूर्णरूपेण सुधारना होगा।

मैं आशा करता हूं कि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले श्री स्टीफन कुछ करेंगे। वह छोटे लोगों को क्यों नहीं सम्भाल पाते। मैं विश्वस्त हूं कि वह उन्हें उचित ध्यान पर रख सकते हैं। वह नई प्रौद्योगिकी तथा नई पद्धति शुरू करें तथा यह देखें कि वह ठीक से कार्य करे। मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं कि वह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। देश को इस भ्रम में डाल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह नौकरशाही ही जो पुराने ढर्रे पर चल रही है और इसमें सुधार करना ही होगा। यदि आवश्यक हो तो वह ऐसे सुधार संचार व्यवस्था, टेलीफोन व्यवस्था तथा हर व्यवस्था में लायें। वह समूची व्यवस्था को पुनर्गठित कर दें। इन शब्दों के साथ मैं उन्हें शुभ कामनायें पेश करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) माननीय सभापति महोदय, संचार मंत्रालय की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

टेलीफोन के बारे में अभी जो मेरे मित्र ने विचार रखे, वैसे ही विचार टेलीफोन के बारे में मैं भी रखता हूं।

अभी जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि—

"समिति ने दावा किया है कि टेलीफोन व्यवस्था अन्य राष्ट्रों की व्यवस्था को देखते हुए प्रौद्योगिकी के मामले में कम से कम एक दशक पीछे है।

अनुसंधान तथा विकास के सीमित स्रोतों, कलपुर्जों की अविश्वसनीयता और उत्पाद-इन्जीनियरिंग विशेषज्ञता के अभाव को हमारे विकास में बाधक बताया गया है।

समिति यह भी कहती है कि यह खेद का विषय है कि गत तीस वर्षों में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड टेलीफोन उपकरणों में भी पूर्णता हासिल नहीं कर सका। नवीनतम डिजाईन 677, जिसमें एक जापानी डायल लगा है। हालांकि डिजाईन 671 का एक सुधरा हुआ रूप है तो भी बताया जाता है कि यह यह भी रिसीवर तथा ट्रांसमीटर की बड़ी-बड़ी खराबियों से मुक्त नहीं है।"

कहने का अर्थ यह है कि अभी तक भी, इस वैज्ञानिक युग में भी हम टेक्नालाजी में बहुत पीछे हैं और हमारा विभाग जिस तरह से कार्य कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी कार्य कर रही है, वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। मंत्री महोदय बहुत योग्य हैं, परन्तु विभाग पर जो उनकी ग्रिप

होनी चाहिए वह ग्रिप म होने से यह स्थिति बनी हुई है। हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ही जिम्मेदार ठहराएं और खुद जिम्मेदारी महसूस न करें तो यह उचित नहीं होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो हमें सख्ती से, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को, हमारी सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए और जो वीकनेसेस हैं ब्यूरोक्रेसी में, उन को दूर करना चाहिए।

"नो-हाउ" के बारे में हमने दिसम्बर 1977 में निर्णय लिया था, उसके बाद इसके बारे में दूसरे देशों से कोई विशेष जानकारी हमने नहीं ली। हम सेटलाइट के मामले में, उपग्रह के मामले में कुछ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी उपलब्धियां हैं, परन्तु अभी इनसेट-1 (ए) के बारे में जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है कि यह अभी अच्छी तरह से फिक्स नहीं हुआ है और कब फक्शन करेगा इसके बारे में भी डार्क पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सारी बातों को क्लीयर करें। क्योंकि इनसेट-1 (ए) और (बी) की जिस प्रकार से योजना है, उससे हमें बड़ी भारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। इससे हिन्दुस्तान के ग्रामीण और बैकवर्ड क्षेत्रों में फायदा होगा।

एक प्लान बनाया गया था इंटीग्रेटेड डेवेलेपमेंट का, उसमें 17 डिस्ट्रक्ट लिए गए थे। आपने जो 17 डिस्ट्रिक्ट छांटे थे उनमें बाड़मेर राजस्थान का भी एक डिस्ट्रिक्ट छांटा था। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि इंटेग्रेटिड डिवेलेपमेंट प्रोग्राम के तहत वहां कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जब आप जिलों का इस प्रोग्राम के तहत चुनाव कर लेते हैं, एक एक प्रान्त में एक एक छांट लेते हैं लेकिन वहां कोई खर्च नहीं करते हैं, कोई प्रोग्रेस के काम नहीं करते हैं तो किस प्रकार से आप छठे प्लान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे, यह आप हमें बताएं।

आटोमैटिक एक्सचेंजिज, एस० टी० डी० की फैसिलिटीज की हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्थान इस मामले में बहुत पीछे है। जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। जहां तक टेलीफोन से लिंक करने की बात है कभी भी ट्रंक कौल की जाए, यही जवाब मिलता है कि लाइंज ठीक नहीं हैं। ज्यादा दबाव डाला जाता है तो किसी न किसी प्रकार की इवेसिव रिप्लाई दे दी जाती है और ट्रंक कालज को किसी भी तरीके से जोड़ा नहीं जाता है। हमें किसी भी तरीके से टेलीफोन का उचित लाभ नहीं मिलता है।

रांग नम्बर्ज भी मिल जाते हैं। आप सही नम्बर भी घुमाते हैं तो रांग नम्बर मिल जाते है। टेलीफोन की व्यवस्था ठीक नहीं है। अवश्य ही आपने टाउंज और सिटीज में टेलीफोन फैसलिटीज के बारे में कुछ प्रोग्रेस की है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों को बिल्कुल कवर नहीं किया गया है। दस प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को टाउंज और सिटीज के मुकाबले में भी कवर नहीं किया गया है। इस मामले में ग्रामीण क्षेत्रों का भी डिवेलेपमेंट किया जाना चाहिए। अभी फिगर्ज दी गई हैं। एक हजार पर चार लोग ही वहां लाभ उठा पा रहे हैं। मतलब यह है हम बहुत पीछे हैं। राजस्थान का जहां तक ताल्लुक है वह तो और भी पीछे है। वहां एक हजार पर एक भी नहीं आता है। बैंजट एरियाज में एक हजार पर आधा परसेंट भी नहीं आता है। बैकवर्ड एरियाज की भी यही हालत है। बैकवर्ड एरियाज में 2500 की पापुलेशन के आधार पर पी० सी० ओ० फिक्स किए जाते हैं। पी० सी० ओ० सैंक्सन हो जाता है लेकिन दस दस बरस के बाद भी नहीं लगता है। ऐसी सैंक्सन का क्या लाभ हो सकता है ? बाड़मेर, जैसलमेर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो विस्तृत

एरियाज में फैले हुए हैं, ज्यादा लाइन की आवश्यकता होती है। उत्तर-प्रदेश में, बिहार में अगर इस आधार पर पांच पी० सी० ओज स्थापित होते हैं तो हमारे यहां एक भी नहीं किया जाता है। कारण यह है कि लाइन लम्बी खींचनी पड़ती है। राजस्थान में पचास परसेंट डैजर्ट एरिया है। उसके लिए सामग्री अधिक चाहिए। अधिक व्यवस्था आपको करनी होगी, खम्भों की पोल्ज लाइंज की अधिक व्यवस्था आपको करनी होगी। पहले भी मैंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था। इस प्रकार के जो एरियाज हैं, जो बहुत फैले हुए हैं क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे बाड़मेर जैसलमेर हैं या मेरी कंस्टिट्एंसी है जो केरल प्रान्त से डबल है या हरियाणा से ड्योढ़ी है उनका आपको खास ख्याल रखना होगा। इन क्षेत्रों का विकास इस वास्ते भी जरूरी है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं। सीमावर्ती क्षेत्र अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, उनका डिवेलेपमैंट नहीं होगा तो कैसे देश का डिवेलेपमेंट हो सकता है। सभी अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डिवेलेपमेंट करना चाहते हैं तो हम ही क्यों पीछे रहें, हमें ही क्यों पीछे रखा जाता है ? उनके मारेल को बूस्ट करने की तो और भी ज्यादा आवश्यकता है। आपने जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को उपग्रह केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए सिलेक्ट किया है तो उसको आगे बढ़ाने का भी तो आप प्रयास करें।

अब मैं पोस्टल फैसिलिटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि पोस्ट आफिसेज के बारे में पहले हर साल 1980 के पहले 5,000 नए पोस्ट आफिस खोले जाते थे। अब 1,600 पोस्ट आफिसेज खोले जाते हैं, यह रिपोर्ट के पेज 4 पर कहा गया है :

> "भारी घाटा उठाकर नये डाकघर खोलने की गति इस वर्ष धीमी कर दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 5000 नये डाकघर खोलने का सामान्य लक्ष्य अब घटाकर 1600 डाकघर प्रतिवर्ष कर दिया गया।"

आप हमारे यहां कितनी भी कोशिश करें बैकवर्ड एरियाज में कोई लाभ नहीं हो सकता, वहां पोस्ट आफिस लौस में ही रहेंगे। लेकिन एक वैलफेयर स्टेट में हमें आपको यह सुविधा देनी होगी, यह हमारा अधिकार है। जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में 7 व्यक्ति रहते हैं और बाड़मेर में 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जहां इतना विस्तृत क्षेत्रफल है वहां 500 की जनसंख्या के आधार पर आपको पोस्ट आफिस देना चाहिए, वरना बहुत से गांव कवर नहीं होंगे। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसी जगहों पर आपको ब्रांच पोस्ट आफिस खोलने चाहिये। कुछ हमारे गांव इस प्रकार के हैं जो 25 वर्ग मील से लेकर 100 वर्ग मील के अन्दर हैं। सुन्दरा गांव 500 वर्ग मील एरिया में है। अगर वहां जनसंख्या 2000 है तो दूसरा पोस्ट आफिस आप नहीं खोलते हैं अपने मापदण्ड के अनुसार। वह कहते हैं कि रेवेन्यू विलेज एक ही है। लेकिन हमारा कहना है कि एरिया तो बड़ा है, 50, 60 एक्वायर माइल का है, बहुत दूरी पड़ती है, इसलिए एक रेवेन्यू विलेज के अन्दर भी जैसे टाउन्स में आप 2, 3 पोस्ट आफिसेज खोले देते हैं, उसी तरह ऐसे गांव में भी 2, 3 पोस्ट आफिसेज खोले जाने चाहिये।

जैसलमेर जिला पर्यटन की दृष्टि से और डिफेंस की दृष्टि की बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंटका आफिस नहीं है। वहां डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट का आफिस होना चाहिये। और बाड़मेर में सुपरिन्टेंडेंड पोस्ट आफिस के लिये बिल्डिंग नहीं है। जो है भी वह 50 साल पुरानी है, पहले स्टेट के समय की इमारत है, और रेलवे स्टेशन के पास में है, जो ऐनक्रोचमेंट माना जाता है।

राजस्थान सरकार फ्री जमीन देने को तैयार है, आप बिल्डिंग बनाइये। लेकिन आपका विभाग इस पर कुछ विचार नहीं कर रहा है। यह जरूरी है कि प्रोपर प्लेस पर डिवीजनल पोस्ट आफिस की बिल्डिंग ही इस बारे में व्यवस्था की जानी चाहिये। इन क्षेत्रों में मोबाइल पोस्ट आफिस खोलने की आवश्यकता है। यह काम कैमिकल्स के जरिए हो सकता है, या जीप के जरिए भी हो सकता है। इसलिए आप मोबाइल पोस्ट आफिस इंट्रोड्यूस करें। सबसे जरूरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कमेटी का फारमेशन होना चाहिए ताकि टेलीग्राफ और टेलीफोन की जितनी भी प्रोबलम्स है उनको हल किया जा सके। चेयरमैन इस कमेटी का कलेक्टर हो। उस कमेटी में एम० एल० ए० और एम० पी० हों और सुपरिन्टेंडेंट पोस्ट आफिस भी आये ताकि वहीं के वहीं छोटी छोटी समस्याओं को हल किया जा सके। इसलिये मेरी मांग है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कमेटी की स्थापना की जाय।

इन शब्दों के साथ जो समस्यायें मैंने रखी हैं उनको हल करने की मंत्री जी कोशिश करेंगे और अपने विभाग को पूरी ताकत के साथ कोशिश करके सक्सैसफुल बनायेंगे।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय सभापति जी, मैं संचार विभाग के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मेरे मित्र श्री लकप्पा ने सरकार के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाये हैं और उनकी कटु आलोचना की है। यह बात सही है कि जैसी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये, वैसी नहीं है, लेकिन इसके लिए केवल हम अधिकारी वर्ग को ही दोषी मानें, यह सर्वथा उचित नहीं है।

चाहे संचार विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, कर्तव्य-निष्ठा हमारी समाप्त हो चुकी है। इसका कारण यह है कि जो राष्ट्रीय भावना हमारे मन में होनी चाहिए, जो देश सेवा का अनुराग होना चाहिये, वह समाप्त हो गया है। जहां तक राष्ट्रीय चरित्र का प्रश्न है, केवल संचार विभाग के पदाधिकारियों की ही कार्यक्षमता में गिरावट नहीं आई है, बल्कि हम चतुर्दिक देखते हैं, चाहे केन्द्रीय सरकार का कोई भी विभाग ले लें या किसी भी प्रदेश सरकार के विभाग को हम लें, सब में बहुत स्खलन आया है और इसका एकमात्र कारण यह है कि राष्ट्रीय चरित्र जितना उन्नत होना चाहिये, उस रूप में हम उसे नहीं पाते।

ऐसा कहा गया है कि टेलीफोन काम नहीं करता है और देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की और अधिक से अधिक व्यवस्था होनी चाहिये। आज से 8-10 वरस पहले जब स्वर्गीय डा० राम सुभग सिंह जी संचार मन्त्री थे, उनसे मैंने कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते आग्रह किया और उन्होंने कबूल करके हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करके हमारे बिहार प्रदेश के सारण जिले के गांव नैनी में पी० सी० ओ० की व्यवस्था कराई। वह काफी बड़ा गांव है, 8-10 हजार की आबादी है, लेकिन पी० सी० ओ० की स्थापना के बाद मैं देखता हूँ, वहां पर कोई काल बुक करने वाला नहीं है। सरकार का खर्चा पी० सी० ओ० पर होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों में नागरिक चेतना नहीं है। गरीबी है, पैसे का अभाव है, इसका मतलब यह नहीं कि पी० सी० ओ० की स्थापना नहीं होनी चाहिये, लेकिन पी० सी० ओ० की स्थापना करते समय इस बात को देखना चाहिये कि वास्तव में लाभकारी योजना है या नहीं। पी० सी० ओ० की स्थापना के द्वारा 5-7 वर्षों में उससे कितना लाभ उठाते हैं और कितनी आमदनी हुई? अगर वह लाभकारी

नहीं है तो उसे बन्द करना चाहिये और ऐसे स्थान पर उसकी स्थापना होनी चाहिये जहां लोग इससे काम ले सकें।

एक बात और है, मैं इस विभाग के काम को बहुत नजदीक से जानता हूं। अगर इसकी कार्यविधि और गतिविधियों को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीफोन के पूरी क्षमता के साथ काम करने में एक बहुत बड़ा अभाव बिजली का है। खासतौर से सारण जिले में बिजली की बहुत कमी रहती है, जेनरेटर चलाकर भी कभी-कभी छपरा नगर में टेलीफोन केन्द्र काम करता है लेकिन प्रायः बिजली गायब रहती है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियन्ता या किसी भी बड़े अधिकारी से बात कीजिये तो कहता है कि मेरा टेलीफोन तो 10-20 दिन से काम ही नहीं कर रहा है। टेलीफोन विभाग के अधिकारी से कहिये तो वे कहते हैं कि बिजली नहीं मिलती है। इसलिए टेलीफोन विभाग की कार्यक्षमता नहीं बढ़ती है। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। जब तक बिजली का काफी उत्पादन नहीं होता और बिजली की स्थिति नहीं सुधरती, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि टेलीफोन का कुशलतापूर्वक काम करना असंभव है। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि कैसे यह बात बन सके।

मैं एक और अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। दिघवारा हमारे संसदीय क्षेत्र सारण जिले का एक प्रमुख स्थान है। एकमा और दिघवारा में डाकघर के मुख्यालय खोलने की बात आई। डाकघर का मुख्यालय एकमा में खोल दिया गया और दिघवारा की उपेक्षा की गई। मैं समझता हूं कि दिघवारा इस योग्य है जहां की छानबीन की जाये तो आंकड़ों के आधार पर यह बात सामने आयेगी कि यहां पर मुख्यालय होना चाहिये डाकघर का। मैं संचार मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह दिघवारा के मामले को देखें।

मेरे संसदीय क्षेत्र में छपरा सदर प्रखंड में सिघवलिया एक ऐसा निराला गांव है, जो साल में छः आठ महीने पानी से घिरा रहता है। वहां पर मुख्यतया हरिजन और गरीब लोग रहते हैं। वहां पर डाकघर नहीं है और आवागमन के लिए कोई सड़क नहीं है। अब मुश्किल से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। फकुली गांव में स्थित डाकघर तक जाने के लिए पांच छः किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वह सिघवलिया गांव छपरा से केवल दो तीन किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पानी भरा रहने के कारण वहां आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि वहां की आबादी कुछ कम है, लेकिन अगल-बगल के छोटे-छोटे गांवों की आबादी को मिलाकर वहां काफी आबादी हो जाती है। इन विशेष परिस्थितियों के कारण वहां डाकघर का होना आवश्यक है।

आज के युग में यदि पोस्ट-कार्ड और लिफाफा आदि समय पर न मिले और चिट्ठी दो, चार, दस दिन के बाद मिलें, तो इसका अर्थ यह है कि आजादी मिलने का साधारण सा लाभ भी उन गांवों के लोगों को नहीं हो सका है। उस गांव की स्थिति को देखते हुए संचार मन्त्री और संचार विभाग इस बारे में पुनर्विचार करें। मैं महसूस करता हूं कि वहां पर डाकघर खोलना अत्यावश्यक है।

छपरा सदर प्रखंड में एक दूसरा गांव है उमघा, जिसके बारे में मैंने संचार मंत्री से निवेदन किया है। उसकी आबादी 1915 है, जबकि डाकघर खोलने के लिए कम से कम आबादी

2,000 होनी चाहिए। लेकिन उसी गांव का हिस्सा है राजमल पिरारी, जिसकी आबादी डेढ़ दो हजार है। अगर इन दोनों को मिला दें तो तीन चार हजार से ज्यादा जनसंख्या हो जाती है। वह गांव भी बाढ़ग्रस्त है और वहां आने-जाने में बड़ी परेशानी होती है। संचार विभाग को इस बारे में आपत्ति है कि यह गांव निर्धारित मानदंड के अन्तर्गत नहीं आता है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति में, जबकि लोगों को काफी असुविधा हो, डाकघर की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संचार विभाग नये-नये उपकरण प्राप्त कर रहा है और उसका विकास बहुत वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है। सरकार इस विभाग के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सचेष्ट है, जिसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 117/82—सीमाशुल्क [स० का० नि० 32(अ)] और 118/82- सीमाशुल्क [सा० का० नि० 322(अ)] की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 19 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कोलतार पिच को, उस पर लगाने योग्य सम्पूर्ण मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमाशुल्क से 31 मई, 1983 तक छूट देने से सम्बन्धित है। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3945-क/82]

सभापति महोदय : सभा 20 अप्रैल, 1982 को ग्यारह बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

5.59 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 अप्रैल, 1982/30 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, मोजपुर, दिल्ली